विषय सूची

सत्र-1 : (भाग-4) सोमवार, 29 जून, 2015/आषाढ़ 08, 1937 (शक) अंक : 11

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था	3-6
3.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्रश्न-1-13)	6-114
4.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न-14-20)	114-153
5.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न-1-18)	153-181
6.	नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख	181-199
7.	विधेयक का पुर:स्थापन	200-201
8.	नियम-54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	201-204
9.	अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था	205-206
10.	अल्पकालिक चर्चा	206-226
	(1) सरकार द्वारा स्वयं के प्रचार पर धन की बर्बादी	
	(2) बिजली कम्पनियों की मनमानी से उत्पन्न स्थिति	
	(3) दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर	
11.	बजट पर आगे चर्चा	226-310

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-1 : (भाग-4) सोमवार, 29 जून, 2015/आषाढ़ 08, 1937 (शक) अंक : 11

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे आरम्भ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1.	श्री शरद कुमार	11.	सुश्री राखी बिड़ला
2.	श्री संजीव झा	12.	श्री विजेन्द्र गुप्ता
3.	श्री पंकज पुष्कर	13.	श्री राजेश गुप्ता
4.	श्री पवन कुमार शर्मा	14.	श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
5.	श्री अजेश यादव	15.	श्री सोमदत्त
6.	श्री मोहेन्द्र गोयल	16.	सुश्री अलका लाम्बा
7.	श्री वेद प्रकाश	17.	श्री इमरान हुसैन
8.	श्री सुखवीर सिंह दलाल	18.	श्री विशेष रवि
9.	श्री ऋतुराज गोविन्द	19.	श्री हजारी लाल चौहान
10.	श्री रघुवेन्द्र शौकीन	20.	श्री शिव चरण गोयल

21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री जरनैल सिंह (रा.गा.)
23. श्री जगदीप सिंह
24. श्री जरनैल सिंह
25. श्री राजेश ऋषि
26. श्री महेन्द्र यादव
27. श्री नरेश बाल्यान
28. श्री आदर्श शास्त्री
29. श्री गुलाब सिंह
30. श्री कैलाश गहलोत
31. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
32. सुश्री भावना गौड़
33. श्री सुरेन्द्र सिंह
34. श्री विजेन्द्र गर्ग
35. श्री प्रवीन कुमार
36. श्री मदन लाल
37. श्री सोमनाथ भारती
38. श्री नरेश यादव
39. श्री प्रकाश
40. श्री अजय दत्त
41. श्री दिनेश मोहनिया
42. श्री सौरभ भारद्वाज
43. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
44. श्री सही राम
45. श्री नारायण दत्त शर्मा
46. श्री राजू धिंगान
47. श्री मनोज कुमार
48. श्री नितिन त्यागी
49. श्री ओम प्रकाश शर्मा
50. श्री एस.के. बग्गा
51. श्री अनिल कुमार वाजपेयी
52. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
53. सुश्री सरिता सिंह
54. श्री हाजी इशराक
55. श्री श्रीदत्त शर्मा
56. चौ. फतेह सिंह
57. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-1 : (भाग-4) सोमवार, 29 जून, 2015/आषाढ़ 08, 1937 (शक) अंक : 11

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ

अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : सभी को नमस्कार। सदन की कार्यवाही शुरू करने से पहले आप सबका अभिनंदन स्वागत। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय सदस्य श्री शरद कुमार चौहान जी का जन्म दिन है मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से उनको जन्म दिन की हार्दिक शुभ कामनायें देता हूं। *(व्यवधान)*...माननीय सदस्यगणों से प्रार्थना है कि जैसा आप सबको विदित है कि आज एवं कल दो दिन बजट पर चर्चा होनी है। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक सदस्य बजट पर चर्चा में भाग ले सकें और सार्थक चर्चा हो। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। नियम-280 में जो आपने लिख कर दिया वो बहुत शार्ट में, जितना लिखा है, कृपया उतना ही पढ़ें, इस पर किसी तरह का लम्बा भाषण न हो। दूसरा स्टारड क्वैश्चन्स का विषय है, उस पर भी हम बहुत गम्भीरता से शार्ट में पूरा करें, जो सारी कार्यवाही, जितनी भी है, 4 बजे तक पूरी करनी है। आधा घण्टे का टी ब्रेक रहेगा। फिर साढ़े चार ठीक बजे, हम बजट पर चर्चा करेंगे। प्रश्नकाल आरम्भ करने से पूर्व

एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहता है स्टारड क्वैश्चन्स का, जो आज सदन में पहली बार आ रहा है। इसका मैं पूछने का तरीका संक्षिप्त में बताना चाह रहा हूं जैसे आज श्री राजेश गुप्ता जी का पहला प्रश्न है। श्री राजेश गुप्ता जी का नाम मैं पुकारूंगा। श्री राजेश गुप्ता जी अपने स्थान पर खड़े होंगे और कहेंगे कि अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से प्रश्न सं. 1 प्रस्तुत है। उनको पूरा प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद संबंधित मंत्री प्रश्न का उत्तर देंगे। राजेश गुप्ता जी प्रश्न के संबंध में तीन सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन मेरी प्रार्थना है कि संतुष्टि होने पर आवश्यक नहीं रहता, सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछें, एक में भी काम चल सकता है तो चलायें और न पूछने पर भी काम चल सकता है तो चलायें। मंत्री जी भी सप्लीमेंटरी प्रश्न का उत्तर देंगे। इसी तरह से अन्य सदस्य भी प्रक्रिया का पालन करेंगे। यह सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि वर्तमान में पहली बार यह प्रश्नकाल आ रहा है। श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी मुझे आज ए.सी.बी. पर उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है कृपया उसके बारे में, मैं आग्रह करूंगा उप मुख्यमंत्री जी से कि उस पर प्रकाश डालें। क्योंकि ए.सी.बी. के मामले में जिस आदमी...

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी एक सेकेण्ड, फ्राइडे की चर्चा में विजेन्द्र गुप्ता जी ने स्वयं कहा था जो विषय न्यायालय में है, उनकी चर्चा यहां नहीं होगी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : आज न्यायालय का फैसला आ गया, आज उसका फैसला आ चुका है। अभी कोई बाध्यता नहीं है...आज माननीय न्यायालय ने मीणा जी की नियुक्ति जो माननीय उप राज्यपाल महोदय ने की थी उसकी

नियुक्ति को सही ठहराया है और उसके ऊपर आज जो फैसला आया है। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी मेरी बात सुन लीजिए न तो इस विषय पर

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, नियम - 107 पर जब ये सारे लोग बोल रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेण्ड, विजेन्द्र जी, आपने नोटिस दिया मुझे नियम-107 मैं किसी का नोटिस आया मेरे पास आपका किसी का...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अंदर हाउस में जब आ रहे थे, तब जानकारी में आया।

अध्यक्ष महोदय : तब जानकारी में आया न तो उसके बाद मुझे फोन कर के समय लेते अब डेली का नियम हमने बना लिया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपने जिस तरह से यहां पर एक ए.सी.बी. चीफ के बारे में अपशब्द कहे और आरोप लगाये---

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हम जानना चाहते हैं कि सरकार कब तक अधिकारियों का राजनीतिकरण करती रहेगी इसी प्रकार से कब तक मेरा अधिकारी तेरा अधिकारी। कब तक आप भ्रष्ट अधिकारियों को गोद में बैठाकर उनकी तरफदारी करते रहोगे आपने नाम लेकर यहां हमने कहा नाम मत लीजिए। नाम ले

लेकर यहां पर 107 में यहां चर्चा की गई और ए.सी.बी. जैसे महत्वपूर्ण विषय को जो एक जनता में एक संदेश जिससे जा सकता था भ्रष्टाचार को रोकने का उसके साथ आपने खिलवाड़ किया है।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : तोमर के मामले में एक बार भी मामला नहीं उठाया ए.सी.बी. ने हमारे विषय में भ्रष्टाचार के मामले में मेरा और तेरा अगर ये होंगे ये संभव नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी ये तरीका ठीक नहीं है। विजेन्द्र जी, आप सभी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उप-मुख्यमंत्री जी अब आप बोलें, इसके बारे में बतायें। इसके बारे में बतायें ए.सी.बी. के मामले में। जो इस सदन के अंदर जोर-जोर से सारी बातें की जा रही थीं, उसके बारे में बतायें अब आप।

अध्यक्ष महोदय : आपने बात पूरी कर ली। आप बैठिए प्लीज अब। ओमप्रकाश जी, बैठिए। चलिए श्री राजेश गुप्ता जी।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री राजेश गुप्ता : अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से प्रश्न नम्बर 01 प्रस्तुत है-

क्या **उप-मुख्यमंत्री** जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पक्के मकान दिए जाने के लिए 3000/- रुपये राशि प्रति व्यक्ति की दर से लगभग 12000 लोगों से धनराशि ली गई थी;

(ख) कुल कितने व्यक्तियों से कितनी धनराशि एकत्रित की गई;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उक्त व्यक्तियों को उपरोक्त धनराशि की रसीद भी दी गई थी; और

(घ) ये मकान कब तक, कहां-कहां पर एवं कितने आकार के बनाए जाने प्रस्तावित हैं?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

उप-मुख्यमंत्री महोदय (श्री मनीष सिसोदिया) : अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 01 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) जी हां, यह सत्य है कि 1985 की आवासीय स्कीम के द्वारा प्रत्येक पंजीकृत से 3000/- रुपये बैंक में जमा कराए गए।

(ख) करीब 27,693/- व्यक्तियों से 8,30,79,000/- रुपये बैंक में जमा कराए गए।

(ग) जी हां, यह सत्य है कि पंजीकृत को उपरोक्त धनराशि की रसीद दी गई थी।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत 5662 मकान 20 विभिन्न कालोनियों में आवंटित किए जा चुके हैं। शेष के बारे में अभी कोई योजना विभाग में प्रस्तावित नहीं है।

श्री राजेश गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं सप्लीमेंटरी के तौर पर सिर्फ एक सवाल जानना चाहता था कि शेष बचे लोग हैं जिन्होंने ये धनराशि भी जमा करवाई

है तो जब डी.डी.ए. अपनी जमीन के ऊपर उन झुग्गियों को तोड़ने की कोशिश करता है, मकानों को तोड़ने की कोशिश करता है, तो क्या उस वक्त इन बातों को ध्यान में रखता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उन मकानों के लिए आलरेडी पैसे जमा करवाये हुए हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी।

उप-मुख्यमंत्री महोदय : अध्यक्ष महोदय मैंने कहा कि इस योजना के बारे में अभी, इस शेष के बारे में अभी कोई योजना विभाग में प्रस्तावित नहीं है। डी.डी.ए. के पास भी अभी इसकी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नम्बर 02 श्री शिवचरण गोयल जी।

श्री शिवचरण गोयल : माननीय स्पीकर महोदय जी मेरा प्रश्न संख्या 02 हमारे कर्मपुरा क्षेत्र में झुग्गियाँ तोड़ दी गई थीं 2012 में उसके ऊपर क्या कार्रवाई चल रही है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप जो मैंने बोला था उसको समझिये केवल प्रश्न नम्बर 02 सदन पटल पर प्रस्तुत है इतना कहकर समाप्त कीजिए।

श्री शिवचरण गोयल : प्रश्न 02 सदन पटल पर प्रस्तुत है :

क्या माननीय उप-मुख्यमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कर्मपुरा, कीर्तिनगर तथा रमेश नगर में तोड़ी गई झुग्गियों के बदले पक्के मकान मुहैया कराये जाने थे; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक क्या प्रगति हुई है?

अध्यक्ष महोदय : माननीय उप-मुख्यमंत्री जी।

उप-मुख्यमंत्री महोदय : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 02 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) जी हां।

(ख) तोड़ी गई झुग्गीवासियों को झुग्गियों के बदले पक्के मकान मुहैया कराये जाने के लिए योग्यता निर्धारण करने का काम किया जा चुका है। प्रगति का ब्यौरा संलग्न है।

अध्यक्ष महोदय : हां जी कोई सप्लीमेंटरी। राजेश जी कोई सप्लीमेंटरी आगे बढ़ें। हां गोयल जी। सॉरी।

श्री शिवचरण गोयल : सर, इसमें कुछ मकान दे दिये गये हैं। कइयों के बाकी हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि अलॉटमेंट लैटर उनके पास हैं और अलॉटमेंट लैटर लेने के बावजूद भी उनको मकान नहीं मिल पाये हैं। कर्मपुरा के अन्दर ही हैं ये। फ्लड के ऊपर ही हैं ये।

उप-मुख्यमंत्री महोदय : दस झुग्गी वालों को बवाना स्थित ईडब्लूएस हाउसिंग स्कीम उसमें पुनर्वासित किया गया है। एक झुग्गीवासी को दस्तावेजों में कमी के कारण नहीं दिया गया। उसके बाद 25.02.2013 को संशोधित नीति जारी की गई तो संशोधित नीति के अनुसार विभाग द्वारा पात्रता निर्धारण के लिए कैम्प का आयोजन किया गया उसमें 26 झुग्गीवासियों जो उपस्थित हुए थे। उसमें से 20 झुग्गीवासी पुनर्वासित करने योग्य पाये गये थे और 06 अयोग्य पाये गये थे। योग्य पाये गये झुग्गीवासियों को बपरौला में फ्लैट का अंतरकालीन अलॉटमेंट किया गया। योग्य पाये गये झुग्गीवासियों को बपरौला के फ्लैट डीएसआईडीसी द्वारा तैयार किये जाने के बाद अन्य झुग्गीवासियों के साथ कब्जा दे दिया जाएगा।

1. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा केवल कर्मपुरा क्लस्टर जी एवं एफ. ब्लॉक की झुग्गियाँ तोड़ी गयी थीं। झुग्गी क्लस्टर कीर्ति नगर तथा

रमेश नगर में कोई भी झुग्गी इस बोर्ड द्वारा नहीं तोड़ी गयी है। झुग्गी क्लस्टर मंदिर वाली गली जी एवं एफ ब्लॉक, कर्मपुरा के संबंध में प्रगति निम्नवत है :-

इस विभाग द्वारा इस क्लस्टर का सर्वे वर्ष 2010 में भू-स्वामी संस्था (I&FC) के साथ किया गया उसके कुल 66 झुग्गियाँ पायी गयी। दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गयी दिनांक 19.02.2010 की पुनर्वास नीति के अनुसार झुग्गीवासियों की पात्रता का निर्धारण किया गया इसमें केवल 11 झुग्गीवासी ही पुनर्वास हेतु योग्य पाये गए। विभाग द्वारा 10 झुग्गी वालों को बवाना स्थित EWS Housing Complex में पुनर्वासित किया गया। एक झुग्गीवासी को दस्तावेजों में कमी के कारण कब्जा नहीं दिया गया।

दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 19.02.2010 की पुनर्वास नीति में संशोधन किया गया तत्पश्चात शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 25.02.2013 को संशोधन नीति जारी की गयी। संशोधन नीति के अनुसार विभाग द्वारा झुग्गीवासियों की पात्रता निर्धारण के लिए कैंप का पुन: आयोजन किया गया। इसमें 26 झुग्गीवासी उपस्थित हुये। उनमें से 20 झुग्गीवासी पुनर्वास हेतु योग्य पाये गए तथा 06 झुग्गीवासी अयोग्य पाये गए। योग्य पाये गए झुग्गीवासियों को बापरोला में फ्लैट का अन्तर्कालीन आवंटन किया गया है। योग्य पाये गए झुग्गीवासियों को कब्जा बापरोला के फ्लैट का अन्तर्कालीन आवंटन किया गया है। योग्य पाये गए झुग्गीवासियों को कब्जा बापरोला के फ्लैट DSIIDC द्वारा तैयार किए जाने के बाद अन्य झुग्गीवासियों के साथ दिया जाएगा।

2. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा जे.जे. कलस्टर जवाहर कैम्प कीर्ति नगर की झुग्गियों को नहीं तोड़ा गया परन्तु उसका पात्रता निर्धारण कैम्प किया गया। इस कलस्टर में सर्वे के समय कुल 116 झुग्गियाँ पायी गयी थी। कैम्प में 86 झुग्गीवासी उपस्थित हुए उनमें से 57 पुनर्वास हेतु योग्य पाये गये शेष 29 अयोग्य पाये गये।

3. इस विभाग द्वारा जे.जे. कलस्टर रमेश नगर की झुग्गीयों को तोड़ा नहीं गया परन्तु उसका पात्रता निर्धारण कैम्प आंशिक रूप से किया गया। इस

कलस्टर में सर्वे के समय कुल 845 झुग्गियों पायी गयी थी। कैम्प में 236 झुग्गीवासी उपस्थित हुए उनमें से 185 पुनर्वास हेतु योग्य पाये गये शेष 51 अयोग्य पाये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नम्बर 03 श्री जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 03 सदन पटल पर प्रस्तुत है: क्या उप-मुख्यमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा दिल्ली के झुग्गीवासियों को पुनर्वासित करने की क्या योजना है;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में कितनी झुग्गी बस्तियों का पुनर्वास करने के लिये कितने फ्लैट बन कर तैयार हैं;

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत बनने वाले फ्लैटों पर कितनी राशि खर्च की जानी प्रस्तावित थी, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कितनी राशि खर्च की गई, इसका विवरण क्या है;

(घ) कुल कितने झुग्गीवासियों को फ्लैट आवंटित किये गये, आवंटियों से कितनी राशि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को प्राप्त हुई;

(ङ) क्या आवंटियों को इन फ्लैटों का कब्जा दे दिया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, आवंटियों को कब तक कब्जा दे दिया जाएगा; और

(च) क्या उक्त जमा राशि पर आवंटियों को ब्याज देने का कोई प्रावधान है, कब्जा देने में देरी के लिए कौन उत्तरदायी है?

अध्यक्ष महोदय : माननीय उप-मुख्यमंत्री जी।

उप-मुख्यमंत्री महोदय : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 03 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा आदेश सं. F.18(7)/UD/DUSIB/2011/Vol-1/2350 दिनांक 25/02/2013 के द्वारा झुग्गीवासियों को पुनर्वासित करने के लिए नीति की घोषणा की हुई है।

(ख) अभी तक जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के द्वारा झुग्गीवासियों को पुनर्वासित करने के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत द्वारका में 2004 फ्लैट बनकर तैयार है।

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत 1070 करोड़ की राशि खर्च की जानी प्रस्तावित थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 131 करोड़ की राशि खर्च की गई।

(घ) अब तक 266 झुग्गीवासियों को फ्लैट आवंटित करके कब्जा दे दिया गया है। आवंटन के योग्य पाये गये 4124 झुग्गीवासियों में से 3795 झुग्गीवासियों से लगभग 16.57 करोड़ की राशि अभी तक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को प्राप्त हुई है।

(ङ) अभी तक 266 झुग्गीवासियों को बवाना में फ्लैटों का कब्जा दे दिया गया है। अन्य आवंटियों को फ्लैट का कब्जा नहीं दिया जा सका है क्योंकि अयोग्य झुग्गीवासियों को योग्यता निर्धारण करने के लिए पुनर्वास नीति विचाराधीन है।

(च) आवंटियों को जमा राशि पर ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान नीति के अनुसार केवल 47 प्रतिशत झुग्गीवासी ही योग्य हो रहे हैं, अयोग्य झुग्गीवासियों को योग्यता निर्धारण करने के लिए पुनर्वास नीति विचाराधीन है। अत: कब्जा देने में देरी के लिए उत्तरदायी निश्चित करना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हाँ जी, जगदीश जी।

श्री जगदीश प्रधान : सर, एक तो जो बवाना में राजीव रत्न योजना के अन्दर जितने झुग्गीवासियों को फ्लैट्स देते थे, उनमें से कितने बनकर तैयार हो गये हैं और कितने बनने बाकी हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी।

उप-मुख्यमंत्री महोदय : अध्यक्ष महोदय, बवाना में जो फ्लैट्स की संख्या है। बवाना में पूठखुर्द वाला जो है 6,480 तैयार हैं और नम्बर ऑफ युनिट्स जो हैं कुल मिला कर डी.एस.आई.डी.सी. द्वारा बनाए जा रहे हैं 39,320 बनाये जा रहे हैं। बवाना 33 में तीन है।

अध्यक्ष महोदय : 6,480।

उप-मुख्यमंत्री महोदय : 6,480।

अध्यक्ष महोदय : हाँ जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, ये बहुत गंभीर मामला है। मैं इसमें मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि जिन लोगों को आवंटन हुआ है, उनका eligibility criteria क्या है cut-out date क्या है अगर उनकी cut-out date 2010 तक है तो फिर सदन में पारित बिल में वो cut-out date घटाकर 2006 क्यों की गई है। दूसरा, ये जो झुग्गीबस्ती में रहने वाले हजारों लोग वो हैं जो वर्षों से आवंटित फ्लैटों के कब्जे के लिए परेशान घूम रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि मंत्री जी इसके बारे में बतायें। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि आबंटन जो हुआ है लगभग 3795 झुग्गीवासियों को, इनसे प्रति झुग्गीवासी से कितना पैसा प्रत्येक से सरकार ने लिया है, कब लिया है और आबंटन पत्र कब उनको दिया गया है? और अभी तक जब सरकार पूरा पैसा लग चुकी है, आबंटन पत्र दे चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ये आबंटन पत्र हैं, इतने सारे। ये तो अभी और भी कार्यालय में रखे हैं, सारे लेकर आता तो लोग कहते कि क्या बोरी सी उठाकर ले आये। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये आबंटन आपने कब किया था? इनके बारे में ये बताया जाये और ये झुग्गीवासियों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? क्या आपने उनको फ्लैट नं. भी एलाट कर दिया था? और यदि फ्लैट नं. एलाट कर दिया था, पैसा ले लिया था, एलाटमैन्ट पत्र दे दिये थे तो उनको कब्जे क्यों नहीं दिए गए? क्या कारण है उनको परेशान किया जा रहा है? क्या कारण है कि सरकार झुग्गीवासियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? जो गरीब आदमी हैं...

श्री अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिए प्लीज। आप तो भाषण कर रहे हैं। ये स्टार्ड प्रश्न हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ने झुग्गीवासियों को ये जो पैसा दो हजार चार हजार नहीं, शायद जब मंत्री जी बतायेंगे तो मेरा अगला प्रश्न वही होगा कि 72 हजार रुपया आपने जो लिया, सालों पहले और लोन लेकर उन्होंने पैसा दिया...तो क्या सरकार उनका पैसा लौटायेगी या उनको इन्ट्रेस्ट देगी? ये मंत्री जी कृपया बतायें।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप बैठिए प्लीज।

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये जो डूसू एक्ट में परिवर्तन किया गया, उसकी कट ऑफ डेट में, वो झुग्गी बस्ती को नोटिफाई करने के लिए है। क्योंकि 2014 में केन्द्र सरकार द्वारा स्पेशल प्रोविजन एक्ट में अमेन्डमैन्ट करके ताकि उसमें

जो केन्द्र का एक्ट में संशोधन हुआ था, उसके अनुसार एकरूपता लाई जा सके और यह झुग्गी बस्ती को नोटिफाई करने के लिए है न कि नई झुग्गी के लिए। इस बारे में जो विजेन्द्र ने पूछा, इस सारे संशोधन के बाद एक पॉलिसी बनाकर इन के सब के आबंटन किए जायेंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि कब से पैसा लिया हुआ है, कितना पैसा लिया हुआ है

अध्यक्ष महोदय : पैसा कितना लिया हुआ है, वह तो आपने बता ही दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ। मंत्री जी बतायें। हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो। और उसकी स्थिति आज क्या है?

उप-मुख्यमंत्री : महोदय, इसका जवाब प्रश्न सं. 1 भाग घ के जवाब में दे दिया गया है, जितना पैसा लिया गया है। कितनी राशि ली गयी थी और कितनी झुग्गीवासी उसमें हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक झुग्गी वाले से आपने कितना पैसा लिया है? अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब नहीं आया अभी।

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेण्ड रुकिए विजेन्द्र जी। मैं व्यवस्था दे रहा हूँ।...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ इस पर। आपने जो प्रश्न किया है, उनके लिखित में उत्तर पहुंच जायेंगे।

उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, लिखित में पहुँचा देंगे किन्तु जो इन्होंने पूछा है कि कितना पैसा लिया है तो 16.57 करोड़ की राशि है इसका (घ) भाग के उत्तर में जवाब दे दिया है। प्रत्येक झुग्गी वाले से इन्डिविज्युअली जो राशि ली गई थी 7 हजार रु. ली गयी थी।...माफ कीजिएगा 70 हजार ली गई थी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि ये पैसा कितना और कब से लिया है?

उपमुख्यमंत्री : देखिए पिछली सरकारों ने कब क्या किया था, उसके प्रति सरकार इतनी जवाबदेह होगी। उसकी पूरी सूचना उनको उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह बताया जाये कि पैसा कब से लिया था?

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी मैंने व्यवस्था दी है।

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आ रहे हैं, सिर्फ रस्म अदायगी हो रही है। और जो मुद्दा है, उससे सदन का ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। इतना सरल नहीं है जवाब, जितनी सरलता से देने की कोशिश की जा रही है। ये महत्वपूर्ण विषय है। कहा कि तैयार पड़े हैं और आपने कहा कि एलाटमैन्ट नहीं कर रहे हैं। झुग्गी वाले दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनके आबंटन की पूरी योजना सरकार बना रही है कि कहां कहां कैसे कैसे किया जाना है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अब सुन लीजिए, वे बोल रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री : इसमें जो खामियाँ हैं, उसको दुरुस्त करके सरकार पूरी योजना बना रही है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, ये गलत काम कर रहे हैं आप। अधिकारी बैठे हुए हैं, आपको पेपर्स उन्हें देना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे सुन रहे हैं सारी बात और हर बात का उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेण्ड विजेन्द्र जी, आप मुझसे इजाजत लेकर स्टार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पूछिए और विधिवत तरीके से पूछिए। क्या पूछ रहे हैं? 2014-15 में कितने एलाट किए?

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं, प्रश्न जो चल रहा है, उस पर पूछना है तो बात कीजिए।

...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदय : ये कोई तरीका नहीं है। जनरैल सिंह जी, आपका कोई स्टार्ड क्वैश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज खड़े होकर इजाजत लेकर स्टार्ड प्रश्न पूछें। बस।

अध्यक्ष महोदय : श्री नितिन त्यागी जी। प्रश्न सं. 4

श्री नितिन त्यागी : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न नं. 4 में 'घ' भाग गलत छपा हुआ है। ये ऐसे नहीं था। जैसे मैंने लिखित में दिया था। इसकी मैं थोड़ा सा चेंज होकर आ गया है। तो जो एक्चुअल प्रश्न था, वह मैं पूछना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या है घ में?

श्री नितिन त्यागी : देखिये इसमें दे रखा है कि क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष खराब मौसम के कारण किसानों की फसलों के नुकसान का अनुमान लगाया गया है, सवाल मेरा ये नहीं था। सवाल मेरा था कि दिल्ली में जो किसान यमुना के किनारे खेती करते हैं, उनकी फसल दिल्ली विकास प्राधिकरण उजाड़ रही है, जो फसल उन्होंने उजाड़ी है, क्या उसका उन्होंने कोई अनुमान लगाया है? मेरा प्रश्न मौसम से रिलेटेड नहीं है।

बाकी वैसा ही है तो मैं प्रश्न सं. 4 सदन पटल पर रख रहा हूं। क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि यमुना नदी का जल अत्यंत प्रदूषित है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि किसानों द्वारा खेती में कैमिकल के प्रयोग से यमुना में जल प्रदूषण बढ़ रहा है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण किसानों को कैमिकल प्रयोग न करने के बारे में प्रशिक्षित करने की कोई योजना बना रहा है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष खराब मौसम के कारण किसानों की फसलों के नुकसान का अनुमान लगाया गया है;

(ङ) क्या इस संबंध में दिल्ली सरकार से विचार विमर्श किया गया है, और

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों को मुआवजा देने तथा उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। उप मुख्यमंत्री जी।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 4 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) जी हां,

(ख) जी, हां,

(ग) इस संबंध में विभाग के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) नहीं, इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(ङ) नहीं।

(च) फिलहाल इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : किसी को कोई पूरक प्रश्न पूछना है, नहीं। तो प्रश्न सं. 5 श्री जरनैल सिंह।

श्री जरनैल सिंह (रा.गा.) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 5 प्रस्तुत है :

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सीवर और पानी की लाइनों को डालने के लिए सड़क की कटिंग व रिपेयरिंग के लिए रोड कटिंग रेट्स के संबंध में दिल्ली जल बोर्ड व दिल्ली नगर निगम के विरोधाभास के कारण कई विकास कार्य लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रोड कटिंग रेट के लिए कोई यूनिफार्म पॉलिसी बनाई जा रही है; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई योजना बनाई जाएगी कि जो एजेंसी सीवर व पानी की लाइन डाले, वही सड़क की मरम्मत करे?

अध्यक्ष महोदय : उप मुख्यमंत्री जी।

उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 5 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) जी हां, दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार यह सत्य है कि कुछ अवसरों पर विकास कार्य सड़क की कटिंग व रिपयेरिंग रेट्स के संबंध में दिल्ली जल बोर्ड व दिल्ली नगर निगम के विरोधाभास के चलते बाधित या लंबित हो जाते हैं;

रोड कटिंग रेट्स के विरोधाभास के कारण दक्षिणी, पूर्वी एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कोई विकास कार्य से संबंधित मामला लंबित नहीं है।

(ख) हां, दिल्ली सरकार के लोग निर्माण विभाग द्वारा पॉलिसी के संबंध में कार्य किया जा रहा है।

(ग) इस विषय पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कट एण्ड रिस्टोरेशन पॉलिसी केवल डी.एस.आई.डी.सी., आई. एण्ड एफ.सी, पी.डब्ल्यू.डी. के तहत क्षेत्रों में पहले से ही अपनाई जा रही है। इसी तरह की पॉलिसी एम.सी.डी. के तहत क्षेत्रों में भी अपनाने के लिए विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : पूरक प्रश्न : श्री जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सबसे ज्वलंत जो प्रश्न है, उसके ऊपर तो मोदी जी मन की बात में भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे सवाल के जवाब में काफी विस्तार से जवाब दिया। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि चार जगह तो मेरे विधानसभा क्षेत्र राजोरी गार्डन में कटिंग और रिपेयरिंग को लेकर 4 योजनाएं रुकी हुई हैं। लेकिन मुझे खुशी है जैसा कि आपने कहा है कि जो एम.सी.डी. के तहत भी क्षेत्र आते हैं, वहां एक यूनिफार्म पॉलिसी बनाकर कटिंग और रोड कटिंग के रेट में युनिफार्मिटी लाई जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए प्लीज

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि ये कब तक संभव है। हम लोग कब तक यह पॉलिसी बना लेंगे?

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में दिल्ली सरकार के पी.डब्ल्यू.डी. को नोडल एजेंसी बनाया गया है और मेन रोड कटिंग और रेट के निर्धारण के संबंध में एक युनिफार्म पॉलिसी तुरंत तैयार करके सदन को सूचित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 6 श्री राजेंद्र पाल गौतम।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 6 श्री राजेंद्र जी?

श्री विशेष रवि : मेरी ये प्रार्थना है कि क्योंकि अभी ये गर्मियों का समय है अगर कोई ऐसी immediate police बन सके जहां पर जल बोर्ड के काम में पानी के काम, कम से कम उसको एम.सी.डी. न रोके क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम हैं जहां पर एम.सी.डी. पानी के कामों को भी रोक रहा है, उससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है।

उप-मुख्यमंत्री : रोड कटिंग रेट्स के विरोधाभास के कारण दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी नगर निगम में जैसा कि प्रश्न संख्या एक का मैंने जवाब दिया है विकास कार्य से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 6 श्री राजेंद्र पाल गौतम जी।

श्री राजेंद्र पाल गौतम : धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रश्न नं. 6 प्रस्तुत है :-

(क) क्या यह सत्य है कि श्री चरण सिंह कंडेरा समिति ने अनुसूचित जाति\जनजाति के प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में एक प्रतिवेदन तत्कालीन दिल्ली सरकार को सौंपा था;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए 1951 का साक्ष्य आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त नियम में संशोधन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : माननीय उप-मुख्यमंत्री जी।

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर प्रस्तुत है :-

(क) जी हां।

(ख) कन्डेरा समिति की रिपोर्ट को दिल्ली सरकार ने अपने मंत्री मंडलीय निर्णय संख्या 963 दिनांक 07.06.2005 के तहत स्वीकार किया एवं इसके आधार पर मंडलायुक्त कार्यालय (राजस्व विभाग) के द्वारा एक सकुर्लर संख्या 4386-4402 दिनांक 27.07.2005 को जारी किया गया था। प्रतिलिपि संलग्न है।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITARY OF DELHI
GENERAL ADMINISTRAT
DELHI SECRETARIAT, I.P.ES----Delhi-110002

No. F. 3/3/2004-GAD/CN/ Dated :

CABINET DECISION NO. 963 DATED : 07/05/2005

Sub: Kandera Committee Report-on Issue of Scheduled Castes Certificates to migrant SC members and reservation for them in the Government of NCT of Delhi Jobs.

The recommendations made in the Kandera Committee Report on the issue of SC migrants be accepted and the department should bring to the notice of LPA court, the recent deceision of the Supreme Court in S. Pushpa and other Vs. Sivachanmugravelu and others, in the UT of Pondicherry.

Sd/-
(S. REGUNATHAN)
SECRETARY TO THE CABINET

No. F. 3/3/2004-GAD/CN/ Dated :

Copy forwarded to the following:-

1. Secretary to Lt. Governor, Delhi
2. Secretary to the Chief Minister, Delhi
3. Secretary to Minister of Finance, Govt. of NCT of Delhi
4. Secretary to Minister of Health, Govt. of NCT of Delhi
5. Secretary to Minister of Industries, Govt. of NCT of Delhi
6. Secretary to Minister of Food & Supplies, Govt. of NCT of Delhi
7. Secretary to Minister of Education, Govt. of NCT of Delhi, Delhi.
8. Secretary to Minister of Transport, Govt. of NCT of Delhi, Delhi.
9. Pr. Secretary (SC/ST), Govt. of NCT of Delhi, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi.
11. Hindi Officer, Language Department : for translation.
12. Guard file.

Sd/-

(SHAKUNTALA D. GAMLIN)

JOINT SECRETARY TO THE CABINET

OFFICE OF THE DIVISIONAL C0MMISSIONER : DELHI
CC SECTION, ROOM NO. 206, B-BLOCK,
5 SHAM NATH MARG, DEL.HI-54.

No. F. 87(10)/DC/CCS/04/4386-4402 Dated : 27/07/2005

CIRCULAR

In response to the Motion raised by Sh. Amrish Singh Gautam, MLA, under Rule-107, in the Legislative Assembly, a committee under the Chairmanship of Sh. Cbaran Singh Kandera, MLA, was constituted to look into the problems being faced by Scheduled Caste members in getting Scheduled Caste certificates who have migrated in Delhi after 1951. The Committee alter detailed discussions recommended that :

I. All those migrant Scheduled Caste members whose castes are listed in the list of Scheduled Castes of National Capital Territory of Delhi and fulfill any one of the following three conditions :

a) The applicant should have been born in Delhi for which he/she has to produce the Birth Certificate as evidence, or

b) He/she should have studied in Delhi for which he/she has to produce the matriculation certificate/mark sheet as proof, or

c) He/she should have resided in Delhi for the last five years, for which he/she has to produce domicile certificate or any other proof of residence in Delhi.

Should be issued caste certificate as original resident of Delhi.

II. For this purpose attestation of the application by the Member of Parliament/Member of Legislative Assembly/Municipal Councilor or Member of SC/ST Welfare Boards/Gazetted Officer as usual should be accepted as proof of genuiness of the applicant.

III. Verification of the parent's certificate from the original issuing authority should be done away unless there is a specific complaint against the applicant giving rise to serious doubts about geuuiness of tile original certificate.

IV. Those Scheduled Caste migrant applicants who do not fulfill any of the above three conditions mentioned in para (1) can be issued caste certificate in the prescribed format for migrants, as hither to being done.

These recommendations of the Committee have been accepted by the Government, vide Cabinet Decision No. 963 dated 7.5.2005. Therefore, all the Deputy Commissioners are directed to give wide publicity and follow these instructions scrupulously and ensure that the Sub Divisional Magistrates issue the Scheduled Caste certificates accordingly.

(G.K. MARWAH)
DIVISIONAL COMISSIONER/
SECRETARY (REVENUE) : DELHI

No. F. 87(10)/DC/CCS/04/4386-4402 Dated : 27/07/2005

Copy to :-

1. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Delhi.
2. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Delhi.

3. Secretary to Hon'ble Minister (Revenue), Delhi.
4. Principal Secretary, Department for the Welfare of SC/ST/OBC/ Minorities, B-Block, IInd Floor, Vikas Bhuwan, New Delhi.
5. Secretary to Legislative Assembly, Vidhan Sabha, Old Secretariat, Delhi.
6. All Deputy Commissioners for compliance.
7. Sh. Charan Singh Kandera, MLA, Village & PO Bankner, Narela, Delhi-40
8. OSD to Hon'ble Chief Secretary, Delhi.
9. PA to ADM (HQ)

(G.K. MARWAH)
DIVISIONAL COMISSIONER/
SECRETARY (REVENUE) : DELHI

(ग) व घ) जी हां, यदि कोई दिल्ली निवासी दिल्ली से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लेना चाहता है और उसके पिता ने ऐसा कोई प्रमाण पत्र पहले दिल्ली से नहीं लिया हुआ है तो ऐसे प्रार्थी को कोई ऐसा सबूत देने की जरूरत होती, जो यह दिखाए कि उसका परिवार 1951 से दिल्ली में रहता है।

यदि आवेदनकर्ता दिल्ली में किसी दूसरे राज्य से स्थानांतरित होकर रहने लगता है तो उसे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लेने के लिए अपने मूल निवास स्थान से संबंधित पदाधिकारियों द्वारा उसके पिता को दिया गया अनुसूचित

जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। हालांकि उपरोक्त 2005 के सकुर्लर के बाद यह स्थिति बदली है। भारत सरकार की इस विषय से संबंधित नीतियों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र का संबंध प्रार्थी के मूल निवास से ही होता है।

अध्यक्ष महोदय : हां, राजेंद्र पाल जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : यह सत्य है कि इसमें एक supplementary है। कि जो चरण सिंह कन्डेरा समिति के बाद जो सकुर्लर दिल्ली गवर्नमेंट का आया क्या अब उसी के हिसाब से सर्टिफिकेट बनते रहेंगे। चूंकि ये कमेटी का गठन यहां करोड़ों लोगों की डिमांड के बाद बना था। उसके बाद ही यह कमेटी बैठी थी। तब ये सकुर्लर दिल्ली सरकार का आया था। क्या अब इसी सकुर्लर के हिसाब से implementation होगा या नहीं

उप-मुख्यमंत्री : वर्तमान में तो इसी के हिसाब से implementation होगा।

अध्यक्ष महोदय : फतेह सिंह जी।

श्री फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि "जो 1951 की जो पोलिसी सरकार के द्वारा उस समय बनाई गई थी वो समय काफी बीत गया है उसके बाद क्या सरकार नई पॉलिसी तय नहीं करेगी"? और उसमें ये भी कहना है उसमें जो on line का हमारा हमारी सरकार का वो जो सिस्टम आया है, उस सिस्टम में 1951 ही दिया गया है और उसके आधार पर जो यहां के वर्तमान वाशिंदे अपने प्रमाण-पत्र के लिए सप्लाई करते हैं उसमें वो 51 की अवधि के आधार पर कहीं न कहीं निरस्त हो जाता है और इसी बात को तहसीलदार अपने मन में लेके बैठ जाते हैं, जिसके

आधार पर उनका प्रमाणपत्र नहीं बनता।

अध्यक्ष महोदय : फतेह सिंह जी question पढ़िए प्लीज।

उप-मुख्यमंत्री : अगर माननीय सदस्य की ओर से कोई इसमें संशोधन प्रस्तावित है तो उस पर सरकार विचार जरूर करेगी और अगर कहीं किसी व्यक्तिगत कार्यालय में कोई प्रोबल्म है तो उसको भी सरकार तुरंत दूर करेगी।

श्री विशेष रवि : मेरा यह प्रश्न है कि जानकारी के लिए अगर कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जन जाति से है और वो किसी और प्रदेश से दिल्ली में आता और उसे अपने बच्चे का प्रमाणपत्र बनवाना है तो क्या उसका वो जाति प्रमाणपत्र चलेगा दिल्ली के अंदर या नहीं चलेगा।

उप-मुख्यमंत्री : जैसा कि मैंने पूरा विवरण इसका दिया है क, ख, ग और घ के अनुसार ही बनेगा।

अध्यक्ष महोदय : गुलाब सिंह जी। प्रश्न संख्या 7

श्री गुलाब सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 7 प्रस्तुत है :-

क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली की 1639 अनधिकृत कालोनियों में बिजली एवं पानी के व्यक्तिगत मीटर लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां तो क्या द्वारका में भी बिजली व पानी के व्यक्तिगत मीटर लगाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां तो कब तक?

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय। प्रश्न सात का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) जी हां, दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार दिल्ली की सभी 1639 अनाधिकृत कालोनियों में जल आपूर्ति की व्यवस्था के उपरांत मीटर कनेक्शन लगवाये जाने का प्रावधान है।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी आपूर्ति संहिता एवं प्रदर्शक मानक विनियमन 2007, के अनुसार जब कोई उपभोक्ता बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन करता है तो बिजली वितरण कंपनियां उस उपभोक्ता के परिसर में बिजली कनेक्शन के साथ-साथ मीटर अनिवार्य रूप से लगाती है। सभी 1639 अनाधिकृत कालोनियों में बिजली के मीटर बिजली खपत के रिकार्ड के लिए बिजली के कनेक्शन के साथ ही लगा देए जाते हैं।

(ख) द्वारका क्षेत्र में भी अनाधिकृत कालोनियों में जल आपूर्ति के व्यवस्था के उपरांत मीटर लगाने का प्रावधान है।

(ग) द्वारका क्षेत्र में भी हर उपभोक्ता को अपने व्यक्तिगत पानी के कनेक्शन पर अपना मीटर लगवाना अपेक्षित है।

अध्यक्ष महोदय : हां, बोलिए।

श्री दिनेश मोहनिया : कालोनिज में कई कालेज में फोरेस्ट की एन.ओ.सी. चाहिए। कुछ कालोनिज में ए.एस.आई. की। तो क्या ये जो कालेज हैं सब में पाइप लाइन डालने का प्रोग्राम है।

उप-मुख्यमंत्री : जैसे-जैसे अनाधिकृत कालोनियों के नक्शे बनते जाएंगे और उस पर आगे चला जाएगा उस पर वो एक अलग विषय रहेगा। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड का प्रावधान पाईप लाईन डालने का सब जगह है। साथ-साथ जब पाईप लाईन डलता रहेगा तो करेक्शन का प्रावधान जो उत्तर में किया गया है, उसके अनुसार है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 8 चौधरी फतेह सिंह।

श्री फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 8 प्रस्तुत है।

(क) क्या दिल्ली के समुदायिक भवनों को एन.जी.ओ. को आवंटित करने के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा किसी धनराशि का प्रावधान किया गया है, यदि हां, तो उसके क्या मानदण्ड हैं;

(ख) दिल्ली में कितने सामुदायिक भवन एन.जी.ओ. को आवंटित किये गए हैं;

(ग) क्या दिल्ली के विभिन्न एन.जी.ओ. पर दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की धनराशि बकाया है;

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि बकाया है तथा इसकी वसूली के लिए बोर्ड ने क्या कदम उठाए हैं, इसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में निर्मित पुनर्वास बस्ती केंद्र एन.जी.ओ. को आवंटित किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो उनसे नियमानुसार धनराशि वसूलने के लिए क्या नियम व शर्तें हैं, क्या उन पर कोई धनराशि बकाया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उप-मुख्यमंत्री : प्रश्न संख्या 8 का उत्तर प्रस्तुत है।

(क) समुदाय सेवा विभाग, दक्षिणी एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा समुदाय भवन किसी भी एन.जी.ओ. को आवंटित नहीं किया गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में समुदाय सेवा विभाग द्वारा दो समुदाय भवन रोहिणी सैक्टर-9 सम्पूर्णा एन.जी.ओ. को 101/- रुपये प्रतिमाह तथा समुदाय भवन, मोरी गेट का भूतल स्पेस एन.जी.ओ. को 5000/- रुपये प्रतिमाह की दर से आवंटित किया गया है। वर्तमान में समुदाय सेवा विभाग उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत कुल 111 समुदाय भवन हैं जो कि जनता के लिए सामाजिक समारोहों आदि के लिए उपलब्ध हैं। वर्तमान में दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड द्वारा समुदायिक भवन एन.जी.ओ. को नहीं दिए जाते। लेकिन 01.07.2010 से पहले विभिन्न दरों पर सामुदायिक भवन एन.जी.ओ. को सामाजिक व शैक्षिक गतिविधियों हेतु दिये गए थे।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के दो सामुदायिक भवन एन.जी.ओ. को आवंटित किये गए हैं। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के कुल 68 सामुदायिक भवन विभिन्न एन.जी.ओ. को प्रयोग हेतु लाइसेंस फीस के आधार पर 01.07.2010 से पहले दिये गए। डी.डी.ए. एवं नई दिल्ली नगर पालिका का कोई भी सामुदायिक भवन एन.जी.ओ. को आवंटित नहीं किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की अनुमानित राशि 2 करोड़ 50 लाख मात्र विभिन्न एन.जी.ओ. पर बकाया है तथा विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई जारी है। (सूची संलग्न)

(ङ) जी हां।

(च) झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में निर्मित पुनर्वास बस्ती केंद्र विभिन्न एन.जी.ओ. को विभागीय नियम व शर्तों के अनुसार 2 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रति माह के हिसाब से लाईसेंस फीस तथा 10 रुपये प्रति वर्ग फीट धरोहर राशि कम से कम रुपये 1000/-रुपये जो भी अधिक हो, के हिसाब से दिया जाता है तथा विभिन्न एन.जी.ओ. पर बस्ती विकास केंद्र के अनुमानित 60 लाख रुपये मात्र बकाया है। (सूची संलग्न)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 8 का ग भाग जिसमें मैंने माननीय मंत्री जी से उन एन.जी.ओ. की सूची मांगी है जिन लोगों पर काफी रकम बकाया है। और इसका प्रमाण मेरे पास एक आर.टी.आई. के माध्यम से है। अगर आप कहेंगे तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूं।

माननीय उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय। भाग-ग में जो पूछा गया है उसका जवाब जी है और उसकी सूची और कितना जो 50 लाख बकाया है उसकी सूची प्रश्न के घ भाग पर संलग्न है।

Annexures to Q. No. 8

List of community halls & their outstanding dues, L/FEE & interest for the period of 2013-2014

Sl. No.	Location	Name of NGO	Date of Allotment	Total Amount (in Rs.)
1	2	3	4	5
1.	Kotla Mubarak Pur	C.R.Y	31/12/92	73,91,202
2.	Kotla Mubarak Pur	Chetna	24/1/90	13,252
3.	Sundar Nagri	Bhartya Parivardhan sansthan	14/1/08	95,200
4.	JJ Colony Khyala	Guru padam Jain Samity	21/6/2000	1,825
5.	Tilak Vihar	National Thalasima Welfare Society	5/9/2002	7,548
6.	Kalkaji	Institute of Holistic Medicine	27/8/2001	30,957
7.	Kalkaji	E.E.R.A.H	5/6/2007	1,07,841
8.	Hari Nagar Ashram	Karam Marg Charitable Trust	1/5/2007	1,78,243
9.	Sunlight colony-l	Ram Raj Foundation	20/5/2005 28/8/2003	3,138 1,758
10.	Turkman Gate	Jan Kalyan Mahaila Samiti	13/3/2000	33,168

11.	Jhandawalan Nabi Karim	PunarJeewan Sansthan	9/7/90	35,46,193
12.	DDA Flats Turkman Gate	Talimul Quran Turkman Trust	7/8/01	1,000
13.	Prop no-10788-89 Ward -XV Nabi Karim	Akhil Bhartya Hindi Sandh	16/9/02	1,14,485
14.	Gali Shatara Ajmeri Gate Prop-NO-4527-29 Ward -VII	Awam Bal Vikas Sangam	01/5/2003	2,400
15.	263 Guna Missar	Sadhu Sunder Singh Welfare Society	12/7/2001	1,710
16.	Mukim pura Malkaganj	Ja nta Co-AP T /C Society	17/01/97	8,21,601
17.	Lambi Gali Shatara Ajmeri Gate	Talent Organization	01/5/2003	10,200
18.	Prop No. 2819/8 Bazar Sita Ram	Hrdyal Municipal Library	02/6/2000	39,480
19.	Pilanji Village	Delhi Slum Dwellers Fedration		11,31,181
20.	Vivek Vihar	Saheed Bhagat Singh Sewa Dal		1303228
21.	Tilak Vihar	South Delhi Guru Nanak Mission now Ranjit Singh Model School		90,45,563
22.	2191 Road Gran Farash Khana	Samajik Suvidha Sangam	09/9/10	1,20,658
		Total Amount		Rs. 2,49,89,941/-

(Rs. Two Cror Forty Nine Lakh Eighty Nine thousand Nine hundred Forty One only)

List of out standing Dues in BVK

Sl.No.	Colony	Block/Location	NGO	Out Standing Dues (in Rs.)
1	2	3	4	5
1.	Taimur Nagar	JJC Indra camp-2	Mahila Avom Sishu se	342
2.	New Seemapuri	CPJ Block	Mission Convergence	408
3.	Trilokpuri	Block-35 Extra	Servants of the people	1,126
4.	Trilokpuri	Block-1,2,3	Sajag Foundation	1,440
5.	Sultanpuri	P-1	Jan Jagriti Edu. Society	1,884
6.	Chitra Vihar	East Delhi	usa Trust	2,016
7.	Tilak Nagar	D/S sweeper tenements	Arman	2,172
8.	Kiriti Nagar	Chuna Bhati	Nirankari Mandal	2,178
9.	Lal Bagh Azad pur	Mauzi wala bagh	Social welfare Society	2,546
10.	Shriniwas puri	Ramesh thakur camp	Society of Social	2,688
11.	Kirti Nagar	5/35 Industrial Area	Prayas	2,760

12.	Sultanpuri	Block C-10	Nishulk Mahila Pari	2,810
13.	Mukharji Nagar	Indra Vikas Colony	Janhit Society for Service	2,819
14.	Mangolpuri	Block-X	Mangol Purl Welfare	2,868
15.	Mangolpuri	Block-Y	Shri Krashana & Ed	2,910
16.	Old Seemapuri	Near sunlight colony	Mission Convergence	3,072
17.	Maya Puri-2	C-76	Disha	3,132
18.	Madipur	640 Slum Tenements	Shri Atma Ram Jain	3,176
19.	Mandawali	Mazboor camp joshi moha	Shivajan jagran avam	3,348
20.	Raghubir Nagar	Transit	SAFE	3,582
21.	Mangolpuri	Block-G	Nari Shaktri Jagran	3,648
22.	Raghubir Nagar	Block-R	Param Parmarth	3,750
23.	Vikas Puri	Indra Camp No. 2	Asra	3,780
24.	Dwarka	Sector-1	Society for Promot	3,980
25.	Nangal Raya	Khazan Basti EC-2	Disha	4,002

1	2	3	4	5
26.	Mangolpuri	Block-G	Viklang Sahara Samiti	4,224
27.	Sunder Nagari	F-1 Block	Bhartiya Mul Adhar Mi	4,354
28.	Sultanpuri	Block C-10	Mission Convergence	4,532
29.	I.T.O.	Anna Nagar	Asha	4,800
30.	Mandi Village	Shanti Camp	Prachi Education Society	4,866
31.	Raghubir Nagar	Block-R	Saksham Bharti	4,872
32.	Khicripur	Block 6,7,8 near gagipur dren	Bhartya Manav Kalyan	4,992
33.	Khicripur	Block 6,7,8	Ekta Sakti Sangthan	4,992
34.	Lal Bagh Azadpur	Near Laksmi Narayan MI	Mission Convergence	5,160
35.	Raghubir Nagar	Block-R	Indoriajan Kalyan -	5,376
36.	Patparganj	Nehru camp, NH-24	Abhyash	5,468
37.	Rohini	Sector-23 (236 Plots)	Samarth	5,760
38.	NH-24	Patparganj	Social Empowerment	6,068
39.	Mangolpuri	Block B-1	Viklang Sahara Samiti	6,120
40.	Jwalapuri	Peer Garhi Road	Krit	6,180

41.	Dwarka	Sector-1	Santosh	6,236
42.	Vikas Puri	Indra Camp No. 5	Indian Womens & Child	6,750
43.	Patparganj	Shastri Mohalla Shashi Garden	samajvikas samiti	6,946
44.	Kalkaji	Manav kalyan camp	Adharshila	6,992
45.	Savda Ghevra	Block-A	Seeds	7,176
46.	Okhla phase-2	JJC Rajiv camp D Block	Prayatan	7,230
47.	Seemapuri	Block-D	All India Harijan Sabha	7,488
48.	Shahdara	Chitra Vihar, Preet Vihar	Dabbu Rai Welfare Society	7,488
49.	Narela	Sec A-6 Narela 4	AV Balinga Memorial Society	7,590
50.	Kirti Nagar	A-2 Jawahar Camp	Rotary Club	7,600
51.	I.T.O. Express Building	Behind balmiki kabristan	Sur Niman Education	7,626
52.	Trilok puri	Shastri camp Block 6, 7, 8	Shri kanhaiya lal badam	8,194
53.	R.K. Puram	Dr. Ambedkar Bagh	Asha	8,400
54.	Kirti Nagar	5/35 Industrial Area	Mission Convegence	8,476
55.	Kalyanpuri	Block-17-21	Bhartiya lok Suraksha	8,712

1	2	3	4	5
56.	Sultanpuri	D-4	D.A.V. EDU. & Welfare Society	8,766
57.	Kalyanpuri	Block-19, 20	Bharat Ratna Dr. Bhim	9.072
58.	Jhilmil Indl. Area	Rajnagar, Sonia Camp	Bhaujan Vikas Samiti	9,144
59.	Dwarka	Sector-1	Asha Viklang	9,284
60.	Dilshad Garden	B-1/35 Jain mandir	Tarik singh imriti devi	9,400
61.	Dhaula Kaun	Shree Ram Camp	Health & Care Society	9,732
62.	Kalya puri	Block 19-20	Indian Social Welfare	9,780
63.	Shahdra	Garam khera maan sarovar park	Centa Janhit Society	9,780
64.	Kalyanpuri	Dhobi Ghat, block-13, 14	Bharat Ratna Dr. Bhim	9,780
65.	Kalyanpuri	Block-21	Dalit Prahri	9,780
66.	Kalkaji	Bal Mukand Khand	Astha	9,932
67.	Nangloi	Bheem Nagar	Co-Lepra	10,360
68.	Tehkhand phase -1	Gala Kaun Okhla Indl. Area	Impartial Real Social	10,556
69.	A+B Block Jhilmil area	Shahdra	Priyanka welfare Society	10,976

70.	Binda Pur	SRS Pkt-4	URI VI Vikaram Charit	10,980
71.	Shamnagar	Behind Sanatan Dharam I Mahilay Pragati		11,240
72.	Tigri	Janta jeevan camp	Adarsh Senior Citizen	11,516
73.	Near Garhi Village (Panchayat Ghar)	Balmiki Camp	Society for Capacity B	11,628
74.	Narela	Sec-6 Pocket 11	Polly tech Habitat	11,760
75.	Hari Nagar Ashram	Peeli Kothi	Womens & Children P	11,760
76.	Vikas Puri	Indra Camp No. 5	Helping Cheritable Trust	12,180
77.	Zakhira	Amar Park	Asha	12,312
78.	Khanpur	Harijan Basti Banjara Camp	Sarokar	12,324
79.	Jhilmil Indl. Area	Rajnagar Sonia camp A,B, Block	Amar Holistic Society	12,420
80.	Mangolpuri	Block-K	YMCA	12,552
81.	East Punjabi Bagh	ROAD No. 7	Caring Hands	13,020
82.	Sultanpuri	P-1	Rotary Club	13,440

1	2	3	4	5
83.	Moti Bagh	Shastri Market	Indian Institute for Soci	13,500
84.	Molar bund	Sites no.2 Block B	Angel Charities	13,704
85.	Sultanpuri	Block C-10	All India Urban & Rural Dev.	13,740
86.	Sultanpur	D-4	Dynamikheipage SC	13.740
87.	Trilokpuri	Block- 31 Extra	Bhartiya Jan Sewa Sanstha	14,144
88.	Khicripur	Block-6	Akhil bhartya samaj	14,460
89.	Mandawali	Majdur camp Faizalpur	Amba Foundation	14,520
90.	Udyog Nagar Indus Trial Area	Rohtak Road	Prayas	14,540
91.	Shastri Camp	Trilokpuri	Sadik Mashi Medical SI	14,620
92.	Lal Kaun MB Road	Nordan camp	Matri Sudha	14,724
93.	Vikas Puri	Shankar Garden	Sewa Bharti	14,904
94.	Mangolpuri	Block-Y	Nishulk Mahila Pari	14,960
95.	Vinod Nagar	Jai Bharti Camp	Chahal welfare society	14,976
96.	Kalyan puri	Block-21	Mahila Ujjawal Bhavish	15,120
97.	Khichripur	Block-6, 7 ,8	Uthan	15,120

98.	Sriniwas puri	Indra Gandhi camp	Savera association	15,223
99.	Udyog Nagar Industrial Area	Peera Garhi	Swargiya Shanti Devi	15,480
100.	Nehru Camp	R.K. Puram	Mairti	15,632
101.	Mahrouli	Sambhav camp mandi pahari	Join social welfare society	15,720
102.	Sultanpuri	E-6	Maya EDU. & Society	15,736
103.	Wazirpur	Block-K	Chhitiz Mahila Vikas	15,960
104.	Udyog Nagar Industrial Area	Peera Garhi	Nari Jaghiti ki Aur	16,200
105.	Jwala puri	Peera Garhi Road	Azad Yuva Ekta Clue	16,320
106.	Samaipur badly	Suraj park	Tulsa devi memorial	16,522
107.	MB Road, behind petrol Pump Lal	JJC Northern Camp	Gyonodaya Education	16,558
108.	Sultanpuri	F-7	D.A.V. EDU. & Welfare Society	16,570

1	2	3	4	5
109.	Trilok puri	Block 28- 29 and 19 Indra camp	Young old generation	16,695
110.	Tehkhand phase-1	Gola Kaun Okhla Indl. Area	Navjyoti Development	17,142
111.	Sultanpuri	F-7	Mahila Pratibha	17,208
112.	Gautampuri	Molarband	Saint Hardyal Educatio	19,756
113.	Okhla phase-1	JJ Cluster Gale kaun	Resst. and health org	19,780
114.	Bawana	Block-E	Chetanalya	19,860
115.	Patparganj	Madhu Vihar	Chander Bhushan Singh	19,944
116.	Old Seemapuri	Chanderpuri Railway Line	Asha	20,032
117.	Rohini Phase 3	Sec-23 Pkt-2	Guru Tej Bahardur hospital	20,160
118.	R.K. Puram	Ekta Vihar, Sec-6	Ek Lakshya Education	20,282
119.	Trilok puri	Block-20, 22	Harijan Yuvak & Yuva	20,940
120.	R.K. Puram, Sector-I	Adarsh Basti, Mohamadpur	Bhartya Jan Sewa Sans	21,086
121.	Amar jyoti colony	Bawana Road	Sampurna	22,008
122.	New Seelampur	CPJ Block	Shama Educational	22,140

123.	Hastsal	Kali Basti Shamshan Ghat	Welfare Organisation	22,310
124.	Trilok puri	Block-15, 16	Sadik Masih Medical Social	22,320
125.	Jahangipuri	Block K	Dr. Ambedkar Mission	22,620
126.	Kalyanpuri	Block 19-20	Praagyaa	22,700
127.	Block 26 Rajiv camp	Trilok puri	Shr. Om Sai mandir	22,780
128.	Pitampur	G P Block	Varisht Nagrik Man	22,800
129.	R. K. Puram	Ravidas Camp, Sector- 3	Project & Welfare Society	24,280
130.	Milkpur khoi	Rangpuri pahari	Shri sai welfare society	24,300
131.	Jeevan Nagar	Indra camp No.- 2	Asha	24,330
132.	Sundar Nagri	F-2 Near Bijli Ghar	All India Ahsai Mahila	24,460
133.	Shahdra	Gram Keira	Baba haridas Education	24,460
134.	NH-24	Patparqanj	Veer bhumi	25,120
135.	Jahangipuri	Block CD Park	Society for Social Service	25,200

1	2	3	4	5
136.	New Seelampur	F-Block	Action India	25,792
137.	ZAKHIRA	Rakhi Market	PRAYAS	26,676
138.	Kalandar Colony	Bhalswa dairy, bihari samj	Nav jyoti Kalyan Samiti	26,760
139.	Shahbad Daulatpur	Block-D	Sahyog Deep Jyoti	27,900
140.	Vikas puri	Indra Camp No. 3	BHARTIYA SHIKSHA SA	28,980
141.	Okhla Indl area Ph-II	Janta Jivan Camp Chawla cam	Nav Jyoti Oelopment S	29,920
142.	Khanpur	Harijan Basti Banjara Camp	Prayas	30,080
143.	Railway Line Kailash Lane Gali No. 17	-	Asha	30,590
144.	Mangolpuri	Block-X	Nav Yuvak Jan Kalyan	30,660
145.	Holambi Kalan	Block B Metro Vihar	MD Youth Sport Association	31,680
146.	Trilok puri	Block-2	Public Education Social	31,820
147.	Holambi Kalan	Phase-1 Block C	AV Balinga Memorial	31,860
148.	Jahangir puri	G-Block	RS Roshni Education Society	32,280

149.	C.R.R.I.	Mathura Road	Ahasai Kamzor Sewa S	32,280
150.	Seelampur	0- Block	Sewa	34,320
151.	Mukarji Nagar	Munshi Ram Ist floor	Apni didi Social welfare	34,848
152.	Trilokpuri	Block 33	Pratidhi	34,932
153.	Nand Nagari	D-1, D-2	Bhartiya parivartan .	35,028
154.	Moadipur	640 Slum Tenements	Pragatee	36,540
155.	Dhaka Village	Patel Chest Gandhi	Astha Samaj Seva	36,922
156.	Jhilmil Colony	D-Block	Udantika Mnav Sewas	37,260
157.	Mangolpuri	Block-K	Swargiya Shanti De	37,656
158.	Kirti Nagar	Jawahar Camp	SHRI RAM MAGGO EDI	39,672
159.	Bhalswa	B-4	EKTA SUDAR SAMITI	39,792
160.	Holambi Kalan	Block B Metro Vihar	Manav Foundation	40,080
161.	Holambi Kalan	Phase-1 Block C METRO VIHAR	Manav Foundation	40,080
162.	Gokul puri	Ph-II	Women's Association	40,200
163.	Sunlight Colony	Seemapuri	Akhil Bhartya Viklang	40,380
164.	Moori gate	Kuch Mohitar Khan	Prayas	41,940

1	2	3	4	5
165.	Okhla, Gandi Basti	DTC Depot Ph-I	EFRAH	42,228
166.	Kalkaji	Karotia Camp	Navshrishthi Foundation	42,680
167.	Sultanpuri	E-6	Family of Shirdi Sai Baba	43,020
168.	Trilok puri	Ambedkar camp Block 32, 34	Keshav bharti	43,507
169.	Gokalpuri	C-block, Sanjay Camp	Ekta Sarnaj Vikas Mane	45,080
170.	Maya Puri-2	Rewari Railway Line	Asha	47,088
171.	Wazirpur	Block-E Patharwala Bag	Balmiki Yuvak Sama	48,198
172.	Jonapur Village	Bhim Basti	Namrta Education Tru	48,660
173.	Kusampur pahari		Search	48,660
174.	Shri Niwaspuri	Thakur Ravinder Nath JJ Camp	Satat	48,660
175.	Hari Nagar	Prayog Vihar	Community EDU	48,720
176.	R.K. Puram	Ekta Vihar Sec-6	Mission Convergence	48,880
177.	Jhilmil Colony	B-Block	Health Services	49,656
178.	R.K. Puram	Kanak Durga Camp Sec-12	Asha	50,542

179.	Vasant vihar	Kusumpur pahari	Asha	50,940
180.	Shahbad Daulatpur	Block-B SITE-2	Delhi Jhugge Jhomi	56,220
181.	Nand Nagri	JJ Cluster Block DJ-2	Bhartya Pariwartan	58,740
182.	Lal Kuan MB Road	Shiv Camp	Kalyanam	58,960
183.	Okhla	Indira Kalyan Vihar Ph-1	Creative Thinkers Foru	61,580
184.	Timur pur	Sanjay Basti	Virender Gupta	64,600
185.	Nand Nagri	Near Railway quarter	Akhil Bhartya Viklang	64,680
186.	OHT, Ph-II	Okhla	Love & Care	65,000
187.	Madipur	640 Slum Tenements	Jan Uthan Sangh	65,040
188.	R.K. Puram	Ekta Vihar Sec. VI	Asha	67,800
189.	Narela	Sec A 5 Pocket 14	Rahmat	71,760
190.	Kalkaji	Bhomiheen camp	Asha	76,140
191.	Dakshinpuri		Good Samaritans	83,780
192.	Tigri	Janta Jeevan Camp	ASHA	84,660
193.	R.K. Puram	Behind DPS School	Cannsaport	85,860

1	2	3	4	5
194.	Jhilmil ndl area	Ambedkar camp	Anchal Charitable	93,160
195.	Mangolpuri	Block-L	A V Walia Memorial	95,640
196.	Kalkaji	Sarvodaya camp	Radico welfare centre	97,380
197.	New seelampur	Shastri park	Asha	101,400
198.	Wazirpur Industrial Area	Prem Wari Bridgeipul	Jan Uthan Sangh	127,800
199.	Kirti Nagar	8/35 Industraial Area	Praya	1,34,580
200.	Chandra Shekhar Azad colony		Bharat Vikas Parishad	1,43,724
201.	Seelampur	D Block	Pragati	1,46,820
202.	Okhla	Gandhi Basti	Universal Helpage Trust	1,48,680
203.	Seelampur	Pusta Buland Masjid	Asha	1,84,680
204.	Tigri	Janta Jiveen Camp	F.O.R.E	2,14,452
205.	R.K. Puram	Kanak Durga Camp Sec-12	Prem Chikitsa	3,28,200
	Total			Rs. 60,02,768

(Rs. Sixty Lakh two thousand seven hundred sixty eight only)

अध्यक्ष महोदय : हां, भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय मैं इस सवाल के संदर्भ में एक सवाल माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जितने भी resources allocate हुए हैं, एन.जी.ओज को दिल्ली सरकार के द्वारा क्या उसका कभी social audit हुआ या नहीं हुआ तो क्या सरकार वो करने का प्रावधान कर रही है?

उप-मुख्य मंत्री : अभी तक ऐसा कोई सोशल आडिट नहीं हुआ है और ये माननीय सदस्य का जो विचार है, वह विचारणीय है, उनका आइडिया अच्छा है। इस को सरकार एग्जामिन करेगी।

श्री प्रवीण कुमार : एक सवाल था माननीय मुख्य मंत्री जी से। अगर कोई कम्यूनिटी सेंटर किसी एन.जी.ओ. को अलॉट हुआ है और अगर वो एन.जी.ओ. ठीक से काम नहीं करता तो क्या उससे वो कम्यूनिटी सैन्टर वापिस लेने का प्रावधान है?

उप-मुख्य मंत्री - बिल्कुल प्रावधान है। लेकिन अभी वर्तमान में एन.जी.ओ. को आबंटित नहीं किये जा रहे हैं। डीयूएसआईबी के जो दिये जा रहे है, वो दिये जा रहे हैं जिनमें से कोई काम नहीं करता है। अगर कोई फंक्शन नहीं कर रहा है तो उनको हटाया जाता है और दूसरे को दिया जाता है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं। जिनको पूछना है वो अपने स्थान पर बैठकर हाथ खड़ा करें। बस ये लास्ट दो हैं। इसके बाद एलाउ नहीं होगा।

श्री विजेन्द्र गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्यमंत्री जी ये सवाल पूछना चाहता हूं "जो डीडीए की जमीन पर झुग्गी

बसी हुई हैं और shifting process में है क्या वहां डीयूएसआईबी कोई विकास का कार्य कर सकता है? क्या उसके लिए उनको डीडीए से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है।

उप-मुख्य मंत्री : प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इससे सम्बन्धित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इससे तो संबंधित नहीं है ये। ये प्रश्न जो चल रहा है ये केवल समुदाय भवन को लेकर चल रहा है। हां, सहरावत जी।

कर्नल देवेन्द्र सिंह सहरावत : मैं उप मुख्यमंत्री महोदय से समुदाय भवन के बारे में ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली में जो समुदाय भवन बने हुए हैं। वो कई विभागों ने बनाए हैं जैसे इंरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल ने बनाए हैं, कुछ डी.एस.आई.डी.सी. ने बनाए हैं। कुछ ग्रामीण विकास मंत्रालय से जिनका नियंत्रण बी.डी.ओ. के पास है, ये जितने भी समुदाय भवन हैं, इन सभी के चेयरमैन उस क्षेत्र के विधायक होते हैं और क्या इसका कुछ Standing Operating Procedure बना है, एक standardized policey उसके अलावा क्या इनकी मेंटेनस के लिए, आगे रख-रखाव के लिए कोई पॉलिसी बनी है ताकि इनका जो recurring expenditure है बिजली का, पानी का वो इस तरह की बातें और तीसरा कि इसमें जो है Security deposit और बाकी सारी चीजें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सहरावत जी question कीजिए, ऐसे नहीं प्लीज। ये शॉर्ट question होना चाहिए।

कर्नल देवेन्द्र सिंह सहरावत : मैं पूछ रहा हूं कोई Standing Operating Procedure इनके इस्तेमाल के लिए मंत्रालय की तरफ से बताया गया है?

उप-मुख्यमंत्री : ये सामुदायिक भवन अलग-अलग विभागों द्वारा बनाए गए या संचालित किए जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय और अगर वो एन.जी.ओ. को आबंटित किए जाते हैं या अगर अभी समारोह के लिए दिए जाते हैं तो वहां अलग-अलग विभाग के अलग-अलग नियम हैं। डी.डी.ए. का अलग है, पी.डब्ल्यू.डी. का अगर है तो उसके हिसाब से, डी.यू.एस.आई.वी. का है तो डी.यू.एस.आई.वी. के एन.जी.ओस को दिए जाते हैं उनकी अलग प्रक्रिया है पूरी और वो उसी अनुसार विभागों द्वारा ही उनका मेनटेनस भी किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, ओम प्रकाश जी, चलिए, आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मेरा निवेदन है कि बहुत से जो एन.जी.ओ. परंपरागत रूप से पिछले 8-8, 10-10 साल से डी.यू.एस.आई.वी. के और दूसरे विभाग चला रहे हैं और उन्होंने अपना उसको मालिकाना वो बना रखा है। जनहित में कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या कार्रवाई डिपार्टमेंट कर रहा है और हमें क्या उसके लिए करनी चाहिए।

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जनहित के लिए जो डी.यू.एस.आई.वी. के दिए गए हैं या उससे पहले बाकी नगर निगम के इन सबके जो-जो जिस एन.जी.ओ. को जिस कार्य के लिए किया गया है, उससे इतर अगर कोई जानकारी मिलती है तो उसको हटा दिया जाता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब नहीं इस पर। बहुत हो गया इस पर। आपको कोई प्रश्न पूछना है तो लिखकर भेज दीजिएगा, प्लीज। मैं अलका लांबा जी से आग्रह करूं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बड़े हर्ष का विषय है कि पूर्व विधायक श्री सुभाष सचदेवा जी उपराज्यपाल दीर्घा हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रश्न नं. 9 सुश्री अलका लांबा जी।

सुश्री अलका लांबा : धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से प्रश्न नं. 9 पटल पर रखती हूं।

क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बढ़ते अपराधों के क्या कारण हैं;

(ख) दिल्ली की सुरक्षा एवं अपराधों में कमी लाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है;

(ग) सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या दिल्ली में सुरक्षा जवानों की संख्या में वृद्धि की जाएगी; और

(ङ) रैन बसेरों में महिलाओं की पुख्ता सुरक्षा के क्या उपाय किए जाएंगे?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

गृह मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न सं. 9 का जवाब प्रस्तुत है :-

(क) दिल्ली में अपराधों का बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण है कि बहुत बड़ा expansion हुआ है और दूसरा जैसा कि पुलिस ने बताया है कि जब 16 दिसंबर को ये दुर्घटना हुई थी, उसके बाद में उन्होंने रिपोर्टिंग थोड़ी ज्यादा कर दी है। इसका पूरा विवरण परिशिष्ट "क" में दिया गया है।

(ख) दिल्ली की सुरक्षा एवं अपराधों में कमी लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं परिशिष्ट "ख" में इसका जवाब दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर है और उसके लिए जो भी उपाय करने होंगे सब किए जाएंगे। सरकार ने 73,700 होमगार्ड वालंटियर्स को approve करने के लिए सेंटर को लिखा है और इसके लिए जो जवाब है वो परिशिष्ट 'घ' पर उपलब्ध है।

(घ) क्या दिल्ली पुलिस में सुरक्षा जवानों की वृद्धि की जाएगी, इसका जवाब 'ग' में दिया गया है। अभी 73,700 लोगों की बढ़ोतरी करने का इनका विचार है।

(ङ) रैन बसेरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम क्या किए जाएंगे। इसके बारे में सरकार का कहना है कि पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और सभी थानाध्यक्षों को आर्डर दिए गए हैं कि वो daily सभी रैन बसेरों में जाकर उनको चैक करें और distress cell बनाया जाए ताकि

अगर distress काल होती है तो उसको एटेंड किया जाए। उसका डिटेल जवाब परिशिष्ट 'च' में संलग्न है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : हां जी अलका जी।

सुश्री अलका लांबा : दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री बस्सी जी को लिखित में ऐसे संवेदनशील इलाके बताने के लिए निवेदन किया था जो महिलाओं के लिए असुरक्षित इलाके हैं। मैं जानना चाहती हूं क्या दिल्ली सरकार को अपनी मांग के अनुसार वो सूची उपलब्ध करवाई गई या नहीं करवाई गई उन संवेदनशील इलाकों की जहां पर ज्यादा ये चिंता का विषय है। दूसरी अगर नहीं करवाई गई तो बताइये अगर करवाई गई तो आप लोगों ने उस सूची के ऊपर क्या कार्रवाई की है। तो इसके अलावा एक और प्रश्न है बस।

उप-मुख्यमंत्री : पुलिस ने दिल्ली सरकार को वो सूची उपलब्ध करवाई है जहां पर डार्क स्पॉटस हैं और उन सारी की सारी सूची को पी.डब्ल्यू.डी. को दिया गया है और वहां पर लाइट्स लगाने का इंतजाम किया जा रहा है।

सुश्री अलका लांबा : आपने कहा कि दिल्ली पुलिस से आपने होमगार्डस देने के लिए निवेदन किया है, मैं ये जानना चाहती हूं उस निवेदन के बाद क्या आपको विश्वास दिलाया गया कि आपको होमगार्डस दिए जाएंगे अगर नहीं दिए जा रहे तो आपकी खुद की क्या तैयारी है उसकी।

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है उपराज्यपाल महोदय से और दिल्ली

पुलिस से होमगार्डस को वापस देने के लिए कहा गया था। 2000 होमगार्डस दे दिए गए हैं और 2000 होमगार्डस अगले दो महीने में दे दिए जाएंगे। इसके अलावा भी होमगार्डस की नियुक्ति का प्रोसस शुरू कर दिया गया है जल्द ही दिल्ली सरकार और होमगार्डस की नियुक्ति करेगी।

Crime In Delhi-2015 (Upto 31st May)

Delhi, being the capital of the country, has been developing at a rapid pace. This rapid urbanization has also led to certain factors which have a bearing on the crime rate in the city. The large expansion of new colonies like Dwarka, Rohini etc. and thousands of unplanned colonies are important crimogenic factors particularly in respect of street crimes like robberies and snatching. Crime registration in Delhi, however, had remained depressed during the last two decades. 'For instance, 64882 IPC cases were registered in 1998 whereas, this number fell to 54287 in 2012, despite the exponential growth in population, unplanned urbanization in many areas and growing inequalities.

The unfortunate incident of 16th December, 2012 interalia brought to focus the fact that many crimes against women were never reported. Often many victims hesitated in reporting the crime due to the social stigma which the victims suffer after reporting such incidents. Even victims' relatives and friends were party in dissuading victims from reporting the matter to the police. The ghastly incident was a watershed that forced various organs of state and the civil society to give a serious look to the issue. All agreed that one of the immediate measures required was to ensure that no crime against women goes unreported. Societal awakening, legal changes of 2013 and suitable

sensitization of police encouraged women victims not to suffer their plight silently and an unprecedented increase in registration of rape and molestation was noticed. For instance, 850 rapes and 1869 molestations were registered during the first six months of 2013 as against 327 rapes and 279 molestations during the year 2012 registering an increase of 160% in rapes and 570% in molestations respectively.

non registration of property crimes like robberies, thefts remained rampant. A conscious decision was, therefore, taken by the Commissioner of Police in August, 2013 to ensure truthful registration of crime. Delhi Police machinery was suitably sensitized, enthused and monitored to ensure truthful registration of complaints which disclosed commission of cognizable offences. Consequently a substantial increase in crime, particularly street crime, was seen during the years 2013 & 2014. The registered IPC crime rose to 80184 in 2013 & 155654 in 2014 as against 54287 cases registered during the year 2012. The positive trend gathered further stream during the year 2014 and the same can be seen from the following chart :-

Comparative Street Crime

Crime Heads	2013	2014	Variation
Dacoity	33	82	148.48%
Robbery	1245	6464	419.20%
Snatching	3638	7350	102.03%
Burglary	2835	10309	263.63%

Crime Heads	2013	2014	Variation
House Theft	3216	12735	295.99%
M.V. Theft	14916	23384	56.77%
Other Theft	11992	42634	255.52%
Total IPC	80184	155654	94.12%

Comparative Street Crime (Upto 31st May)

Crime Heads	2014	2015	Variation
Dacoity	41	36	-12.20%
Robbery	2068	2870	38.78%
Snatching	3093	3838	24.09%
Burglary	3784	5250	38.74%
House Theft	4506	5327	18.22%
M.V. Theft	8377	11712	39.81%
Other Theft	16698	22624	35.49%
Total IPC	58936	73198	24.20%

This paradigm shift from burking to truthful registration has been very rewarding and complaints of non-registration of FIR have, shown a decline. The true extent of crime in various parts of the city is now known to devise

suitable strategies for prevention and' detection of crime. Appropriate efforts to detect crimes have yielded excellent results and more criminals are now being apprehended.

Comparative figures of criminals arrested

Crime heads	Years		%age of variation
	2013	2014	
Dacoits	109	271	148.62%
Robber	1820	5214	186.48%
Snatchers	2379	2626	10.38%
Burglars	1306	2049	56.89%
Auto lifters	2978	3029	1.71%
Total IPC	49651	57937	16.69%

Comparative figures of criminals arrested (Upto 31st May)

Crime heads	Years		% age of variation
	2014	2015	
Dacoits	121	116	-4.13%
Robber	1902	2060	8.30%,
Snatchers	1310	944	-27.93%
Burglars	887	1043	17.58%
Auto lifters	1121	1101	-1.78%
Total IPC	22254	21034	-5.48%

This will definitely have a positive impact on crime scenario in medium and long term. The Government of India is fully supportive of this endeavour to ensure truthful registration of crime. The Hon'ble Union Home Minister during his visit to Delhi Police Headquarters on June 16, 2014 emphasised the need for ensuring truthful registration of cases so that genuine grievances of public are fully addressed.

(A) Safety of vulnerable groups

(1) Women

Safety of women was accorded top priority by Delhi Police during the year 2014. Several new initiatives were taken during the current year to strengthen the mechanism to handle this issue holistically. Many steps were taken during the previous year for women safety, for example, functioning of round the clock Women Help Desk with dedicated telephone line, increasing the number of hunting lines on women helpline 1091 from 4 to 10, Thana Level Committee on women safety, security audit of paying guest accommodation and girls' hostels, watch on vulnerable routes, deployment of woman officers in PCR vans, and deployment of woman officers in certain areas prone to crimes against women were reiterated and honed. Monthly interaction with Women Help Groups and women NGOs by an officer of the rank of Spl. CP also continued. All field officers were time and again directed to register the cases related to assault on women without creating impediments of jurisdictional dispute. Woman beat constables under the scheme 'Parivartan' continued with their work in the areas where crimes against women are generally rampant. Publicity of women. helpline number 1091 was also done by pasting posters in motor vehicles, public service transport and in resettlement/jhuggi areas. Special Police Unit for Women and Children (SPUWAC) and districts organized self-defence training for girls to instill confidence in them. A total of 68300 girls were imparted self-defence training

courses during this year (Upto 31st May 2015). Interaction with Women Help Groups and NGOs was held at the district level also. Traffic Police took concerted action against TSR and taxi drivers for refusal and misbehaviour. Deployment at identified bus stops was done by Traffic Police as well as local police. Traffic Police took action against public transport vehicles having dark films and tinted glasses. Areas affected by refusal and misbehavior by TSR/ taxi drivers were mapped and accordingly Traffic Police and local police were deployed at these places. The instructions for the BPOs regarding safety of women was reiterated and like each year, meetings with BPOs were held to ensure that women employees of various BPOs feel secure during their journey from their homes to their workplace and vice versa.

Directions were also issued to record the statement of victims under 164 CrPC within 24 hours of the reporting of crime in rape cases. Awareness on Criminal Law Amendment Act, 2013 and other laws dealing with sexual offences against women was made. For handling women victims of crime, Delhi Police deputed women officers on demand or on call to the 'One Stop Centre' established at three hospitals namely, Deen Dayal Upadhyaya Hospital, Hari Nagar, Sanjay Gandhi Hospital, Mangolpuri, and Guru Teg Bahadur Hospital, Dilshad Garden by the Health Department of GNCT of Delhi.

(2) Children

Tracing missing children remained important priority for Delhi Police. In each case of missing of a child, FIR was registered immediately. In 2015 (Upto 31st May), a total of 2851 kidnapping cases were registered as against 2565 cases in' the corresponding period of 2014.

All field units were directed repeatedly to account for each missing child and remove the anomaly, if any, between the number of children missing and the number of FIRs registered, and to register the case even if a missing

child is traced soon. It was reiterated to upload the details of all missing children on ZIPNET without any delay, to follow the SOP in this regard, and to take systematic action to trace the child. Crime Branch took the initiative of screening the children at Shelter Homes in order to link a missing child with the case registered in NCR of Delhi. Similarly, a drive has been launched to screen the children living at railway stations, bus stands, and near religious places so that they could be linked with the data of missing children, and accordingly recovered and handed over to their parents or guardians. It is also being checked whether the details of missing children are being uploaded on www.trackthemissingchild.gov.in. The Crime Branch also analyzed the pattern of missing children particularly with regard to the areas affected by this problem, and tried to find out whether organized gangs have any hand in this. The focus area in this regard is children from three to ten years of age who generally do not run away from home on their own.

In order to have the identity and photograph of a child particularly in the poor families, the campaign known as 'Pehchan' was launched in 2011 and the same has been continued this year. Under this scheme, photographs of children from poor families, not having the financial capacity to have a photograph taken, were taken and kept in a library of photographs which could be used in case a child goes missing. Over one lakh children have been photographed under this scheme so far.

(3) Senior Citizens

Registration of Senior Citizens continued during this year also. Apart from the Senior Citizens living alone, the senior citizens who live alone at home for long hours while their children go out for work, are also being registered now with the Delhi Police.

Security audit of 21,450 Senior Citizens was conducted by local police

to enhance their security. So far 20,376 Identity cards have been Issued to the Senior Citizens registered with Delhi Police from 2012 to 2015 (Upto 31 st May).

Senior Citizens are also contacted telephonically and through personal visits, both by Police Station staff and by the officials of Senior Citizens Security Cell. During this year 2015, a total of 1,56,162 visits and 1,21,005 telephonic contacts have been made.

(4) People from the North East

Delhi Police has given due importance to the security of people from the North Eastern states residing in Delhi. A Standing Order No. 383/2014 based on zero tolerance policy for tackling problems faced by them has been issued. Jt. CP/SPUWAC has been made the Chief Coordinator/Nodal Officer in this regard. It was decided to involve representatives from various states of North East in the process of redressing the grievances of the North Eastern people residing in Delhi. Accordingly, 44 representatives, all socially active persons from the North Eastern states were appointed as representatives of their respective states. District DCsP were directed to interact with them regularly. 129 meetings were held with the North Eastern representatives/ students/ employees and 2489 participants attended these meetings till 31/12/14. These meetings were held by officers of different ranks at district level as well as by Jt. CP/SPUWAC. A helpline number 1093 was launched this year for handling the issues related to the North Eastern People residing in Delhi. A special unit, headed by an officer of DCP rank has also been created for this purpose at the office of SPUWAC Nanakpura. A Facebook page 'Delhi Police for North East folks' for better interaction with the youth and students from the North East has been created on which more than 16 lakh people logged/visited during the year 2014.

(B) Community Policing Schemes

(1) Yuva

YUVA aims to wean away young adults and under privileged children who, for want of proper education and sports facilities, tend to turn to crime. Delhi Police also established an institutionalized framework called Delhi Police Yuva Foundation' (DPYF) under Societies Registration Act to oversee the implementation of this scheme. DPYF organizes sports activities, painting workshops, vocational training, etc. to channelize the energy of young adults and under-privileged children. The foundation facilitates identification of areas in the jurisdiction of Police Stations where the above-mentioned activities should be carried out with the help of willing NGOs, Corporate Houses and social workers. 7440 youth participated in sports activities and 4595 youth attended vocational training programmes during the year 2015 (Upto 31st May).

(2) Jan Sam park

It is a pro-active measure for public cooperation, wherein senior officers of Delhi Police go to their respective areas on a pre-scheduled date and time and hear public grievances at neutral venues like auditoriums, school halls, public parks, etc. This initiative leads to speedy resolution of people's grievances. During this year 2015 (Upto 31st May) a total of 528 such programmes have been held, 7012 complaints have been attended/received and 1129 grievances redressed.

(3) Aapka Update

An initiative taken by Delhi Police to inform the complainants about progress of their complaints/cases also continued as per the Standing Order No. 411/2012. During this year 2015 (Upto 31st May) progress has been intimated to 85,584 complainants of which, 76252 complainants gave their

feedback. 99% of them gave positive response about the action taken by Delhi Police.

(4) Neighbourhood Watch Scheme

In order to promote a long lasting partnership with the community to enhance safety and reduce crime, the mechanism of Neighbourhood Watch Scheme, which aims at enhancing the security of a Neighbourhood by harnessing the capabilities of its residents, has been revived as the main thrust area of people-police interface. Partners in the Neighbourhood Watch Scheme are the residents of the local police station. Office bearers are not imposed or nominated by police. Local community leaders, selected/elected by residents, and respective Division & Beat Staff manage these schemes with the objective of improving security of the concerned area. At present, this scheme is functional in 2252 residential colonies and housing complexes, and the Scheme is being extended to other areas also. 2881 rneetings have been held so far.

(5) Business area watch group

In the year 2014, a special scheme known as 'Business Area Watch Scheme' for the security of market areas was launched. Under the scheme Delhi Police took an initiative to involve the business community for funding the installation of CCTV cameras in market and business areas. Delhi Police officials acted as facilitators and the business community leaders and market associations mobilized the necessary resources for installation of CCTV cameras and Control Room in their respective areas. It was also proposed to connect these cameras to the police station's CCTV room. During the year, this scheme was launched at Greater Kailash, Dariba Kalan, and Civil Lines with, 57, 32, and 52 CCTV cameras respectively.

(C) New initiatives

During the year, various new initiatives were taken particularly by

adopting new technologies and using e-platform in police working system. Various Apps were launched in order to simplify the processes and procedures for the convenience of the common people, and also for improving the public service delivery system of Delhi Police.

1. **Lost Report App** was launched on 27th February 2014. The purpose of this App is to issue a report to an individual in case of loss of important documents like passport, I-card, Ration Card, Driving License, etc., so that the issuing authority can reissue a fresh document on the basis of the lost report. Earlier, for obtaining relevant report from police station, in case of loss of a document, one had to go through the inconvenience of visiting a police station repeatedly. By entering relevant details on this mobile/web based application, one can lodge a lost report, and obtain a printable & digitally signed report of the same, and use this document for getting a fresh document reissued from the concerned authority. So far more than thirteen lakh reports have been registered on this platform.

2. **Police Clearance Certificate App** was launched on 8th August 2014. This document is required for the purpose of applying for visa application, admissions to several educational institutions, Job applications, etc. One can use this web App for obtaining a PCC. The basic details filled up by an applicant are automatically checked with the Crime Record Bureau. PCC is generated within seven days. So far 71,088 citizens have taken the benefit of online facility of the PCC.

3. **Delhi Police traffic App** was launched on 8th May 2014 which enables the public to utilize the e-services provided by Delhi Traffic Police such as obtaining information about traffic alert and advisories to plan their journeys in advance. People can assess fare charges to be paid to auto/taxi/radio cab drivers, calculate distance travelled and the shortest route to be taken for any journey in Delhi. Through this App complaints can be lodged against TSR/taxi

drivers for misbehavior, refusal and overcharging. Commuters can also access information about the unauthorized parked vehicles, towed away by Traffic Police for keeping in traffic pit.

4. Delhi Police has also provided a toll free number 1064 and 9910641064 to register any complaint of corruption against a police official. Complainants can send audio or video clips to this number using Whatsapp.

5. **Himmat app** has been launched on 1st January 2015, for the security of women. Through this App, women in distress can access the Police Control Room by pressing an alert SOS button provided in the App on their mobile phones. SMS alerts relating to the distress will be sent simultaneously to PCR, SHO of local Police Station and Police Patrol Vans in the areas to reach scene of crime without loss of time. SMS alert will also be sent to the predefined relatives/friends of women.

6. Himmat Whatsapp Group :- Further our mission for a safe Delhi for women, Delhi Police has launched the Himmat Whats app group on **Phone No. 8800001091.** All girls & women in Delhi can now send us photos/details of the taxis/autos they are boarding and other details which will boost their confidence during travel and also be a deterrent for errant drivers.

7. Motor Vehicle Theft App :- Delhi police has worked out on another important App which relates to registration and investigation of motor vehicle theft. A citizen can register his FIR related to the loss of his vehicle through this App from anywhere in the world. The digital system search the stolen vehicle each day from the data of the recovered ones. After completion of investigation, electronic case diary is sent to the court, and untraced report is also generated and sent to the complainant electronically. This App is the first of its kind in which investigation of the case will be done by using digital technology.

(D)Action against Drug Trafficking

During this year, drive against drug trafficking was taken up in a concerted manner, and recovery of huge quantity of narcotic substances was made.

Action under NDPS Act. - 2015 (Upto 31st May)

Cases Registered	121
Arrests Made	135
RECOVERIES IN KGs.	
Smack/Heroin	16.819
Opium	11.000
Ganja	626.675
Cocaine	1.770

(E) Action against Illicit arms

The easy availability of illicit arms and ammunition in Delhi remains a cause of concern. These arms and ammunitions are brought to Delhi from certain parts of the country. Efforts are being made to connect all backward and forward linkages and unearth the entire chain of supply, transit route, mode of trafficking, end users and source of manufacturing. Delhi Police gave a severe blow to the illicit fire-arm suppliers to Delhi by recovering huge quantity of illicit fire-arms. During this year (Upto 31st May 2015), 221 illicit fire-arms, 4325 ammunition and 117 sharp edged weapons have been recovered. In order to check the use of fire-arms, audit of records of licensed fire-arm dealers is being conducted.

(F) Counterfeit currency

Delhi Police also launched a drive against fake Indian currency and associated RBI, Customs and Intelligence Bureau in this pursuit. All cases of FICN were registered at Parliament Street Police Station. During this year (Upto 31st May 2015), 2.87 crore (approx.) FICN have been recovered and 30 cases have been registered.

(G) Crime Situation

A total of 73,198 IPC cases were registered during this year (Upto 31st May 2015). The yardstick for crime per lakh of population, used world over to compare crime has been taken into account. Projected total IPC Crime per lakh of population during this year has remained 971.82.

(1) Crimogenic factors

Delhi, being the capital of the country, has been developing at a rapid pace. This rapid urbanization has also led to certain factors which have a bearing towards the crime rate in the city. The large expansion of new colonies like Dwarka, Rohini, etc., and addition of thousands of unplanned colonies is an important crimogenic factor, particularly for street crimes like robbery and snatching.

Other factors responsible for crime are as follows :-

- Socio-economic imbalances,
- Proximity of location of colonies of the affluent and the under-privileged,
- Urban anonymity encouraging deviant behaviour,
- Loosening of social structures and family control,
- Adverse sex ratio (866 females/1000 males),

- Easy accessibility/means of escape to criminal elements across the borders,
- Extended hinter-land in the NCR region.

(2) High Detection rate achieved in heinous cases

Despite truthful registration of cases resulting into increase in crime statistics, owing to sustained efforts and professional investigation by Districts and specialized units like the Crime Branch and the Special Cell, 59% of heinous cases were worked out till Dec., 2014.

(3) Crime against women

96.34% of the rape cases reported to police have been committed by accused known to the victim or her family. Special care was taken in respect of investigation of rape cases and emphasis was given on collecting scientific evidence. Women Police officers were preferably assigned the investigation. During this year (Upto 31st May 2015), 820 rape cases were reported as compared to 821 cases in the corresponding period of year 2014. Analysis of these cases reveals that in around 96% rape cases the crime is committed by persons having acquaintance with the victim or her family members. Only in 4% cases, strangers were found involved.

1947 cases of molestation of women were reported during this year (Upto 31st May 2015). Out of these, as many as 52.80% cases have been solved. All complaints 'received in police stations pertaining to rape, molestation of women and eve-teasing have been dealt with on priority. Though the registered crime against women grew exponentially, 80% cases were solved within a fortnight.

(4) Murder

During this year (Upto 31st May 2015), 226 cases were registered.

Out of these 73.89% cases were, solved. Incidents of murders per lakh of population have shown a significant decline during the last fourteen years. While this figure was 3.95 in the year 2001, it has come down to 3.31 in 2014.

Motive behind murders

Analysis of motives behind murders during this year (Upto 31st May 2015), reveals that 14.60% of the cases were due to sudden provocation or trivial issues, 16.37% due to old enmity, 7.52% sex related, 13.27% due to differences amongst family members and 6.19% due to disputes over property/ money matters. Only 6.64% of the murders were crime related.

Sensational Murder Cases – Solved

- Murder-cum-robbery case of Smt. Neelam, aged 30 years, near Walia Nursing Home, PS Shakar Pur (09.01.2014)
- Double murder-cum-dacoity case of two waiters of PS Vasant Kunj South (19.01.2014)
- Murder-cum-abduction case of Sajjan, aged 24 years, of PS Baba Haridas Nagar whose dead body was recovered from Jhajjar, Haryana (06.02.2014)
- Murder-cum-robbery case of an old lady Mohini Gupta aged about 63 years, PS Jagatpuri (17.02.2014)
- Murder-cum-robbery case of a youth Ravi of PS Pul Prahlad Pur (24.02.2014)
- Murder-cum-kidnapping case of Sh. Anil of PS Nihal Vihar (03.03.2014)
- Murder-cum-robbery case of Sh. Praveen Kumar of PS Chhawla (02.03.2014)

- Murder case of Sh. Kukan Kumar Saini, aged 25 years, PS Sagar Pur (17.03.2014)
- Murder-cum-house robbery case of Smt. Inder Jeet Kaur@ Dolly aged about 47 years, PS Uttam Nagar (20.03.2014)
- Murder case of a North East resident, Nido, son of a MLA, PS Lajpat Nagar (31.01.2014)
- Double murder of Smt. Phoolwati aged about 60 years and her son Sh. Sumit aged about 33 years, PS Inder Puri (01.04.2014)
- Abduction-cum-robbery-cum-murder case of a driver Sh. Naresh, aged about 35, years, PS Maya Puri (08.04.2014)
- Kidnapping-cum-murder case of Master Vishu Gupta, aged 5 years, PS New Usman Pur (24.04.2014)
- Murder case of Sh. Surender, a trader of Azadpur Subzi Mandi, PS Alipur (28.04.2014)
- Double murder case of Smt. Jasbir Kaur, aged 36 years, and her daughter Prabhjot Kaur, aged 14 years, PS Tilak Nagar (22.05.2014)
- Murder-cum-attempt robbery case of Shopkeeper, Shri Kanhaiya Lal of Dariba Kalan, PS Kotwali (11.06.2014)
- Murder-cum-robbery case of Shri Rohit Sethi, owner of a Paying Guest House of PS Patel Nagar (12.06.2014)
- Murder-cum-robbery case of Sh. Tarun Bajaj, PS Rajinder Nagar (25.06.2014)
- Murder of Smt. Rekha Duggal aged about 81 years whose burnt dead body was found in her house at G.K-II, PS C.R. Park (08.07.2014)

- Murder of Constable Shiv Raj Singh of PS Jafrabad, PS Shahdra (14.07.2014)
- Murder of Sh. Darshan, aged 25 years, PS IGI Airport (18.07.2014)
- Murder of Sh. Vinod Pehalwan, also Pradhan of Gazipur Dairy Farm, PS Gazipur (21.07.2014)
- Abduction for Ransom-cum-Murder case of Shri Rajesh Kumar, PS Kanjhawala (26.07.2014)
- Double murder of one girl Seema and her minor brother, PS Karawal Nagar (14.08.2014)
- Murder-cum-ransom of Sh. Dinesh Kumar Aggarwal aged 60 years in which ransom of Rs. 3 crore was demanded, PS Jyoti Nagar (20.08.2014)
- Murder case of Shri Ranjan, a Student aged 16 years, P.S Bharat Nagar (11.09.2014)
- Double murder of mother and her son, PS Vijay Vlhar (12.09.2014)
- Murder case of Smt. Nirmala Devi, aged about 45 years, who was working as a nurse in Lok Nayak Hospital, PS I.P. Estate (21.09.2014)
- Murder of Sh. Ranjeet Singh and robbery of Sh. Joginder, PS Dwarka North (23.09.2014)
- Triple murder case of contract killing of Vijayawada (AP) solved with the arrest of 7 persons (24.09.2014)
- Murder of Constable Sh. Jagbir Singh on duty posted at PS Vijay Vihar and attempt to murder of his colleague Constable Narender Singh (13.10.2014)

- Robbery-cum-Murder case of Senior Citizen lady Smt. Suman Bala Bhatnaqar of PS Preet Vihar (19.10.2014)
- Murder-cum-robbery case of Sh. Veersain, aged about 70 years, at Bada Chippiwara, PS Jama Masjid (09.11.2014)
- Murder-cum-Kidnapping for ransom of case Master Utkarsh, aged about 13 years, PS Gandhi Nagar (18.11.2014)
- Murder-cum-robbery case of Mr. Ajit Kumar Goyal aged 62 years, PS Gandhi Nagar (08.12.2014)
- Double murder of two children Master Nazim and Taufiq, PS Sangam Vihar (23.12.2014)

2015

- Murder case of Sh. Rahul, aged about 26 years, at 5 Number Chowki, G.B. Road, PS Kamla Market (12.01.2015)
- Robbery-cum-Murder case of Smt. Sulachana Devi, aged about 60 years, in the house, PS Punjabi Bagh (12.01.2015)
- Murder case of Constable Sh. Karambir on duty posted at PS Alipur (13.01.2015)
- Murder case of one Uzbek National Ms. Gulzenda aged about 35 years, PS Kalkaji (07.02.2015)
- Murder case of Sh. Umed Singh aged about 62 years, PS Bawana (03.03.2015)
- Murder case of Rohtash aged about 66 years, PS Baba Haridas Nagar (03.03.2015)

- Murder case of DTC bus driver Ashok Kumar of PS Mundka (10.05.2015)
- Murder of Senior Citizen Ratan Singh aged 74 years of PS M.S. Park (25.05.2015)

(5) Robbery and Dacoity

During this year (Upto 31st May 2015), 2,870 cases of robbery have been reported. 1172 (40.84%) out of 2,870 cases have been solved with the arrest of 2060 persons. 36 cases of dacoity were reported this year (Upto 31st May 2015), out of which 28 cases have been solved with the arrest of 116 persons.

Prominent Robbery/Dacoity Cases Solved

- Robbery case of a leading News Reporter near Manglam Nursing Home, PS Mandawali (12.01.2014)
- Dacoity case in Muradabad Passenger train, PS Old Delhi Railway Station (16.01.2014)
- Dacoity case of Rs. 3 Crore near Defence Colony flyover, PS Lajpat Nagar (28.01.2014)
- House robbery-cum-attempt to murder case of Smt. Pooja Goyal, aged about 55 years, PS Saket (01.02.2014)
- Armed Dacoity in a copper god.own, PS Mundka (17.02.2014)
- Robbery case of a jeweller of Karol Bagh at Pitampura, PS Maurya Enclave (20.04.2014)
- Robbery case of cash Rs. 14.2 lakh, PS C.R. Park (24.04.2014)
- Robbery of jewellery & cash from a jeweler of Chandni Chowk, PS Geeta Colony (10.05.2014)

- Robbery of jewellery worth Rs. 2 Crore from Mumbai based diamond merchants, PS DBG Road (14.05.2014)
- Robbery of Rs. 37.50 lakhs and foreign currency, PS Subhash Place (29.05.2014)
- Gold jewellery and Gash worth Rs. 2.7 lakhs theft case, PS Karol Bagh (18.06.2014)
- Robbery of Rs. 5 lakh in PNB Bank Johripur, PS Karawal Nagar (05.07.2014)
- Robbery of Rs. 9 lakh at Millennium DTC Bus Depot, PS Sunlight Colony (15.07.2014)
- House robbery case of Rs. 2.5 Lakh & Jewellery, PS K.N. Katju Marg (01.08.2014)
- Robbery, PS Mianwali Nagar (05.08.2014)
- Dacoity in a running bus on route No. 543A of PS Kapashera (05.10.2014)
- Robbery of Rs. 27 lakhs in Lahori Gate area, PS Kashmere Gate (10.10.2014)
- Robbery of Gems & Jewellery, PS H.N. Din (10.10.2014)
- Dacoity of a bag of a jeweller containing Rs. 4.75 lakh and jewelleries near Dariba Chandni Chowk, PS Kotwali (07.11.2014)
- Robbery of Rs. 5.30 Lakh from a Purchase Manager near Janak Vihar Bus Stand, PS Inder Lok (05.11.2014)
- Robbery of Rs. 9.5 lakh at Lawrence Road, PS Keshav Puram (20.11.2014)
- House robbery of Rs. 6 lakh and jewellery, PS Ashok Vihar (28.12.2014)

2015

- Robbery of Rs. 5.29 lakh, PS Vijay Vihar (19.01.2015)
- Robbery of Rs. 22 Lakh on road, PS Keshav Puram.
- Robbery cum car jacking of Rs. 10 lakh of PS Dwarka South (10.05.2015)

(6) Snatching

During this year (Upto 31st May 2015), 3838 cases of snatching were reported and 693 (18.06%) cases were solved with the arrest of 944 persons. 96.91% of the total arrested criminals w~re first time offenders and 50.22% of them were illiterates or school drop-outs.

(7) M.V. Theft

During this year (Upto 31st May 2015), 11712 M.V. Theft cases have been reported as against 8377 cases in the corresponding period of the year 2014. Among the stolen vehicles, 5,632 were two wheelers, 2411 cars and 399 other vehicles. 818 (9.69%) stolen vehicles were recovered and 1101 auto lifters were arrested in this year (Upto 31st May 2015). The M.V. Thefts per lakh of vehicle population is 330.69.

Motor Vehicle Theft

(per lakh of vehicle population)

(page 67 Table)

Motor Vehicle Thefts accounted for around 16.00% of total IPC cases registered in Delhi. The acute shortage of parking space and the general

practice of parking vehicles on roadsides, and unwillingness of a majority of motor vehicle owners to install anti-auto theft equipment are major contributing factors of motor vehicle theft incidence.

A.Strategy to prevent the incidents of street crimes like robberies and snatching :-

- Emphasis on Beat Patrolling System.
- Enhanced police presence and patrolling.
- Identification of vulnerable areas based on cnme pattern in each police station.
- Targeted checking of suspicious looking youth on motor bikes.
- Quicker reaction time through increased police presence in the area.
- Gathering of macro-intelligence by District police as well as specialized units against criminal gangs operating.
- Closer surveillance on known-criminals.
- Follow up of activities of criminals coming out of jail after conviction or release on bail.
- Public participation to control crime through schemes like 'Eyes and Ears' Scheme.

B. Improvement in Police Station functioning

It has been an endeavor of Delhi Police to bring an overall improvement in the functioning of the police stations through close supervrsion, formal inspections and strict follow-up action. The improvement in police station performance is assessed in the following major thrust areas:-

- Disposal of complaints
- Disposal of pending investigation cases
- Disposal of inquests
- Disposal of case property
- Updating record of POs
- Drive for their arrest
- Drive for locating absent BCs
- Opening of New History Sheets
- Updation or Existing History Sheets

C. Priority for Delhi Police

- Anti Terror measures
- Continued action against Street Crime
- Priority on issues of Women's Safety
- Closer monitoring of Police Station functioning
- Traffic : Education & Enforcement to continue
- Community interface : New avenues to be opened
- Identification of crime hot spots on the basis of public feedback mechanism.
- Complainants : More professional handling
- Victims of crime : Enhanced compassion
- Police Housing : Improved satisfaction level

1. 181 Helpline for women in distress :- The Department is running 181 Helpline for women in distress (24x7) since December 2012. This help line has received more than 13 lakh calls from women in distress.

2. Institutional Services :- The Department runs folIowing Institutions.

a. Nirmal Chhaya, a statutory institution for an effective implementation of the objectives of The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956. The Department had declared Nirmal Chhaya as a Protective Institution & Corrective Institution in 1988. Sanctioned capacity of the institution is 100 residents.

Nirmal Chhaya admits women and girls under the following categories at the orders of the concerned court:-

- Women and girls rescued from brothels.
- Women and girls in morale danger.
- Women and girls victims u/s 363, 366 and 375 of IPC.

b. Short Stay Home for Women in Distress wherein they are provided temporary shelter till their restoration, repatriation or readjustment back in their families or other suitable institutions. The institution is open 24 hours for women/girls for :-

- Victim of family discord, mal-adjustment and victims of ill-treatment and victim of domestic violence.
- Shelterless, destitute, deserted women/girls who are in need of immediate protection.
- Unprotected women/girls in moral danger.

3. Shelter Home for Pregnant and Lactating (Destitute) Women :- In addition there is Shelter Home for Pregnant and Lactating (Destitute) Women for victim of rape found pregnant and needing rehabilitation. Details are as follows:-

a. Matritava Chhaya, Community Center, A-Block, Jahangirpuri, Delhi, phone : 9971802146, 9971802415, 011-27633148,

E-mail: pwwh@ywcaofdelhi.org, mci@ywcaofdelhi.org

b. Matritava Chhaya, Community Center, Chander Shekhar Azad Colony, Sarai Rohilla, Delhi, Phone: 9971802146, 9971802415, 011-23694147,

E-mail: pwwh@ywcaofdelhi.org, mci@ywcaofdelhi.org

4. Working Women Hostels :- To provide safe and secure spaces to working women in Delhi the Dept has set up two Working Women Hostels in Delhi. Both Priyadarshini Working Women Hostel and Rohini Working Women Hostel are functional at Vishwas Nagar, Delhi and Sector 22 Rohini respectively. These Hostels are being managed by YWCA of Delhi.

5. Awaj Uthao Abhiyan :- At Community Level, Govt. of NCT of Delhi has launched Awaz Uthao Abhiyan for women in Delhi since December 2011 through Samajik Suvidha Sangam wherein collectives consisting of women and youth have been formed. Each of the collective consists of 04 boys, 04 girl, 04 Women, 04 Men and 04 members from NGOs. There are 48 collectives as on ate. These collectives after training are not only assisting the victims of sexual ab se but have also conducted preventive safety audits which is an ongoing activity.

6. Delhi Commission for Women :- Delhi Commission for Women is running various programmes for empowerment of Women namely

- Rape Crisis Cell
- Sahyogini
- Helpline for women in distress with Women Helpline No. 23379181
- Mahila Panchayat
- Counseling Centre-Psycological and legal
- Crisis Intervention Centres
- Mobile Van Helpline No-1800119292 is operational by Delhi Commission for Women 24x7 throuugh 5 vans all over Delhi.

7. 18 Protection Officers have been appointed in all the distt. of Delhi to implement PWDV Act 2005.

The initiatives taken by Delhi Police for the safety and security of women in Delhi are as under :-

Preventive Action

✓ **Special Police Unit for Women and Children** has a regularly updated website www.spuwac.com containing guidelines and measures for safety of women and children in Delhi.

✓ **Thana level women safety committee** having representatives of NGOs relating to empowerment of women, RWA, MWA, Principals of prestigious colleges/schools, one ex-service man, Home guard in charge, Civil defence incharge, SHO and ACP/Sub Division are functioning to oversee the issue of women safety.

✓ One Special CP is working as a **Nodal Officer for Delhi** to interact with women NGOs working for women on the last Friday of every month.

- ✓ **Vulnerable routes** taken by women returning from entertainment hubs and malls are being patrolled with increased redeployment of pickets, PCR vans and motorcycle patrols etc.
- ✓ In view of recurring complaints about eve-teasing, local police and PCR vans are deployed outside girls' schools and colleges **at opening and closing time.**
- ✓ Additional and integrated police pickets have been increased.
- ✓ **Action against eve-teasers :** Beat Officers are being sensitized regularly to take prompt action against eve-teasers, and to follow a zero-tolerance policy in this regard.
- ✓ **Himmat Whatsapp Group :-** To further our mission for a safe Delhi for women, Delhi Police has launched the Himmat Whats app group on **Phone No. 8800001091**. All girls & women in Delhi can now send us photos/details of the taxis/autos they are boarding and other details which will boost their confidence during travel and also be a deterrent for errant drivers.
- ✓ Intensive patrolling by Beat Officers is being done around malls, complexes, restaurant clusters, etc.
- ✓ Directions from the transport department has been got issued for all public transport vehicles to display name of the driver and staff alongwith photographs and PSV No. inside the bus.
- ✓ Data on repeat violation of the offences under the Motor Vehicle Act, 1988 is being shared regularly with the Transport Department of GNCTD for cancellation of R.C. under "Repeat Offence Policy".
- ✓ GNCTD is ensuring to install GPS in DTC/Cluster buses and ensure that the crew displays photo identity cards.

✓ Mobile numbers of night GOs have been made available to public for direct contact.

✓ **Sensitization and check on public places :** Action against consuming alcohol in public place has been intensified.

✓ Discotheques and night clubs have been strictly directed to close by 01:00 AM.

✓ **During Special checking at Metro Stations and Railway Stations** for safety & security of women commuters, 10350 persons have been challaned for travelling in women, compartments, till 31st December 2014. Similarly 2665 persons have been challaned for travelling in women compartments, during the current year 2015 (upto 31st May 2015).

✓ **Interaction with NGOs :** Meetings are held at all levels with NGOs. Their suggestions to improve the police response to the problems of women form an important part of our programmes. District Police have been sensitized to be more responsive towards women complainants.

✓ **Self-Defence Training :- In the year, 2014 (upto 31st December)** 17699 and during the current year 2015 (upto 31st May 2015) 17253 girls/ women were imparted self defence training.

✓ **Security audit of Paying Guest accommodations and hostels :** Security audit of all paying guest accommodations and hostels for women and girls has been completed. Security measures required to be taken by them have been explained to them. A total of 437 paying guest accommodations/hostels have been covered.

✓ **Parivartan :-** This campaign for the safety of women and children was initiated in August, 2005 in North-West District of Delhi Police. In this unique experiment, particularly focused in certain slum areas, women police officials are deputed to perform beat duties.

- ✓ **Civic Agencies :-** Civic agencies are regularly being informed about poorly lit stretches of roads. Civic agencies have also been requested to install CCTV, webcams at parking lots, shopping malls etc.

- ✓ **Traffic Police :-** Traffic police has launched special drives against Public Transport vehicles with films & tinted glasses, unauthorized buses picking up passengers from crowded bus stands, and against TSR/Taxi drivers for refusal or misbehaviour. Special deployment of the staff outside Metro Stations, designated Bus Stops, Malls at identified vulnerable routes is being done to inculcate confidence and provide on the spot help to public transport users.

- ✓ **Instructions issued to BPOs and reviewed from time to time to** ensure that women employees are not made to travel alone with the cab driver and a duly verified security guard or a male colleague (regular employee of the company) is invariably present in each cab carrying women staff during the night hours l.e 8 PM to 7 AM. BPOs on our directions, exercising effective checks and controls on the vehicle's movement in order to prevent unwarranted activities by cab drivers, such as picking up strangers, straying away from the designated route, etc. by installing GPS systems in the cabs used for transportation of the employees.

- ✓ **Meru Eve Cab :-** Taxi services with women drivers being encouraged to feel a sense of confidence and security among working women, particularly during night hours. These Cabs are equipped with panic buzzer, IIC button and telephone facility in addition to Himmat App. First such service was launched in Delhi NCR with 25 Cabs with women drivers.

- ✓ **Gender Sensitization** Courses are being organized on regular basis. During the year 2014 (upto 31st December), 8035 police personnel have

been trained in 275 training programmes. Similarly during the current year 2015 (upto 31st May 2015) 4947 police personnel have been trained in 112 training programmes.

Improved Response

✓ **Emergency Helpline No. 100 :-** Police emergency helpline No. 100 functions 24x7 around the year from Police Headquarters. This emergency number is very popular among women as well as others and is being extensively used.

✓ **Women Helpline 1091 :-** This 24x7 service also functions from Central Police Control Room along side the No. 100. Apart from attending to emergencies, staff on the 10 lines of 1091 also attend to enquiries from women, and provide counseling sought by women.

✓ **Anti Stalking Services for Women :-** One of the main problems faced by the women in Delhi is receiving of obnoxious telephone calls and stalking using mobile phones. There are thousands of such calls received from women complaining of this. Hence, all such distress calls from women about stalking is diverted to a special anti-stalking group in the CPCR which functions 24x7. From here, the staff ring-up the abusing number and effectively deal with the aggressor which is the demand by most of the complainants. In case of stalking calls, it is immediately referred to the local police in real time through the extension of the No. 100 service to all Police Stations levels through the cyber highway network.

✓ **Himmat SOS :** Reinforcing its commitment towards safety of women in Delhi, Delhi Police has recently introduced "Himmat" mobile safety App

for women on Android smart phones, in order to provide immediate police assistance in the event of any emergent situation that may arise anytime, anywhere.

- ✓ **Creation of Exclusive Help Desks for Women in Police Stations :-** 24x7 Women Help Desks are functioning in all police stations to attend to women complainants. NGOs are assisting them in the operation of Women's Help Desk in police stations. A separate' dedicated telephone line with incoming call facility is available at every women's help desk.
- ✓ **No jurisdictional dispute** is allowed to delay police response on a complaint. Immediate action is taken by the officer on receipt of complaint to apprehend the accused and to provide medical and other assistance without going into jurisdictional issues.
- ✓ **Handling of complainants:** Women complainants are handled with respect and sympathy. Complaints made by women are being recorded verbatim as stated by them, preferably by a lady police officer and investiqated without any uncalled for remarks or observations by the police officers concerned.

Expeditious Investigation

- ✓ **Expeditious completion of investigation** of rape cases is of paramount importance of Delhi Police. Investigation in every rape case is closely monitored by the concerned DCP and the endeavour is to file charge sheet within twenty days of arresting the accused.

Fast Track Trial Proceeding

Speedy Trial of gang rape cases : On the request of Delhi Police, Hon'ble Delhi High Court has issued directions to the District Courts in Delhi that all gang rape cases be fast tracked.

STATUS OF VARIOUS MANPOWER PROPOSALS OF DELHI POLICE

Separation of crime investigation from law & Order duties :

- The proposal containing 4749 posts (1583-SI/ASI, 1583-HC and 1583-Ct.) has been cleared by MHA and is pending in Department of Expenditure of Ministry of Finance (Part A of F/A). This proposal is part of 15 priority proposals recommended by BPR&D.
- Remaining 14 proposals out of 15 priority proposals plus 2 new additional proposals are containing 12407 (11962+445) posts, have been cleared by UTP Section of MHA and are in active consideration of IFD of MHA (Part 'B' S.No. 1-16 of F/A). the queries raised by IFD has already been replied by Delhi Police.
- Therefore, total number of posts which are cleared/recommended by MHA:

1.	Separation of crime investigation from law & order duties :	:	4749
2.	14 + 2 (Remaining priority proposals) (New additional proposals) [PP at National Green Tribunal, Special Unit for N-E citizens.]	:	12407
	TOTAL	**:**	**17156**

Total 17156 posts i.e. total of Part A (4749 posts) and Part B (12407 posts) of F/A are under active consideration of the Government.

There are 71 other manpower proposals containing 28755 posts are pending with MHA details of which are at FIB.

The total posts in all manpower proposals are 45911 (4749+12407+28755).

*****

Proposal Pending in MHA

Rity Proposal Reg. Separation of Crime Investigation From Law and Order Pending In MHA

Sl.No.		DISTT/ UNI	Date of sending proposal to GNCTD and MHA	SPL CP	JT CP	ADDL CP	DCP/ ADDL	ACP	INSP	SI	ASI	HC	CT.	CIV.	MTS	Total
1.	Seperation of Crime Investigation from Law and Order Duties (**)	PHQ	GNCTED-08.03.2001 MHA-03.06.2005	0	0	0	0	0	0	1583	0	1583	1583	0	0	4749
(B)	Remaining Priority Proposal 14+2 Pending in MHA															
1.	Police Post Sarai Kale Khan under PS Sun Light Colony	SED	GNCTD-07.10.1993 MHA-03.06.2005	0	0	0	0	0	0	0	0	12	50	0	2	64
2.	Police Post Safdarjung Hospital under PS Safdarjung Enclave	SD	GNCTD-01.07.1999 MHA-03.06.2005	0	0	0	0	0	0	0	0	6	30	0	0	36
3.	Police Post ISBT Anand Vihar under PS Madhu Vihar	ED	GNCTD-20.11.1995 MHA-03.06.2005	0	0	0	0	0	0	0	0	8	29	0	0	37
4.	Upgradation of Training Facilities	PTC	GNCTD-28.09.2004 MHA-03.06.2005	0	0	1	2	1	5	0	7	5	70	25	29	145
5.	Proposal for creation of 5497 posts of additional manpower for the 370 more MPVs to maintain law and orders situations in Delhi.	PCR	MHA-03.02.2009	0	0	0	0	6	24	198	536	1307	3396	0	30	5497
6.	Proposal reg. increase in Ministrial radre staff in proportion loe the total sanctioned Stregnth of Delhi Police.	PHQ	GNCTD-31.3.2010 MHA-18.4.2011	0	0	0	0	0	68	196	202	788	0	0	0	1254
7.	Proposal reg. manpower requirement for District Court Saket under PS	SD	GNCTD-05.07.2010 MHA-23.08.2011	0	0	0	0	0	1	1	4	28	76	0	0	110
8.	Proposal for creation of additional posts for the security of Rohini Court under PS Prashant Vihar	OD	GNCT-23.11.2007 MHA-09.09.2011	0	0	0	0	0	1	1	4	16	60	0	1	83
9.	Proposal for creation of additional post in Finger Print Bureau/Crime & Rlys. Delhi Police.	C&R	GNCTD-11.02.2011 MHA-19.03.2012	0	0	0	1	3	15	30	0	0	14	0	0	63

10.	**Proposal for creation of police post and creation of additional post for providing adequate security at Dwarka Court under PS Dwarka South**	**SW**	**GNCTD-25.5.2012 MHA-26.6.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4**	**15**	**110**	**0**	**1**	**131**
11.	**Proposal for creation of manpower for 15 police stations (6Terriorial+1 Railway+8 Metro in Delhi Police**	**PHQ**	**GNCTD-16.11.2011 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52**	**266**	**184**	**1254**	**2303**	**0**	**0**	**4059**
12.	**Proposal for creation of a new Police Post as Metro Vihar, Holambi Kalan under the jurisdi-ction of PS Shahbad**	**OD**	**GNCTD-29.03.2005 MHA-28.5.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**6**	**18**	**23**	**0**	**1**	**49**
13.	**Proposal for creation of Addl. post for Vigilance Unit of Delhi Police**	**VIG.**	**GNCTD-20.03.2001 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**1**	**6**	**25**	**45**	**60**	**89**	**125**	**0**	**10**	**361**
14.	**Proposal for creation of posts in Spl. Branch of Delhi Police for verification of Passport application**	**SB**	**GNCTD-05.07.2002 MHA-28.5.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**40**	**10**	**22**	**0**	**0**	**0**	**73**
15.	**Proposal for creation of Police Post Copernicus Marg at National Green Tribunal, Faridkot House under PS Tilak Marg**	**NDD**	**Direct MHA on 02.12.2013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**14**	**4**	**12**	**39**	**0**	**5**	**75**
16.	**Proposal for creation of 318 (now 370) additional posts of various ranks in Delhi Police for setting up "Special Unit for North Eastern Citizen."**	**SPUN**	**GNCTD-09.04.2014 Truned Down-11.09.2014 Again sent to MHA on 1.10.2014**	**0**	**0**	**1**	**1**	**15**	**30**	**45**	**40**	**130**	**94**	**0**	**14**	**370**
			Total (B)	**0**	**0**	**2**	**5**	**31**	**223**	**838**	**1061**	**3710**	**6419**	**25**	**93**	**12407**

(**) On the basis of crime figure of 2014
80 Proposal (cadre wise) Main 1+14+2+71

Sl.No.		DISTT/ UNI	Date of sending proposal to GNCTD and MHA	SPL CP	JT CP	ADDL CP	DCP/ ADDL	ACP	INSP	SI	ASI	HC	CT.	CIV.	MTS	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Remaning 71 Proposals Pending with MHA																
1.	Remaining posts for Seperation of Crime Investigation from Law and Order Duties (Best Staff)	PHQ	GNCTD-08.03.2001 MHA-03.06.2005	0	0	0	0	0	0	1093	0	3628	-1564	0	0	3157
2.	Creation of Ministerial Staff for Traffic Unit	TRF	GNCTD-10.04.1997 MHA-25.08.2004	0	0	0	0	0	1	3	6	14	0	0	0	24
3.	Delhi Metro (Phase-I)	C&R	Direct MHA on 12.03.2007	0	0	0	1	2	8	44	43	130	206	0	38	472
4.	Crime Against Women	SPUW AC	GNCTD-15.10.2004 MHA-03.06.2005	0	0	0	0	2	8	0	3	59	44	0	0	116
5.	Security of Protected Persons	SEC	MHA-02.5.2006	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
6.	For Escort Prisoners in 3rd Bn. DAP	3rd	GNCTD-18.10.1994 MHA-29.09.1999	0	0	0	0	0	5	0	0	110	1134	0	93	1342
7.	Narcotics and Crime Prevention Cell	C&R	GNCTD-29.10.2002 MHA-03.06.2005	0	0	0	1	0	3	0	3	40	46	0	4	97
8.	Creation of posts for managing rallies etc.	TRF	GNCTD-21.11.2003 MHA-03.06.2005	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100	0	0	110
9.	Delhi Police Band	4th BN.	GNCTD-10.04.1997 MHA-04.06.1998	0	0	0	0	0	1	2	0	5	62	0	0	70
10.	Supporting staff for Route Bn.	7TH	GNCTD-18.03.2004 MHA-03.06.2005	0	0	0	0	2	0	0	6	8	33	0	52	101
11.	Creation of Diplomatic Security Force	NDD	GNCTD-02.08.1999 MHA-14.02.2001	0	0	0	1	0	1	0	0	0	184	0	0	186
12.	Staff for Jammer	SEC.	GNCTD-09.07.1999 MHA-03.06.2005	0	0	0	0	0	4	0	1	2	4	0	0	11
13.	Proposal for creation of 2 posts of Addl. DCsP in 2 Distt. (West and East Distt.)	PHQ	GNCTD-09.10.2000 MHA-14.02.2001	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2

14.	Proposal regarding up gradation of posts of Const. (Bugler) by conversion the higher post from Executive Cadre	PHQ	GNCTD-27.02.2003 MHA-22.05.2009	0	0	0	0	0	0	1	3	6	0	0	0	10
15.	Proposal for creation of 28 additional posts in Delhi Police for manning the Hi-tech Security Systems installed at Supreme Court of India	Sec.	Direct MHA By Registrar, Supreme Court on 14.11.2008 again by MHA, on 28.05.2012	0	0	0	0	0	0	4	0	2	22	0	0	28
16.	Proposal for creation of 288 additional posts in Delhi Police for the security of Supreme Court of India	Sec.	Direct MHA on 08.09.2011	0	0	0	0	3	4	45	0	36	200	0	0	288
17.	Proposal regarding security for the functionaries of the Court in the CAT Building, New Delhi	NDD	Direct MHA on 24.07.2009	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	0	0	21
18.	Proposal for creation of 2 coys. To accompany MCD staff for removal of encroachment etc.	PHQ	Direct MHA on 03.02.2010	0	0	0	0	0	2	8	0	24	156	0	0	190
19.	Proposal for Security of Parliament House Complex.	Sec.	Direct MHA on 30.03.2007	0	0	0	0	3	10	36	61	88	155	0	0	353
20.	Proposal for creation of addl. Posts of camed guard for security of currency chest.	1st Bn. DAP	GNCTD-01.08.2011 MHA-04.10.2011	0	0	0	0	0	0	0	0	62	248	0	0	310
21.	Proposal reg. upgradation of 299 posts of ASI (WO) for promotion avenue.	Comn.	GNCTD-10.11.2009 MHA-07.02.2011	0	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0	0	299
22.	Proposal for creation of additional post for providing adequate security at Karkardooma Court	East	GNCTD-11.12.2012 MHA-18.12.2012	0	0	0	0	0	1	1	35	43	264	0	0	344
23.	Proposal for creation of posts of prosecution Staff attached with various Magisterates/Prosecutors etc.	PHQ	GNCTD-04.03.2010 MHA-17.09.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	441	441	0	0	882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24.	**Proposal for creation of Police Post at Sector-I Dwarka in the jurisdiction of PS Dwarka South, South West Distt.**	**SW**	**GNCTD-28.02.2012 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**19**	**45**	**0**	**1**	**68**
25.	**Proposal for creation of posts for PP at New Sectt., Complex, GNCTD under PS IP Estate.**	**CD**	**GNCTD-08.01.2001 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**19**	**45**	**0**	**1**	**73**
26.	**Proposal for creation of a permanent police post Old Seelam pur under P.S. Krishna Nagar.**	**East**	**GNCTD-12.04.2004 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**5**	**22**	**46**	**0**	**1**	**75**
27.	**Proposal for creation of posts for the Police Post Bakkarwala under the jurisdiction of Police Station Mundka,**	**WD**	**GNCTD-05.08.2003 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**4**	**40**	**0**	**2**	**50**
28.	**Proposal regading creation of addl. Posts of Communication Unit.**	**COMN**	**GNCTD-18.08.2003 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**1**	**4**	**8**	**32**	**506**	**472**	**862**	**97**	**0**	**4**	**1986**
29.	**Proposal for up-gradation of post of Constables of Mounted Cadre of Delhi Police.**	**P&L**	**GNCTD-16.11.2001 MHA-13.07.2006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**8**	**9**	**28**	**68**	**0**	**0**	**115**
30.	**Implementation of Padamanabhaiah Committee reports Provision of Ambulance Vans for each Police**	**P&L**	**GNCTD-25.11.2002 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**31**	**10**	**526**	**821**	**301**	**0**	**0**	**1699**
31.	**Revised Proposal for the creation of posts of Vet. Surgeon and para medical staff for giving medical aid to the Mounts of Delhi Police.**	**P&L**	**GNCTD-02.06.2006 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**10**
32.	**Proposal for the conversion of the post of Education Advisor to a post of DCP/ Welfare in Delhi Police.**	**P&L**	**GNCTD-15.04.2004 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

33.	Proposal reg. creation of women police for telephone No. 100 in PCR	PCR	GNCTD-05.01.2000 MHA-28.05.2012	0	0	0	0	0	5	5	10	33	60	0	0	113
34.	Proposal for creation of women police for Law and order duties.	PHQ	GNCTD-12.08.1999 MHA-28.05.2012	0	0	0	0	0	1	5	130	631	1218	0	0	1985
35.	Proposal for creation of addl posts for setting up a separate SC/ST Cell	PHQ	GNCTD-04.02.2000 MHA-28.05.2012	0	0	1	1	3	11	4	12	21	29	0	0	82
36.	Proposal regarding creation of addl. Posts of Lecensing Branch and DE Cell of Delhi Police.	PHQ	GNCTD-06.01.2005 MHA-28.05.2012	0	0	0	0	11	17	59	18	103	97	0	3	308
37.	Proposal for creation of 27 posts of ACsP i.e.14 ACsP (Min.) and 13 ACsP (women)	PHQ	GNCTD-14.09.2001 MHA-28.05.2012	0	0	0	0	27	0	0	25	90	88	0	0	230
38.	Proposal for creation of post for setting up of Disaster Management Centres in Delhi Police	PHQ	GNCTD-17.04.2003 MHA-28.05.2012	0	0	0	0	3	9	27	0	27	216	0	0	282
39.	Proposal for restructuring of Computer Cadre in Delhi Police	PHQ	GNCTD-10.01.2003 MHA-28.05.2012	0	0	1	2	5	13	24	0	0	0	0	0	45
40.	Proposal for setting up of one Unit headed by a Suptdg. Engineer of Delhi PWD under the control of C.P., Delhi for the maintaining and repairing of major and minor work of Delhi Police	PHQ L&B CELL	GNCTD-26.07.2004 MHA-28.05.2012	1	1	1	2	2	17	0	9	10	53	27	0	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41.	**Revised Proposal for creation of 79 posts of complementary staff for High Security Zone in RP. Bhawan.**	**RPB**	**GNCTD-07.02.2006 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**13**	**13**	**47**	**0**	**0**	**79**
42.	**Proposal reg. creation of posts in SB on various subjects i.e. Vigilance Cell. Training School, Communal Section land 3 Zones.**	**SB**	**GNCTD-05.11.2011 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**25**	**188**	**8**	**97**	**65**	**0**	**5**	**392**
43.	**Reg. Declaration of Spl. Cell (SB) as separate Head of Office-requirement of Ministtrial Staff.**	**SB**	**GNCTD-13.03.2002 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**10**	**29**	**36**	**3**	**0**	**1**	**81**
44.	**Proposal reg. security arrangement at Old Sectt. The site of Delhi Legislative Assembly**	**SEC.**	**GNCTD-29.03.2006 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**18**	**0**	**61**	**141**	**0**	**0**	**224**
45.	**Proposal for creation of Permanent Police Post at Bhikaji Cama Place New Delhi under PS R.K. Puram**	**SWD**	**GNCTD-30.08.1999 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**8**	**34**	**0**	**0**	**46**
46.	**Regarding proposal for creation of posts for setting up a Tourist Police Unit Delhi Police**	**TRF**	**GNCTD-03.09.2002 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**21**	**69**	**10**	**71**	**89**	**0**	**1**	**266**
47.	**Proposal regarding creation of Central Process serving cell in Traffice Unit.**	**TRF**	**GNCTD-12.01.2015 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**11**	**1**	**14**	**143**	**0**	**0**	**170**
48.	**Proposal for creation of additional posts for Delhi Traffice Police to be deployed on Borders of the NCT of**	**TRF**	**GNCTD-27.10.2003 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129**	**18**	**121**	**315**	**0**	**0**	**583**

49.	**Proposal for escort vehicles alongwith posts of drivers for security unit of Delhi Police.**	**SEC.**	**GNCTD-17.01.2006 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**150**
50.	**Proposal for conversation of one post of inspr. (Tel.) to that of Inspr. (Mounted)**	**P&L**	**GNCTD-21.04.2006 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
51.	**Proposal for strengthening of Finance Wing of Delhi Police**	**PHQ**	**GNCTD-29.05.2008 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**	**0**	**26**
52.	**Proposal reg. filling up the post of PGTs and Leturers-Conversion of posts of Lecturers-Conversion of post of Lecturers and PGTs into**	**PTC**	**GNCTD-30.04.2007 MHA-28.05.2012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**
53.	**Proposal for creation of Physiotherapsts in Delhi Police**	**PTC**	**GNCTD-29.11.2013 MHA-21.01.2014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**8**
54.	**Proposal for creation of post of Draftsman in Delhi Police**	**TRF**	**GNCTD-30.09.2011 MHA-26.02.2014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**13**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53**
55.	**Proposal for creation of 299 posts (2 Coy) for or providing security personnel to DISCOMs for checking Power theft.**	**PHQ**	**Direct MHA on 18.09.2014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**9**	**4**	**32**	**164**	**0**	**18**	**229**
56.	**Proposal for creation of 614 addl. posts for imple-menting/sregthening Justice System in Delhi**	**SPU-WAC**	**GNCT-24.3.2014 MHA-20.11.2014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**17**	**445**	**7**	**48**	**81**	**0**	**0**	**614**
57.	**Proposal for creation of 2328 posts of for 6 New Metro Police Stations namely Udhyog Nagar, Janak Pur, INA Metro, Central Secretariat, Lajpat Nagar and Mandi House Metro for Metro Phase-III**	**RLY & MET-RO**	**GNCT-6.8.2014 MHA-20.11.2014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**180**	**149**	**590**	**1216**	**0**	**171**	**2328**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58.	Proposal for creation of 795 posts for QRT in Delhi Metro	RLY & MET-RO	GNCT-10.9.2014 MHA-20.11.2014	0	0	0	0	0	0	54	107	212	422	0	0	795
59.	Proposal for creation of 3437 posts for 202 Police Assistance Booths at Metro Stations	RLY & MET-RO	GNCT-18.9.2014 MHA-20.11.2014	0	0	0	0	0	3	128	255	518	2343	0	190	3437
60.	Proposal for creation of 694 (587+102+5) posts for security around Parliament House in view of increased threat preception.	NDD	Proposal sent to MHA direct - 24.11.2014	0	0	0	0	0	5	24	27	185	417	0	36	694
61.	Proposal for creation of 373 posts for newly created District Jail at Mandoli, Delhi.	3rd Bn.	GNCT-30.09.2014 MHA-10.12.2014	0	0	0	0	1	2	7	3	90	266	0	4	373
62.	Proposal for creation of 200 posts (now revised for 51 Posts) of W/SI (Exe.) for setting up ONE STOP CENTRE.	SPU-WAC	GNCT-18.3.2014 revised proposal to GNCT-18.12.2014 MHA-5.01.2015	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	51
63.	Proposal for creation of 120 additional posts for security of Districe Court Saket (Part-II)	SD	Proposal sent to GNCT vide this Hdqrs. No. 854/Estt. (I)/PHQ, dated 14.01.2015 and forwarded to MHA by GNCT vide letter No. F. 13/19/2011/HP. I/Estt./6660, dated 12.02.2015	0	0	0	0	0	0	3	4	19	94	0	0	120
64.	Proposal for creation of 347 posts to increase the sanctioned strength of	Sec.	Proposal sent to direct MHA vide this Hdqrs. No. 2094/Estt.	0	0	0	0	0	3	46	28	141	111	0	18	317

	Delhi Police Security Staff for the Pt. House Estate.		**(AC-Units)/PHQ, dated 18.02.2015**													
65.	**Proposal for creation of Police Post at GTB Hospital Complex under Police Station GTB Enclave**	**NE**	**Proposal sent direct MHA vide this Hdqrs. No. 2975/Estt. (I)/PHQ, dated 09.03.2015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**7**	**21**	**52**	**0**	**5**	**86**
66.	**Proposal for creation of 480 posts for new Police Station South Avenue**	**NDD**	**Proposal sent direct MHA vide Letter No. 3004/Estt. (I)/PHQ, dated 10.3.2015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**50**	**7**	**115**	**297**	**0**	**4**	**480**
67.	**Proposal for creation of 33 posts for creation of new Police Posts JJ Colony Bawana under PS Narela**	**OD**	**Proposal sent to GNCT vide this Hddrs No. 17165/Estt.(I)/PHQ, dated 28.11.2014 and forwarded to MHA by GNCT vide letter No. F.13./13/2014/HP-I/Estt./7100, dated 10.03.2015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**8**	**20**	**0**	**1**	**33**
68.	**Proposal for creation of 249 posts for 5 Police Posts i.e. Sec. 11, Rohini, Sanjay Gandhi Memorial Hospital Mangol Puri, DSIIDC Bawana, DSIIDC Narela and Prem Nagar in Outer District**	**OD**	**Proposal sent to GNCT vide Letter No. 1485/Estt.(I)/PHQ, dated 05.02.2015 and forwarded to MHA by GNCT vide No. F.13./1/2015/HP-Estt. 7103, dated 10.03.2015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**11**	**22**	**62**	**139**	**0**	**12**	**249**
69.	**Proposal for creation of 484 posts for new Police Station North Avenue**	**NDD**	**Proposal sent direct. MHA vide this Hdqrs. No. 3248/Estt.(I)/PHQ dated 13.03.2015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**38**	**22**	**134**	**260**	**0**	**27**	**484**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70.	**Proposal for creation of 56 posts of Dy I.A. and 181 Asstt. I.A. in Delhi Police**	**PHQ**	**Proposal sent to GNCT vide this Hdqrs. No. 2099/Estt.(I)/PHQ, dated 19.02.2015 Proposal again sent to MHA vide Letter No. 3750/Estt.(I)/PHQ, dated 24.03.2015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**237**	**0**	**237**
71.	**Proposal for creation of 455 additional posts for the security around PMO and MPs residence area**	**NDD**	**Proposal sent to MHA direct - 12.02.2015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**22**	**66**	**328**	**0**	**24**	**455**
			Total (C)	**1**	**1**	**4**	**16**	**108**	**322**	**3423**	**2433**	**10063**	**11353**	**312**	**719**	**28755**
	Total With MHA (A+B+C)			**1**	**1**	**6**	**21**	**139**	**545**	**5844**	**3494**	**15356**	**19355**	**337**	**812**	**45911**
	Total With GNCTD			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Grand Total			**1**	**1**	**6**	**21**	**139**	**545**	**5844**	**3494**	**15356**	**19355**	**337**	**812**	**45911**

80 Proposal (cadre wise) Main

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE : DELHI

F.No. 1569/Misc./39917-28/C&T (AC-VI)/PHQ Dated 22/10/14

To

The Addl. Commissioners of Police,

Dy. Commissioners of Pollee,

All Distts. & P.C.R., Delhi/New Delhi

Subject :- Regarding safety and security measures for Night Shelters designated for women.

******

Memo.

Enclosed please find herewith photocopy of letter No. F. 06/NS/DUSIB/216/2014/Part file/D-656 dated 13.10.2014 alongwith its enclosures, received from Director (Night Shelter), Delhi Urban Shelter Improvement Board, Govt. of N.C.T., Delhi, Punarwas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi, which is self explanatory regarding safety and security measures for Night Shelters designated for women.

It is, therefore, requested that the SHOs and Zone Incharge of PCR Unit may kindly be directed to inspect the Night Shelters of their respective areas regularly. Besides, W/Constable may also be directed to inspect the nearby Night Shelters which have been designated for women.

This may be given PRIQRITY.

(PRIYA MITRA KAUSHIK) ACP/C&T
FOR DY. COMMISSIONER OF POLICE
HEADQUARTERS, DELHI

Encls : **As-above.**

F.No. 1569/Misc./39929/C&T (AC-VI)/PHQ Dated 22/10/14

Copy to Director (Night Shelter), Delhi Urban Shelter Improvemen Board, Govt. of N.C.T., Delhi, Punarwas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi w.r.t. hi letter No. F.06/NS/ DUSIB/216/2014/Part file/D-656 dated 13.10.2014 for information.

Sd/-
(PRIYA MITRA KAUSHIK) ACP/C&T
FOR DY. COMMISSIONER OF POLICE
HEADQUARTERS, DELHI

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD

GOVT. OF NCT OF DELHI

Punarwas Bhawan
I.P. Estate, New Delhi-110002

No. : F-ob/NS/DUSIB/216/2014/Portfilip/D-656 Dated : 13/10/2014

To

Sh. Ravinder Garg (DANP),
Nodal Officer, Addl. Dy. Commissioner of Police
North District, Office of Dy. C.P. (North)
Civil Lines, Delhi-l10002

Sub:- Regarding safety and security measures for Night Shelters designated for women.

Sir,

It is brought to your notice that Competent Authority, DUSIB had designated eleven more Night Shelters speclatlv for women in addition to existing nine Night shelters for women, Government must ensure that all the facilities Including security being provided to the users of the Night Shelters are sustained through out the year so that they must have a safe, secure and comfortable environment in all the Night Shelters.

In order to maintain law and order in these Night Shelters for women, necessary Instructions may kindly be Issue to Area SHO and PCR Units to Inspect the Night Shelters of their respective areas regularly. Besides lady constable may also be directed to inspect the nearby Night Shelters which have been deslqnated for women.

A list of existing nine Night Shelters for women and eleven newly desglinated Night Shelters is enclosed for your ready reference.

(Kamal Malhotra)
Director (Night Shelter)

Copy to:-

1. P.S. to C.E.O, DUSIB for kind information please.
2. P.S. to Member (Admn) for kind Information.
3. Commissioner of police (Delhi), Police Headquarters, I.P. Estate, New Delhi for information.
4. Concerned NGOs running Night Shelters for women.
5. Guard File.

(Kamal Malhotra)
Director (Night Shelter)

Existing Night Shelters already Designated for women

Sl. No.	Name of the Shelters Night	Name of NGO	Code No.	Capacity	District
1.	Communty Hall at Regar Pura karol Bagh	Indo Global Social Service Society	18	110	Central
2.	Munrika Near Masjld Sector 4 R.K. Puram	SPYM	94	50	South
3.	Mansrover Park-II	Humna People to People	125	50	North East
4.	Nizamudin Near Nella Gumbad	Shakti Shalini	123	50	South East
Sl. No.	Name of the Shelters Night	Name of NGO	Code No.	Capacity	District
5.	Jama Masjid-I	Centre for Equity Studies	99	50	Central
6.	Kali Mandir Sector-3 Rohini	Aman Vihar Resident Welfare Association	206	50	North West
7.	Jama Masjid-V	Sur Nirman	209	50	Central

Sl. No.	Name of the Shelters Night	Name of NGO	Code No.	Capacity	District
8.	Bangla Sahib-I	SPYM	-	50	New Delhi
9.	Bangla Sahib-II	SPYM	85	50	New Delhi
Newly designated Night Shelters for women					
1.	Akshardham Temple Near Metro Station	Janpahal	131	50	East
2.	Raja Garden	SPYM	119	50	West
3.	Kalkaji Mandir	All India Association for Women & Child Develooment	127	50	South East
4.	Hanuman Mandir Yamuna Bazar MCD Community Hall Ground Floor	Samartn–The Professional	177	60	Central
5.	Yamuna Pusta-II	Child Watch India	149	50	Central
6.	Dwarka Sector-3 Phase-II	New Indian Educational & Social Development Society	42	70	South West
7.	Anand Vihar Bus Termlinal-II	Asha Deep Foundation	214	50	Shahdara
8.	Mori Gate Terminal (porta cabin)-II	Beghar Foundation	210	50	Central
9.	Sarai Kale Khan-2	Prerna Social Development and Welfare Society	---	150	South East
10.	Property No. 8485 Khariyan Mohalla, Roshanara Road	Mohini Health Education Research Society	35	210	North
11.	Jag Pravesh Hospital (porta cabin)-II	Sofia Educational & Welfare Society	202	50	North East

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या-10 श्री एस.के. बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गा : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 10 प्रस्तुत है :-

क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) व्यापार एवं कर विभाग द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 व 31.05.2015 तक कितने व्यापारियों का कितना बकाया राशि का भुगतान किया है, इसका वर्षवार विवरण क्या है;

(ख) विभाग के पास कितनी बकाया राशि लंबित है;

(ग) व्यापार एवं कर विभाग में वर्ष 2013-14, 2014-15 व 10.06.2015 तक कितनी व्यापारियों ने आपत्ति दर्ज कराई;

(घ) उक्त में से कितनी आपत्तियों का निपटान किया है; और

(ङ) कितनी आपत्तियां लंबित हैं, इसका पूर्ण विवरण क्या है?

अध्यक्ष महोदय : उप-मुख्यमंत्री जी।

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या-10 का उत्तर प्रस्तुत है:-

(क) व्यापार एवं कर विभाग द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 में 31.05.2015 तक का व्यापारियों की बकाया भुगतान राशि का वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार से है :-

2013-14 : व्यापारियों की संख्या-5989, रिफंड की संख्या-15,435, रिफंडों की कुल राशि 323.06 करोड़ रुपए।

2014-15 : व्यापारियों की संख्या, 5,310, रिफंड की संख्या-11,541 और रिफंड की कुल राशि 291.07 करोड़ रुपए।

2015-16 में 31.05.2015 तक : 547 व्यापारियों की संख्या, रिफंड की संख्या-1,422 और राशि 49.93 करोड़ रुपए।

उपरोक्त विवरण में दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर की छठी अनुसूची में दिए गए संगठन जैसे राजदूतावास आदि का रिफंड भी शामिल है।

(ख) विभाग के पास लंबित बकाया राशि 31.05.2015 तक 3,324 करोड़ रुपए हैं।

(ग) व्यापार एवं कर विभाग में वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 में 10.06.2015 तक के लिए व्यापारियों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों की संख्या निम्नानुसार है :-

2013-14 में 13,454 आपत्तियां, 2014-15 में 39,577 आपत्तियां, 2015-16 में 10.06.2015 तक 7,262 आपत्तियां।

(घ) निपटान की गई आपत्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :-

2013-14 में 6,634, 2014-15 में 23,020 व 2015-16 में 10.06.2015 तक 4,461,

(ङ) 10.06.2015 तक कुल 36,930 आपत्तियां लंबित हैं जिनका विवरण इस प्रकार है- आपत्तियों का ब्यौरा देखें तो 15 लाख रुपए की मांग से ऊपर की संख्या 2,556, 15 लाख रुपए की मांग तक की संख्या 18,893, एसओएचए (3) फार्मों की कमी के कारण 1,612, मिसमैच 2ए-2बी 2,360 और वार्ड एसओएचए मिसमैच 2012-13: 11,509

उपरोक्त निपटान और लंबित आपत्तियों में 2013-14 से पहले दर्ज की गई आपत्तियां भी शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां जी, बग्गा जी supplementary कोई।

श्री एस.के. बग्गा : नहीं सर।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। प्रश्न संख्या-11 श्री पंकज पुष्कर जी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या-11 श्री पंकज पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्कर : माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से प्रश्न नंबर 11 प्रस्तुत है :-

क्या **समाज कल्याण मंत्री** जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेलों की निधि में स्थानांतरित स्पेशल कंपोनेंट प्लान की धनराशि को वापिस ले लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, यदि हां, तो इसका विवरण क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2010-11 व वर्ष 2011-12 के दौरान वापस लिये गये क्रमश: 240 करोड़ रुपये व 250 करोड़ रुपये को एस.सी.पी. के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिये आबंटित कर दिया गया है, यदि हां तो इसका विवरण क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त वापिस ली गई राशि किन स्रोतों से प्राप्त हुई है, इसका विवरण क्या है;

(ङ) क्या इस वापस ली गई धनराशि लैप्स हो सकती है, यदि हां, तो इसका विवरण क्या है;

(च) यदि उक्त धनराशि लैप्स नहीं हो सकती तो इसके किन योजनाओं/कार्यक्रमों में खर्च किया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री महोदय (श्री संदीप कुमार) : अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 11 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) राष्ट्रमंडल खेलों की निधि में अनुसूचित जाति के लिये डिविजनल कैटेगरी में आरक्षित राशि जिसका सीधा लाभ अनुसूचित जाति वर्ग को प्राप्त होता है, अ.जा/ज.जाति/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा कोई स्थानांतरण नहीं किया गया। वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 के दौरान रुपये 678.91 करोड़ ईन डिविजनल कैटेगरी में इस अनुमान के अनुसार Flow of fund under SCSP में विभिन्न परियोजनाओं में दर्शाया गया था जिसका लाभ अनुसूचित जाति वर्ग भी प्राप्त करते हैं।

(ख) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं होता।

(ग) विभिन्न योजनाओं के लिये बजट का प्रावधान योजना/वित्त विभाग द्वारा किया जाता है। निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में सुधारात्मक कदम उठाते हुए वर्ष 2010-11 में अनुमान के अनुसार इन डिविजनल कैटेगरी में रुपये 241.03 करोड़ दर्शाये गये। वर्ष 2011-12 के उपरांत नई स्कीमों/चल रही स्कीमों में आबंटित राशि में डिविजनल कैटेगरी में वृद्धि कर लगभग 285.17 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ सीधा अनुसूचित जाति वर्ग को प्राप्त हुआ।

(घ) योजनाओं के लिये राशि का प्रावधान योजना/वित्त विभाग द्वारा वार्षिक बजट में किया जाता है।

(ङ) योजना आयोग की दिशा निर्देशानुसार अनुसूचित जाति वर्ग के लिये डिविजनल कैटेगरी में आबंटित राशि लैप्स नहीं होती।

(च) डिविजनल कैटेगरी में आबंटित राशि को अनुसूचित जाति वर्ग के लिये कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेन्टरी।

श्री पंकज पुष्कर : माननीय अध्यक्ष महोदय ये सामान्य जानकारी में है कि ऐलोकेट

होता है कि Schdule Cast Special Components के लिये जो अनिवार्यत: बजट ऐलोकेट होता है वो कॉमन वेल्थ गेम्स के समय उसका डाईवर्जन हुआ था। माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से प्रश्न पैदा होता है कि उसको लेकर हमारी वर्तमान सरकार की अभी जो वित्तीय वर्ष में जो पैसा Schdule Cast Special Components प्लान्टस का डाइवर्ट हुआ है, क्या उसका वापिस आया है ऐसा आर.टी.आई. के उत्तर से पता चलता है। लेकिन ऐसा किस तरीके से आगे के लिये प्रावधान हो रहा है, यह मेरा पूरक प्रश्न है।

दूसरा पूरक प्रश्न इसके उत्तर के बाद मैं निवेदन करूंगा।

समाज कल्याण मंत्री महोदय : अध्यक्ष महोदय इसमें जैसे कि मैंने बताया कि डिविजनल कैटेगरी में जो फंड आरक्षित होता है, वह अनुसूचित जाति पर ही खर्च किया जाता है, किसी और में स्थानांतरित नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : हां, जी पुष्कर जी लास्ट

श्री पंकज पुष्कर : माननीय महोदय अनुसूचित जाति के विशेष स्पेशल कम्पोनेंटस का पैसा डाईवर्ट न हो सके, इस बात को संज्ञान में रख कर कर्नाटक और दो विधानसभाओं में इस पर एक्ट निर्धारित किया गया जिस पर कि वो अनिवार्य रूप से केवल अनुसूचित जाति...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पुष्कर जी, एक सैकिण्ड माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पैसा डाइवर्ट नहीं किया न डाइवर्ट किया जाता। इसलिये प्रश्न उठता ही नहीं।

श्री पंकज पुष्कर : दरअसल यह सूचना एकत्रित जांच की मांग करती है।

समाज कल्याण मंत्री महोदय : सर, इसमें काफी बड़ा विषय है। मैं विधायक साहब से विनती करता हूं कि मेरे चैम्बर में आ जायें सारा डिस्कशन करके बता देंगे। उनको लिखित में भी दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री पंकज पुष्कर : डाइवर्जन न हो सके और जो एक व्यू-ऐलोकशन है वो हो। उसके लिये क्या किसी एक्ट को लाने के लिए सरकार की तरफ से प्रस्ताव लंबित है, विचारणीय है।

समाज कल्याण मंत्री महोदय : सरकार इस दिशा में काफी महत्वपर्ण कदम उठा रही है और इसमें योजनाएं बनाई जा रही हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी और हमारे सी.एम. साहब भी अनुसूचित जाति को लेकर बहुत संवेदनशील हैं और जो भी पैसा अनुसूचित जाति के लिये आता है, वह उनके उपयोग हेतु सुरक्षित रहे इस दिशा में सारी चीजें बिल्कुल प्रक्रिया में है, गाईडलाईन में हैं और यह सारी चीजें धीरे-धीरे सबके सामने आ जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 12 श्री ओम प्रकाश शर्मा जी।

श्री ओम प्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से प्रश्न नंबर 12 प्रस्तुत है :-

क्या **उप मुख्यमंत्री** जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) दिल्ली की कुल जनसंख्या कितनी है तथा दिल्ली में पानी के कितने कनेक्शन हैं;

(ख) दिल्ली जल बोर्ड प्रति व्यक्ति पानी सप्लाई करता है तथा दिल्ली में पानी की चोरी का प्रतिशत कितना है;

(ग) सरकार पानी की चोरी को रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार ने मुफ्त पानी देने का वायदा किया था; और

(ङ) यदि हां, तो कितने लोगों को गत तीन माह में मुफ्त पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है?

उप-मुख्यमंत्री महोदय : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 12 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) दिल्ली की जनसंख्या करीब 180 लाख है व करीब 21.59 लाख जल कनैक्शन हैं।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड औसतन प्रति व्यक्ति 225 लीटर पानी की सप्लाई करता है। नवीनतम बिलिंग आंकड़ों के अनुसार गैर राजस्व जल (Non Revenue Water) अंदाजन 48 प्रतिशत है जिसमें फिजिकल लॉस, सार्वजनिक पानी के माध्यम से दिया गया मुफ्त पानी, ट्यूबवैल व अनाधिकृत टेपिंग से चोरी/जल कनैक्शन आदि के मामले शामिल हैं।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड ट्रांसमिशन लॉसेज व लीकेज को कम करने में प्रयासरत हैं। अनाधिकृत चालान किये जाते हैं व यह चालान स्पेशल मैट्रोपोलिटयर मजिस्ट्रेट के द्वारा पेश किया जाता है जिसकी सुनवाई करने के प्रश्चात जुर्माना भी लगाते हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली जल बोर्ड द्वारा हाल ही में अनाधिकृत जल कनैक्शनों को नियमित करने की स्कीम भी लाई गई है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। साथ ही सरकार द्वारा विकास शुल्क में राहत देने हेतु सीमित समय के लिये स्कीम मंजूर की गई है। जिसकी अधिसूचना की गई है जिससे नये कनैक्शन एवं अनाधिकृत कनैक्शन को नियमित करना आसान हो जाएगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) 1.03.2015 से 21.06.2015 तक की अवधि के दौरान 7.04.819 उपभोक्ताओं/ परिवारों को लाभ मिला है।

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी पहले तो जल बोर्ड के चेयरमैन साहब ही यहां नहीं है लेकिन मेरा आपसे निवेदन यह है कि प्रश्न संख्या 12(ख) में पानी की चोरी का प्रतिशत कितना है, इसमें आपने सारी चीजें मिक्स कर दी हैं। यदि हमें यह मालूम होगा कि पानी चोरी कितनी हो रहा है तभी तो हम उसके लिये कोई योजनाएं बनाएंगे। इसलिए बाकी सब चीजों से मिक्स जो किया हुआ है उसको अलग करके पानी की चोरी कितनी है, उसको अलग करें और उसके लिये योजना बनाई जाए। दूसरा मुझे कहना है कि पानी पूरा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी Question करिये आप। सुझाव न दें।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : Question ही कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं Question नहीं किया आपने।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : पहले ही आप भांप लेते हैं क्या? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप?

अध्यक्ष महोदय : आप Question करिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अभी शनिवार के हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड जो पानी पूरा नहीं दे पा रहा है, उसकी वजह से लोगों के पेट में दर्द और बाल उड़ने की बहुत शिकायतें आ रही हैं। कुछ दिनों में मेरे जैसे और सिसोदिया जैसे हो जाएंगे उसको रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किया, कृपया बताएं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

उप मुख्यमंत्री महोदय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव मूल्यवान है

और उसका स्वागत है। जहां तक पानी की कमी का सवाल है, पानी जितना भी उपलब्ध हो पा रहा है, हरियाणा से थोड़ी-बहुत कमी रही है, पानी उपलब्ध है, उसका समुचित वितरण जल बोर्ड द्वारा पूरी शिदत्त से किया जा रहा है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : इसके लिये कुछ व्यवस्था करेंगे, कोई आश्वासन तो दे दीजिये आप कि इसके लिये आप कुछ अलग पैमाना बनायेंगे कि इतना हमारा जल चोरी हो रहा है और उसके लिये हम यह योजना बना रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री महोदय : जैसा मैंने कहा उनका यह सुझाव है। सवाल तो था नहीं। जवाब सारा दे दिया है।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

14. **श्री शिवचरण गोयल** : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र (सं. 25) के डी.डी.ए. पार्कों में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन पार्कों की बेहतरी के लिए सरकार कोई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसका पूरा विवरण क्या है?

उप मुख्यमंत्री : (क) यह सत्य नहीं है।

(ख) यह सत्य नहीं है।

(ग) हां।

(घ) इन पार्कों की चाहरदिवारी, पैदल पथ, बैठने के लिए बेंचस का प्रावधान

किया जा रहा है। मोतीनगर में दि.वि.प्रा. के सभी पार्कों की सूची, दो वर्षों में उनके रखरखाव व उन पर किया गया व्यय संलग्न है।

15. **श्री जगदीश प्रधान** : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि शब्दार्थ विज्ञापन एजेंसी को दिल्ली सरकार द्वारा अनुबंधित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त एजेंसी किस उद्देश्य के लिए अनुबंधित की गई है;

(ग) क्या इसके लिए सूचीबद्ध विज्ञापन एजेंसियों से निविदाएं प्राप्त की गई थीं;

(घ) यदि हां, तो किस आदेश/नियम के अन्तर्गत उक्त एजेंसी अनुबंधित की गई, इसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(ङ) शब्दार्थ विज्ञापन एजेंसी के अनुबंध का पूर्ण विवरण क्या है?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं है।

16. **श्री नितिन त्यागी** : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पुराना यमुना पुल जर्जर अवस्था में है;

(ख) यदि हां, तो इसके जीर्णोद्धार के लिए क्या योजना बनाई जा रही है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उक्त पुल के नीचे रेलवे ट्रैक को अन्यत्र स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई थी तथा उसका क्रियान्वयन 2006 में प्रारंभ हुआ था; और

(घ) उक्त कार्य अब तक पूरा न होने के क्या कारण हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली सरकार से संबंधित नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) उपरोक्तानुसार।

(घ) उपरोक्तानुसार।

17. **श्री राजेन्द्र पाल गौतम** : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत कितने बजट का प्रावधान किया गया है;

(ख) पिछली सरकार द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया;

(ग) क्या यह सत्य है कि पिछली सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 744-करोड़ रुपये की राशि को राष्ट्रमंडल खेलों हेतु व्यय कर दिया गया;

(घ) यदि हाँ, तो क्या उक्त राशि इस कार्य के लिए पुन: आवंटित कर दी गई है; और

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान और ट्राइबल सब प्लान का बजट लेप्स नहीं होता?

उप मुख्यमंत्री : (क) श्रीमान जी, चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट का प्रावधान योजना/वित्त विभाग दिल्ली सरकार द्वारा अभी सूचित किया जाना है।

(ख) वर्ष 2014-2015 में रुपये 697.04 करोड़ का स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत योजना/वित्त विभाग दिल्ली सरकार द्वारा प्रावधान किया गया था।

(ग) जी नहीं, राष्ट्रमंडल खेलों हेतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित राशि डिविजवल कैटेगरी से कोई भी राशि अ.जा./ज.जा./अ.पि.वि./अल्प संख्यक कल्याण विभाग द्वारा व्यय नहीं की गई।

(घ) उपरोक्त "ग" के अनुसार लागू नहीं होता।

(ङ) जी हां, योजना की दिशा निर्देशानुसार स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान का बजट लेप्स नहीं होता। ट्राइबल सब प्लान का दिल्ली में कोई प्रावधान नहीं है।

18. **श्री गुलाब सिंह** : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एक ही कार्य के क्रियान्वयन में कई-कई विभाग सम्मिलित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग अथवा डी.एस.आई.डी.सी. को मेन्टनेस आदि का कार्य न देने के क्या कारण हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) यह मानते हुए कि यह प्रश्न अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए है तो ये सत्य नहीं है पर एक विधान सभा क्षेत्र में कार्य की मात्रा एवं संबंधित विधायक की संस्तुति के मद्देनजर सड़क एवं नाली निर्माण कार्य हेतु संस्थाओं जैसे लोक निर्माण विभाग, डी.एस.एस.आई.डी.सी., सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा दिल्ली नगर निगम में से किसी एक संस्था को कॉलोनी विशेष में कार्य हेतु प्रशासनिक निर्णय द्वारा अधिकृत किया जाता है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) इन कॉलोनियों में संबंधित संस्थाओं के पास कार्योपरान्त रख-रखाव करवाने का संस्थागत ढांचा न होने की वजह से ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया।

19. **चौ. फतेह सिंह** : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की पुनर्वास कॉलोनियों में मालिकाना हक देने के लिए पिछली सरकारों द्वारा क्या नीति निर्धारित की गई थी;

(ख) वर्तमान सरकार की इस संबंध में क्या कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार न्यूनतम शुल्क जमा कर इन कॉलोनियों को मालिकाना हक प्रदान करेगी, यदि हां, तो कब तक?

उप मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली की पुनर्वास कॉलोनियों में मालिकाना हक देने के लिए पिछली सरकार द्वारा आबंटियों से सर्कल रेट के 5 प्रतिशत, 31 मार्च, 2007 तक के खरीदारों से 30 प्रतिशत एवं इसके उपरान्त के खरीदारों से 100 प्रतिशत जमीन की कीमत की राशि के भुगतान करने पर उन्हें मालिकाना हक देने की नीति निर्धारित की गई थी।

(ख) वर्तमान सरकार पिछली सरकार की नीति को बदलकर कम पैसे लेकर मालिकाना हक देने की नीति बना रही है, जिसका प्रस्ताव दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से स्वीकृत हो चुका है तथा अब आगे की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) उपरोक्तानुसार।

20. **सुश्री अलका लाम्बा** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में अध्यापकों/लैब सहायकों के कुल कितने पद रिक्त हैं;

(ख) सरकार की अध्यापकों की भर्ती से संबंधित क्या नीति है;

(ग) क्या रिक्त पदों को अनुबंधित आधार पर भरा जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या अनुबंधित नियुक्तियों में योग्य व विभाग में पहले से कार्य कर चुके अध्यापकों को प्राथमिकता दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो क्या वर्ष 1998-99 में अनुबंधित आधार पर कार्यरत अध्यापकों पर भी विचार किया जाएगा?

शिक्षा मंत्री : (क) अध्यापकों एवं लैब सहायकों के कुल रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

अध्यापकों के रिक्त पद 17038

लैब सहायक के रिक्त पद 140

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए भर्ती नियमों के अनुसार अध्यापकों की भर्ती की जाती है। **प्रति (क) पर संलग्न है।**

(ग) रिक्त पदों का डी.एस.एस.एस.बी. की कार्यप्रणाली द्वारा नियमित आधार पर भरा जाएगा, तब तक यह सभी पद आवश्यकतानुसार अनुबंधित एवं अतिथि अध्यापकों द्वारा भरे जाते हैं।

(घ) अतिथि अध्यापकों के लिए दिशा-निर्देश विभाग के परिपत्र दिनांक 13.05.2015 के द्वारा जारी किये जा चुके हैं, जिसकी **आदेश की प्रति (ख) पर संलग्न है।** तथा सर्व शिक्षा अभियान, दिल्ली ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2014-15 में अनुबंधित आधार के तहत कार्यरत टी.जी.टी. तथा सहायक अध्यापकों को पुन: नियुक्त किया जाएगा। **आदेश की प्रति (ग) पर संलग्न है।**

(ङ) जी नहीं।

RECRUITMENT RULES FOR THE LECTURER IN THE DIRECTORATE OF EDUCATION : DELHI ADMINISTRATION : DELHI

NOTIFIED VIDE NOTIFICATION F2(41)/72-S: II, DATED : 10/07/1975, AMENDED VIDE NOTIFICATION NO.F.2(19)/79-S-II DATED. 25/04/1981, AMENDED VIDE NOTIFICATION NO.F.27(3)/94-Edn.

DATED 26/02/1996. AND VIDE NOTIFICATION NO. F.27(3)/94-Edn. DATED 04/11/1999

Name of the post.	No. of posts.	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non selection post.
1	2	3	4	5
Lecturer (Excluding (i) Lecturer . (painting, Commercial Artr/ Graphic Sculpture/ Engineering Drawing) (ii) Lecturer (Music). (iii) Lecturer (Home Science/ Domestic Science). (iv) Lecturer (Physical Education).	6710* (1993) *Subject to variation dependent on work-load	Group 'C' Non-Ministerial Non-Gazetted	Rs. 1640-60-2000-EB-60-2300-EB-60-2600-75-2750-EB-75-2900	Selection

RECRUITMENT RULES FOR THE LECTURER IN THE DIRECTORATE OF EDUCATION : DELHI ADMINISTRATION : DELHI NOTIFIED VIDE NOTIFICATION F2(41)/72-S: II, DATED : 10/07/1975, AMENDED VIDE NOTIFICATION NO.F.2(19)/79-S-II DATED. 25/04/1981, AMENDED VIDE NOTIFICATION NO.F.27(3)/94-Edn.

DATED 26/02/1996. AND VIDE NOTIFICATION NO. F.27(3)/94-Edn. DATED 04/11/1999

Age limit for direct recruitment	Wheter benefit of added years of service admissible	Educational and other Qualification required for direct recruits
6	7	8
Below 36 years (Relax able in case of widows, deserted wives, Government servant and those teaching in Universities)	No	Essential : 1. Master's Degree (or its equivalent Oriental Degree in the case of P.G.T. Sanskrit/Hindi) in the subject concerned from any recognized University 2. Degree/Diploma in Training/Education "Qualification mentioned at S.No. 2 above relax able in the case of candidates: (i) Having obtained Ph. D. Degree in the subject concerned from a recognized University/ Institution; or (ii) having obtainted First Division in Higher

1	2	3	4	5

whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply In the case of promotees	Period of probation, If any	Method recti. whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
9	10	11
Qualifications to the extent mentioned in column No. 12, Age: No.	2 years	By direct retruitment-25% By promotion failing which by direct recruitment-75%

6	7	8
		Secondary, Degree and Post Graduate Examination with the mandatory condition that the candidate will acquire the BEd./BT. qualification within a period not exceeding three years from the date of his joining the service. **Desirable :** 3 years, experience of teaching in a College/Higher Secondary School/High School in the subject concerned.

In case of recti. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a DPC exists, what is Its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recuitment
12	13	14
Promotion : 1. TGT in the stale of Rs. 1400-2600/- (pre-revised) possessing. Post Graduate Diploma of 2 years duration in Science from Delhi University	Group 'C' Departmental Promotion Committee.	N.A.

9	10	11
	.	

NOTES:

1 The age limit for direct recruitment will be relax able in the case of Scheduled Castes/Tribes candidates and other special categories. of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central government.

2. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required.to be provided for Scheduled Castes and Schedule Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

3. No male candidate who has more than one wife living or no female candidate who has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator, Delhi may after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.

4. Where the Administrator is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of the rules with respect to a class or category of persons/posts.

NOTE : IN CASE OF ANY ERROR, PLEASE REFER TO THE GAZETTE NOTIFIED RR'S ALREADY AVAILABLE IN THE WEB-SITE OF THE DTE OF EDUCATION.

12	13	14
with. 5 years regular service in Grade. OR TGTs/Language Teachers in the scale of Rs. 1400-2600/-(pre-revised) possessing qualifications prescribed for direct recruitment and with 5 years regular service in the grade. 2. For the Posts of Lecturer in Hindi, Sanskrit, Punjabi etc. only Trained Graduate Teachers/Language Teachers in Sanskrit and in Modern Indian Language concerned will be considered for promotion in their respective subjects, For the Post of Lecturer in other subjects only Trained Graduate Teachers (Science 'A', Science 'B', Commerce, Agriculture and General) will be considered.		

RECRUITMENT RULES FOR THE LECTURER (PAINTING/COMMERCIAL ART/GRAPHIC/ SCULPTURE/ENGINEERING DRAWING) IN THE DIRECTORATE OF EDUCATION : DELHI ADMINISTRATION : DELHI NOTIFIED VIDE NOTIFICATION F2(41)/72-S. II, DATED : 27/02/73, AMENDED VIDE NOTIFICATION NO.F.2(41)/72-S-II DATED.28/06/1973, AMENDED VIDE NOTIFICATION NO.F. 2 (73)/82-S-II. DATED 02/02/1985 AND VIDE NOTIFICATION NO. F.27(3)/94-Edn. DATED 26/2/1996

Name of the post.	No. of posts.	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non selection post.
1	2	3	4	5
Lecturer l. Painting 2. Ccinmercial Art 3. Graphic 4. Sculpture 5.Engilieering Drawing	141* *Subject to variation dependent on workload	Class-III Non-Ministerial Non-Gazetted	Rs.1640-60-2000-EB-60-2300-EB-60-2600-75-2750-EB-75-2900 .	Selection

RECRUITMENT RULES FOR THE LECTURER (PAINTING/COMMERCIAL ART/GRAPHIC/ SCULPTURE/ENGINEERING DRAWING) IN THE DIRECTORATE OF EDUCATION : DELHI ADMINISTRATION : DELHI NOTIFIED VIDE NOTIFICATION F2(41)/72-S. II, DATED : 27/02/73, AMENDED VIDE NOTIFICATION NO.F.2(41)/72-S-II DATED.28/06/1973, AMENDED VIDE NOTIFICATION NO.F. 2 (73)/82-S-II. DATED 02/02/1985 AND VIDE NOTIFICATION NO. F.27(3)/94-Edn. DATED 26/2/1996

Age limit for direct recruitment	Educational and other Qualification required for direct recruits
6	7
Below 36 years (Relax able in case of widows, deserted wives, Government servant and those teaching in Universities).	1 (a) Painting (Class XI and XII) Any one of following : (i) (a) Bachelor in Fine Art; or, (b) Higher Secondary*/Intermediate/Sr. School Cerificate Exam. with minimum 5 years (Full Time) diploma in Fine Art/Painting/Drawing and Painting from a recognized Institute/University. (ii) Graduate witli Drawing and Painting as one of the subjects with minimum 4 years (Full Time) diploma from a recognized Institute/ University. (iii) Master's Degree in Fine Art/ Drawing and Painting with a minimum of 2 years (Full Time) diploma from a recognized Institute/University. **(b) Painting (Class IX and X)** (i) Higher Secondary*/Intermediate/ Senior School Certificate Exam, with minimum 4 years (Full Time)

1	2	3	4	5

6	7
	Diploma in Painting/Fine Art from a recognized Institute/University; Or B.A. with Drawing and Painting/Art/ Fine Art with minimum 2 years (Full Time) diploma from a recognized Institute; or M.A. in Drawing and Painting/Fine Art from a recognized University; or B.A. (Hons) in Art & Art Education, Jamia Milia Islamia, New Delhi **(ii) Commercial Arts (Class XI and XII)** Bachelor in Fine Art (with Commercial Art or Applied Art Specialization); or Higher Secondary:*/Intermediate/Senior School Certificate Examination with 5 years (Full Time Course) in Commercial Art from a recognized Institute/University. **(iii) Graphic (Class XI and XII)** Bachelor in Fine Art (with Graphic Specialization); or. Higher Secondary*/Intermediate/Sr. School Certificate Examination with minimum 5 years (Full Time) diploma in Painting/Commercial Art with Graphics as one of the Subjects. (iv) Sculpture (Classes XI and XII) Bachelor in Fine Art (with Sculpture Specialization); or Higher Secondary*/Intermediate/Sr. School Certificate Exam. With minimum 5 years (Full Time) diploma in Sculpture from a

1	2	3	4	5

6	7
	recognized Institute/University. (V) Engineering Drawing Any one of the following : (i) Master's Degree in Drawing & Painting with a recognized diploma/ certificate of minimum one year's duration provided the person has studied Geomegical/Mechanical Drawing in his course. (ii) Graduate in Engineering (preferably Mechanical) from a recognized University or institute established by law or equivalent degree. (iii) Graduate in Architecture from a recognized University or Institute established by the law provided he had offered Geometrical and Mechanical Drawing as one of the subjects in Higher Secondary for equivalent course. (iv) B.Tech. Education Degree from regional College of Education. (v) Graduate from a recognized University with one of the following possessing Drawing Teachers Diploma/Certificate provided he has studied Geometrical & Mechanical Drawing in the Graduation and/or Drawing Teacher Diploma/ certificate :- (a) Three years Full Time Diploma course (or five years part-time of the Art Department of the erstwhile Delhi Polytechnic) provided he had taken up the Refresher Course in the Delhi Polytechnic Delhi.

1	2	3	4	5

6	7
	(b) Four years Art Master's Course from the Government School of Arts, Chandigarh, Punjab (e) Holder of Diploma in Mechanical Engineering (3 Years course) from any State Board or Technical Education. Note: * High School, for existing teachers with 5 years full time diploma when High School was required qualification for entrances in diploma course. The list of diplomas/certificates recognized by the Central Board of Secondary/Education is given below : FOR FIVE YEAR'S DIPLOMA : 1. National Diploma of A.I.C.T.E. 2. Bachelor of Fine Arts Degree from a recognized University. 3. College of Art and Architecture, Hyderabad, (State Board of Technical, Education & Training, Andhra Pradesh). 4. School/College of Art and Craft, Lucknow, (Directorate of Industries, Uttar Pradesh/Culture Affairs and Scientific Research (UP) 5. Sir J.J. School of Art, Bombay (Government of Maharashtra) 6. Co1lege of Art and Craft, Calcutta (Directorate of Public Instructions, West Bengal) 7. College of Art and Craft Madras (Directorate of Industries, Madras) 8. School/College of Art and Craft, Patna. 9. Vishwa Bharti (West Bengal), Shanti Niketan 10. School/College of Art and Craft, Chandigarh, Punjab

1	2	3	4	5

6	7
	11. Registrar, Departmental Examination, Bikaner, (Govt. of Rajasthan provided the candidate attended full five years duration).
	FOR FOUR YEAR'S DIPLOMA :
	1. School/College of Art and Craft, Lucknow.
	2. College of Art and Craft, Chandigarh.
	3. Sir J.J. School of Art, Bombay
	4. Vishwa Bharti (West Bengal), Shanti Niketan
	FOR THREE YEAR'S DIPLOMA :
	1. Women's Polytechnic, Maharani Bagh, New Delhi.
	2. Sharda Ukil School of Art, Delhi.
	3. Delhi Polytechriic, Delhi
	4. Govemment Industrial Training Institute, (Jammu and Kashmir) Jammu.
	5. Drawing Teacher's Training Certificate in Fine Art and Craft awarded by Registrar, Departmental Examination, Government of Rajasthan, Bikaner.
	6. B.A./B.A. (Hons.) in Art and Art Education, Jamia Millia Islamia, New Delhi.
	FOR TWO YEAR'S DIPLOMA :
	1. School/College of Art and Craft, Lucknow.
	2. Directorate of Industrial Training Institute, Punjab, Chandigarh.
	3. Jamia Millia Islamia, New Delhi
	4. Directorate of industrial Training Institute, Haryana, Chandigarh.
	5. B.Ed., Degree/Diploma in Five Arts from Regional College of Education.

whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation, if any	Methodet rectt. whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10
Qualifications to the extent mentioned in No. 11. Age : No.	One year	By direct recruitment-25% By promotion failing which by direct recruitment-75%

NOTES :

1. The age limit for direct recruitment will be relax able in the case of Scheduled Castes/Tribes candidates and other special categories of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central government.
2. Nothing in these rules shall affect reservations and others concession required to be provided for Scheduled Castes and Schedule Tribes and Ather special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
3. No male candidate who has more than one wife living or no female candidate who has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator, Delhi may after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.
4. Where the Administrator is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of the rules with respect to any person/class or categary of persons/posts.
5. The crucial date for determining the age limit mention in column 6 of the recruitment rules will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment Exchange, we crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

NOTE : IN CASE OF ANY ERROR, PLEASE REFER TO THE GAZETTE NOTIFIED RR'S ALREADY AVAILABLE IN THE WEB-SITE OF THE DTE. OF EDUCATION.

In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recuitment
11	12	13
Promotion: Sr. Drawing teacher in scale of Rs. 1400-2600 possessing qualifications prescribed for direct recruits with regular service of 5 years in the grade	Class-III Departmental Promotion Committee.	N.A.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF LECTURER (HOME SCIENCE) IN THE DIRECTORATE OF EDUCATION : DELHI ADMINISTRATION : DELHI NOTIFIED VIDE NOTIFICATION NO. F2(41)/72-S. II, DATED : 27.02.1973, notification dated 28.06.1973 and notification no. F.27(3)/94-Edn/385 dated 26.02.1996

Name of the post.	No. of posts.	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non selection post.
1	2	3	4	5
Lecturer (Home Science /Domestic Science).	146	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1640-60-2000-EB-60-2300-EB-60-2600-75-2750-75-EB-2900	Selection

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF LECTURER (HOME SCIENCE) IN THE DIRECTORATE OF EDUCATION : DELHI ADMINISTRATION : DELHI NOTIFIED VIDE NOTIFICATION NO. F2(41)/72-S. II, DATED : 27.02.1973, notification dated 28.06.1973 and notification no. F.27(3)/94-Edn/385 dated 26.02.1996

Age limit for direct recruitment	Educational and other Qualification required for direct recruits
6	7
Below 36 years (relas able in the case of Widows, deserted wives, Government servants and those teaching Universitites).	(i) M.Sc. (Home Science) from a recognized University. OR (ii) B.Sc. (Home Science) B.Ed. from a recognized University provided the teacher has satisfac-torily pursued a condensed course in Home Science through three consecutive summer institutes or through one year evening course.

whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, If any	Method of rectt. whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10
Qualifications to the extent mentioned in column No. 11. Age : No.	One year	By direct recruitment-25% By promotion failing which by direct recruitment-75%

NOTES :

1. The age limit for direct recruitment will be relax able in the case of Scheduled Castes/Tribes candidates and other special categories of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central government.
2. Nothing in these rules shall affect reservations and others concession required to be provided for Scheduled Castes and Schedule Tribes and ather special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
3. No male candidate who has mare than one wife living or no female candidate who. has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator, Delhi may after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.
4. Where the Administrator is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of the rules with respect to any person/class or categary of persons/posts.
5. The crucial date for determining the age limit mention in column 6 of the recruitment rules will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment Exchange, the crucial date far determining the age limit will, in each case, be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

NOTE : IN CASE OF ANY ERROR, PLEASE REFER TO THE GAZETTE NOTIFIED RR'S ALREADY AVAILABLE IN THE WEB-SITE OF THE DTE. OF EDUCATION.

In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recuitment
11	12	13
Promotion : Sr. Drawing teacher in scale of Rs. 1400-2600 possessing qualifications prescribed for direct recruits with regular service of 5 years in the grade	Class-III Departmental Promotion Committee.	N.A.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF LECTURER (MUSIC) IN THE DIRECTORATE OF EDUCATION : DELHI ADMINISTRATION : DELHI NOTIFIED VIDE NOTIFICATION NO. F2(41)/72-S. II, DATED : 27.02.1973, Admended vide notification no. F-2 (41)/72-S.II dated 28.06.1973 vide notification no. F.2 (41)/72-S-II/Vol. II dated 22.03.1980 And vide notification no. F.27(3)/94-Edn/384 dated 26.02.1996

Name of the post.	No. of posts.	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non selection post.
1	2	3	4	5
Lecturer (Music)	26	Class-III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1640-60-2000-EB-60-2300-EB-60-2600-75-2750-EB-75-2900	Selection

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF LECTURER (MUSIC) IN THE DIRECTORATE OF EDUCATION : DELHI ADMINISTRATION : DELHI NOTIFIED VIDE NOTIFICATION NO. F2(41)/72-S. II, DATED : 27.02.1973, Admended vide notification no. F-2 (41)/72-S.II dated 28.06.1973 vide notification no. F.2 (41)/72-S-II/Vol. II dated 22.03.1980 And vide notification no. F.27(3)/94-Edn/384 dated 26.02.1996

Age limit for direct recruitment	Educational and other Qualification required for direct recruits
6	7
Below 36 years (Relaxable in case of wodows, deserted wives, Government servant and those teaching in Universities)	M.A. (Music) or M.(Music) of any recognized University : OR Sangeet Alankar (M.Milsic) from All India Gandharva Mahvidyalaya Mandal, Bombay–8 Years OR Sangeet Kovid (M. Music) Indira Kala Sangeet Vishawavidyalaya, Kheragarh - 8 years. OR Sangeet Praveeri (M. Music) the Prayag Sangeet Samiti, Allahabad - 8 years. OR Sangeet Nipun (M. Music) the Bhatkhande Sangeet Vidyapeeth, Lucknow–7 years OR Any degree which may be considered recognized by the body constituted by the University concerned. For the teachers recruited before 31st March, 1974 **(Class-11)** I. Higher Secondary with any of the following :- (i) Sangeet Visharad Examination of the Gandharva Mahavidyalaya Mandal, Bombay.

1	2	3	4	5

6	7
.	(ii) Sangeet Vid Examination of the Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya Kehragarh (M.P.) (iii) The Sangeet Prabhakar Examination of the Prayag Sangeet Samiti (Academy of Music) Allahbad (iv) Sangeet Visharad Examination of Bhatkhande Sangeet Vidyapeeth, Lucknow (previously Morris College of Hindustani Music, Lucknow). (v)* Final Examination of the Madhava Sangeet Mahavidyalaya Lashkar, Gwalior. (vi)* Highest Examination of Baroda State School of Music. (vii)* The final Examination of Shankar Ghandharwa Vidyalaya, Gwalior. (viii)* Sangeet Ratna Diploma awarded by the Director, Deptt. of Education, M.P. OR *The new diploma/degree awarded by the concerned Institutions/agencies in lieu thereof. II. In addition to the above at least 10 years experience of teaching music to Higher Secondary Classes in the number School of Board.

whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10
Qualifications to the extent mentioned in column No. 11. Age : No.	One year	By direct recruitment-25% By promotion failing which by direct recruitment-75%

NOTES :

1. The age limit for direct recruitment will be relaxable in the case of Scheduled Castes/Tribes candidates and other special categories of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central government.
2. Nothing in these rules shall affect reservations and others concession required to be provided for Scheduled Castes and Schedule Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
3. No male candidate who has more than one wife living or no female candidate who has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator, Delhi may after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.
4. Where the Administrator is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of the rules with respect to any person/class or categary of persons/posts.
5. The crucial date for determining the age limit mention in column 6 of the recruitment rules will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment Exchange, we crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

NOTE : IN CASE OF ANY ERROR, PLEASE REFER TO THE GAZETTE NOTIFIED RR'S ALREADY AVAILABLE IN THE WEB-SITE OF THE DTE. OF EDUCATION.

In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recuitment
11	12	13
Promotion : Music Teacher in the scale of Rs. 1400-2600 possessing qualifications prescribed for direct recruits with regular service of 5 years in the grade	Class-III Departmental Promotion Committee.	N.A.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF LECTURER (PHYSICAL EDUCATION) IN THE DIRECTORATE OF EDUCATION : DELHI ADMINISTRATION : DELHI NOTIFIED VIDE NOTIFICATION NO. F2 (3)/79-S. II, DATED : 07.05.1979, Amended vide notification no. F.2 (75)/82-S.II dated 28.11.84 and vide notification No. F.2(27)/94. Edn./386 Dated 26.02.96

Name of the post.	No. of posts.	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
Lecturer (Physical Education)	-	Group 'C' Non-Ministerial Non-Gazetted	Rs. 1640-60-2000-EB-60-2300-EB-60-2600-75-2750-75-EB-2900

whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct or by promotion by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10
Educational qualifications : Yes Age : No.	2 year	By promotion failing which by direct recruitment-75% By direct recruitment-25%

NOTES :

1. The age limit for direct recruitment will be relax able in the case of Scheduled Castes/Tribes candidates and other special categories of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central government.
2. Nothing in these rules shall affect reservations and others concession required to be provided for Scheduled Castes and Schedule Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
3. No male candidate who has mare than one wife living or no female candidate who has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the Administrator, Delhi may after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF LECTURER (PHYSICAL EDUCATION) IN THE DIRECTORATE OF EDUCATION : DELHI ADMINISTRATION : DELHI NOTIFIED VIDE NOTIFICATION NO. F2 (3)/79-S. II, DATED : 07.05.1979, Amended vide notification no. F.2 (75)/82-S.II dated 28.11.84 and vide notification No. F.2(27)/94. Edn./386 Dated 26.02.96

Whether Selection post or non selection post.	Age limit for direct recruitment	Educational and other Qualification required for direct recruits
5	6	7
Selection	36 years and below (Relaxable in case of wodows, deserted wives, Government servant and those teaching in Universities)	Master's Degree in Physical Education from a recognized University.

In case of recti. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a DPC exists, what is Its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recuitment
11	12	13
Promotion : Physical Education Teacher in the scale of Rs. 1400-2600 having 5 years in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee.	N.A.

4. Where the Administrator is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of the rules with respect to any person/class or categary of persons/posts.

5. The crucial date for determining the age limit mention in column 6 of the recruitment rules will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment Exchange, we crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

NOTE : IN CASE OF ANY ERROR, PLEASE REFER TO THE GAZETTE NOTIFIED RR'S ALREADY AVAILABLE IN THE WEB-SITE OF THE DTE. OF EDUCATION.

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION : PLANNING BRANCH
(GUEST TEACHER CELL)
OLD PATRACHAR BUILDING, TIMARPUR, DELHI-110054

No. : DE 18-2 (11)/Plg./2015-16/442-447 Dated : 13-5-2015

CIRCULAR

Sub:- Engagement of Guest Teachers in Schools of Directorate of Education during session 2015-16.

The Directorate of Education, GNCTD has been engaging Guest Teachers on daily basis as a short term measure against the availability of suitable vacancies. The engagement of Guest Teachers are to be discontinued when the schools are closed for summer vacations, as their services are no longer required once vacations get declared.

Further, pending the policy decision on Guest Teachers and its implementation, the Directorate of Education would re-engage the same set of Guest Teachers for the session once schools will re-open after summer vacation. In view of the Orders of Govt. of NCT of Delhi No F, 19(01)/2014/S-IV/223-224 dated 16.02.2015 the Guest Teachers, generally be engaged in the same school, subject to the availability of vacancies and in case of non-availability, the Guest Teacher would first tried to be posted in the school within the same district, in any case within Delhi, Further, Guest Teachers who were found to be ineffective in their work and those who were found to be Indulging in derelication of duty, will not be considered for re-engagement.

In view of above, all the HoSs (including taken over schools) are hereby directed that engagement of all the Guest Teachers is to be discontinued w.e.f.

09th May, 2015 i.e. from the day the schools will be closed for Summer Vacation. All pay related dues of Guest Teachers must be cleared positively by 30.5.2015.

This issues with the prior approval of the competent authority.

Sd/-
(Vikram Singh)
Asstt. Director (Plg.)

To

All Hoss,

No. DE, 18-2(11)/Plg/2015-16/ Dated :

Copy to :-

1. PS to Pr. Secretary, Directorate of Education, GNCT of Delhi, Old Sectt, Delhi.
2. PS to Director, Directorate of Education, GNCT of Delhi, Old Sectt, Delhi.
3. All DDEs of concerned District.
4. OS (IT) to place the copy of above circular on portal.

Sd/-
(Vikram Singh)
Asstt. Director (Plg.)

OFFICE OF THE U.E.E. MISSION
I Floor, near Estate Branch, Department of Education
Distt. North Lucknow Road Delhi-110054
Ph. 23810361, 23810647
Email: spd-delhi@rediffmail.com

F.N.DE(29)UEEM/Access/2015-16/3489-99 Dated : 15-5-2015

CIRCULAR

Sub:- Engagement of Subject specific teacher (TGT) and Primary teachers working under SSA on contractual basis during the year 2015-16.

The Sarva Shiksha Abhiyan SSA has been engaging subject specific teachers (TGT) and Primary Teachers on contractual basis as a temporary measure against the increased enrollment of students in the Government Schools. The engagement of the said teachers are discontinued when the Schools are closed for summer vacation, as their services are no longer required once vacation gets declared.

SSA would re-engage the same set of contract teachers for the session, once the schools, re-open after summer vacation. In view of the order of Government of NCT of Delhi No. F. 19(01)/2014/S-IV223-224 dated 16.02.2015, the contract teachers, preferably be engaged in the same Schools, subject to the availability of vacancies (based on the students enrollment) and in case of non-availability of vacancy in the same School, the contract teacher would first be tried to be posted in the some other School within the same district, Further, the contract teachers who were found to be ineffective in their work and indulging in dereliction of duty, may not be considered for re-engagement.

In view of above, all the DPOs/DDEs are hereby directed to take fresh agreement from all the contract teachers whose initial contract was only upto 31.03.2015 but was extended upto 10.05.2015 vide order no. F.DE (29)/UEEM/SSA/Access/2015/9270-85 dated 26.03.2015. Their term of contract will be

w.e.f. 13.07.2015 to 31.03.2016 since MHRD approves the engagement of contract teachers for 10 months only.

This issues with the prior approval of the competent authority.

SPD-SSA
UEE Mission

Copy to :-

1. PS to Secretary (Edn.) Dte. of Edn., GNCT of Delhi, Old Sectt, Delhi.
2. PS to Director, (Edn.) Dte. of Edn., GNCT of Delhi, Old Sectt, Delhi.
3. All DPOs/DDEs of District.
4. O.S. (IT) to place the copy of above circular on portal.

SPD-SSA
UEE Mission

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

1. **श्री शिव चरण गोयल** : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोतीनगर विधान सभा क्षेत्र के एम.सी.डी. पार्कों के सौन्दर्यीकरण के लिए सरकार के पास कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के एम.सी.डी. पार्कों का सौंदर्यकरण कब तक कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस हेतु कोई योजना बनाने पर विचार करेगी?

उप मुख्यमंत्री : (क) मोती नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 243 नं. पार्क हैं, जिसमें से 166 नं. पार्क अलंकृत व 77 नं. पार्क साधारण है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत 05 नं. पार्कों का सौंदर्यीकरण करने की योजना हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 26 पार्कों का सौंदर्यीकरण करवाया गया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 07 पार्कों का सौंदर्यीकरण करवाया जायेगा।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) उपरोक्तानुसार।

2. **श्री शिव चरण गोयल** : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नगर निगम की पेंशन काफी समय से मोती नगर विधान सभा क्षेत्र के निवासियों को प्राप्त नहीं हो रही है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस हेतु क्षेत्रीय विधायक को इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस क्षेत्र के निवासियों को नगर निगम से कब तक पेंशन प्राप्त होनी प्रारम्भ हो जायेगी?

उप मुख्यमंत्री : (क) यह सत्य है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत सभी क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन भोगियों को जून, 2014 तक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम में वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान निगम पार्षद की संस्तुती से होता है।

(ग) उपरोक्तानुसार।

(घ) वित्त की उपलब्धता होने के पश्चात् ही वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जा सकता है।

3. **श्री ओ.पी. शर्मा** : क्या **उप मुख्यमंत्री** जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सत्य है कि दिल्ली में डी.डी.ए. द्वारा 2500 करोड़ की लागत से दस हजार से अधिक मकानों का निर्माण करने की योजना है; यदि हां तो

(ख) क्या इन मकानों के निर्माण के लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है; यदि हां तो

(ग) दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा इस योजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) हां।

(ख) अनापत्ति पत्र प्राप्त करने के लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग से जब बैठक की गई तब पर्यावरण विभाग ने कुछ आपत्तियां जाहिर की जिनका निवारण करने के बाद अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) डी.डी.ए. ने तीन भूखण्डों पर भवन निर्माण के प्रस्ताव पेश किये। बैठक के दौरान उपस्थित सदस्यों ने पूरे नरेला उप शहर का विकास योजना

मांगा गया था साथ ही जो Road Net Work है उस पर इन प्रस्तावित भवनों के निर्माण के बाद यातायात पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

4. **श्री ओ.पी. शर्मा** : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सत्य है कि अनधिकृत कालोनियों के विकास के लिए वर्तमान दिल्ली सरकार के पास कोई योजना है; यदि हां तो

(ख) क्या इन कालोनियों में पंजीकरण की सुविधा प्रदान कर दी गई है, और क्या-क्या सुविधायें दी गई हैं और क्या-क्या देनी है पूरा ब्यौरा दें?

मंत्री : (क) अनधिकृत कॉलोनियां जो दिल्ली सरकार में पंजीकृत है उनके विकास के लिए अनधिकृत कॉलोनी प्रकोष्ठ में विनियमन, 2008 और उसके बाद संशोधनों के तहत विकास कार्य हेतु प्लान स्कीम के तहत आवश्यक सुविधाएं जैसे सड़क, नाली, पानी, सीवर तथा स्ट्रीट लाईट पहुँचाने की व्यवस्था है।

(ख) वर्तमान में 1639 अनाधिकृत कॉलोनियों के विनियमन हेतु प्राप्त आवेदनों में से 312 कॉलोनियाँ जो कि प्रथम दृष्टया में निजी भूमि पर बनी पायी गई हैं, में ऐसी भूमि पर पंजीकरण की अनुमति नियमानुसार जारी की गई है।

5. **श्री नितिन त्यागी** : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सत्य है कि पूर्वी दिल्ली में पार्किंग की भारी समस्या है और निजी व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से प्राईवेट पार्किंग चलाते हैं जिससे कि सरकार को राजस्व की हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके पार्किंग स्थल बनाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या

कार्यवाही की जा रही है तथा क्या इसके लिए किसी प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसका पूर्व विवरण क्या है; और

(घ) क्या सरकार सभी पार्किंग स्थलों को सरकारी एजेंसियों को देने पर विचार कर रही है, यदि हाँ तो कब तक?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी, हाँ।

(ख) पूर्वी दिल्ली नगर निगम अधिकार क्षेत्र में जब भी अवैध पार्किंग के संबंध में कोई जानकारी/शिकायत इस विभाग में प्राप्त होती है तो उसे तुरन्त संबंधित पुलिस थाना व ट्रैफिक पुलिस विभाग को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी जाती है।

(ग) विगत 3 महीनों में निम्न स्थानों पर पार्किंग के दुरुपयोग संबंधित पत्र पुलिस को प्रेषित किए गए हैं :-

1. सर्विस रोड समीप अक्षरधाम।
2. मैक्स बाला जी अस्पताल, आई.पी. एक्सटेंसन।
3. गोकुल पुरी कॉलोनी।
4. मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर।
5. बी.एस.ई.एस. कड़कड़डूमा।
6. सर्विस रोड, भजनपुरा।
7. नॉदर्न इण्डिया इंजीनियरिंग कॉलेज, शास्त्री पार्क।

8. सर्विस रोड, समीप शाहदरा मेट्रो स्टेशन।

9. बाबरपुर रोड सुभाष पार्क समीप शाहदरा नॉर्थ जोन।

10. झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र।

(घ) लाभकारी परियोजना कक्ष पूर्वी दिल्ली नगर निगम अधिकार क्षेत्र में पार्किंग स्थलों का आबंटन निविदा के आधार पर करता है।

6. **श्री जगदीश प्रधान** : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि वर्तमान दिल्ली सरकार के पास सत्ता में आने के बाद दिल्ली में विकास कार्यों को शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं की संख्या तथा नाम क्या हैं; और

(ग) यह भी बताने का कष्ट करें कि उन पर कितना व्यय होगा और उनके पूर्ण होने की समयावधि क्या है?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली सरकार ने बजट 2015-16 में अनेकों नई योजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव सदन के पटल पर दिनांक 25 जून, 2015 को रखा है। उन नई योजनाओं के नाम जो दिल्ली सरकार अपने बजट भाषण के दौरान सदन में प्रस्तुत किया है। उनमें से कुछ मुख्य योजनाओं का विवरण संलग्न है।

(ग) इसका उल्लेख बजट भाषण में किया है जिसकी प्रति माननीय सदस्यों को 25 जून, 2015 को उपलब्ध करा दी गई है।

7. **सुश्री अलका लाम्बा** : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में स्थायी एवं अस्थायी कितने रात्रि विश्राम गृह हैं और उनमें पानी, बिजली शौचालय टी.बी., कूलर आदि क्या-क्या सुविधाएं हैं, इन विश्राम गृहों में कितने पुरुष एवं महिलाएं रहती हैं;

(ख) गृहहीन लोगों के लिए कितने मकान बनाए गए हैं और कितने मकान आवंटित किए जाने के लिए तैयार है;

(ग) सरकार द्वारा महिलाओं के लिए अलग से कितने विश्राम गृह बनाए गए हैं; और

(घ) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को आवासीय एवं व्यावसायिक संपदाओं से राजस्व की कितनी हानि हो रही है?

उप मुख्यमंत्री : (क) वर्तमान में 202 स्थायी व अस्थायी रैन बसेरों का संचालन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 89 स्थायी व 113 अस्थायी (पोर्टा केबिन व टेंट) है। इन रैन बसेरों में बिजली, पानी, पंखे, कम्बल, दरी व शौचालय इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध है। लगभग 3400 पुरुष व महिलाएं इन रैन बसेरों का उपयोग करते हैं। कुछ में टी.बी. एवं कूलर भी है।

(ख) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार गृहहीन लोगों के लिये रैन बसेरों की व्यवस्था करता है।

(ग) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा महिलाओं के लिए 19 रैन बसेरे बनाए गये हैं, जिनका संचालन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा किया जाता है।

(घ) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को आवासीय एवं व्यवसायिक संपदाओं से राजस्व की कोई हानि नहीं हो रही है क्योंकि अलॉटी एवं खरीददार द्वारा समय पर भुगान न कराने पर ब्याज सहित पैसा जमा कराया जाता है।

8. **श्री पंकज पुष्कर** : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सत्य है कि संगम विहार, वजीराबाद कॉलोनी सरकार द्वारा अधिकृत 895 कॉलोनियों की सूची में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कॉलोनी में सड़कों तथा नालियों की दशा सुधारने का कार्य किस विभाग द्वारा किया जाएगा;

(ग) क्या इस संबंध में कोई योजना बनाई गई है;

(घ) सीमा निर्धारण किए बिना उक्त कॉलोनी के विकास कार्यों को शहरी विकास विभाग द्वारा स्थगित किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त कॉलोनी के निवासियों को कब तक सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी?

(च) क्या यह सत्य है कि उक्त क्षेत्र में भू-माफिया सक्रिय है तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन के आसपास अवैध निर्माण किया गया है; और

(छ) दिल्ली नगर निगम द्वारा उक्त क्षेत्र में अवैध निर्माण रोकने के लिए कोई कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) हाँ, संगम विहार व वजीराबाद क्षेत्र की अधिकतर कॉलोनियाँ अधिकृत 895 कॉलोनियों की सूची में नहीं है।

(ख) उक्त कॉलोनियों में सड़कों तथा नालियों का दशा सुधारने का कार्य विधायक महोदय की संस्तुति, विनियमन 2008 और उसके पश्चात् किए गए संशोधनों के तहत तथा प्रशासनिक आदेशानुसार नगर निगम, डी.एस.आई.डी.सी., बाढ़ एवं नियन्त्रण विभाग और लोक निर्माण विभाग को से किसी एक संस्था के द्वारा करवाये जाने का प्रावधान है।

(ग) उक्त कॉलोनियों में विकास कार्य धन की उपलब्धता, कार्य की आवश्यकता तथा विनियमन 2008 और उसके पश्चात् किए गए संशोधनों के तहत करवाये जाने का प्रावधान है।

(घ) दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अनधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत फंड जो कि विभिन्न एजेंसीज जैसे नगर निगम, डी.एस.आई.डी.सी., बाढ़ एवं नियन्त्रण विभाग और लोक निर्माण विभाग द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क नाले आदि बनवाने के लिए इस्तेमाल करती है, इस फंड का इस्तेमाल अभी केवल वर्तमान कार्यों को पूरा करने के लिए ही किया जाएगा तथा नए कार्य करवाने बावत निर्णय किए गए विकास कार्यों के मैपिंग के पश्चात् तथा क्षेत्र के विधायक की संस्तुति पश्चात जाएंगे।

(ङ) दिल्ली सरकार ने पंजीकृत अनधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्य के मैपिंग का कार्य जारी है तत्पश्चात् फंड की उपलब्धता तथा करायी जाने वाली विकास कार्य को ध्यान में रखते हुए आगे विकास कार्य कराये जाएंगे।

(च) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अनुसार संगम विहार वजीराबाद अनाधिकृत कॉलोनी में 45 अवैध निर्माणों को डी.एम.सी. के प्रावधानों के तहत

बुक किया गया है। इन अनाधिकृत निर्माणों को डी.एम.सी. एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है तथा डी.एम.सी. एक्ट की धारा 344(2) के तहत पुलिस विभाग को अवैध निर्माण रोकने के आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह विभाग अवैध निर्माणों के पानी व बिजली के कनैक्शन काटने के लिए भी संबंधित विभागों को पत्र भेज दिए गए हैं।

9. **श्री राजेन्द्र पाल गौतम** : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार के गठन के बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सुन्दर नगरी, न्यू सीमा पुरी, ताहिर पुर तथा जी.टी.बी. अस्पताल के पास सरकारी भूमि तथा सड़कों पर अनधिकृत कब्जा किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से ये कब्जे नहीं हट पा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) सुंदर नगरी (ओ ब्लॉक) व न्यू सीमापुरी क्षेत्र में सड़क पर अतिक्रमण की शिकायत हमें माननीय विधायक श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी से मिली है।

जी.टी.बी. अस्पताल पर हमें इस तरह की कोई शिकायत लिखित में नहीं मिली है।

ताहिरपुर टी पॉइंट पर अतिक्रमण की शिकायत पूर्वी दिल्ली नगर निगम को कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

(ख) जी नहीं,

पूर्वी दिल्ली नगर निगम व दिल्ली पुलिस के सहयोग से सुंदर नगरी (ओ ब्लॉक) में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को एस.डी.एम. (सीमापुरी) के तत्वाधान में दिनांक 23.06.2015 को हटाया गया। अन्य स्थानों पर अतिक्रमण हटाने से सम्बन्धित कार्यवाही चल रही है।

(ग) उपरोक्तानुसार।

10. **श्री गुलाब सिंह** : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पिछले दिनों भारी बारिश व तूफान के कारण किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन किसानों को सरकार द्वारा कुछ मुआवजा दिया गया, यदि हाँ तो कितना; और

(ग) भविष्य में किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने एवं उनको उचित मुआवजा दिलवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी हाँ, इस वर्ष दिल्ली में बारिश एवं तूफान से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है।

(ख) दिल्ली सरकार ने प्रभावित किसानों को 20,000/- प्रति एकड़ क्षतिग्रस्त क्षेत्रफल के अनुसार मुआवजा देने का फैसला किया है, और मुआवजा की प्रक्रिया चल रही है।

अब तक 3379 किसानों को 4,75,09,334/- रुपये मुआवजे के रूप में वितरित किये जा चुके हैं।

(ग) दिल्ली सरकार किसानों के कल्याण हेतु भरसक प्रयत्न करती रहेगी।

11. **श्री ओ.पी. शर्मा** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पब्लिक स्कूलों के द्वारा की जा रही धांधली को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या दिल्ली के पब्लिक स्कूलों की फीस एक समान नहीं हो सकती है; और

(ग) दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में डोनेशन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और ई.डब्लु.एस. कोटे में योग्य छात्रों को इन स्कूलों में दाखिला मिले इसके लिए सरकार क्या कर रही है?

उप मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली में निजी मान्यता प्राप्त (अनुदान रहित) स्कूल दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम 1973 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के द्वारा संचालित होते हैं।

आम तौर पर, इन स्कूलों के खिलाफ शिकायतें बच्चों के प्रवेश में धांधली और माता-पिता से हद से अधिक शुल्क चार्ज करने के बारे में मिलती हैं। इस संबंध में निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, शिक्षा निदेशालय द्वारा समय-समय पर कदम उठाये गए हैं। 2007 में, शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए कुछ मापदंडों को सुनिश्चित कर, निजी स्कूलों को भी कुछ मापदण्ड निर्धारित करने की स्वतंत्रता के साथ, दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बाद में दाखिले प्रक्रिया को और सुचारू बनाने के लिए तथा निजी स्कूल में दाखिले में किसी भी संभावित अनियमितताओं को रोकने के लिए शिक्षा निदेशालय ने दिनांक 18.12.2013 और 27.12.2013 को जारी

अधिसूचना के तहत समान मापदंड तथा उसके अंक निर्धारित किये थे। लेकिन ये दिशानिर्देश, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं। जिसके खिलाफ विभाग ने आगे डबल बेंच में अपील की है जो विचाराधीन है।

जहाँ तक स्कूलों द्वारा अभिभावकों से अत्यधिक फीस वसूलने व अनुचित फीस वृद्धि के मामले का सम्बन्ध है, इस विषय में यह प्रस्तुत करना है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम 1973 में ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है जो स्कूलों की फीस को निर्धारित करे तथा फीस वृद्धि तथा फीस वृद्धि को रोके। हालांकि, शिक्षा निदेशालय ने समय समय पर विभिन्न तारीखों में (15.12.1999, 10.02.2005 और 11.02.2009) अनुचित फीस वृद्धि को रोकने के लिए तथा बच्चों से प्राप्त किये गए फीसों को खर्च करने के तरीकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके अलावा विभाग ने न्याय मूर्ति अनिल देव सिंह कमेटी का गठन किया है, जो छठे वेतन आयोग की संस्तुति को लागू होने के उपरांत हुई फीस वृद्धि के मामले की जांच कर रही है।

आगे कैपिटेशन फीस की मनाही के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उपबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए दिनांक 10.01.2014, 23.02.2015 को शिक्षा विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

इस दिशा में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दिल्ली सरकार ने आम जनता को निजी स्कूलों द्वारा मांग की गयी कैपिटेशन फीस के लिए समुचित सबूत एकत्र करने के लिए समाचार पत्र के जरिये दिनांक 27.02.2015 को जागरूक करने का प्रयास किया है। आगे विभाग ने दिनांक 01.06.2015 को सभी निजी स्कूलों को यह भी आदेश दिया है कि वे अभिभावकों को

मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दें ताकि अनियमितता में लिप्त स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाही की जा सके।

इस संबंध में एक प्रस्ताव दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 17, 18, 24 और 27 में और दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के नियम 145 में संशोधन, जोकि दिल्ली पब्लिक स्कूलों में शुल्क और प्रवेश को विनियमित करने हेतु है, जिसे आम जनता के सुझावों के लिए विभाग की बेवसाइट पर डाला गया है।

(ख) दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम व नियम, 1973 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) कैपिटेशन फीस शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के तहत निषिद्ध है। इस संबंध में समय-समय पर परिपत्र/निर्देश जारी किए गए हैं (10.01.2014 एवं 23.02.2015 के आदेश की प्रति संलग्न है) पब्लिक स्कूलों में कुल सीटों का 25% प्रवेश स्तर की कक्षाओं (प्री स्कूल, प्री प्राईमरी तथा पहली कक्षा) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/वंचित समूह श्रेणी के बच्चों के लिए आरक्षित हैं और इन सीटों पर दाखिला निजी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रबन्धन/मुख्य अध्यापक द्वारा किया जाता है। दाखिले के लिए आवेदकों की संख्या सीटों से ज्यादा होने पर दाखिले की प्रक्रिया लाटरी के जरिये विभाग के अधिकारी तथा अभिभावकों की उपस्थिति में की जाती है। इस संबंध में दिनांक 07.01.2011 को जारी दिशा-निर्देश की प्रतिलिपि संलग्न है।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION (ACT-I BRANCH)
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

No. F. DE/15/1031/ACT-I/Part-I/2013/20448-20452 Dated:10-01-2014

ORDER

Subject :- Prohibition of Donation/Capitation fee at the time of admission

The attention of all Unaided Private Recoghlzed Schools is herby invited towards the observation of the Hon'ble Delhi High Court's Order in WP(C) No. 8533/2010 and 263/2011 dated 19.02.2013, which reads as :-

"It is common knowledge that though-there Is obligation on the State to provide free and compulsory education to children and the corresponding responsibility of the institution to afford the same, educational Institution cannot be allowed to run as 'Teaching Shops' as the same would be detrimental to equal opportunity to children"

And towards the Provisions of Section 13 of the Right to Education Act 2009, which reads as :-

"13. No capitation fee and screening procedure for admission-

(1) No. school or person shal1, while admitting a child, collect any capitation fee and subject the child or his her parents or guardian to any screening procedure.

(2) Any school or person, if in contravention of the provisions of the sab-section (1) -

(a) receives capitation fee, shall be punishable with fine which may extend to ten times the capitation fee charged;"

All the Unaided Prfvate Recognized Schools are hereby directed to comply with the above provisions of the Right to Education Act, 2009 in letter and spirit and not to Indulge in the practice of demanding and accepting donation/capitation fee of any kind, directly or indirectly, while admitting a child, from parents.

Violation of the above previsions shall be dealt strictly and stern action against erring schools will be taken by imposing the penalty as per Section 13(2)(a) of the RTE Act 2009 and any other action as provided under the relevant Act and Rules.

Non-compliance of the order shall be viewed seriously.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Sd/-
(DR. MADHU TEOTIA, IAS)

ADDL. DIRECTOR OF EDUCATION (ACT-I)

To, The Manger/HOS, All Unaided recognized Schools.

No. F. DE/15/1031/ACT-I/Part-I/2013/20448-20452 Dated : 10-01-2014

Copy to :-

1. P.S. to Minister of Education, GNCT of Delhi.
2. P.S. to Pr. Secretary (Education), GNCT of Delhi;
3. P.S. to Director (Education), GNCT of DeIhl.
4. All Spl. Director/RDs/JDs/DDEs/ADEs/EOs of Directorate of Education, GNCT of Delhi for compliance in their respective jurisdiction.
5. O.S. IT with direction to upload on website of the Dte. Of Education, GNCT of Delhi.
6. Guard file.

(P. LATA TARA)
ASSTT. DIRECTOR (ACT-I)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION (ACT-I) BRANCH
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

No. F/DE(15)(27)/Act-I/2015/29150-29158 Dated : 23-02-2015

ORDER

Subject :- Prohibition of charging capitation fee at the time of admission in Private Unaided Recognized Schools of Delhi.

Section 2 (b) of RTE, Act 09 defines Capitation Fee as under :-

"Capitation fee means and kind of donation or contribution or payment other than the fee notified by the school."

Further, Section 13(1) prohibits taking of capitation fee which is as under :-

No capitation fee and screening procedure for admission : "No school or person shall, **while admitting a child,** collect any capitation fee and subject the child or his or her parents or guardian to any screening procedure."

If any school or person contravenes Section 13(1), it is liable to be penalized under section 13(2) (a) of the RTE Act, 09 which reads as under :-

Any school or person, if in contravention of the provisions of sub-section (1)-

(a) receives capitation fee, shall be punishable with fine which may extend to ten times the capitation fee charge;

In the light of above referred provisions, taking of capitation fee while admitting a child in the school is illegal and punishable, therefore, the managements of all Private Unalded Recognized Schools are, hereby, directed

not to charge any 'Capitation Fee' at the time of granting admission in their schools.,

Further, in order to maintain transparency in the admission process and also to make the general public aware of the provisions of RTE Act, 09 related to prohibition of charging capitation fee, following directions are issued for all the concerned for strict compliance :-

1. All Heads/Managers of Recognized Unaided Private Schools are hereby directed to get a flexi board fixed at the main entrance of their schools within three days of the issue of this order containing the information as per the specimen enclosed.

2. All the Unaided Private Recognized Schools shall send compliance report to this effect to Education Officer concerned on the very next date of fixing the said flexi boards.

3. The flexi board to be fixed shall have the minimum dimension of 4 feet x 3 feet and be placed at the height of approximately 5-6 feet above the ground level.

4. The base colour of the board shall be blue and the contents be written in white colour. It must be written in bilingual (Hindi & English) as per speclmen enclosed.

5. District DDEs shall monitor this exercise and send the final report of completion of this task within a week of issue of the order to ADE (Act-I) branch for appraisal of Hon'ble Minister (Education).

Non-compliance of the order shall be viewed seriously.

This issues with the prior approval of the Competent Authority.

Sd/-

ADDITIONAL DIRECTOR (ACT 1)

No. F/DE(15)(27)/Act-I/2015/29150-29158 Dated : 23-02-2015

1. All Districts DDEs
2. All Zonal Education Officers
3. HOSs/Managers of all unaided recognized private schools for compliance.

Copy for Information :-

1. Pr. Secretary of Chief Minister, Delhi
2. PS to Minister of Education, GNCT of Delhi
3. PS to Pr. Secretary, Education.
4. PS to Director (Education)
5. All Spl DE/RD/ADE of Directorate of Education.
6. OS (IT) with direction to upload the order on the website of the department on the link 'Public Circulars and Orders.'
7. Guard file.

(P. Lata Tara)

ADE (Act-I)

12. **श्री ओ.पी. शर्मा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि दिल्ली में रोजमर्रा की चीजों के दामों में दिन व दिन बढ़ती महंगाई को रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) दिल्ली में आसमान छूते दालों के दामों को नियंत्रण करने में दिल्ली सरकार क्या भूमिका निभा रही है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में मुनाफाखोरों और कालाबाजारियों का पर्दाफाश हुआ था, यदि हाँ, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई; और

(घ) यदि नहीं, तो उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी?

मुख्यमंत्री : (क) और (ख) दिल्ली में रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :-

1. विभाग द्वारा अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि की निगरानी हेतु समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

2. दालों की बढ़ती कीमतों की कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी को रोकने के लिए दालों के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तथा गोदामों पर छापे मारे गए हैं।

3. प्याज की कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने प्याज की Small Farmers Agri-Business Consortium (SFAC), भारत सरकार के द्वारा खरीद भी की है।

(ग) और (घ) जी, हाँ, यह सत्य है। विभाग द्वारा दो एफ.आई.आर. (FIR) दर्ज करायी गयी है तथा लगभग 27000 क्विंटल दाल, उपायुक्त, राजस्व विभाग द्वारा जब्त कर ली गयी है।

13. *(माननीय सदस्य* **श्री एस. के. बग्गा** *ने प्रश्न वापस लिया।)*

14. **श्री एस.के. बग्गा** : माननीय सदस्य दिल्ली विधान सभा द्वारा पंजीकरण के बारे में पूछा गया है, का उत्तर निम्न प्रकार है :-

(क) व्यापार एवं कर विभाग द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 व 31.05.2015 तक कितने व्यापारियों का पंजीकरण किया;

(ख) विभाग द्वारा कितने आवेदनों को रद्द किया है;

(ग) विभाग द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 व 31.05.2015 तक कितने व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द किए हैं; और

(घ) रजिस्ट्रेशन एवं आवेदनों को रद्द किए जाने के क्या कारण हैं पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए?

मुख्यमंत्री : (क) व्यापार एवं कर विभाग द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 व 31/05/2015 तक व्यापारियों के पंजीकरण की संख्या निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	पंजीकरण की संख्या
2013-14	37847
2014-15	45723
2015-16 (31.05.2015 तक)	10310

(ख) विभाग द्वारा रद्द किए गए आवेदनों की संख्या निम्न प्रकार है :-

वर्ष	रद्द किए गए आवेदनों की संख्या
2013-14	5023
2014-15	761
2015-16 (31.05.2015 तक)	47

(ग) विभाग द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 व 31-05-2015 तक रद्द किए गए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटों की संख्या निम्न प्रकार है :-

वर्ष	रद्द किए गए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटों की संख्या
2013-14	68382
2014-15	19657
2015-16 (31.05.2015 तक)	938

(घ) रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटों को रद्द किए जाने के कारणों का पूरा ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

कारण का विवरण	2013-14	2014-15	2015-16 (31.05.2015 तक)
व्यापारी का आवेदन	2490	5405	269
रिटर्न डिफोलटर	0	3577	356
कार्यरत नहीं पाया जाना	0	2070	147
अन्य	65892	8605	166

15. **श्री एस.के. बग्गा** : माननीय सदस्य दिल्ली विधान सभा द्वारा फार्मों के बारे में पूछा गया है, का उत्तर निम्न प्रकार है :-

(क) व्यापार एवं कर विभाग द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 व 31.05.2015 तक कितने व्यापारियों ने सी फार्म, एच फार्म, ई फार्म ई-1/ई-2 फार्म के लिए आवेदन किया था :

(ख) कितने व्यापारियों को फार्म निकालने की सुविधा दी गई है; और

(ग) कितने व्यापारियों को यह सुविधा नहीं मिली है इसके क्या कारण हैं?

मुख्यमंत्री : (क) व्यापार एवं कर विभाग में वर्ष 2013-14, 2014-15 व 31-05-2015 तक सी फॉर्म, एच फॉर्म, ई फॉर्म (ई-1/ई-2) के लिए आवेदन करने वाले व्यापारियों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	सी फॉर्म आवेदक व्यापारियों की संख्या	एच फॉर्म आवेदक व्यापारियों की संख्या	ई फॉर्म (ई-I/ई-II) आवेदक व्यापारियों की संख्या	
			ई-I	ई-II
2013-14	43610	2419	591	125
2014-15	46182	2871	825	221
2015-16 (31-05-15 तक)	12392	745	197	40

(ख) उपरोक्त फॉर्मों को निकालने की सुविधा सभी व्यापारियों को दी गई है। व्यापारी यह फार्म, खरीद/क्रय विवरण के आधार पर डाउन लोड कर सकते हैं।

(ग) (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

16. **श्री एस.के. बग्गा** : माननीय सदस्य दिल्ली विधान सभा द्वारा शिकायतों व सिस्टम के रख-रखाव के बारे में पूछा गया है, का उत्तर निम्न प्रकार है :-

(क) व्यापार एवं कर विभाग द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 व 31.05.2015 तक कितने व्यापारियों ने शिकायत दर्ज कराई है;

(ख) विभाग द्वारा कितनी शिकायतों का समाधान किया है;

(ग) कितनी शिकायतें बकाया है और ये शिकायतें किस प्रकार की होती हैं;

(घ) व्यापार एवं कर विभाग सिस्टम के रख-रखाव के लिए कितनी धनराशि खर्च करता है और कौन सी कम्पनी से कार्य करवाता है; और

(ङ) इसका पूरा ब्यौरा उपलब्ध करवाने का कष्ट करें?

मुख्यमंत्री : (क) व्यापार एवं कर विभाग द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 (31/05/2015 तक) में व्यापारियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	व्यापारियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों की संख्या
2013-14	सूचना एकत्र की जा रही है
2014-15	3364
2015-16 (31.05.2015 तक)	1154

(ख) उपरोक्त शिकायतों में से विभाग द्वारा समाधान की गई शिकायतों का विवरण इस प्रकार है :-

वर्ष	समाधान की गई शिकायतों की संख्या
2013-14	सूचना एकत्र की जा रही है
2014-15	3362
2015-16 (31.05.2015 तक)	1106

(ग) बकाया शिकायतों का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	बकाया शिकायतों की संख्या
2013-14	सूचना एकत्र की जा रही है
2014-15	02
2015-16 (31/05/15 तक)	48

मुख्यत: ये शिकायतें निम्न प्रकार की होती हैं :-

1. पंजीकरण से संबंधित
2. सिस्टम से संबंधित
3. रिफंड से संबंधित

(घ) व्यापार एवं कर विभाग सिस्टम के रख-रखाव के लिए लगभग 1.50

करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करता है। और यह कार्य Intelligence Communication System India Ltd. (ICSIL) कम्पनी से करवाते हैं।

(ङ) उपरोक्त का पूरा ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

वर्ष 2014-15 में व्यापार एवं कर विभाग ने डी. वैट सॉफ्टवेयर की ए.एस.सी. पर 1.56 करोड़ रुपये का अनुबंध Intelligence Communication System India Ltd. (ICSIL) को दिया। गत वर्ष में सॉफ्टवेयर पर ए.एम.सी. राशि का अभी तक 1.17 करोड़ रुपये खर्च किया है। इसके अतिरिक्त सिस्टम की Faculty Management System Team पर 2014-15 में खर्च की राशि 54.01 लाख रुपये है।

17. **श्री जगदीश प्रधान** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री द्वारा दिल्ली परिवहन निगम के राजघाट डिपो के 20 चालकों को निलम्बित किया गया था;

(ख) क्या यह भी सही है कि इनमें से कुछ चालक आफिस रिकॉर्ड के अनुसार अवकाश पर थे;

(ग) उनकी संख्या क्या है और क्या आफिस रिकॉर्ड के अनुसार सही पाये गये चालकों को दोबारा काम पर लिया गया।

(घ) कब तक उन्हें वापिस लिया जाएगा;

परिवहन मंत्री : (क) जी हां,

(ख) जी हाँ, एक चालक अवकाश पर था।

(ग) और (घ) जी हाँ, काम पर ले लिया गया।

18. **सुश्री अल्का लाम्बा** : क्या **रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराने के लिए रोजगार कार्यालय द्वारा क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने गत वर्ष 2010-11 व 2011-12 में कुछ बेरोजगारी को रोजगार उपलब्ध कराए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने पिछले दो वर्षों में कितने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया है व कहाँ कहाँ पूर्ण विवरण दिया जाए?

रोजगार मंत्री : (क) रोजगार निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए ऑन लाइन पंजीकरण की सुविधा विभाग की वेबसाइट द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है तथा नियोक्ताओं की मांग के अनुसार रिक्तियों के अनुरूप बेरोजगार के नाम प्रायोजित किए जाते हैं।

माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री दिल्ली सरकार की पहल पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है जिससे की दिल्ली के बेरोजगार युवक/युवतियों को निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के माध्यम से उनकी योग्यता एवं हुनर के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। रोजगार मेले का आयोजन कराने के लिए रोजगार अधिकारियों की एक टास्क फोर्स कमिटी बनाई गई है जिनका कार्य निजी क्षेत्र के विभिन्न नियोक्ताओं के पास उपलब्ध रिक्तियों

की सूचना एकत्रित करना है। इसके अतिरिक्त एक वेब पोर्टल के निर्माण की स्वीकृति सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

(ख) जी हाँ।

वर्ष	प्लेसमेंट
2010-11	8661
2011-12	1005
कुल	9666

(ग) सरकार ने पिछले दो वर्षों में 9666 बेरोजगारों को रोजगार दिलाया है इसका पूर्ण विवरण संलग्न है।

नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : नियम-280 में श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी : नियम 280 के तहत सवाल के लिये मौका देने के लिये धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सर पूर्वी दिल्ली में पूरी यमुना पार में पार्किंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपकी विधानसभा में भी, मेरी विधानसभा में भी और जितनी आसपास विधानसभायें हैं और बहुत सारी पार्किंग भी हैं। जिसमें एम.सी.डी. आर्थोराइजड पार्किंग बोर्ड भी लगे हुए हैं। वो लैंड पी.डब्ल्यू.डी. की है। मैंने पता किया पी.डब्ल्यू.डी. से कम से कम अपने क्षेत्र के बारे में पता किया तो

उन्होंने एक चिट्ठी भेजी है वह कहते हैं कि as per record available in this office it is hereby stated that no land has been handed over to MCD for parking, MCD वालों ने भी parking के लिये land acquire नहीं की है पर फिर भी unauthorized parking, मतलब फिर यही हो गया कि unauthorized parking है। तो सर एक तो ये कौन लोग parking चला रहे हैं और अगर वहां पर parking चल रही है तो parking से कोई विरोध नहीं है, पार्किग चल रही है तो Government agencies क्यों नहीं चलाती है और PWD की land है तो पी.डब्ल्यू.डी. चला ले। एम.सी.डी. चला सकती है तो एम.सी.डी. चला ले। कम से कम उसका राजस्व उसकी जो income है Government के पास आनी चाहिये। किसी Individual mafia जो parking माफिया जो develop हो गये हैं, उनकी जेबों में नहीं जाने चाहिये। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिये। जो लोग इतने दिन से चला रहे हैं उनके अगेन्स्ट कार्रवाई करके उनसे compensation लेना चाहिये। इस लैंड को खाली करवाना चाहिये और organized तरीके से पार्किंग बनानी चाहिये और बहुत लैंड बड़े बड़े लैंड, स्ट्रेचिज हैं जहां पर पार्किंग चल रही है। जहां पर आराम से multi level parking बन सकती है और जितनी अभी capacity है उससे तिगुनी चौगुनी गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिये। ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद

अध्यक्ष महोदय : चौ. फतेहसिंह जी।

चौ. फतेह सिंह : धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, कि आपने मुझे 280 के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के संबंध में कहने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय विकास मंत्री

जी का ध्यान अपनी गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जो पूर्णत: उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली क्षेत्र की सीमाओं पर स्थित है। इस क्षेत्र में जहां नागरिक सुविधाओं का अभाव है वहीं इस क्षेत्र में 54 अनाधिकृत कॉलोनी भी स्थित हैं। वैसे तो विधानसभा के ऐसे बहुत क्षेत्र हैं जो पड़ौसी राज्यों की सीमाओं से सटे हुए हैं। हरियाणा की सीमा हो चाहे उत्तर प्रदेश की सीमा हो। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जिस प्रकार से बिजली की चोरी और पानी की चोरी हो रही है, साथ ही वहां के लोगों को भी और दिल्ली के इन लोगों को भी अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर प्रोपर तरीके से जो परिसीमन सीमायें हैं चाहे वह हरियाणा की हो, चाहे वह दिल्ली की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो। वह प्रोपर तरीके से नहीं हैं। जिसके कारण से दिल्लीवासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है उसके लिये भी दिल्ली के लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कोई मर्डर या कोई हादसा उनके सामने गुजरता है तो दिल्ली पुलिस यू.पी. का कहकर पल्ला झाड़ लेती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस दिल्ली का कहकर पल्ला झाड़ लेती है। तो मेरा आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे बार्डर क्षेत्रों का परिसीमन और उनका चयन ठीक प्रकार से हो जाये जिससे कि समाज को ऐसी जो समस्यायें हैं उन समस्याओं से निजात मिल सके। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री सही राम जी।

श्री सही राम : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जी मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी का ध्यान तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक ओखला इंडस्ट्री एरिया है, जिसमें पूरी एन.सी.आर. से लोग नौकरी करने आते हैं और मैं कहूं बदकिस्मती से भी ओखला इंडस्ट्री एरिया में तीन डिपो हैं। एक कालका जी डिपो है, एक तेहखंड डिपो है, एक ओखला डिपो है। 35 सालों से चार रूट लगातार चल रहे थे लेकिन पिछले चार-पांच साल से वो रूट बिल्कुल बंद है लोग बड़े परेशान हैं। बसें डिपो से निकलती हैं और सीधी मेन रोड होकर अपने अपने क्षेत्र के लिये चली जाती हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया में इतने लोग आते हैं, उनकी परेशानियों को देखते हुये मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जितनी जल्दी से जल्दी पुराने ही रूट शुरू करें। 414 है, 433 है, 439 है। कोई नये रूट की जरूरत नहीं है। उसी रूट पर उन बसों को चलवाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनोज कुमार जी।

श्री मनोज कुमार : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने 280 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपको ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। ई.डब्ल्यू.एस. के एडमिशनस की तरफ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान फर्जी ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्रों के आधार पर दिल्ली के नामचीन स्कूलों में कराये जा रहे दाखिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराये जाने की

और सरकार की यह नीति बनाई गई थी कि दिल्ली के स्कूलों में कराये जा रहे दाखिलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के लिये सरकार की ओर से यह नीति बनाई गई थी कि दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में लगभग 25 प्रतिशत बच्चों को ई.डब्ल्यू.एस. सर्टीफिकेट के आधार पर दाखिला करने, उन्हें मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाये। सरकार की इस नीति का उद्देश्य यह था कि सीमा पर गरीब बच्चों को भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सके, परंतु जिन अमीर लोगों के बच्चों को मैरिट के आधार पर मनचाहे पब्लिक स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल सका तो इन अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन में भ्रष्ट लोगों के साथ मिलकर उसका गैर कानूनी हल ढूंढ निकाला और परिणाम स्वरूप इस तरह के दाखिलों के लिये दिल्ली में एक रैकेट का जन्म हुआ और इस रैकेट ने दिल्ली के अलग अलग नामी स्कूलों में फर्जी ई.डब्ल्यू.एस. सर्टिफिकेट के आधार पर पैसे वालों से मोटी रकम लेकर के उनके बच्चों का दाखिला शुरू करा दिया। यह जानकारी मिली कि इस रैकेट के सदस्य एक एडमिशन के लिये तीन से दस लाख रुपये लेकर दिल्ली में अवैध तरीके से दाखिला कराने में लगे हुए हैं। अभी तक यह रैकेट लगभग 250 से ज्यादा बच्चों को दाखिला दिला चुका है। यह भी जानकारी मिली है कि दिल्ली के करीब नौ स्कूलों में यह रैकेट अपना जाल बिछा चुका है। इस तरह के दाखिलों से वे गरीब बच्चे एडमिशन से वंचित हो रहे हैं जिनके लिये यह नीति बनाई गई थी। यह सीधे सीधे उनके साथ अन्याय हो रहा है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि दिल्ली सरकार को इस महत्वपूर्ण मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी व्यक्तियों के लिए खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिये। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में ई.डब्ल्यू.एस. कोटे के अंतर्गत केवल गरीब या जरूरत मंद बच्चों का ही दाखिला हो और वे उन अधिकारों से वंचित ना रहें और इस तरह की शिकायतें भी हम लोगों के पास आती रही हैं कि जो ई.डब्ल्यू.एस. के अंतर्गत बच्चों के एडमिशनस हुए हैं उन अभिभावकों से स्कूल वाले किसी ना किसी तरह से मनमाने रूप से कुछ धनराशि हर साल किसी भी रूप में ले रहे हैं। मंत्री जी से निवेदन है कि कोई ऐसी कमेटी बनाई जाये जो इनकी निष्पक्ष जांच करे कि कौन स्कूल ई.डब्ल्यू.एस. वालों को परेशान कर रहे हैं और बहुत सारे एडमिशन हो रखे हैं अभी तक जो उस कैटेगरी को डिजर्व नहीं करते, परंतु उन लोगों ने किसी ना किसी तरह से फर्जी वाड़े से अपने सर्टीफिकेट बना के स्कूलों में एडमिशन अपने बच्चों के कराये हुए हैं। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से ये है कि कोई ऐसी कमेटी बने और उन सभी लोगों की सर्टीफिकेटस की जांच हो। जो उसके कैटेगरी में ई.डब्ल्यू.एस. की कैटेगरी में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं जिस विधान सभा से आता हूं। कोंडली क्षेत्र से, वहां काफी बड़े नामचीन स्कूल हैं। परंतु वहां पर बहुत ऐसे लोग हैं, मैक्सिमम लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने फर्जीवाड़े से सर्टीफिफकेटस बनवाये, और उनके बच्चे स्कूलों में ई.डब्ल्यू.एस. में पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह की कोई कमेटी बने और जितने भी बच्चे ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, उनकी एक बार निष्पक्ष जांच हो सके।

ताकि जो इस लाभ से वंचित बच्चे हैं उसका इन्हें पूरा लाभ मिल सके। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद मनोज जी। श्री जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष जी, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं जल बोर्ड के अध्यक्ष महोदय का ध्यान अपने क्षेत्र की पानी की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष बने, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा एक पड़ोसी भाई दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बना। मैंने धन्यवाद किया, बधाई दी उसके बाद जल बोर्ड के अध्यक्ष बने, मंत्री बने उस दिन भी फोन करके बधाई दी।

अध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी विधान सभा की जो भौगोलिक स्थिति है चौड़ाई उसकी करीब 800 मीटर की है एक तरफ करावल नगर विधान सभा, दूसरी तरफ गोकुलपुरी विधान सभा है। भाई फतेह सिंह जी यहां बैठे हैं और हमारे जल बोर्ड के चेयरमैन महोदय भी यहां बैठे हैं। मेरे क्षेत्र के पानी के विषय में वो हालत है कि आज सुबह जब मैं पौने छह बजे उतर कर नीचे आया तो मेरे दरवाजे पर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ या बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, लिखकर बात कर रहा हूँ छह आदमी मुझे खड़े मिले। मैंने उन्हें पहचान लिया, अमर गार्डन में रहते थे उनके साथ में पानी की कैन थी। मैंने कहा भईया, क्या बात हो गई? उन्होंने कहा कि प्रधान जी एक हफ्ते से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है। आप अंदर से मोटर चलवाकर अपने यहां से पानी दे दो। मैंने दरवाजा खोला उनको अंदर बुलवाया, बैठाया मैंने ऊपर लड़के को

आवाज दी और कहा कि मोटर चला दें। मोटर चलवाई, पानी नहीं आया, एक बूंद पानी नहीं था, इससे पहले भी मेरे घर में पानी के जार 15 दिन पहले आये तो मैंने बच्चों से पूछा कि जार क्यों मंगवा रखे हैं। कहने लगे कि एक हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है। मैंने जल बोर्ड के जे.ई. को फोन किया, वो आये, उन्होंने मुझे कहा कि हम आपके यहां पानी का टैंकर भेज देते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे टैंकर नहीं चाहिये। क्योंकि मेरे घर पर टैंकर आकर खड़ा हुआ तो यहां से निकलने वाले लोग मुझे गाली देंगे प्रधान ने अपने घर पर, एक विधायक है, इसलिए टैंकर खड़ा है और हमको पानी नहीं मिल रहा। मैंने टैंगर नहीं मंगवाया। मैंने मिश्रा जी से फोन पर रिक्वेस्ट की कई बार कि मिश्रा जी मेरे क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है आप मीटिंग रखवा दो जल बोर्ड में। कहने लगे ठीक है, रखवाता हूँ। मैंने दो-तीन बार फोन किया, फिर आखिरी में मैंने फोन पर मिश्रा जी कई बार कह लिया, मिश्रा जी ने कहा कल 12.30 बजे पर आप जल बोर्ड के ऑफिस में आ जाओ। मैं घर से चला, तीन आदमी मेरे साथ थे, मैं खुद़र गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जैसे ही मैं तीस हजारी पहुँचा वहां भयंकर जाम था, एक घंटे तक बर्फखाने तक हम नहीं पहुंच पाये। मैंने मिश्रा जी को फोन किया कि कहीं मेरी वजह से मिश्रा जी ऑफिस में इंतजार कर रहे हो, अधिकारी बुलवा रखे हो, मैंने कहा मिश्रा जी मैं जाम में फंसा हुआ हूँ। मैंने वो गाड़ी वहीं दूसरे आदमी को देकर हम वहां से पैदल-पैदल फिल्मिस्तान पहुँचे वहां जाकर हमको एक ऑटो मिला। ऑटो पकड़कर मिश्रा जी के ऑफिस गये। मिश्रा जी ऑफिस में नहीं थे, सी.ई.ओ. साहब के पास बैठे हुए थे। हम बैठे हुए इंतजार करते रहे, फिर हम सी.ई.ओ. साहब के कमरे में आधे घंटे में

गये। मिश्रा जी वहां मिले, नमस्कार हुआ। मिश्रा जी ने यादव जी से परिचय करवाया ये प्रधान जी हैं, यादव जी कहने लगे मैं जानता हूं इन्हें। यादव जी से मुलाकात हुई, मैंने अपने क्षेत्र की पानी की समस्या रखी। मिश्रा जी तो वहां से चले गये, अधिकारी कोई आया नहीं, न कोई एक्स.ई.एन. न चीफ इंजीनियर, न जे.ई., ए.ई.। यादव जी ने मुझे कहा कि आपके यहां मीटिंग बुला कर आपकी समस्या का समाधान करवायेंगे। हफ्ते-दस दिन बाद यादव जी ने मुझे बुलाया, मेरे क्षेत्र के तीन चार मेरे साथ थे। हमने अपनी समस्या बताई। यहां तक भी बताया, मैं अधिकारियों का नाम नहीं ले रहा, यदि कोई नागरिक पानी के लिए इमरजेंसी में फोन करता है, पहले तो पचास-पचास, साठ-साठ बार फोन मिलाने के बाद फोन उठाते हैं और जब फोन उठा भी लेते हैं, एक हमारे मास्टर जी बैठे हुए हैं, वे बेचारे पब्लिक की सेवा करते हैं बैठकर, वो भी फोन करते हैं कि यहां पर टैंकर भेज दो, उन्होंने कई बार फोन मिलाया था वहां से जवाब आता है कि अब की बार फोन किया तो गाली देकर बात करूँगा। ये कर्मचारी जल बोर्ड के इमरजेंसी में बैठते हैं, उनके हालात बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरह के वहां जे.ई. हैं वो व्यवहार करते हैं। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम तीन विधायक बी.जे.पी. से चुनकर आ गये, क्या हमारे साथ इसलिए सौतेला व्यवहार हो रहा है। बड़े दु:ख के साथ कह रहा हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए था, वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ आपको, जो लोग आज हैंडपंप या submersible के द्वारा पानी पीना चाहते हैं अध्यक्ष जी, इतना प्रदूषण है कि लोगों ने धरों के अंदर जींस की फैक्ट्री, केमिकल की फैक्ट्री लगा रखी है। यह आलम है कि लोगों ने वो पानी नाली में न जाकर किसी

को दिखाई न दें, अंदर बोरवेल किए हुए हैं। वो गंदा पानी सारा जमीन में जाता है, जो लोग submersible से पानी पीना चाहते हैं वो कैंसर से, मेरे यहां आठ-दस मौतें हो चुकी हैं। दिल्ली में आज यह हालत है बड़े दुःख के साथ यहां कहना पड़ रहा है, पानी जैसी जरूरी चीज भी अगर हमें विधायक होने के नाते मैं समझता हूँ कि या तो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, परसों बजट के बाद बहुत सारी मां-बहनें आईं, बजट पर चर्चा करूँगा सब बातों की, पानी के लिए जो मां-बहनें आईं, मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं परसों सोमवार को आपकी पानी की सप्लाई न होने की वजह से, गंदा पानी की वजह से मुख्यमंत्री जी से, उपमुख्यमंत्री जी से और जल बोर्ड के चेयरमैन से आग्रह करूँगा और अध्यक्ष जी मैं आपसे भी हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना कर रहा हूँ कि यदि मेरे यहां पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं अपनी पूरी पब्लिक को लेकर आपके घर पर आकर बैठा दूँगा तो मैं हाथ जोड़ कर आपसे विनती चाहता हूँ और कुछ दे या न दें आप 20 हजार न दें, कम से कम पचास लीटर पानी पीने के लिए तो दें। टैंकर तो आ जाये, जो टैंकर आते हैं आज वो भी नहीं आ रहे। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मुस्तफाबाद क्षेत्र के लोगों ने, रमजान का महीना चल रहा है, वहां टैंकर नहीं है, वहां पानी नहीं है वो सोचेंगे कि बी.जे.पी. का विधायक है, शायद इसलिए पानी नहीं भेज रहे। तो मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार बंद किया जाये। हमारे क्षेत्र को पानी दिया जाये। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहिन्दर गोयल।

श्री मोहिन्दर गोयल : अध्यक्ष जी, धन्यवाद जो आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जो मैं समस्या आपके समक्ष रख रहा हूँ, यह मेरी विधान सभा तक ही सीमित नहीं, मेरे जिला तक ही सीमित नहीं, यह पूरी दिल्ली की समस्या है। आज दिल्ली के अंदर जगह-जगह चैन स्नेचिंग, लूटपाट, चोरी, डकैती, छेड़खानी की घटनाएं बहुत हो रही हैं तो इस विषय पर मैंने पुलिस अधिकारियों के साथ भी एक बैठक की और उनसे पूछा कि ये चोरी की, चैन स्नेचिंग की जो इतनी घटनाएं हो रही हैं, वो क्यों हो रही है। वो जवाब देने में अपने आपको बड़ा असहाय महसूस कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा एक तो हमारे पास स्टाफ कम है, जितनी बड़ी दिल्ली है उतना हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है और यदि कुछ स्टाफ है तो कुछ न कुछ नेताओं की ड्यूटी बजाने में, उनकी नौकरी करने के अंदर लगे हुए हैं। बहुत असहाय महसूस कर रहे थे अपने आपको। उसके बाद फिर मैंने आर.डब्ल्यू.ए. से भी, समाज के बुद्धिजीवियों से भी बहुतों से संपर्क किया कुल मिलाकर एक ही बात का निचोड़ निकल कर आया यदि चोरी पर, डकैती पर, छेड़खानी पर कहीं न कहीं रोक लगानी है तो दिल्ली के अंदर सी.सी.टी.वी. कैमरे की बहुत जरूरत है क्योंकि पुलिस का स्टाफ कम है तो तीसरी आंख की यहां पर जरूरत है तो आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से भी और चीफ मिनिस्टर साहब से भी कि दिल्ली के अंदर सी.सी.टी.वी. कैमरे का जितना भी संबंध हो सकता है, वो जल्द से जल्द करवाने का करें। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी विधान सभा के अंदर कई घटनाएं हो चुकी हैं तो प्रथम में हमारी ओर से इस कार्य को किया जाये। धन्यवाद, जयहिंद।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं आज 280 के माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिल्ली में पब्लिक स्कूलों की मनमानी और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर दिलाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर पब्लिक स्कूल किस तरह से अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं और डोनेशन्स ली जाती है, अंधाधुंध फीस ली जाती है, अंधाधुंध फीस में वृद्धि की जा रही है, अभिभावक दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी प्रभावी कदम पिछले लगभग 5 महीने होने वाले हैं जबकि वास्तविकता यह है कि अगर वर्ष का प्रारंभ और दाखिलों की प्रक्रिया वर्ष के किसी काल में होती है तो इसी काल में होती है लेकिन बड़ी-बड़ी बातें सामने आई थी। लेकिन बड़ी-बड़ी बातें सामने आई थी यहां तक कि अखबार में इश्तहार भी दिया था काफी बड़ा, कि दिल्ली में गलत स्कूलों की मनमानी बंद होंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकारी खर्च पर किया गया ये विज्ञापन भी निराधार है कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की गई है। अभी हमारी जानकारी में आया कि आपने मीडिया के समक्ष घोषणा की थी कि 4 बिल प्रस्तुत किये जायेंगे उनमें से एक बिल जिसके बारे में कहा गया था कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम 1973 में बदलाव लाया जा रहा है और धारा 17, 24, 27 और 145 में संशोधन का प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश होगा लेकिन मैं नहीं जानता की क्या कारण रहे कि सरकार ने सदन आरंभ होने

वाले दिन ही अचानक उस प्रस्ताव को वापस ले लिया। क्या पब्लिक स्कूलों के दबाव में ये कदम उठाया गया, क्या पब्लिक स्कूलों के कारण ये बिल वापिस लिया गया? हालांकि हमारी उस बिल पर आपत्ति थी और हमारा ये कहना था कि वर्तमान आम आदमी की सरकार ने भी इसपर विधिवत रोक न लगाकर शिक्षा अधिनियम का प्रस्ताव तैयार किया है उसमें स्कूलों के लिए तैनात, दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर कोई जिम्मेदारी ना देकर अभिभावकों पर ही जिम्मेदारी दे दी, यानि की एक अभिभावक तो पहले ही दबा हुआ है क्या ये सम्भव है कि जिसका बच्चा विद्यालय में पढ़ता होगा वो अभिभावक आकर के और किसी कमेटी के सामने आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और अगर करा भी देगा तो क्या उसको वो फोलो कर पाएगा स्कूल का दबाव आने के बाद? और दूसरी बात ये है कि दिल्ली में दो हजार से ज्यादा पब्लिक स्कूल हैं अगर 10, 15, 20 अभिभावकों ने शिकायत कर भी दी तो बाकी 1900 विद्यालयों पर कोई कार्रवाई ये सरकार नहीं करेगी हमारा ये कहना है कि आप तमिलनाडु सरकार ने जो एक मॉडल पेश किया है और जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है उसमें हर विद्यालय को फीस स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करना है तो पहले एक कमेटी बनाई जाए रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के अधिकार क्षेत्र में और वहां पर वो स्कूल अपना प्रपोजल लाए और जब वो कमेटी उसपर मोहर लगा दे उसके बाद ही फीस वृद्धि हो या ना हो। क्योंकि सरकार के नीचे से हर विद्यालय का फीस स्ट्रक्चर जाना चाहिए और अगर एक बार फीस वृद्धि का मौका दे दिया सरकार ने, कमेटी ने तो फिर तीन साल तक फीस वृद्धि नहीं होनी चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि सरकार शायद ये कदम

उठाने में झिझक रही है और प्रपोजल को वापिस ले गई है जो प्रपोजल लाया जा रहा था उसमें एक एडीशनल डायरेक्टर को उसका चेयरमैन बनाया जा रहा था जबकि मुझे लगता है कि एक एडीशनल डायरेक्टर को अगर चेयरमैन बनाया जाएगा तो उसमें से कुछ भी अभिभावकों के हाथ आने वाला नहीं है क्योंकि मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं स्वयं दिल्ली अभिभावक महा संघ के अध्यक्ष के नाते पिछले 18-20 साल से संघर्ष करता आ रहा हूं शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ और 1998 में 20 अक्तूबर, 1988 में एक फैसला आया था दिल्ली हाई कोर्ट का तब 1998 में एक दुग्गल कमेटी बनाई गई थी रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जस्टिस के उसमें उन्होंने 400 स्कूलों की एकाउंट चैक किये थे और पाया था 400 करोड़ रुपया अतिरिक्त ले लिया इन स्कूलों ने अभिभावकों से। अध्यक्ष जी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं पूरा संघर्ष करने के बाद भी एक भी विद्यालय ने एक भी अभिभावक का एक भी पैसा वापस नहीं किया। उसके बाद मैं स्वयं केस का पैटिरनर मैं था फिर 2009 में मैं पैटिरनर था फिर फीस वृद्धि हुई थी फिर हमने कहा इसको स्टे करो लेकिन कोर्ट ने कहा इसको हम स्टे नहीं करेंगे लेकिन जब हम फैसला देंगे और अगर पाया जाएगा कि पैसा अधिक लिया गया होगा तो बच्चों का पैसा हम वापिस दिलवायेंगे। 2011 में फैसला आया जस्टिस अनिल देव कमेटी बनी उन्होंने जांच की 350 करोड़ रुपया उन्होंने निकाला 2011 में ये कमेटी जब बनी उसके बाद और उन्होंने स्कूलों की लिस्ट दे दी लेकिन एक भी अभिभावक को एक भी स्कूल ने एक भी रुपया वापस नहीं किया। हमारे कहने का अर्थ ये है कि एक अभिभावक ये शिकायत लेकर आएगा कि मेरे से पैसे ज्यादा ले लिए तो क्या

ये सम्भव है जब हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बढ़ी फीस वापस करने के लिए तैयार नहीं है तो क्या एक सरकार की कमेटी के कहने पर कोई स्कूल पैसे वापिस करेगा अगर आप उसको bottleneck पर ही वहीं पर जहां से उसको फीस वृद्धि करनी है उसकी कंट्रोल सरकार अपने हाथ में ले ले और बिना सरकार की इजाजत के कोई भी स्कूल फीस वृद्धि न करे तमिलनाडु सरकार के मॉडल पर मोहर लग चुकी है इसको कहीं न कहीं ध्यान में करके दिल्ली को मॉडल बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से शिक्षा के व्यवसायीकरण रुकेगा और मेरा ये अनुरोध है सरकार ने जो यह लिखा था इसका contradiction दे क्योंकि सरकार ने कोई भी अभी तक ये एडवटाइजमैंट दिया है कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बंद होगी अभी तक सरकार ने मनमानी बंद करने का कोई कदम नहीं उठाया है, ये बिल्कुल भ्रमित करने वाला एडवटाइजमैंट है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गर्ग जी।

श्री विजेंद्र गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय नियम 280 के अंतर्गत मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा एक गम्भीर विषय रखना चाहता हूं, पूर्ववर्ती सरकारों के उदासीन रवैये या यूं कहिए कि उनके भ्रष्टाचार के कारण कुछ लालची एवं स्वार्थी लोगों के द्वारा दिल्ली में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने का कार्य भारी पैमाने पर चल रहा है। खाद्य अपमिश्रण विभाग के द्वारा दिल्ली में खाद्य पदार्थों की जो जो सैम्पलिंग की जाती है उसमें पूरी तरह ईमानदारी नहीं बरती जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा इसमें

पक्षपात किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय अभी हाल ही में दिल्ली की चौ. हीरा सिंह सब्जी एवं फल मंडी आजादपुर मंडी के अंदर एक कैमिकल है नेफ्ता के नाम से जो एक जहर है, उस कैमिकल के द्वारा वहां फलों को पकाया जाता है और मार्किट में भेजा जाता है। मैं मान सकता हूं कि इसके द्वारा अचानक मौत नहीं होती लेकिन कुछ केसिसज में अचानक मौत भी होती है जब जहर की मात्रा अधिक होती हो जाती है। लेकिन इन रसायनों के प्रयोग से पक्षाघात, हृदय की बीमारियां और बहुत सी गम्भीर बीमारियां धीरे-धीरे दिल्ली की जनता के शरीर में प्रवेश करती जा रही है। बड़ा गम्भीर विषय है, कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस प्रकार का काम करते हैं कि दिल्ली की जनता को मौत के कगार पर पहुंचा रहे हैं। अध्यक्ष जी इस पर दिल्ली की सरकार द्वारा जल्द से जल्द नियंत्रण करना अनिवार्य हो गया है इस संबंध में दिल्ली सरकार को कड़े प्रावधान लागू करने चाहिए। सजा का प्रावधान है लेकिन कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की वजह से खाद्य अपमिश्रण विभाग है जो अपना कार्य पूर्णतया ईमानदारी से नहीं कर रहा है। सैंपलिंग की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इस मामले में भ्रष्टाचार को किसी भी तरह रोकने की जरूरत है। अत: अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस अति महत्वपूर्ण विषय पर संज्ञान लेते हुए तुरंत आवश्यक उपाय किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि मिलावट करने वाले लोग किसी भी उपभोक्ता के जीवन से खिलवाड़ ना कर सके। मैं माननीय दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सतेंद्र जैन जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अभी हाल ही में मैगी पर बैन लगाया जिसमें शीशे की मात्रा तय मानकों से ज्यादा पाई गई इन्हीं

कदमों को हमें आगे बढ़ाना होगा जिससे दिल्ली की जनता अपने आपको इस मिलावट से सुरक्षित महसूस कर सके, आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : श्री ओम प्रकाश शर्मा जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली में वृद्ध लोगों को पेन्शन के फार्म जमा नहीं हो पाने से उनकी बिगड़ती आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज से लगभग चार वर्ष पूर्व तत्कालीन कांग्रेस की सरकार द्वारा बुजुर्गों के वेरीफिकेशन के नाम पर पेन्शन बन्द कर दी गयी थी। वो वेरीफिकेशन आज तक पूरी नहीं हुई और अब उसके बाद कोई भी वृद्ध या विडो जो 60 साल सा 60 साल से ऊपर है, समाज कल्याण विभाग में उनके फार्म जमा न होने की वजह से लोग बहुत दुखी और परेशान हैं। इसका विरोध न केवल भाजपा के सदस्यों ने किया था बल्कि कांग्रेस के सदस्यों ने भी किया था परन्तु विधान सभा के चुनाव की घोषणा हो जाने के कारण पेन्शन लागू नहीं हो पायी और बहुत सी इस प्रकार की स्थिति आ रही है, इस तरह के जरूरतमंद लोग आते हैं कि हमें, अनेकोनेक संस्थायें, व्यक्तियों की खुद अपनी जेब से आर्थिक मदद करनी पड़ती है और जो ये कार्य दिल्ली सरकार को करना चाहिए, इस कार्य में दिल्ली सरकार पूरी तरह से असफल रही है। दिल्ली में जब 49 दिनों के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार आयी तब इन्होंने भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही बन्द पेन्शन को खोला गया। इसके साथ साथ फोर्थ दिल्ली फाईनेन्स कमीशन

की रिपोर्ट टेबल न होने से जो आर्थिक हालात बिगड़े कॉरपोरेशन के उसकी वजह से जो कॉरपोरेशन जो फण्ड उनके पास पेन्शन के लिए होता था पूरा दो ढाई साल से बन्द होने की वजह से बहुत ज्यादा लोग जरूरतमंद लोग दिल्ली सरकार का फार्म भरने के लिए परेशान हैं। जब दिल्ली अन्डर सस्पेन्शन में थी तब केन्द्रीय वित्त मंत्री ने चालीस हजार लोगों की पेन्शन जो पहले से चल रही थी उसके अलावा उसका प्रावधान किया गया था और अब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को बने चार महीने का वक्त बीत चुका है परन्तु अभी तक वृद्ध लोगों को पेन्शन नहीं मिल पा रही है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण दें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री अवतार सिंह कालका जी।

श्री अवतार सिंह कालका जी : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 के तहत बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय मैं आपको कालका जी विधान सभा में पार्किंग की समस्या के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। कालका जी विधान सभा क्षेत्र में कम से कम साढ़े चार लाख के करीब आबादी है और कालका जी विधान सभा में ऐतिहासिक मन्दिर भी है जिसमें लोट्स टेम्पल आता है, कालका जी मन्दिर आता है, इस्कान टेम्पल आता है। और ओखला की सब्जी मण्डी, पुष्प मण्डी ये सारे सब विधान सभा में आते हैं। इन जगहों पर आने जाने की पार्किंग की समस्या बहुत आती है और जो अनथराईज कॉलोनी है जैसे गोविन्द पुरी कालका जी, आर्य कॉलोनी, निवास पुरी इधर सब जगह पार्किंग की बहुत समस्या है और मैं विनती

करना चाहूंगा हमारे मंत्री साहब को कि हमारे पास काफी जगह है जो पी.डब्लू.डी. की है और डी.डी.ए. की जगह है जहां पर हम अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली को अगर खूबसूरत बनाना है तो उसमें हमारी विधान सभा साउथ दिल्ली जैसे सहीराम जी की ओर ओखला इण्डस्ट्रीज पड़ती है फॉरेन के लोग भी आते हैं और इसके लिए अगर हम चाहे तो इसे बहुत खूबसूरत बना सकते हैं इसको हमारा सपना है, उसको पूरा कर सकते हैं अगर यहां पर मल्टीपल पार्किंग बनायी जाए। एक पार्किंग जो हमारे कालका जी में बन रही है वो 2003 में बनती आरम्भ हुई थी और 2011 उसका डेडलाईन था। आज 2015 हो गयी है अभी तक वो पार्किंग चालू नहीं हुई और उसका काम भी पूरा नहीं हो रखा है और उसका कोई समय भी नहीं बता रहे हैं कि कब वो पार्किंग स्टार्ट होगी या तैयार होगी। इसके लिए मैं विनती करता हूं कि जल्दी से जल्दी बताया जाए कि वो पार्किंग कब तक तैयार हो जाएंगी। इसका पता किया जाए और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा जो हमारे पास पी.डब्लू.डी. की रोड पर काफी जगह है साइड पर, वहां पर अगर गाड़ियों की जांच लगा दी जाए हमारे को इजाजत दी जाए जैसे सर्विस रोड है वहां पर रात को भी गाड़ी पार्क की जाती है क्योंकि हमारे उधर काफी समस्याएं जैसे चैन स्नेचर होती है और गाड़ी खड़ी करते हैं तो लोग पीछे से बैग उठाकर निकल जाते हैं। कई हादसे हुए हैं हमारे इलाके में। सो मैं विनती करूंगा अध्यक्ष महोदय कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाए। इस पार्किंग की समस्या को हल किया जाए। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

विधेयक का पुर:स्थापन

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पुनरस्थापन में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी से प्रार्थना करूंगा कि सदन की अनुमति से दिल्ली मूल्य संवर्धित और वित्तीय संशोधन विधेयक, 2015, 2015 का विधेयक संख्या 8 सदन में प्रस्तुत करें।

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली मूल्य संवर्धित कर संशोधन विधेयक 2015 को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में है वो हां कहें

जो इसके विरोध में हैं वो ना कहें

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब माननीय उप मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे।

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पहले दो शब्द इसकी आवश्यकता के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने अपने बजट प्रस्तावों में भी कहा हुआ है कि सरकार वैट में पेनल्टीज कम करने के पक्ष में हैं। क्योंकि सरकार का इरादा पेनल्टीज के जरिए रेवेन्यू बढ़ाने का नहीं है। बल्कि जो लैजिटमेट टैक्स है उसमें लीकेज रोककर उसको आराम से उसमें व्यापारियों से बात करके, उसको संग्रह करके उसके जरिए रेवेन्यू बढ़ाने का है। इस संशोधन से दो फायदे होंगे एक तो मैंने पहले भी सदन में रखा था कि नार्दन स्टेटस में टैक्स में बहुत

असमानतायें हैं और नार्दन स्टेटस के फाईनेन्स मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग होने के बाद यह एक सहमति बनी थी कि जितनी विसंगतियां हैं धीरे-धीरे उनको दूर किया जाए ताकि एक तो काला बाजारी रुक सके, टैक्स की चोरी रोकी जा सके, टैक्स के फर्जी बिलिंग इधर से उधर होती है उनको रोका जा सके। जब यूनिफार्म टैक्स सिस्टम हो जाएगा स्टेटस में तो इससे फर्जी बिलिंग, काला बाजारी इन सब चीजों को रोका जा सकेगा। इसलिए उसमें सहमति बनी थी इसलिए हमें अपने एक्ट में थोड़ी सी फ्लैक्सबिलिटी की आवश्यकता है। यह संशोधन उसके सम्बन्ध में है और जिससे कन्ज्यूमर्स को भी फायदा होगा क्योंकि वे भी टैक्स के वेरीयेशन के कारण उन्हें अपने च्वाईसेज को ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है जब टैक्स में स्टेबिलिटी होगी तो निश्चित रूप से रेट्स में स्टैबिलिटी होगी। मैं इस आशय के साथ कि ये संशोधन दिल्ली की जनता के लिए लाभदायक होगा, मैं इस विधेयक को विधान सभा में सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्य श्री सोमनाथ भारती जी से नियम 54 के अन्तर्गत ध्यानकर्षण प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जिसके अन्तर्गत उन्होंने विधान सभा में सदन पटल पर प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों के सम्बन्ध में मामला उठाया है। श्री सोमनाथ जी।

नियम-54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री सोमनाथ भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। जब से पिछले साल से जब से जनता ने मुझे विधायक बनाया। हर बार जब भी कोई रिपोर्ट, कोई डाक्यूमेन्ट टेबल किया जाता है हाउस के अन्दर तो वो हिन्दी और अंग्रेजी में और कभी-

कभी पंजाबी में भी होता है। हर भाषाओं में होना जरूरी है, अच्छा भी है लेकिन हममें से हर कोई एक Preferred language Prefer करता है और इस बात को मैं क्यों उठा रहा हूं उसके लिए थोड़ी सी बैकग्राउन्ड में बताना चाहता हूं कि इनवायरमेन्टल इम्पैक्ट है पेपर का। जिसको usually हम पेपर पालुशन कहते हैं। right from production to disposal वो इतना हैवी है इतना एनर्जी इन्टेन्सिव है और इतना डैमेजिंग है इन्वायरमेन्ट के ऊपर। उसका जो पल्प एन्ड पर का जो रैजिड्यू है 35 परसेन्ट वेस्टेज है। जो हमारा वेस्टेज प्रोड्यूस होता है उसका 35 परसेन्ट ऑफ क्वानिटिटी सिर्फ यूज पेपर का होता है और वर्ड वाइड ये फिनोमिना है कि पल्प मिल्स जो है they have been contributing tremendously to pollution of all levels. एयर का भी, वाटर एण्ड लैण्ड। और करीब-करीब वो 100 मिलीयन के.जी. किलोग्राम एप्रोक्स पॉलुशन वह प्रोड्यूस करता है। और पेपर बनने की प्रक्रिया भी बड़ी इण्टरस्टेटिंग सी है जो हम सब जानते हैं जिन पेड़ों को यूज करके पेपर बनता है।

जिन पेड़ों की हारवेस्टिंग होती है। हारवेस्टिड ट्रीज का 35 परसेन्ट यूज होता है पेपर्स के लिए। इसके कारण डीफॉरेस्टेशन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। मेरे दिल में एक ख्याल आया कि अगर इतनी बड़ी डेमेजिंग प्रोसिस है पेपर के कारण तो क्यों न ये सदन आपके जरिए एक मैसेज पूरे देश को और पूरे विश्व को दें। हममें से हर कोई पिछली बार जब बजट पेश हुआ तो हिन्दी का भी मिला, उर्दू का भी मिला, पंजाबी का भी मिला, इंगलिश का भी मिला। हम घर गए उसमें से किसी ने हिन्दी का उठा लिया, किसी ने उर्दू का उठा लिया किसी ने पंजाबी का तो सबका प्रीफेरड लेंगवेज है। तो आपके जरिए अगर यह हाउस यह resolve करें कि वो डाक्युमेन्टस हम

स्टार्ट करें वन लेंगवेज से कि हम लोग अपने-अपने प्रेफर्ड लेंगवेज में ही हमें डाक्युमेन्टस मिले। अगर यह हाउस इसको resolve करें तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि हम हर एम.एल.ए. कोई इंगलिश में चाहता है, कोई हिन्दी में चाहता है तो मैं आपके जरिए अपने साथी विधायकों से निवेदन करता हूं कि इस प्रपोजल के सपोर्ट में अपनी सहमति दे क्योंकि जब हम प्रॉस्पेक्टिव ईयर की बात करें तो ग्रेजुअली मुझे लगता है चूंकि इसको साथी विधायक रिफार्म के मूड में है। हमारी बजट पूरी रिफार्मेटिव थी ग्रेजुअली हम ई-विधानसभा की तरफ चले कि आने वाले समय में पेपरलेस विधानसभा हो। हमने ओनरेबल कोर्टस को भी पेपरलेस बनाने की ठानी है तो एक शुरूआत करें हम अगर हर विधायक अपने अपने प्रेफर्ड लेंगवेज में ही उनको वो डाक्युमेंटस व रिपोर्ट दी जाए। और आने वाले समय में हम पेपरलेस की तरफ बढ़े चूंकि हम में से अधिकतर लोग ई समझवाले हैं, सभी गैजेटस है जो पसन्द करते हैं। सबके पास मेजोरिटी के पास टेबलेटस है आई पैडस है तो उनके आई पैडस और टेबलेटस पर ही अगर ये डाक्युमेन्टस पी.डी.एफ. में ही दे दिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। उससे हमें पेपर के कारण जो इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट है उससे तो मुक्ति मिलेगी साथ में हम साथी विधायकों को डाक्युमेन्टस मैनेज करने में बड़ी सहायता मिलेगी। तो आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उप मुख्यमंत्री से भी ये गुजारिश करता हूं कि विधानसभा को विधानसभा बनाने में हमारी सहायता करें और हमारे साथी विधायक भी इसमें भरपूर सहयोग दें और हमारे भा.ज.पा. के तीन मित्र हैं आज बिल्कुल सफेद में आए है गांधी जी के तीन अनुयायी की तरह। मेरे साथी विधायक भा.ज.पा. के भी इसमें सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : कुछ कहना है इस विषय पर? बताइए बताइए।

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष जी अभी हमारे साथी भारती जी ने भाषाओं के बारे में बात की थी पेपर दिए जाते हैं हम लोगों को जो उनकी भाषा में हो। इस बात का तो मैं समर्थन करता हूं। मगर सबको ई-मेल द्वारा भेजे जाए उस बात का मैं विरोध करता हूं। क्योंकि अभी परसों शनिवार के दिन बहुत सारी महिलाएं मेरे आफिस पर आयी और उन्होंने बजट की कार्यवाही यहां की देखी।

अध्यक्ष महोदय : जगदीश जी, हलका फुलका कर दे सदन को, क्या पुरुष कभी नहीं आते आफिस में

श्री जगदीश प्रधान : बहुत सारी महिलाएं आयी पीड़ित थी, दुखी थी। वे यहां भाषण सुन रही थी कि हमारा बजट पेश हो रहा है। जो अपनी बच्चियों को दस दस किलोमीटर स्कूल छोड़ने जाती है, पीड़ित थी दुखी थी। वो आयी और उन्होंने कहना चाहा पूछना, चाहा कि प्रधान साहब, क्या हमारी बच्चियों के पढ़ने के लिए कोई यहां विधानसभा में कोई स्कूल की योजना है? क्या वो कह रही थी कि एक भाई बोलते हैं जिनके सिर पर बाल कम है।

अध्यक्ष महोदय : बजट सेशन में चर्चा कर लेना।

श्री जगदीश प्रधान : इंगलिश में बोलते हैं क्या वो भाषाएं हैं मैं चाहता हूं कि दिल्ली एक हिन्दी भाषी क्षेत्र है। अगर सब भाई हिन्दी में लेकर उससे बात करें तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा होगा।

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : हो गया प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने रखा हमारा व्यू आ जाएगा पूरा। अध्यक्ष जी, जगदीश प्रधान जी ने जो भी कहा है वो एक शार्ट में उनकी चूंकि महत्वपूर्ण विषय है या तो आप फैसला नहीं ले रहे, इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है अगर फैसला ले रहे हैं तो हमारा व्यू उस पर चल रहा है। जिस भी सदस्य का सबसे पहले हम ई-गवर्नेंस का ह्रदयों की गहराइयों से स्वागत करते हैं, पेपरलेस कहा जाता है लेकिन पेपरलेस हो जाए तो एक बहुत अच्छा कदम होगा। आन लाइन अगर आप एजेंडा देना चाहते हो तो हमें कोई परहेज नहीं है। हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज है जैसे जगदीश जी ने अपनी बहुत ही सरल भाषा में भावना रखी। बहुत सारे हमारे साथी होंगे जो, इसको प्रेफर नहीं करेंगे। मुझे लगता है जो लोग जिनको उसमें अच्छा लगेगा उनसे आप शुरूआत करिए और जो लोग नहीं प्रेफर करेंगे, उनको आपको...

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी यह चर्चा का नहीं है विषय।

श्री सोमनाथ भारती : Sir, majority of us would like to have docoments, reports received in PDF format. हमारे साथी विधायक सपोर्ट करेंगे। और अगर हो सके तो दिल्ली विधानसभा एक अच्छे मैसेज भेज सकती है पूरे देश में कि गुगल ड्राई एरिया आनलाईन ड्राइव के ऊपर कोई डाक्युमेन्टस स्टोर हो जाए और हम सभी अपना अपना ई मेल से वो एक्सेस मिल जाए। यह बड़ा अच्छा रहेगा कि जो ऐवरेज ऐज है इस बार आम आदमी पार्टी के विधायकों

की वो 40 है और हममें से अधिकतर लोग ई समझ रखने वाले है। वो बड़ा अच्छा रहेगा धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : ये अच्छा महत्वपूर्ण विषय है। मैं समझ रहा हूं इस विषय को अपनी सदन की कमेटी और जनरल परपज कमेटी में उस कमेटी को सौंपता हूं। जनरल कमेटी से प्रार्थना कर रहा हूं कि एक महीने के अन्दर सदन में इस बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें धन्यवाद।

अल्पकालिक चर्चा में मैंने अपना प्रस्ताव दिया है, इसको पूर्ण कर लूं, सदन इस बात से सहमत है? धन्यवाद। अल्पकालिक चर्चा, श्री जगदीश प्रधान जी संक्षेप में करें सब।

अल्पकालिक चर्चा

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष महोदय, काफी दिनों से सदन के अन्दर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कई बार चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्रियों ने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही। हमने उसका समर्थन किया कि दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही। हमने उसका समर्थन किया कि दिल्ली एक भ्रष्टाचार मुक्त सिटी हो, उसका हम हमेशा समर्थन करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। पर कहीं न कहीं से कई बार बू आने लगती है।

अध्यक्ष महोदय : ये मोबाइल किस सज्जन का बोल रहा है? देखिए, मैंने बार बार प्रार्थना की है मीडिया बन्धुओं से भी कि मोबाइल कृपया स्विच आफ करें। दर्शक दीर्घा में भी अगर कोई मोबाइल है, स्विच ऑफ करें।

श्री जगदीश प्रधान : जैसे अभी होर्डिंग के माध्यम से, इलेक्ट्रोनिक के माध्यम

से टी.वी. के माध्यम से रेडियो के माध्यम से जो प्रचार किया गया एक मिनट के अन्दर ग्यारह ग्यारह बार मुख्यमंत्री जी का नाम लिया गया। उस पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है दिल्ली की गाढ़ी कमाई का।

अध्यक्ष महोदय : जगदीश जी, वैसे इस विषय पर इसी सदन में इसी सत्र में चर्चा हो चुकी है। आपने भी बोला है ओम प्रकाश जी ने भी बोला है। दोबारा बोल लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ध्यान दिला रहा हूं कि इस विषय पर चर्चा हो चुकी है।

श्री जगदीश प्रधान : इस जनता की गाढ़ी कमाई को खर्च में ना बहाया जाए, जो जरूरतमंद चन्द लोग है उनकी जरूरत है शिक्षा की है पानी की है बिजली की है। इस पैसे को अगर उस पर खर्च किया जाए तो अच्छी बात है। मैं अध्यक्ष जी से प्रार्थना करना चाहता हूं और आग्रह भी कर रहा हूं मैंने आपके कमरे में भी जिक्र किया था कि इस विषय से हटकर जो बात है, मैं वहीं कहूंगा कि यहां जो पक्षपातपूर्ण रवैया देखने को मिल रहा है कि सदन में हमारे प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, उनको आज तक कमरा नहीं मिला और एक भारतीय जनता पार्टी को कमरा मिला है जब भी उसमें 10 पत्रकार बंधु आ जायें तो किसी सदस्य के वहां ओम प्रकाश जी वहां जायें बैठने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो पाती तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये दोहरी नीति न अपनाकर जो जैसे डी.डी.ए. के कमरे में दो डी.डी.ए. के माननीय भारती जी दूसरे शायद बग्गा साहब हैं उनकी नेम प्लेट हमारे आफिस के बराबर में लगी पड़ी हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर दोहरी नीति न अपना कर जब कि दो डी.डी.ए. के सदस्यों को आपने रूम दिए

हैं तो ओम प्रकाश शर्मा भी वो भी डी.डी.ए. के मेम्बर हैं, ये भी सदन के सदस्य हैं, उनको भी वहां रूम दिया जाए और प्रतिपक्ष के नेता को जो रूम पहले से अलाट होता था उसको अलाट किया जाये तो मैं समझूंगा कि दिल्ली में समान अधिकार की बात की है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, अब ये विषय ठीक नही है। उन्होंने विषय रख दिया लेकिन मैं इजाजत नहीं देता, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं प्लीज, नहीं, ऐसे नहीं। ये अल्पकालिक चर्चा है और तीन बजे से चार बजे तक। ... चलिए मैं इस विषय पर सदन को जानकारी दे दूं कुल विषय की। प्रैस कांफ्रेस के लिए पहली बार अलग से कमरा अलाट किया गया है जिसमें लगभग 30 से 35 कुर्सियां उपलब्ध हैं। ... विजेन्द्र जी ऐसे नहीं मैंने ... आपने कभी आकर मुझे बताया ... आपने कभी कहा है मुझे आकर मुझे अब अपनी बात करने दीजिए। अब हर बात को टोकेंगे तो उचित नहीं है ... ओम प्रकाश जी, मैं, भाई साहब उन्होंने तीनों विषय रखे हैं न। ओम प्रकाश जी आपने विषय रखा है। मुझे अपना उत्तर देने दीजिए न। आपने प्रश्न कर लिया मुझे उत्तर देने दीजिए अब इसका। ... विजेन्द्र जी ये उचित नहीं ... अच्छा बैठिये। बैठिये प्लीज। विजेन्द्र जी अब ... अनिल बाजपेयी जी प्लीज ... अब आप विजेन्द्र जी सुनने का माद्दा तो रखिये न। आपने अपनी बात रख ली। नहीं मुझे बताने दीजिए प्लीज। मुझे पूरा बताने दीजिए सदन को । प्रैस मीडिया खड़ा है मुझे जानकारी देने दीजिए। मैंने पहली बार इस सदन में अध्यक्ष बनने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि प्रैस कांफ्रेंस सब एम.एल.एज को अधिकार दिया जाये उनके कमरे घरों पर छोटे हैं या एक सेंटर में कोई प्रैस कांफ्रेंस करना चाहते हैं विधान सभा सबसे उपयुक्त स्थल है। एक कमरा अलाट किया

उसमें कुर्सिया मेज डलवाई। बाथरूम उसके साथ अटेच है। अगर कहीं वो कमी है उसमें किसी भी प्रकार की, मुझे विजेन्द्र जी या किसी विधायक ने अब तक आकर नहीं बताया, मैंने स्वयं उस कमरे को विजिट किया है। ये पहली बार हुआ इससे पहले कभी नहीं हुआ, एक सेकेण्ड। दूसरी बात विजेन्द्र जी ने जो बात की कि कमरा अलाट नहीं हुआ। मैं सदन को जानकारी देना चाह रहा हूं ये भी सदन में कभी नहीं हुआ कि एक दल के किसी के तीन सदस्य आये हों किसी के 67 आए हों। नहीं, नो कमेंटस,. नहीं विजेन्द्र जी, जरा प्लीज नहीं कोई अत्याचार नहीं है मैंने एक कमरा, नहीं कमरा नं. क्या है वो, कमरा संख्या क्या है ... कमरा संख्या 33 नम्बर कमरा, मैंने पूरा विपक्ष को अलाट किया है और पूरा कमरा है वो और दूसरी तीसरी बार ओम प्रकाश जी एक सेकण्ड अभी दो मिनट ... नहीं एक मिनट उसका मेरे से चर्चा कर लीजिए। मैं उत्तर देने में ... मैं बता रहा हूं बता रहा हूं उस चीज को भी बता रहा हूं बैठिये, हां मैं बता रहा हूं ... एक सेकण्ड भई आप नहीं बोलिये प्लीज। ... एक सेकण्ड, भई अब ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। भई, आप बैठ जाइये प्लीज। मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। ... भई ऐसे नहीं चलेगा बैठ जाइये। आप बैठ जाइये प्लीज। नहीं बैठ जाइये आप ... 32 नम्बर कमरा तीन सदस्यों की पार्टी को उसके अतिरिक्त पूरा 32 नम्बर कमरा बी.जे.पी. पार्टी को अलाट किया। तीन सदस्यों को मैंने दो कमरे अलाट किये हैं। ... अब रुक जाइये विजेन्द्र जी, अब रुक जाइये। नहीं ऐसे नहीं बात बनेगी। आप हर बात को मजाक में लेते हैं। सदन की गरिमा को नहीं समझते। आप बैठ जाइये प्लीज। आप बैठ जाइये। तीसरी बात ... आप वहां बैठिये अभी। तीसरी बात डी.डी.ए. के मेम्बरस को पहली बार इस सदन में हमने कमरे अलाट

किये हैं। मैं पूरी बात कर लूं ओम प्रकाश जी। ... मैं बात कर लूं अभी। मैं पूरी बात कर लूं। मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। आपको ध्यान में ला देता हूं। ये डी.डी.ए. के सदस्य जो बनते हैं अब तक यह रहा मैं भी इस विधानसभा का सदस्य रहा हूं। जो डी.डी.ए. के मेम्बर उस वक्त होते थे। फतेह सिंह जी भी रहे हैं। हम डी.डी.ए. के मेम्बरस को डी.डी.ए. के काम के लिए एज ए.एम.एल.ए. ढूंढते फिरते थे ये अपनी शिकायत, ये अपना काम डी.डी.ए. के मेम्बर के घर पर देने जायें, कहां पर देने जायें तो इसलिए निर्णय लिया कि डी.डी.ए. के सदस्यों को विधानसभा में बैठने की उचित व्यवस्था की जाये और उनसे समय भी मैंने मांगा कि कौन कौन से दिन किस समय आप बैठेंगे। उन्होंने समय भी दिया और उसका पत्र मैंने सभी विधायकों को भेजा। ओम प्रकाश जी मुझे व्यक्तिगत मिले उन्होंने मुझे कहा अध्यक्ष जी आपने दो को तो दे दिया। तीसरे को नहीं दिया। मैंने कहा ओम प्रकाश जी ये मैं स्वीकार करता हूं मैंने कहा मैं इस सैशन के बाद उस कमरे में, आप मुझे अपना समय लिखके दे दें, किस समय किस दिन आप वहां बैठेंगे। मैं मेम्बरस को इन्फोर्म कर दूं और आपका भी बोर्ड वहां साथ की साथ लगवा दूं। ... इसके बाद ... मैंने आपको कहा आप समय तो दे दें मुझे ... चलिये वो भी। अब समय का, इस विषय पर सदन का समय न नष्ट करिये। आप मुझसे आकर मिल लीजिए। ओम प्रकाश जी आप मुझसे आकर मिल लीजिए, प्लीज। नहीं, आप आकर मिल लीजिए जो विषय अध्यक्ष के कमरे के होते हैं। ये सदन के विषय नहीं होते। ... चलिये वो मैं देख लूंगा। आप आ जाइये आ जाइये। अल्पकालिक चर्चा। श्री दिनेश मोहनिया जी।

श्री दिनेश मोहनिया : बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, समय देने के लिए। मैं आपके माध्यम से बिजली कंपनियों द्वारा जो अभी बिजली के दामों में बढ़ोत्तरी करने का प्रयास फिर एक बार हो रहा है। ये 4 से 6 परसेंट बिजली के दामों में बढ़ोत्तरी हो रही है, उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने पहले भी इस विषय को उठाया था और तभी भी कुछ बिंदु रखे थे कि बिजली कंपनियां किस तरीके से साल दर साल हर बार ये कोशिश करती हैं कि बिजली के दाम लगातार बढ़ते रहें। उसमें डी.ई,आर.सी. का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि डी.ई.आर,सी. हर बार ये इनको इजाजत दे देता है कि आप बिजली के दाम बढ़ाइये, जबकि हर बार जितनी भी पेटिशन्स डी.ई.आर.सी. में लगी है जनता के द्वारा या आर.डब्ल्यू.ए. के द्वारा, उनमें हर बार ये मांग की गई है, हर बार ये तथ्य रखे गये हैं कि आप दाम घटायें, लेकिन डी.ई,.आर.सी, पूरी तरह उन तथ्यों को, उन पेटिशन्स को अनदेखा करते हुए बिजली के दाम बढ़ाने की परमिशन हर बार देता रहा है और ऐसा केवल अब नहीं हो रहा। सन् 2002 से जब से ये बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ है और बिजली कंपनियां, वितरण कंपनियां दिल्ली में आई हैं। हर बार हर साल दाम बढ़ाये गये और न केवल बिजली कंपनियों के दबाव में बल्कि कई बार तो ऐसा हुआ कि डी.ई.आर.सी. ने खुद ही प्रपोजल भेज दिया कि आप दाम बढ़ा लीजिए मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति है कि जिस पूरी व्यवस्था का निर्माण इसलिए हुआ था कि डी.ई.आर.सी. का प्राइवेटाइजेशन इसलिए हुआ था कि दिल्ली की जनता को बिजली सही ढंग से मिल सके और बिजली की आपूर्ति सही हो, लोगों को सुविधा हो। सस्ती बिजली मिल सके लेकिन इस पूरी व्यवस्था का फायदा डी.ई.आर.सी. और बिजली कंपनियों ने इस तरीके

से उठाया है कि हर बार दाम में बढ़ोत्तरी होती है और उनकी जो वितरण प्रणाली है जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। अभी गर्मियों के मौसम में आप देखेंगे कि लगातार पावर कट्स हो रहे हैं। जब भी हम डी.ई,आर.सी. का जो भी काम करने का तरीका है उसपर हमेशा से प्रश्नचिन्ह रहे हैं। वैसे डी.ई.आर.सी ने एक बार प्रपोजल भी भेजा कि बिजली के दाम घटने चाहिए लेकिन उसको एक किनारे करके और बिजली के दाम फिर बढ़ा दिये गये और न केवल दाम बढ़ाये गये बल्कि उनके जो चेयरमैन थे, उनको भी हटाया गया और इनमें कई ऐसे लूप होल्स दिखते हैं, जो बिजली कंपनियों की कार्यप्रणाली है जैसे कि पहले हमने कोशिश की थी कि बिजली कंपनियों का ऑडिट होना चाहिए लेकिन बिजली कंपनियां हमेशा से ही इस ऑडिट का विरोध कर रही हैं। डी.ई.आर.सी. ने कभी भी इस तथ्य को नहीं रखा कि आप अपना ऑडिट क्यों नहीं कराते। अगर बिजली कंपनियों के खातों में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई इनको दिक्कत नहीं है, मतलब उनको लगता है कि हमारा सब कुछ ठीक है, तो फिर ऑडिट कराने में क्या प्रॉब्लम है? ऑडिट कराने में तो जिस आदमी ने कुछ गलती नहीं की तो उसको अपने खाते दिखाने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बिजली कंपनियां हमेशा से आडिट का विरोध करती रही हैं। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण बिन्दु है कि बिजली कंपनियों की खरीद में जो घोटाला हो रहा है। मान लीजिए अपनी एक सिस्टर कंसर्न कंपनियां खोली हुई हैं। मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर खरीदना है उसकी बाजार में कीमत एक लाख रूपये है लेकिन ये बाजार कीमत से नहीं खरीदते ये क्या करते हैं कि उन्हीं कंपनियों से परचेज करते हैं जो इनकी सिस्टर कंसर्न कंपनियां हैं। जैसे कि एक ट्रांस्फार्मर

की कीमत एक लाख रुपये है लेकिन कंपनी दस लाख रुपये में देती है और ये उसी कंपनी से परचेज करेंगे जिसके कि दाम ज्यादा हैं। उससे होता ये है कि जो वितरण कंपनी का है उसको तो घाटा दिखता है लेकिन वो दूसरे तरीके से वो पैसा वापस उन्हीं के पास आ जा रहा है और इनको एक वैध तरीके का घाटा दिखाई देता है कि इन कंपनियों को इतना घाटा हो रहा है और फिर उसको डी.ई.आर.सी. में ले जाकर दिखा दिया जाता है कि हमें इतना घाटा हो रहा है। इस वजह से इसके दाम फिर आप बढ़ा दीजिए। इस तरीके से बिजली कंपनियां दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने का काम कर रही है, और ये केवल इसी साल नहीं हो रहा है ये हर साल का प्रोसेस है, पिछली बार इस सत्र के पिछले भाग में भी मैंने ये प्रश्न उठाया था और उनको समन करने की भी बात हुई थी लेकिन शायद उसको एक समिति में बुलाया गया डी.ई.आर.सी. चेयरमैन को इसमें एक और महत्वपूर्ण बिन्दु है कि जब ये प्राइवेटाईजेशन हुआ था बिजली कंपनियों का तो दिल्ली सरकार की जितनी परिसंपत्तियां थीं जैसे ऑफिसेज, ट्रांसफामर्स और जितनी भी।

अध्यक्ष महोदय : दिनेश जी कन्क्लयूड कीजिए, प्लीज।

श्री दिनेश मोहनिया : उन अचल संपत्तियों को भी इन प्राइवेट कंपनियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया। उनको ये कहा गया कि आप इन परिसंपत्तियों को ले लीजिए और वो इतना ज्यादा उसकी संपत्तियों की कीमत है कि अगर हम उन पर ब्याज लेने लगें, दिल्ली सरकार को उनका किराया भी मिले तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक धनराशि सरकार के पास आ सकती है।

मुझे लगता हे कि इस चीज को हमें करना चाहिए और अभी कुछ दिन पहले बिजली कंपनियों ने फिर लूटने का एक और नया तरीका निकाला है। उन्होंने ये कहा कि हमें एक बेलआउट पैकेज दे दीजिए। आप जो हमारा घाटा हो रहा है, उसको भी अब सरकार पूरा करे। तो मुझे लगता है कि अगर हम आज बेलआउट पैकेज की बात कर रहे हैं तो जो ये दिल्ली की जनता ने बड़े मैन्डेट के साथ इस सरकार को भेजा है तो वह एक धोखा होगा यह बेलआउट पैकेज देना। मुझे लगता है सदन की भावना ये है कि जो 4 से 6 परसेंट बिजली के दामों की बढ़ोत्तरी हो रही है वो, नहीं होनी चाहिए, इस तरह की इस सदन की भावना है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अन्य कोई सदस्य भाग लेना चाह रहा है चर्चा में हां, बोलिये सहरावत जी। देख लिया मैंने ओमप्रकाश जी तीन लोगों के नाम में आये हैं। ठीक है।

कर्नल देवेन्द्र सहरावत : अध्यक्ष महोदय, बिजली कंपनियों की जो कार्यवाही है उसके बारे में इस सदन में बार-बार चर्चा हो चुकी है। मेरा ये मानना है कि निजीकरण के लिए जो कानून बना था, इसको हमारी सरकार को रिविजीट करना चाहिए। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं, जिस पर प्राइवेट ऑपरेटर को इतने अनुचित लाभ दिये गये हैं जो कि जनहित में नहीं हैं। एक तो जो है प्राइवेट ऑपरेटर को 15 प्रतिशत assured return प्रावधान में दिया गया है। इसके अलावा जो grivance redressal है जो उपभोक्ता को अगर शिकायत करनी है तो उसी के पास जाना पड़ता है जिसके खिलाफ शिकायत हो रही है। तो आज के दिन इतनी शोषण की

नीति है कि अगर आपके ऊपर साठ हजार रुपये की जो पेनल्टी लगा दी तो आपकी बात तब सुनी जाएगी जब आप पहले चालीस हजार रुपये जमा करवा देंगे। तो इसीलिए जो उपभोक्ता है उसका उसमें बहुत अधिक शोषण हो रहा है। इसके अलावा जो accrual account है जैसे कि हमने गुड़गांवा वाले टोल वाले मामले में देखा था, जो पी.पी.पी. प्रोजेक्ट्स हैं जो प्राइवेटाइजेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जो ऑपरेटर है, वो अपनी मर्जी से खर्चा दिखाता है और उसके हिसाब के अनुसार आपको घाटा या मुनाफा तय करना पड़ता है। इसी तरीके से ये टोल वाले मामले में भी किया था कि गाड़ियां under report हो रही थीं और यही मामला यहां पर भी चल रहा है जो प्रोक्योरमेंट होती है उनको high price करके procure किया जाता है और पूरा घाटा लगातार दिया जाता है। इस एक्ट में ये प्रावधान था कि जब निजीकरण हुआ तो उस समय पर दिल्ली में बिजली के 40 से 50 प्रतिशत के लॉसेज थे तो एक्ट में ये प्रावधान था कि जो लॉसेज में से जो बचत होगी वो उपभोक्ता को पास की जाएगी। आज के दिन जो लॉसेज हैं वो 9 से 12 प्रतिशत पर आ चुके हैं इतना जो 50 से लेकर जो 12 प्रतिशत तक घटा हुआ है, उसका कोई भी लाभ उपभोक्ता को नहीं दिया गया जो कि इस पूरे एक्ट में डाला गया था। और एक और मामला है earthing एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आपकी power consumption पर फर्क पड़ता है पिछली बार जब 49 दिन की जो हमारी सरकार आई थी तो उन्होंने ये कार्यवाही शुरू की थी बिजली कंपनियों में और earthing करने का काम जो है सभी उपभोक्ताओं के लिए किया था लेकिन वो काम फिर से अभी उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है और उसके ऊपर कार्यवाही नहीं करी जा रही तो मेरा ये आग्रह है कि इसके ऊपर इस

विषय के ऊपर ये मुद्दा बार-बार उठता तो रहता है लेकिन concrete कुछ substantial इसके ऊपर अभी तक कुछ हो नहीं पाया है तो मेरा इस सदन से ये आग्रह है कि एक स्टडी ग्रुप बनाकर और इस पूरे कॉन्ट्रेक्ट को मेरे ख्याल से रिविजीट किया जाए। इसके ऊपर जो है पुनर्विचार किया जाए सरकार की तरफ से। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : एन.डी. शर्मा जी।

श्री एन.डी. शर्मा : धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी विधानसभा में जब हम जनता दरबार में बैठते हैं, काफी लोग आते हैं कि जिनके मीटर को किसी भी कारण से बिजली कंपनियां उतार लेती हैं या खराब हो जाता है या वो चैक करवाने के लिए बोलता है कि मेरा मीटर फास्ट चल रहा है, इसको उतार लीजिए और उसके बाद उसके पास एक बिल आता है सत्तर हजार का, पैंसठ हजार का, चालीस हजार का, बीस हजार का वो कहता है जी आपने मीटर में कुछ किया हुआ है। मीटर के साथ में छेड़छाड की हुई है। अब एक चीज समझ में नहीं आई, जो आदमी एक पंखा, एक छोटा सा कूलर दो कमरे के मकान में रहता है वो इतना परेशान होता है कि कई बार तो आकर रोने लगते हैं उस बिल को देखकर जब बिल आता है तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलता है। वो कहते हैं जी वो हमारी लैब में जाता है तो लैब किसकी है जी ये? लैब भी तो उनकी है और जब उनको उस कोर्ट में जाना पड़ता है जो बिजली कंपनियों ने प्राइवेट अपने बिठा रखे हैं वो भी जनता का खून चूसने का काम करते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब आठ साल के अन्दर, मैं अपनी विधानसभा की बात करता

हूं, आठ साल में आठ बार अगर बिजली के बिल बढ़ जाते हैं तो आठ साल में लोड भी क्षेत्र में बढ़ता भी है जी। पहले लोगों के पास पंखे होते थे, फिर कूलर आये और अब लोग ए.सी. लगाते हैं और आज सभी घरों में ए.सी. हैं। तो लोड बढ़ाये। लेकिन लोड बढ़ाने के लिए अगर आप धन ले रहे हैं, जनता से ज्यादा पैसा ले रहे हैं तो उसके लिए केबल बड़ी कीजिए जिससे वह लोड ले सके। रात में दो दो तीन तीन घण्टे बिजली काट दी जाती है कि लोड ज्यादा है, इसलिए फॉल्ट हो गया। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है और मैं आपके माध्यम से सदन का और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर बिजली कम्पनी बार बार जनता से पैसा चूसती है, पैसा लेती है तो उस जनता के लिए कम से कम वह केबल तो चेंज करे और जो एक मीटर उखाड़कर ले जाया गया है, उसके बाद जाकर कह रहे हैं कि आपकी ओर 70 हजार का बिल है। तो कम से कम उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, उसके सामने खोला जाना चाहिए। लैब में जाकर खुलता है। लैब में क्या उनके अपने लोग नहीं होते क्या? मेरे कहने का मतलब है कि पहले ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कम्पनी इसी तरह से आयी थी व्यापार करने। ये ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भी बाप हैं, जो आये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप समअप कीजिए।

श्री एन.डी. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात हो गयी। मैं यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री ओम प्रकाश शर्मा जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मोहनिया जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है और उसके बाद सरकारी पक्ष की ओर से जितने भी सदस्य बोल रहे थे, मैं उन सभी का समर्थन करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जब बिजली कम्पनियां दिल्ली के लोगों का जो शोषण कर रही हैं, आज से पहले जो 49 दिन की सरकार आई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सनसनीखेज खबरें बनाई। 'आप' जो सरकार है आज, वो उन बिजली कम्पनियों में बराबर की पार्टनर है। एकआध परसेंट का ही तो फर्क है।...बहुत ज्यादा है क्या? आप लगातार सनसनीखेज उसको बना रहे हैं। 49 दिन की सरकार और अब ये जो 4 महीने की सरकार रही है, इसमें भी अनेकों अनेक बार बहुत से लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और मेरा ये कहना है कि इस सभा में बैठे हुए 70 के 70 लोगों का ये सोच बनता है कि बिजली कम्पनियां दिल्ली के नागरिकों का शोषण कर रही हैं लेकिन उन कम्पनियों में दिल्ली सरकार सहभागी होने के बाद भी आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। करने की आपकी मंशा नहीं है। करना आप चाहते नहीं हैं या करने की आप में योग्यता नहीं है। तो कृपया इसके बारे में कोई सख्त या तो कोई कमेटी बनाई जाये और वह निष्पक्ष इसकी जांच करे और लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाये। न केवल अखबारों में अपने फोटो छपवाना, तरह तरह की बातें करना, सनसनीखेज बात करना, लेकिन आज जो एक डेढ़ साल का समय बीता है, उसमें कोई किसी प्रकार का एक बिन्दु मात्र भी दिल्ली के लोगों को बिजली कम्पनियों से कोई राहत नहीं मिल पाई है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन है कि कृपया इसके ऊपर ठोस कार्रवाई करें और दिल्ली के लोगों को उससे निजात दिलायें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश ऋषि।

श्री राजेश ऋषि : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे नियम 15 के अन्तर्गत राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, हमें बड़ा गर्व होता है कि हम देश का दिल कहे जाने वाली देश की राजधानी में रहते हैं, जहां हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री भी रहते हैं। आज दिल्ली की कानून व्यवस्था का सीधा सीधा जिम्मा केन्द्र सरकार के हाथ में है। क्योंकि दिल्ली पुलिस पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण है। और केन्द्र सरकार सीधे सीधे या उपराज्यपाल महोदय के माध्यम से जनता की चुनी हुई बहुमत की आम आदमी पार्टी की न्यायपूर्ण सरकार को परेशान करने में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस का खुलेआम प्रयोग करने में लगी है। कानून व्यवस्था का उन्हें कोई ध्यान नहीं है। जहां तक कि दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार, ए.सी.बी., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर केन्द्र ने हाल ही में अपने विशेष रूप से चुने भ्रष्ट अधिकारी को थोपने की कोशिश की है। इससे केन्द्र सरकार की मंशा सामने आती है कि भ्रष्टाचार...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। आप उनको बोलने का मौका नहीं देंगे क्या? आप बोल चुके हो।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी, आप जारी रखिये।

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की सरकार चाहती है कि थानों

के अंदर भ्रष्टाचार होता रहे। वह आज भ्रष्टाचार को नहीं मिटाना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्र की सरकार इन ओछी हरकतों के कारण दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली की जनता बिगड़ती कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस की लापरवाही से परेशान है। आये दिन डकैती, छीना झपटी, बलात्कार और हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अपराधों के आंकड़े बहुत भयानक हैं। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के इस साल के 4 महीनों में आंकड़े सामने आये हैं, 1474 मामले दर्ज किए गए, इसमें 2014 के हम आंकड़े देखें तो 1255 थे। मोटर वाहन की चोरी के मामले देखें तो इन चार महीनों में 9112 मामले सामने आये। जब कि पिछले 2014 में 6519 थे। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार डकैती के मामलों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। मैं आपको आपको प्रतिशत के हिसाब से 2013 और 2014 के आंकड़ों के बारे में बताना चाहता हूं। 2013 में डकैतियां 31 हुई थी। जब कि 2014 में 78 यानी इनका प्रतिशत 151.61 परसैंट बढ़ा। ऐसे ही चोरियां 2013-14 में 458 प्रतिशत बढ़ी, चेन स्नेचिंग 119.41 प्रतिशत बढ़ी। धोखाधड़ी के मामले 2229. 89.62 परसेंट बढ़े। चोरी के मामले 327.74 प्रतिशत बढ़े। कार चोरी के मामलों में 59.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्य जो चोरियां थी उसमें 284.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऐसे ही रेप के मामले 1571 2013 में थे और 2014 में 2059 यानी 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं जो ...2013 में 80184 वह बढ़कर 2014 में 147230 पर पहुंच गया। अध्यक्ष महोदय, आज विदेशों में रहने वाले देश के प्रधानमंत्री आदणीय मोदी जी, जनता से मन की बात करते हैं। मैं

प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश में बेटी बचाओ प्रोग्राम का प्रारम्भ किया। देश की जनता को निहालचंद जैसे लोगों से अपनी बेटियों को बचाने के लिए आगाह किया है। आदणीय मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी दिल्ली की जनता की मन की बात भी सुन लें जो दिल्ली के अंदर कानून की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, उस पर भी ध्यान दें। जिस सरकार के पास पुलिस नहीं है, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को वह कैसे निभा सकती है कैसे वह ला एण्ड ऑर्डर को ठीक कर सकती है?

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड कीजिए।

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम केन्द्र में बैठी बी.जे.पी. सरकार के मुखिया आदणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि फ्लाइट मोड से निकलकर आप दिल्ली की गिरती कानून व्यवस्था के बारे में सोचें। दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के प्रति उत्तरदायी बनायें जिससे कि गिरती कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। और इस क्राइम सिटी, जिसे मीडिया के लोग क्राइम सिटी कहते हैं, इसे पीसफुल सिटी बनाया जा सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का अवसर दिया। लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति दिल्ली में लगातार बहुत ज्यादा दयनीय होती जा रही है। ये तो हम जानते ही हैं कि दिल्ली सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस नहीं है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस को करना

चाहिए, जिस तरह के एक्शन लेने चाहिए, एक्शन लेने की बजाय एडवर्स एक्शन लेती है। दिल्ली के अंदर जो अपराध होते हैं, पहली बात तो अपराध दर्ज नहीं होते हैं, और जो दर्ज होते हैं अगर उसके कन्विक्शन रेट देखा जाये तो उनमें से मुश्किल से 5 परसैंट केसेज में कन्विक्शन होता है। बाकी केसेज तो बस बरी हो जाती हैं। इससे दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर, इन्वैस्टिगेशन पर प्रश्नचिन्ह लगता है कि आखिर कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है? मुझ ो लगता है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी...जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफीसर्स होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय दूसरे कामों पर उनका ज्यादा रहता है। आज दिल्ली की हालत ये है कि दिल्ली की ज्यादातर बस्तियों में नारकोटिक ड्रग्स और इलीगल पदार्थ खुलेआम देखने को मिलते हैं। और जो पुलिस में शिकायत की गई हैं, पुलिस अवैध रूप से बेची जा रही है शराब या नारकोटिक्स ड्रग्स को रोकने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रही है। सट्टा, मेरी विधान सभा में क्या पूरी दिल्ली में सट्टा बहुत तेजी से चल रहा है। और मुझे जो जानकारी मिली है कि यह पुलिस के संरक्षण में चल रहा है मैंने जब लिखित में शिकायत की तो देखने में आया कि पुलिस के अधिकारी उन घरों पर जाते हैं, जहां सट्टा चलता है। जहां इल्लीगल शराब बेची जाती है। जहां नारकोटिक्स ड्रग्स बेची जाती हैं और पुलिस के अधिकारी वहां जाते हैं और खा पीकर वहां से चले आते हैं। कोई एक्शन नहीं लेते हैं और चेन-स्नैचिंग, मोबाइल स्नेचिंग उसकी घटना भी पिछले सालों की तुलना में बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही हैं। और पुलिस उसके इन्वेस्टिगेशन में ध्यान देने की बजाय, पहली बात तो मुकदमा ही दर्ज नहीं करती और अगर दर्ज कर देती है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। लाखों मुकद्दमें चोरी के, चैन

सेनेचिंग के और मोबाइल सेनेचिंग के आज भी ऐसे हैं जिसमें कोई investigation करके पुलिस ने चालान फाईल नहीं किया। बल्कि बड़ी मात्रा में इस तरह का देखने को आया है कि पुलिस उसमें अनट्रेस की रिपोर्ट फाइल कर देती है।

अध्यक्ष महोदय : शार्ट करिए प्लीज।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : ठीक है। मैं लास्ट खत्म करता हूं। अंत में मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक बात की ओर कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से दिल्ली के ज्यादातर roads पर अवैध रूप से कब्जे बढ़ते जा रहे हैं और विशेष रूप से पुलिस के प्रोटक्शन में बढ़ रहे हैं। हमने पुलिस को लिख के दिया, उसके बावजूद पुलिस उन कब्जों को हटाने में किसी प्रकार का इन्टरेंस्ट नहीं दिखा रही है। बल्कि ऐसा लगता है जैसे पुलिस वो कब्जे खुद करवा रही है। अभी 23 तारीख से डी.एम. साहब और एस.डी.एम. साहब के माध्यम से मेरी विधान सभा क्षेत्र में जहां अवैध रूप से गाड़ी कटती है, चोरी की गाड़ियां कटती हैं। वहां पर पुलिस की प्रोटेक्शन मांगी गई। वहां पर गये लेकिन जाने से पहले पुलिस ने पूरी सूचना उन अवैध चोरी की गाड़ी काटने वालों को कर दी। उन लोगों ने रातों-रात वहां से अपनी सारी गाड़ियां काट के गायब कर दी। और जैसे ही 23 तारीख को एस.डी.एम. और डी.एम. के नेतृत्व में पुलिस वहां पहुंची और अपनी कार्यवाही कम्पलीट करके जो थोड़ा बहुत मिला, वहां से उठाया वापिस गई, उसके जाने के तुरन्त बाद वो कब्जे करने वाले लोग वापिस वहीं पे आ गए हैं। कल मैंने जाके पूरा एरिया विजिट किया है। और दुख

की बात तो यह है जो डी.एम. ने लेटर लिखा था, डी.सी.पी. साहब को उन्होंने ये इंगित किया था उसमें कि यहां जब भी कार्यवाही की जाती है इस अवैध निर्माण को रोक के कब्जा साफ कराने की तो जैसे ही कब्जा वापिस लिया जाता है और पुलिस प्रशासन वहां से वापिस जाता है। वापिस वो दुबारा कब्जा करते हैं फिर से गलत काम करते हैं तो उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जाए और उस लैटर के बावजूद वो लोग वापिस आ गए 23 तारीख की रात को और अभी तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई। ये शर्म की बात है अगर पुलिस दोबारा encroachment हटा करके, कब्जा सरकार वापिस लेने के बाद लोग दोबारा कब्जा करते हैं। अगर पुलिस उन पे एफ.आई.आर. दर्ज करना शुरू कर दे तो इस तरह के कब्जे होने बन्द हो जायेंगे। अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि पुलिस को लिखा जाए बल्कि कमीश्नर साहब को सदन में बुलाया जाए और उनको अवगत कराया जाय जनभावना से कि किस तरह जनभावनाओं की बेकद्री दिल्ली पुलिस कर रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। जो हमारे साथी ऋषि जी ने इस मुद्दे को उठाया। उसके तीन पहलुओं पे अपना मत रखना चाहता हूं। पुलिस के ऊपर हम बहुत चर्चा करते हैं। पुलिस एक टूल की तरह हमने पहले भी इस सदन में कहा था। जैसे एक चाकू है, उस चाकू से बहनें खाना भी बनाती हैं, और चाकू से बदमाश किसी की गर्दन भी काट सकता है। तो पुलिस तो टूल है। अगर उन नेताओं के हाथ पड़ेगा, जिन्होंने

अपने उल्लू सीधे करने हैं, चाहे वे भा.जा.पा. के हों या कांग्रेस के हों तो पुलिस तो वही करेगी जो आज कर रही है। लेकिन यदि आम आदमी पार्टी के नए political venture में अगर पुलिस आती है तो यही पुलिस मुझे लगता है जब भी यह होगा तो यही पुलिस जनता की सेवा करती दिखेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे भा.जा.पा. के मित्र तब से उछल रहे थे कि भई हाई कोर्ट ने आज ये कर दिया। हाईकोर्ट ने मीणा साहब को ये कह दिया बड़े honest बड़े ईमानदार हैं। यहां उनको कानून की समझ थोड़ी कम है। ये आज Hohb'le High Court ने नोटिस किया है Central Govt. को। अगर उस एप्लीकेशन में मैरिट नहीं है तो Hohb'le High Court नोटिस इश्यू नहीं करती। तो नोटिस इश्यू का मतलब है उस एप्लीकेशन में मैरिट है। अरे भई रिलिफ मिल गया है। बैठ जाइये ना सर।

अध्यक्ष महोदय : चलिए। अभी गए तो नहीं हैं। अब विषय खत्म करिये। देखिए, सोमनाथ जी संक्षेप करिए इसके बाद बजट पर भी चर्चा होनी है। जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। और किसी में इजाजत नहीं देता हूं। प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती जी : हाईकोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है। केन्द्र सरकार को उस मुद्दे के ऊपर। तीसरा ये जो बार-बार भा.जा.पा. के लोग उछलते रहते हैं उस पर एक सोलूशन मैं suggest करता हूं। अगर ये investigation और Law and Order को अलग कर दिया जाए। Law and Order माना कानूनन संवैधानिक रूप से हमारे पास नहीं है। लेकिन investigation अगर पुलिस से छीन करके और दिल्ली सरकार अपने अन्दर लेकर के पूरा सेट करे तो इनका सारा जितना जो कुछ भी इनकी मंशा है पुलिस को दुरुपयोग करने

का सारा धरा का धरा रह जाएगा। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके जरिए दिल्ली सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर विचार करें कि investigation को Law and Order से अलग करके दिल्ली पुलिस को वास्तविकता में वो फ्रीडम दी जाए जिससे कि भा.जा.पा. उनको वंचित रख रही है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : चलिए। सदन 4.45 तक चाय के लिए ब्रेक होता है उसके बाद बजट पर चर्चा होगी। ठीक 4.45 बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन अपराह्न 4.50 पुनः समवेत हुआ

अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

बजट पर चर्चा

अध्यक्ष महोदय : 2015-16 वर्ष के वार्षिक बजट पर चर्चा आरंभ करते हैं। नेता विपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता जी शुरूआत करें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, वर्ष 2015-16 का बजट एसटिमेट यहां पर आदरणीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी ने पेश किया था और लगभग सवा दो घंटे पिन ड्राप सायलेंस और आपने बाद में इस बात को भी व्यक्त किया था कि आज विपक्ष ने बहुत संयम के साथ, बहुत ध्यान से और मैं एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुन रहा था क्योंकि मुझे लगता है कि बजट इस सदन का एक अभिन्न अंग है और अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और चूंकि लेखानुदान आया था तो हमारा तो यही ध्येय था कि बजट जो है वो फरवरी के बाद मार्च में यहां चर्चा में आये लेकिन सरकार ने लेखानुदान पेश किया और कहा कि हम अभी आये हैं सत्ता में, हमें सोचने

समझने का अवसर दिया जाये। हम तीन महीने के लिये लेखानुदान लायेंगे और जून में बजट सत्र होगा, तो वास्तविकता में तो ये बजट सत्र है जिस पर आज हम सब लोग चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। मैं इसमें दो तीन बातें ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि वित्त मंत्री ने कहा कि बजट सरप्लस है और कोई fiscal deficit नहीं है। fiscal सरप्लस है लेकिन वास्तविकता ये है कि बजट fiscal deficit का बजट है। यहां पर सदन के समक्ष कहा गया कि लगभग 371 करोड़ सरप्लस दिखाया गया लेकिन यह बजट fiscal deficit Budget at a glance 22 no. item जिसके अनुसार जो कुल सरकार की प्राप्तियां हैं वो हैं 39 हजार 984.13 करोड़ और जो खर्चे सरकार ने दिखाये हैं वो दिखाये हैं 41 हजार 129 करोड़ के। इसके हिसाब से ये deficit बनता है लगभग 1500 करोड़ का। इसमें अगर हम एक आईटम भी और ऐड कर लें सरकार अगर उसको ऐड करना चाहे तो तब भी यह बजट 1144 करोड़ माइनस में जाता है लेकिन अगर fiscal deficit की परिभाषा जो है उसकी हम बात करें तो यह माइनस 417 करोड़ का बजट है। बजट प्रस्ताव में ही अगर प्रस्तुत करते समय ही deficit हो रहा है और जिस तरह से inflated figures दिखाई गई हैं receipt में, उससे तो यह साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के सामने एक संकट बढ़ने वाला है क्योंकि जितने खर्चे यहां दिखाये गये हैं उतनी आमदनी होने वाली नहीं है। उतनी आमदनी सरकार ने ये तमाम जितनी figures दिखाई हैं बहुत inflated हैं। मैं उसको विस्तार से यहां जिक्र करूंगा और सरकार से हम एक उम्मीद कर रहे थे कि सरकार Austerity की कुछ बात करेगी, सादगी की बात करेगी। हम ये उम्मीद कर रहे थे वित्तमंत्री जी से जो अनाप-शनाप खर्चे हैं, उनमें कुछ कटौती की जायेगी। उसके बारे में बजट में कुछ

चर्चा होगी और जैसा कहा जाता था सत्ता में आने से पहले जैसे पिछली बार रिक्शा में आ रहे थे, तमाम चीजें थी, तो शायद जब नया बजट आयेगा तो कुछ सादगी की बात होगी लेकिन हो तो उल्टा रहा है। सादगी तो दूर 21 पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी बना दिये गये हैं उनको गाड़ी घोड़ा दे दिये गये हैं और फिर उसके आफिस आफ प्राफिट से बाहर आने के लिये सरकार ने कानून में ही एमेंडमेंट कर दिया। मंत्रियों पर होने वाला खर्च शीला दीक्षित जी की सरकार से भी ज्यादा कर दिया गया। शीला दीक्षित जी की सरकार में मंत्रियों का जो खर्च था वो लगभग सालाना सात करोड़ 30 लाख रुपया था लेकिन अब सात करोड़ उन्यासी लाख है। पचास लाख रुपये से भी ज्यादा। मंत्रियों के खर्च जो हैं वो इस वर्ष बढ़ा दिये गये हैं। ये Austerity की बात है। ये पार्टी को डबल स्पीक जिसको कहते हैं डबल स्टैण्डर्ड। ये साफ रूप से सामने आ जाता है। एक तरह से वित्त मंत्री जी ने deficit बजट को सरप्लस बजट कह के सदन को गुमराह किया और ओपनिंग बैलेंस के बल पर उसको सरप्लस दिखाने की कोशिश की है लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता इसका fiscal deficit क्या है receipt और expenditure जो वास्तविक expenditure और वास्तविक receipt है उसमें expenditure ज्यादा है और receipt कम है। दूसरा, हमारा यह कहना है कि मंत्री जी ने यहां पर सदन को गुमराह किया नगर निगम के मामले में। उपमुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट speech में कहा कि 5908 करोड़ रुपया हम नगर निगम को दे रहे हैं। कितनी हैरानी की बात है कि 5908 करोड़ रुपया जब आप कह रहे थे उसमें आपने 1394 करोड़ जो municipal taxes हैं जो आप on behalf of municipalities आप उनको collect कर रहे हैं। वह उनका discretionary tax है। वो रखे या ना रखें और

अध्यक्ष जी, सिर्फ Municipality के बिहाफ पर नहीं कर रहे, इसके charges लिये जा रहे हैं साढ़े तीन परसेंट। यानि कि जो टैक्स नगर निगमों का है और जिस पर आप साढ़े तीन परसेंट collection charges ले रहे हैं क्योंकि आप collect करते हैं वो, उसको आपने अपने खाते में लिख दिया। ठीक इसी तरह से आपने one time parking charges ये भी आप Municipality के बिहाफ पर इकट्ठा कर रहे हैं। साढ़े तीन परसेंट ले रहे हैं, उसको भी आपने कर लिया। 16,64 crore रुपया plan outlay का पैसा इसको भी आपने अपने खाते में लिख लिया। plan outlay जो है वो सीधे सीधे तौर पर केन्द्र की पंचवर्षीय योजनाओं का हिस्सा होता है। तो एक तरह से इस सदन को जो गुमराह किया गया और वो गुमराह किया गया कि आपने यह जो म्युनिसिपल कारपोरेशन के कुल पैसे हैं, उसको अपने में दिखाकर के और दिखाया कि 14.4 प्रतिशत शेयर Govt. of Delhi के रेवेन्यू का हम शेयर दे रहे हैं। जो आपकी आय नहीं है, जो आपकी आय का हिस्सा नहीं है, उसको आप सदन के समक्ष गुमराह क्यों कर रहे हैं, यह हमारी समझ के परे हैं। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली नगर निगमों के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को नहीं लाया जा रहा, अब बजट पेश हो रहा है और दिल्ली फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है, उस पर डिस्कशन नहीं हुआ है। इसका मतलब यह मान लिया जाये कि आप prejudice है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर कोई प्रावधान आप इस बजट में करने की मनोस्थिति में नहीं है। यह एक तरह का संवैधानिक व्यवस्थाओं का खुलेआम उल्लंघन है।

अध्यक्ष जी, यहां पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो रेवेन्यू में

आपने फिगर्स दी है वो inflated है, पहला आपने लगभग 18 हजार करोड़ रुपया आपकी वैट से प्राप्तियां हैं सैल टैक्स की, 2013-14 में 17925.70 करोड़ आपने सैल टैक्स इकट्‌ठा किया था सरकार ने।

अध्यक्ष महोदय : वैट

श्री विजेन्द्र गुप्ता : किताब में सेल टैक्स ही लिखा है तो वैट कह लीजिए इसको, सेल टैक्स कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। अब प्रश्न यह है, हालांकि मैं सुबह तक तो सोच रहा था कि मैं मनीष जी को सदन में भी कहूंगा और सदन से अलग भी कहूंगा कि थोड़ा सा इस पर विचार करो यह छह हजार करोड़ जो है ये मुझे नहीं लगता कि आप इसको अचीव करने जा रहे हो, क्योंकि आप क्या तरीका अडोप्ट करेंगे, क्या व्यापारियों को जेल में डालेंगे, क्या व्यापारियों पर सख्ती करेंगे, क्या करेंगे 6 हजार करोड़ का अर्थ है कि लगभग 33 परसेंट से ज्यादा। 33 परसेंट जो है वो आप वैट से अतिरिक्त इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं लेकिन अभी जब हम यहां पर आये तो सदन पटल पर एक बिल आया। अब बिल को देखकर के पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं गलती पर हूं, क्योंकि कल ही तो उप-मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वैट बढ़ेगा नहीं, जोर-शोर से कहा था, सर, कहा था ना और आज जो बिल लाये हो वो उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। आप 20 परसेंट की capping हटा रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स से और तमाम चीजों से उसको तीस परसेंट पर लेकर जा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं हम वैट बढ़ायेंगे नहीं और आप चोर दरवाजे से एक बिल लाते हैं जिसमें कोई एक दर्जन से ज्यादा आइटम डेली यूज की है जिसकी capping आप हटा रहे

हैं और उसको मैक्सिमम तक ले जा रहे हैं 30 परसेंट तक तो इसका मतलब सरकार की नीयत साफ है कि टेबल पर बिल लाना और capping को हटाना, मैं चाहूंगा इसके बारे में भी उप-मुख्यमंत्री जी जरूर अपने वक्तव्य में स्थिति स्पष्ट करें कि आप इस बिल में से यह capping क्यों हटा रहे हैं, यह अमेंडमेंट का आधार क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और इसकी जरूरत क्या है? एक चीज जो यहां पर और की जा रही है और वो यह है कि शराब के लिए आप पता नहीं इतने मेहरबान क्यों है? आपने अपने भाषण में कहा कि गली-गली में शराब कैसे बिक सकें और यह सिम्पलीफाई कैसे हो सकें, इस पर हमारा पूरा ध्यान है और वो शब्द भी मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन न रहे। ऐसा है, ये पुस्तक इनकी है मेरे हाथ में, मेरी पुस्तक यहां है उस पर निशान लगे हुए हैं, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। देखिये, हंसना बहुत आसान है, ठीक है कुछ काम करना बहुत मुश्किल है। कुछ काम करिये आप, आपको अरविंद केजरीवाल जी ने इसलिए टिकट नहीं दी थी कि आप सदन में आकर बातें ही करें बस। कुछ काम करिये।

अध्यक्ष महोदय : विजेंद्र जी, आप इधर बात करिये। आप उधर नहीं, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, उप-मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली सरकार की आबकारी शुल्क में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : विजेंद्र जी, आप पेज नंबर बोल दीजिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : पेज नंबर 41 और पैरा नंबर 145 सरकार का, सुनते रहना फिर हंसने का मौका मिले बीच में, तो हंसना। सरकार का आबकारी शुल्क में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि इसमें पिछले वर्ष बढ़ोत्तरी की गई थी। लेकिन हां, इसी प्रकार होटलों, क्लबों, रेस्तरांओं के लाइसेंसों के नवीनीकरण की प्रक्रियाओं को आसान किया जायेगा। उन्हें व्यापार के अनुकूल बनाया जायेगा और दस्तावेज हटाये जायेंगे और लोग आयें और ठेका ले जायें। इस भाषा से तो यह लग रहा है कि पान की दुकान पर कोई कहे कि अरे जनाब, मुझे पान की दुकान पर शराब बेचनी है। हां, तो ले जाओ, ले जाओ साहब और बेचो शराब खूब, जकर शराब बेचो। क्यों, क्योंकि सरकार ने यह तो क्लेम कर दिया अध्यक्ष जी, कि हम आबकारी शुल्क में वृद्धि नहीं करेंगे लेकिन आय के स्रोत में इन्होंने लगभग एक हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त दिल्ली के लोगों को शराब बेचकर उससे ज्यादा कमायेंगे यानी कि एक हजार करोड़ का अर्थ है लगभग 33 प्रतिशत शराब की बिक्री ज्यादा हो यह सरकार की कोशिश रहेगी। अब इसके साथ-साथ, अब आप देखिये और इतना ही नहीं है गरीबों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, एक दिल्ली मिडियम लिक्कर जो हम सब जानते हैं कि दिल्ली की जो आबादी है, उसका लगभग 30 से 40 लाख लोग पावर्टी लाइन के इर्द गिर्द है या उसके नीचे हैं अगर पावर्टी लाइन में जो अरबन पुअर की जो डेफिनिशन है उसके अनुसार सिर्फ 610 रुपया महीने में कमाने वाला पुअर अरबन कहलाएगा और रूरल अरबन 400 कुछ रुपया कमाने वाला। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रदेश में 30 से 40 लाख इस संख्या के हो, वहां पर आप मिडियम लिक्कर जो अप्रचलित ब्रांड है, उनको आप बंद करने की बात कर रहे हैं यानी कि सीधा महंगी शराब खरीदने

के लिए ही लोग आगे आये और दूसरी वो शराब जो एक गरीब से गरीब आदमी भी कोशिश कर लें कि मुझे मिल जाये, हां, हां हंसिये, हंसिये। आई.क्यू. कम है ना आपका, हंसिये। कहने का अर्थ यह है कि आप उसको इल्लीगल लिक्कर की तरफ प्रोत्साहित कर रहे हैं क्योंकि जो इकोनोमिकली available लिक्कर हो सकता है, उसको आप हटा रहे हैं। ब्रांड पर ला रहे हैं और ब्रांड की दारू अगर वो नहीं खरीद सकता है तो जाकर के या तो वो पैंसिडिल पी लेगा या कुछ और अवैध शराब का धंधा दिल्ली के अंदर आप बढ़ायेंगे और एक हजार करोड़ रुपया अपनी आय में वृद्धि करेंगे।

जब अरुण जेटली जी ने बजट पेश किया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में तो एक लाइन दी थी बस, और उसमें कहा गया था उसमें कोई, यहां तो पूरा एक चैप्टर है करों की वृद्धि का, कोई चैप्टर नहीं था मेरे पास वो बजट स्पीच भी है सिर्फ लास्ट में एक लाइन में कहा था हम कोई शेड्यूल, कोई टैक्स, कोई चीज हम अनाउंस नहीं कर रहे हैं। एक लाइन में उन्होंने I do not propose any new tax or increase in the present tax rate in the budget of the Govt. of the NCT of Delhi. I have highlighted some of the major plan-programmes of the Govt. of NCT of Delhi proposed to be funded by this budget. इतना कह कर और करों की वृद्धि का पूरा चैप्टर खत्म हो गया था। आप एक तरफ कह रहे हैं, हम कर नहीं बढ़ा रहे। दूसरी तरफ आपने 1500 करोड़ रुपया आप दिल्ली के लोगों पर नया कर लगाकर, दिल्ली की जनता पर बोझ डाल रहे हैं। अब उस 1500 करोड़ में क्या-क्या है, आपने जो कनैक्शन है, डी.टी.एच. हैं, केबल उसपर per connection, per month 40 रुपये का चार्ज लगा दिया 40 रुपये का चार्ज per month, per connection और इतने

पर भी नहीं माने हमारे उप-मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जी। उन्होंने साथ में कह दिया कि Entertainment Tax भी 100 परसेंट increase यानि की एक डी.टी.एच. कनैक्शन का उपयोग करने वाले को दोहरी मार एक तरफ वो 40 रुपये per माह देगा 500 रुपये सालाना देगा जो इससे पहले कभी नहीं था और दूसरी तरफ 20 परसेंट 20 से 40 परसेंट करके hundred percent increase करके आपने दोहरी मार मारी है डी.टी.एच. के कनैक्शन वालों को यानि की उसका वजन भी, जो आज उसका बिल आ रहा है उसमें जो entertainment Tax है वो दोगुणा हो जाएगा ये डबल मार आप क्यों मार रहे हैं, हमारी समझ के परे है। अध्यक्ष जी आपने विशेष रूप से युवाओं को हिट किया। युवा फिल्म देखने जाता है, युवा बाहर आउटिंग करता है, खाना खाता है, आपने 20 परसेंट।

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपकी बारी आएगी ना आप बोलना। आपने 50 परसेंट, लग्जरी टैक्स बढ़ाकर जो वृद्धि की है और एंटरटेंटमेंट टैक्स बढ़ाकर वो आपके सामने है। इस प्रकार जो कुल वृद्धि है उसमें एक और नई चीज दिल्ली में introduce की है जो दिल्ली के लोग आपको जिसके लिए बिल्कुल माफ नहीं करेंगे और वो है एंट्री फ्री double taxation हो रहा है already commercial vehicle दिल्ली में आएंगे सामान लेकर वो दिल्ली वालों की consumption के लिए सामान आ रहा है, रोजमर्रा की चीजें आ रही हैं। वहां पर टोल टैक्स है already आपने एंट्री फ्री ओर लगा दी और लगभग एंट्री फ्री लगाने के कारण एक-एक व्हीकल जिसमें सब्जी होगी, दूध होगा, खाने-पीने का सामन होगा, कपड़े होंगे दिल्ली में लोगों को मिल सके सबकी कीमत आप बढ़ाने जा रहे हैं और डबल taxation कर दिया आपने। हम इसका खुले रूप में विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : विजेंद्र जी, थोड़ा समय सीमा का ध्यान रखें आप समय एक बार निर्धारित कर लीजिए प्लीज आधा घंटा हो गया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आधा घंटा

अध्यक्ष महोदय : सवा पांच हो गये हैं देख लीजिए आप, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं बाकी तो फिर बोलेंगे नहीं।

श्री विजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महादेय : मैं 10 मिनट और आपको दे रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दिल्ली में गाड़ियां महंगी कर दी आपने। 25 परसेंट रजिस्ट्रेशन टैक्स बढ़ा दिया। मुझे मालूम है अभी आप हंसेंगे नहीं। क्योंकि अब आप भी चिंता में पड़ गये हैं। ये कितने सारे टैक्स लग गये हैं, तो 25 परसेंट आपने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत और अकेले इस हैड से आप की आय जो मुझे लगता है 500 करोड़ रुपये से ज्यादा होने वाली है। आप दिखाएं कुछ भी figure लेकिन 500 करोड़ से ज्यादा होने वाली है अकेले इस साइड से। तो दिल्ली की जनता पर आप लगातार बोझ डाल रहे हैं और austerity की कोई बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के डेवलपमेंट को तो आपने विवादों के कारण जाम कर दिया है और आज दिल्ली के लोग पूरी तरह से त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। एक बात और इस बजट में देखने में आई। मैं ध्यान से सुन रहा था तो मुझे लगा कि ये बातें तो मैंने सुनी हुई हैं। पर बजट का हिस्सा भी रही हैं उनके क्रियान्वयन पर अगर सरकार कोई बात करती तो हमको अच्छा लगता। लेकिन सरकार ने उनको

अपना क्रेडिट माना। स्किल डवलपमेंट सेंटर, इसके लिए 37 एकड़ जमीन already acquire कर ली गई थी। 15000 नौजवान स्किल ट्रेनिंग ले सकें, ट्रेंड हो सकें हर साल कितनी उसकी व्यवस्था तो 2014-15 के बजट में पूरी तरह है आपने उसे नये सिरे से पेश करने की कोशिश की। अनेकों चीजें, ओम प्रकाश जी फोटो लाए हैं। नहीं लाए। चलिए ओम प्रकाश जी कल फोटो दिखाएंगे आपको। ओम प्रकाश जी कल दिखाएंगे फोटो आपको। और वाकई आप वो फोटो देखेंगे आपको अच्छा एंटरटेंमेंट होगा। उसका कारण क्या है? उसमें अध्यक्ष जी की भी फोटो है। आप भी हैं उसमें।

अध्यक्ष महोदय : चलिए-चलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उसका कारण क्या है। ईस्ट दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का कैंपस। अब Human Resource Minister 14 दिसंबर, 2014 को उसका शिलान्यास हो रहा है, 285 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान है ओलरेडी। उस पर काम शुरू हो चुका है और ऐसे एक दर्जन से ज्यादा चीजें, क्यों आज मुझे समय की कमी है अध्यक्ष जी मुझे बार-बार बताएंगे। Six women hostels की बात है वो तो already proposal में है सब पहले से योजना चल रही है। अध्यक्ष महोदय 2014 में जिस पर ओलरेडी योजना चल रही है, हां जिन योजनाओं को आपने रोक दिया, उनकी आप बात करते, माफी मांगते सदन के सामने तो अच्छा लगता। 1380 लो फ्लोर बसिसज खरीदने की टैंडर प्रक्रिया शुरू हो गई थी प्रोसैस शुरू हो गया था, 1380 लो फ्लोर बसिसज की लेकिन जब आप सरकार में आये तो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने जो पैसा उसके लिए रखा गया था, उसको वहां से निकाला और वो जवाहर लाल अर्बन डवलपमेंट मिशन

के तहत मेरी जानकारी जहां तक है, शेयर आया हुआ था और उसको तनख्वाह में बांट दिया और अब आप नये सिरे से इस बजट के अंदर ये प्रावधान करने की बात कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं, जो बसें अब तक आ जानी चाहिए थी दिल्ली में, दिल्ली की सड़कों पर चलती हुई दिखाई देनी चाहिए थी, वो तमाम बसें अंधेरे के गर्त में चली गई और सरकार के विवादों के कारण बार-बार योजनाएं ठप्प हो रही हैं। आपने कहा कि 10 लाख रुपया देखो... अध्यक्ष जी बार-बार समय खराब कर रहे हैं। आपने कहा कि हम एजूकेशन लोन गारंटी फंड इट्रोड्यूस कर रहे हैं, दस लाख रुपये तक शिक्षा का लोन हम देंगे लेकिन पैसा कितना रखा मात्र तीस करोड़ रुपया। अगर आप दस लाख रुपये से सिर्फ तीन सौ स्टूडेंट को साल भर में एजूकेशन लोन देने के लिए बजट में बड़े-बड़े वायदे कर रहे हैं तो शायद दिल्ली में जितनी बड़ी संख्या है, लाखों की संख्या में स्टूडेंटस है, उसके हिसाब से ये पीनट भी नहीं है।

अध्यक्ष जी, ये इकोनामिक सर्वे है दिल्ली का 2014-15 का। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि अस्सी से सौ छात्रों को एक-एक क्लास रूम में पढ़ाना पड़ता है क्यों? क्योंकि टीचर्स की कमी है। हम भी मानते हैं लेकिन इकोनामिक सर्वे कुछ और कह रहा है। इस इकोनामिक सर्वे को देखने के बाद ऐसा लगता है कि स्टूडेंट टीचर रेसियो में जो इकोनामिक सर्वे के जो डाटा है और जो वो खुद कह रहे हैं डाइरेक्टोरेट ऑफ एजूकेशन ने जो दिये और जो मंत्री जी की स्पीच है, उसमें अंतर है। क्या ये माल एडजेस्टमेंट है कि कुछ टीचर एक जगह पर ज्यादा जा रहे हैं एक विद्यालय में जहां छात्र, छात्राओं की संख्या कम है और एक जगह जहां जरूरत है वहां टीचर्स की पोस्टिंग नहीं हो रही हैं क्योंकि ये जो डेटा है ये जो बता रहा है दिल्ली में कुल 5798 स्कूल हैं उसमें गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल, अनएडेड

स्कूल। प्राईमरी स्कूल, प्री प्राईमरी स्कूल, मीडिल स्कूल, सेकेण्डरी स्कूल, सीनियर सेकेण्डरी स्कूल। कुल मिला करके 5798 हुए और इनमें पढ़ने वाले बच्चों की जो संख्या है, वो चालीस लाख तेरह हजार है। कुल टीचर्स एक लाख उन्तालीस हजार चार सौ अस्सी हैं। अगर उसको डिवाईड करें तो स्टूडेंट टीचर रेशियो बनती है 132 की। जब ये इकोनामिक सर्वे में इस बात का क्लेम कर रहे हैं कि हमने एक क्लास में 32 बच्चों पर, स्टूडेंट्स पर एक टीचर की व्यवस्था की हुई हैं तो फिर मंत्री जी ने ये अस्सी से सौ की बात किस आधार पर की और उसके पीछे की भावना क्या थी ये हम जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष जी, पैंतालीस रि-सेटेलमेंट कालोनी के बारे में आपने कहा कि हम इनको फ्री होल्ड करना चाहते हैं लेकिन आप पचास हजार रुपये पर स्कवयर मीटर ये पैंतालीस रिसेटलमेंट कालोनी नहीं है इनकी संख्या लगभग 73 हैं। ये 45 रिसेटलमेंट कालोनी का आंकड़ा बहुत पुराना है लगभग दो दशक पुराना। उसके बाद इसमें कालोनियां बहुत बड़े नंबर में जुड़ी है और यह लगभग अब 73 हैं या उससे भी ज्यादा हो गयी हों। ये मेरी जानकारी में नहीं है। इन कालोनियों में लाखों लाख लोग रहते हैं। गरीब लोग हैं। अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोग हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं और जब चालीस साल पहले, पैंतीस साल पहले इन कालोनियों का जन्म हुआ था। वहां की डेमोग्राफी में भारी चेंजेज आये हैं। लोगों ने अपनी प्रापर्टी को आगे बेच दिया है, कुछ और लोग रहने लगे हैं वहां। लेकिन अगर आप पचास हजार रुपया पर स्क्वायर मीटर से मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, मंत्री जी बैठे हैं हमारे। सुल्तानपुरी से आते हैं अब इनसे मुझे लगता है, पूछा नहीं था। मनीष जी, मंत्री जी से आपने पूछा नहीं था शायद। क्योंकि आज की तारीख में अस्सी प्रतिशत से ज्यादा लोग वहां पर मूल आवंटित नहीं है, अस्सी प्रतिशत से ज्यादा लोग। अब

पचास हजार रुपया मीटर से अगर उनके ऊपर फ्री होल्ड चार्जेज लेने की बात कर रहे हैं तो मैं स्पष्ट रूप से इसके फेवर में नहीं हूं और इसका विरोध करता हूं। रिहैब्लीटेशन प्रोग्राम की बात हुई थी। आपने खुद कहा कि तेइस हजार फ्लैट बनकर तैयार हैं, उन्तीस हजार बन रहे हैं लेकिन जब सुबह यहां पर प्रश्न उठा तो आप प्रश्न का जवाब देने में कतरा रहे थे। आपके आंकड़ों के अनुसार पांच हजार लोगों को आपने बहत्तर हजार रुपये लेकर तीन साल पहले एलाटमेंट लेटर विद फ्लैट नंबर दिया है, एलाटमेंट लेटर दिया है सरकार ने लेकिन पॅजेशन नहीं दिया। मुझे उम्मीद थी कि सरकार आएगी, ये निश्चित रूप से इस पूरे मामले का हल करेगी। स्वयं मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से इस बारे में मैंने विस्तृत चर्चा भी की थी एक बार और उनको कहा था कि जिन लोगों को आपने आवंटन लेटर दिए हुए हैं, एलाटमेंट लेटर दिए हुए हैं जिन लोगों के पास फ्लैट के नंबर्स हैं आप उनको तो तुरंत वहां से आगे जाने के लिए।... चिंता क्या हो रही है। व्यवधान। आपको लग रहा है।

अध्यक्ष महोदय : विजेंद्र जी, देखिए एक समय सीमा होती है। पौना घण्टा हो गया। मैं एक बार समय की बात कर रहा हूं। मेरी बात को गंभीरता से ले लीजिए। पौना घण्टा हो गया है। और मेम्बर्स ने भी बोलना है प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अच्छा मैं इसको समाप्त करता हूं। आप मुझे समय नहीं देना चाहते।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपको पौना घंटा समय दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इस सदन में अगर कोई कड़वी बात कहेगा तो विपक्ष ही कहेगा। तो सरकार इतनी अलोकतांत्रिक है कि उसको लगता है कि विपक्ष

कोई मुद्दा न उठाएं तो ये सरकार का अपने कामकाज का तरीका है। मैं अपने आप को समाप्त कर रहा हूं। हमारा कहने का अर्थ ये है कि मैं संक्षिप्त करते हुए अपनी बात को मैं इतना कहूंगा कि इस बजट के अंदर न तो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, बल्कि आज सुबह पुष्कर जी के सवालों का जवाब आ रहा था, तब भी जो कामनवेल्थ गेम्स में जो शेड्यूल कास्ट फंड था, उसको जो डाईवर्ट किया गया था, उस पर भी कोई संतोषजनक जवाब मंत्री जी की तरफ से नहीं आया। इस बजट के अंदर न तो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कोई योजनाओं को प्रोत्साहित किया गया, न ही इस बजट के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई हज की जो राशि थी उसको तक नहीं बढ़ाया गया। किसी प्रकार की चिंता यहां पर नहीं की गई है। मैं अंत में इतना कहूंगा कि एक बार तो जनाब एक बार तो मोदी जी का भी धन्यवाद कर देते एक बार तो appreciate कर देते। आपने कहा आपकी जानकारी के लिए चार हजार करोड़ रुपया, इसमें खुद मनीष सिसोदिया जी ने लिखा है, चार हजार करोड़ रुपया केन्द्र से जो कुल 41129 करोड़ रुपया है, उसमें से चार हजार करोड़ रुपया लगभग 10 प्रतिशत केंद्र से मिल रहा है और जो नॉन टैक्सेवल रेवेन्यू है, मैं खत्म कर दूंगा ये थोड़ा मुझे सुन लें। मैं दो तीन मिनट में खत्म कर दूंगा। मैक्सिमम, मैक्सिमम घड़ी में देखके। नान टैक्सेवल रेवेन्यू वो तो गुमराह करने वाला है वो तो जो आप सिर्फ हैं, एक रस्मअदायगी है संस्थाओं को आप लोन देते हैं फिर उसमें से जो इण्टरेस्ट के पैसे काट लेते हैं यानी की टोटल इंटरेस्ट बेस नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू है आपका। नान टैक्सेबल रेवेन्यू के माध्यम से अगर आप लोगों को कोई फेसिलिटी नहीं देंगे तो कमर्शियल ऐंगल से भी कॉलिजिज के लिए भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी

के साथ एफिलियेशन होना दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा होना और किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलियेशन होना फ्रेंचाइज होना बहुत अंतर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कितने कॉलेज आप खोलेंगे, आपने कोई नये कॉलेज का प्रावधान यहां पर नहीं रखा है इसलिए दिल्ली के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी उसके लिए नहीं। ई गवर्नेंस की जो बात की थी तो आपने बड़े जोर शोर से कहा था कि हम ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आप साथ में यह भी तो बता देते कि जो सेंट्रल्स का बिज पोर्टल है, जो मोदी जी ने सबको प्रेफर किया है। हम उस बिज पोर्टल को इस्तेमाल करेंगे, हम उनके दिखाये हुए रास्ते पर हम आगे चलेंगे। उसका हम पालन करेंगे उसको हम दिल्ली की जनता को सौंपेंगे। बजट में जिस बात को लेकर सरकार में आए थे क्योंकि बजट तो आइना होता है किसी भी ओरगानाइजेशन का। लोकपाल के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है यानि कि वर्ष 2015-16 में भी अगर लोकपाल के बारे में चर्चा होती तो उसकी सेक्रेट्रेरिएट के लिए बजट होता, उसकी सैलरी के लिए बाकी सब चीजों के लिए कोई प्रावधान यहां होते। पूरा चैप्टर साफ है और लोकायुक्त को आप अपाइंट नहीं कर रहे हैं यानि की लोकपाल का जिक्र नहीं कर रहे हैं और लोकायुक्त को अपाइंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोकायुक्त अपाइंट हो जाएगा तो फिर ये सब हंसना भूल जाएंगे। सिर्फ एक बात ध्यान में रहेगी कि लोकायुक्त आया धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाज : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। बजट हर सरकार का, मुझे लगता है कि खासतौर पर नई सरकार

जो बनी होती है, उसका पहला बजट उस सरकार की दिशा, उस सरकार का जो रोडमेप है, वो तय करता है और इसलिए मुझे लगता है कि जो भी कोई नई सरकार जब बनती है तो लोग जिन्होंने उसको वोट दिया था या राज्य के लोग या अगर देश की सरकार होती है तो देश के लोग ये देखना चाहते हैं कि वो सरकार जिस घोषणा पत्र को लोगों को बता कर आयी है जिस इलैक्शन मैनीफेस्टो को बताकर आयी है। उस सरकार का बजट उस इलैक्शन मैनीफेस्टो से कितना रिफलेक्ट करता है उसके अंदर कितना झलकता है या उसके अंदर कितनी रिफलेक्शन होती है। क्योंकि जो ये किसी भी पार्टी का इलैक्शन मैनीफेस्टो होता है वो एक तरीके का कांट्रैक्ट होता है वो लोगों से करते हैं। उनसे जो वायदे करते है कि अगर हम सरकार के अंदर आते हैं तो हम ये सारे काम करेंगे और किसी भी सरकार का पहला बजट उस घोषणा पत्र की रिफलैक्शन होना चाहिए तो मैं समझता हूं कि हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारी सरकार बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं क्योंकि जो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था जो घोषणा पत्र में बात बार-बार कही गई थी कि हम सोशल सैक्टर पर जो पढ़ाई है, शिक्षा है, हैल्थ है, स्वास्थ्य है, इन सब सैक्टर्स पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। हमारे बजट के अंदर ये चीज साफ-साफ जाहिर होती है कि यह सरकार गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए और सभी तबकों के सोशल सैक्टर के लिए सबसे ज्यादा वचनबद्ध है तो मेरी तरफ से हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री भी हैं, इनको बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनायें। अध्यक्ष जी, हर सरकार जब बनती है, गरीबों से हजारों वादे करके वो बनती है और गरीब का पेट किसी बड़े नेता के चुनावी भाषण से नहीं भरता। गरीब का पेट तब भरता है जब

कोई सरकार अपने बजट में उस गरीब के लिए प्रावधान करती है। गरीब के मां-बाप को अगर इलाज की जरूरत होती है तो किसी भी राष्ट्रीय नेता की मन की बात सुनने से उसका इलाज नहीं होता। उसके इलाज के लिए उसको अस्पतालों की जरूरत पड़ती है। अगर गरीब की बेटी स्कूल जाएगी, उसकी नौकरी लगेगी वो महंगा फोन भी खरीदेगी और तभी उसकी सेल्फी फेसबुक तक आ पाएगी, मुझे ये लगता है। तो गरीब की बेटी पढ़े और सरकार अपने बजट में उस पढ़ाई का पैसा तय करें। एक बड़ा मुझे लगता है प्रपोरशन पढ़ाई में जाए तो गरीब की बेटी का भला होगा, तब गरीब का इलाज होगा तब गरीब के बच्चे पढ़ेंगे और देश की और समाज की तरक्की होगी। तो इस मामले में मुझे लगता है कि बजट बहुत ही अच्छा बजट रहा कि सरकार ने हैल्थ के लिए और एजूकेशन के लिए एक बड़ा पैसा मुक्करर किया। आज बच्चे पढ़ेंगे तो देश में ही उनकी पढ़ाई पूरी हो सकती है। किसी को येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस सरकार ने जो वादे किए उन वादों पर ये सरकार खरी उतरी। मैं खासतौर पर टैक्स की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं समझ सकता हूं कि लोगों को चिंता है कि यह सरकार टैक्स कहां से कलैक्ट करेगी और इस सरकार ने जो बड़े-बड़े वादे किए हैं, वह कैसे पूरे होंगे तो इसका मुझे लगता है कि जो सबूत है जो आज आपको आंकड़ों में जरूर मिल सकता है। अगर आप हमारी सरकार के पिछले दो महीने के आंकड़े देखें तो आप पायेंगे जो वेट है। वेट का कलैक्शन पिछले दो महीने में पिछले साल के तुलना में 37.6 प्रतिशत इन्क्रीज हुआ है तो अगर आप मानें तो 37.6 परसेंट सिर्फ दो महीने का टैक्स इन्क्रीज हुआ है तो वो चिंता कि 33 परसेंट टैक्स कैसे बढ़ सकता

है तो मुझे लगता है कि उस चिंता को भी आराम मिल सकता है कि जो सरकार दो महीने में टैक्स को इन्क्रीज कर सकती है 37 परसेंट, वो अगर एक साल व्यापारियों को गले लगाए, व्यापारियों के साथ बातचीत करें और व्यापारियों को इस चीज का यकीन दिलाए कि जो उनका पैसा है वो देश के अंदर और राज्य के अंदर ईमानदारी से खर्च किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि देश का और खासतौर पर हमारे राज्य का व्यापारी वर्ग बहुत ही अच्छा है और वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स सरकार के राजकोष के अंदर contribute करेगा। इसके अलावा एक्साइज के अंदर कुछ बड़ी अच्छी चीजें हुई हैं। लगभग सभी स्टेट के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी थी उसमें काफी चैंजिज हुए थे मगर दिल्ली सरकार हालांकि इसके अंदर कई सरकारें बदली और एलजी साहब का भी शासन रहा जिसमें बजट केंद्र सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया था। उसके अंदर भी इस बात को पता नहीं क्यों नजरअंदाज किया गया कि एक्साइज टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा होती थी उसका एक कारण ये था कि ट्रांसपोर्ट परमिट जो था। ट्रांसपोर्ट परमिट लेवल पर एक्साइज टैक्स कलैक्ट करते थे जबकि ज्यादातर राज्यों के अंदर इम्पोर्ट परमिट लेवल पर कलैक्ट किया जाता है। तो मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा अपनी सरकार को क्योंकि उन्होंने इस बार एक क्रांतिकारी कदम उठाया और इस बार से जो टैक्स कलैक्शन होगा एक्साइज का वो इम्पोर्ट परमिट लेवल पर होगा। मुझे लगता है कि इससे एक्साइज टैक्स के अंदर बहुत बढ़ोत्तरी होगी और जो टैक्स की चोरी होती थी, उसमें भी कमी आएगी।

इसके बाद मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पर्यावरण की तरफ इन्वायरमेंट की तरफ बहुत ज्यादा चिंता है आजकल। मुझे लगता है

कि पूरे विश्व में पूरे देश के अंदर कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे शहरों में हमारी दिल्ली का नाम आने लगा है जो पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। इस दिशा के अंदर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक बहुत अच्छे कदम कठाए जा रहे हैं। उनकी मैं सराहना करना चाहूंगा कि इस साल 12 लाख सैंपलिंग्स अलग-अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। पोल्यूशन कंट्रोल किया जाए खासकर व्हीकल्स के लिए कहा जाता है कि पोल्यूशन जो दिल्ली के अंदर है ऐयर पोल्यूशन, वो व्हीकल्स की वजह से होता है और पोल्यूशन अण्डर कंट्रोल के जो सर्टिफिकेटस मिलते हैं वो ज्यादातर manipulate किए जाते हैं। बहुत ही कम ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनको वहां पर कहा जाता है कि आपका पोल्यूशन लेवल के अंदर दिक्कत है कि आप अपनी गाड़ी को ठीक कराइए। इस धांधली को रोकने के लिए अब जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल की जो मानिटरिंग सेंटर्स हैं, इनका अब रियल टाइम डाटा आनलाइन अपडेट किया जाएगा तो इस तरह की manipulation जो है वो अब कम हो पाएंगी। इसके साथ-साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ भी कई कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रिडिक्टेबल हो सके, कम्फर्ट हो, कंसिस्टेंट हो, इसके लिए सरकार कदम उठा रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए और बसें खरीदी जा रही हैं और ये एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम होगा हमारे पर्यावरण के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ट्रांसपोर्ट के अंदर आए, इसी के साथ मुझे लगता है कि हैवी गुडस व्हीकल्स के ऊपर जो टैक्स है, मैं ये समझता हूं कि इससे थोड़ा जो व्हीकल्स ओनर्स हैं उनके ऊपर गुडस व्हीकल्स ओनर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा जोर तो जरूर पड़ेगा अगर लांग रन इससे दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने

के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस बजट की सराहना के साथ अपनी बात खत्म करता हूं धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट पर चर्चा में बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं इस बजट के लिए, स्वराज बजट के लिए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं आभार प्रकट करता हूं कि दिल्ली में और देश के लोकतंत्र के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि सही मायने में आम जनता के दिल और आम जनता के आगे की सोच और सपनों को महत्व देते हुए इस बजट की कल्पना की गई है। बहुत-बहुत बधाई जनता की ओर से अपनी सरकार को मैं देता हूं, मनीष जी को देता हूं।

अमेरिका के राष्ट्रपति जान केनेडी ने एक बात कही थी जो मैं यहां पर रखना चाहता हूं। मनीष जी आपके लिए और जान केनेडी ने सेनेट में बोला था people see things which are there and ask why, I see things which never works and ask why not तो मनीष जी मैं समझता हूं कि सही मायने में इन बातों की कल्पना लोकतंत्र में आम जनता के लिए नहीं की जा सकती। दिल्ली सरकार ने आपके माध्यम से वो कल्पना की है तो इसके लिए बहुत-बहुत आपको मैं बधाई देता हूं। भागीदारी के सही मायने में जो ये बजट जनता के बीच से जनता की बातों को लेकर बनाया गया है, मैं समझता हूं, लोकतंत्र में इस बार पहली बार 68 वर्षों में चाहे कोई केंद्र सरकार रही हो, राज्य की सरकार

रही हो, किसी ने इस तरह का बजट और सही मायने में जनता की अपेक्षाओं का बजट हम लोगों के बीच में नहीं रखा। मैं यहां पर चर्चा प्रमुख तौर पर वाई-फाई, एजुकेशन और स्मार्ट सिटी के बारे में रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय सबसे पहले मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि वाई-फाई के इम्पिलिमेंटेशन के पहले चरण में 50 करोड़ की राशि वाई-फाई इम्पिलिमेंटेशन के लिए दिल्ली सरकार ने मुहैय्या कराई है और इसमें पहले चरण में स्कूल कॉलेज और देहात के कई इलाकों में वाई-फाई मुहैय्या किया जाएगा। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय यूनाइटेड नेशन्स की एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की स्टडी है जिसमें पिछले 50 साल बीसवीं सदी के आखिरी के 50 साल के बारे में लिखा गया है कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आगे बढ़ाने में किसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई एक ऐसा बात रही है जिसने उस डेवलपमेंट इंडेक्स को आगे बढ़ाया तो पिछले 50 साल में 20वीं सदी के आखिरी 50 सालों में वो इंस्ट्रूमेंट मोबाइल फोन रहा। मोबाइल फोन इस लिए रहा क्योंकि उसकी वजह से समाज में आर्थिक स्तर पर लोगों का सुधार हुआ लोगों को नई तरीके से आमदनी के मौके और तरीके मिले और इसके माध्यम से कई लोगों में एक नई तरह की सशक्तिकरण पैदा हुई। उसी में आगे लिखा गया है कि अगर स्पीड आफ एडाप्शन को देखा जाये कि कितनी जल्दी कोई नया तकनीक कोई नई टैक्नोलाजी को एडापट किया गया तो उसमें बताया गया है कि जब रेडियो का आविष्कार हुआ उसके बाद लगभग 17 वर्ष लग गये जब 10 लाख लोग रेडियो सुनने लगे। उसी तरह जब टेलीविजन का आविष्कार हुआ तो लगभग 6 वर्ष लग गये टेलीविजन लोगों को देखने के लिए। जब मोबाइल फोन लांच हुआ तो

केवल तीन वर्षों के अंदर पूरे विश्व भर में दस लाख लोग मोबाइल फोन यूज करने लगे। ये तेजी थी उस एडाप्शन की, उस आविष्कार की। मगर जब इंटरनेट लांच हुआ तो मात्र 94 दिनों में 10 लाख यूजर विश्व भर में हो गये ये तेजी है एक ताकत है इंटरनेट की और एक सशक्तिकरण का माध्यम है जिसमें लोगों में सही मायने में अवसर प्रदान किया जा सकता है बराबरी का। आज दिल्ली में देशभर की तरह हम लोगों के आगे सबसे बड़ी समस्या है डिजीटल डिवाइट। ये डिजीटल डिवाइट क्या है? डिजीटल डिवाइड आज एक बराबरी का अवसर न मिलने का तरीका है। आज सच्चाई ये है कि आज अगर भविष्य में किसी को नये अवसर की जरूरत है तो उसमें टेक्नोलॉजी और इंफरमेंशन टेक्नोलाजी और इंटरनेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज सच्चाई ये है कि अगर मैं बात करूं डिजीटल डिश टीवी की या सेटेलाइट टेलीविजन की तो आप देखिये अगर आज दिल्ली में कोई बच्चा पढ़ता है, टीवी देखता है या दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर किसी गांव में भी टीवी देखता है तो उसको शायद वही प्रोग्राम देखने को मिलता है जो दिल्ली में किसी बच्चे को देखने को मिलता हो। उस हिसाब से देखा जाये तो उसके पास वही एक एक्सपोजर है वही ओपोरचुनिटी है जो दिल्ली में बच्चे के पास है मगर जब वही बात इंटरनेट की आए, रिसर्च की आए, नॉलिज की आए, यहां तक कि दिल्ली के अंदर अलग-अलग इलाकों की आए तो इसमें वो बराबरी नहीं प्राप्त। इस बात का मुझे एहसास तब हुआ जब मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा था और वहां पर एक बस्ती में एक 15 साल के बच्चे ने मुझे ये कहा कि भैया, मैंने आपको फेसबुक पर लाइक किया। तो इससे ये बात दर्शाई जाती है कि छोटी सी मार्मिक घटना से कि आज

अगर इंटरनेट की सुविधा जो लोग आर्थिक स्तर से नीचे हैं, उनको भी अगर मिल जाये तो किस तरह की ताकत इस तरह का सशक्तिकरण उन लोगों के पास होगा और किस तरह से उन लोगों को भी वो सारे अवसर मिल सकते हैं जो एक आर्थिक स्तर से जो परिवार अच्छा कर रहा है, उसको मिल सकता है। आज अगर आप पी.आर.ए.आई. का डाटा देखें तो दिल्ली में लगभग 2 करोड़ की आबादी है। इस साल के अंत तक पौने दो करोड़ मोबाइल फोन दिल्ली में दिल्ली के लोगों के पास होंगे और उसमें से लगभग 40 परसेंट फोन स्मार्ट फोन होंगे जिसमें इंटरनेट एसेस किया जा सकता है। तो अगर आप देखें तो लगभग दिल्ली के अंदर 80 लाख ऐसे लोग हो सकते हैं जो मोबाइल फोन के माध्यम से इंटरनेट एसेस कर सकते हों। आज इस वाई-फाई इम्पिलिमेंटेशन प्लान के द्वारा इतने लोगों तक ये ताकत पहुंच सकती है इसका शायद आज अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आगे चलकर जब इतिहास लिखा जाएगा और समाज में बदलाव और समाज में नई रोशनी की बात की जाएगी तो इस वाई-फाई के माध्यम से जो ताकत लोगों तक पहुंची है, इसकी चर्चा जरूर की जायेगी। आज अगर हम लोग वाई-फाई के बारे में चर्चा करें, अगर बड़े से बड़े दुनिया के शहरों की चर्चा करें तो एक दिन में लगभग न्यूयार्क जैसे शहर में या शंघाई जैसे शहर में भी मात्र चार लाख लोग मोबाइल फोन के माध्यम से इंटरनेट देख पाते हैं। अध्यक्ष जी, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में 60-70 लाख लोग हर रोज इंटरनेट पर जा सकते हैं और उसके माध्यम से एक नई नॉलिज की तरफ बढ़ सकते हैं, एक नई रोशनी की तरफ बढ़ सकते हैं, तो इतना ज्यादा समाज में सोच में बदलाव आ सकता है तो मैं मनीष जी को हमारे उप मुख्यमंत्री

एवं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ में जो स्मार्ट सिटी स्मार्ट गर्वनेस की हम लोगों ने बात की है, उसमें भी जिस तरह से हम लोग इस तरह की सर्विसिज 11 डिस्ट्रिक्टिस में लांच करने की बात हम कर रहे हैं, उससे किस तरह से आम जनता को सुविधा मिलेगी और उसकी आम तौर की जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना आराम मिलेगा, इसकी भी चर्चा करें।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास भारत सरकार का एक उदाहरण है जो लगभग 3 साल पहले शुरू किया गया था पासपोर्ट सर्विसिज को लेकर और ये बड़ी ताकत है आई.टी. टैक्नोलॉजी के अंदर जो इस सदन के माध्यम से हम लोगों को सब लोगों को समझने की जरूरत है। जब तक पासपोर्ट की सर्विसिज को आई.टी. के माध्यम से इनेबल नहीं किया गया था तो एक जनरल कैटेगरी का पासपोर्ट बनवाने में लगभग 17 महीने लगता था और तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट बनवाने में साढ़े तीन महीने लगता था और लगभग पांच हजार रुपये आम तौर पर रिश्वत देनी पड़ती थी। जब ये आई.टी. इनेबल किया गया तो जनरल कैटेगरी का पासपोर्ट बनने का समय 17 महीने से घटकर 3 महीने हो गया, तत्काल का समय लगभग 3 महीने से घटकर 6 दिन हो गया और ब्राइब रिश्वत का पैसा जीरो हो गया, निल हो गया। इस तरह का बदलाव नागरिक सुविधाओं में नागरिक सुविधाएं सर्विसिज में आई.टी. के माध्यम से आ सकती हैं और स्मार्ट सिटी स्मार्ट गर्वनेस के लिए जो दिल्ली सरकार जिस तरह के प्रावधान बजट में किये हैं, वो बहुत सराहनीय है और मैं उम्मीद करता हूं इस तरह के कदमों से आगे भी....

अध्यक्ष महोदय : आदर्श जी कनकलूड कीजिए प्लीज।

श्री आदर्श शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, बहुत आगे विकास का मौका मिलेगा। आखिरी में अध्यक्ष जी मैं ईज आफ डूईंज बिजनेस की बात करूंगा। इसमें मैं समझता हूं कि पिछले 15-20 वर्षों से दिल्ली कहीं पीछे रह गया और हमारे देश के अन्य शहर चाहे बेंगलोर हो, चाहे बम्बई हो, चाहे हैदराबाद हो, वो आगे निकल गये और मेकेंजी की एक रिपोर्ट है जो कहता है कि दुनिया में सबसे आसान शहर बिजनेस करने के लिए हांगकांग और सिंगापुर है जहां एक दिन के अंदर कंपनी खोली जा सकती है, बंद की जा सकती है और जो ये एम्पार्वड कमेटी बनाने की बात की गई है, मैं इसकी भी सराहना करता हूं क्योंकि इसके माध्यम से मैं समझता हूं दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी होने के नाते जो इसको यहां पे ईज आफ डूईग बिजनेस का एक माहौल बनना चाहिए एक एटमॉसफियर बनना चाहिए, इसकी गूंज पूरे देश में और पूरे विश्व में जायेगी और इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

अध्यक्ष जी आखिरी बात मैं रखना चाहता हूं शिक्षा से संबंधित और इसमें मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसा वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि कोई भी पैसा जो शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, उसको खर्च के बजाय निवेश मानना चाहिए ये बात बहुत बड़ी और बहुत गहराई की बात है क्योंकि हम लोग आगे आने वाले भविष्य के ऊपर इंवेस्टमेंट निवेश कर रहे हैं और मैं ये भी साथ में बताना चाहता हूं कि अलग-अलग केंद्र और राज्य की सरकारों ने शायद इस तरह का अतुलनीय और अभूतपूर्व बजट में बढ़ोत्तरी 106 परसेंट की शायद कहीं नहीं की। साथ में यहां सदन में यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी केंद्र सरकार ने और साथ में हमारे केंद्र

सरकार की शिक्षा मंत्री को भी मैं बात करूं इसमें तो उनके बजट में एजुकेशन बजट 2 परसेंट की घटाया गया है हम लोगों ने दिल्ली सरकार ने 106 परसेंट बजट बढ़ाया। यहां तक कि केंद्र सरकार ने अपना बजट प्राइमरी एजुकेशन पर 10 परसेंट कम किया है। आखिर में, मैं बस कनकलूड करना चाहूंगा। एक बार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने संसद में हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में बोलते हुए कहा था, "इस युग के सबसे बड़े महापुरुष का सबसे बड़ा सपना ये था कि हम लोग अपने देश में हर एक व्यक्ति की आंख से हर एक आंसू को पोंछ सकें।" मैं समझता हूं कि 68 साल बाद आज पहली बार अगर उस कोशिश की तरफ बढ़ा जा रहा है तो वो दिल्ली सरकार बढ़ रही है। मैं एक बार फिर बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कैलाश गहलोत जी।

श्री कैलाश गहलोत : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सबसे पहले मैं अपने फाईनेंस मिनिस्टर श्री मनीष जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और तमाम सभी officials जिन्होंने बजट को तैयार करने में सहायता की, उनको बधाई देता हूं और ये जो बजट है दो मेन कारणों से अपने आप में ऐतिहासिक है। सबसे पहले की इसमें जो स्वराज का concept introduce किया है ये किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में या डेमोक्रेटिक कंट्री में और अपने देश में पहली बार ये किसी सरकार ने introduce किया है जो स्वराज बजट के नाम से पेश किया है तो इसके लिए मैं मनीष जी को दोबारा बधाई देता हूं और दूसरी बात है जिसके लिए ये बजट ऐतिहासिक है कि किसी भी बजट में आज तक आजादी के बाद पहली बार एजुकेशन

को जो बजट एलोकेट किया है उसको 106 परसेंट कर दिया गया है। तो इसके लिए मैं फिर बधाई देता हूं और एजुकेशन, जैसे कि हम सब जानते हैं किसी भी सोसायटी का, किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का वो बैकबोन है क्योंकि उसी से बच्चों का भविष्य बनाया जाता है जो कि देश का भी भविष्य हैं और गांधी जी ने एजुकेशन के बारे में कहा था, अध्यक्ष महोदय, थोड़ा पढ़ना चाहूंगा उसके बारे में गांधी जी ने कहा

> "Education means all round drawing on of the best in child and man's body, mind and spirit."

तो मुझे लगता है कि इन्हीं सब ख्यालों को रखते हुए सरकार ने एजुकेशन को बहुत अहमियत दी और टोटल बजट का 106 परसेंट एलोकेट किया।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो general budget है उसके बारे में दो-तीन topics पर चर्चा करना चाहूंगा और जैसे कि बजट स्पीच में मनीष जी ने कहा और पेश किया कि बजट इस्टीमेट जो 2015-16 के हैं वो टोटल fourty one thousand one twenty nine crore rupees बनता है और 2014-15 में यही बजट इस्टीमेट thirty four thousand seven ninty crore rupees था जो कि लगभग 18 परसेंट 2014-15 के comparison में 18 परसेंट ज्यादा है। स्पीकर सर, जब हम बजट की बात करते हैं तो usually हम बात करते हैं कि receipts कितनी हैं expenditure कितना है। विजेंद्र जी ने भी उसके बारे में कहा कि receipts उनके हिसाब से और expenditure में mismatch है और विजेंद्र जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने चार हजार करोड़ रुपये दिये दिल्ली सरकार को लेकिन विजेंद्र जी ये बताना भूल गये सदन को कि कितना पैसा केंद्र

सरकार ने आज तक दिल्ली सरकार को नहीं दिया, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि Central Finance Commission की रिपोर्ट के हिसाब से 2014-15 में भी दिल्ली को उसके terms of reference से बाहर किया गया दिल्ली...*(व्यवधान)* नहीं, नहीं हम आपको ज्यादा विश्वास है मेरे ख्याल से। तो terms of reference में मुझे खुशी होती कि दिल्ली की जनता के हक के लिए आप मोदी जी से लड़ाई लड़ते तो हम मोदी जी की जरूर प्रशंसा करते terms of reference में दिल्ली को आज भी exclude किया गया जिसके कारण अगर terms of reference में दिल्ली को include किया जाता तो आज 2015 से 2020 तक 25 हजार करोड़ रुपये दिल्ली को प्राप्त होता ये विजेंद्र जी, आप भूल गये बताना। दिल्ली सरकार लगभग एक लाख तीस हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार को देती है लेकिन उसमें से सिर्फ तीन सौ पच्चीस करोड़ रुपये वापिस मिलते हैं और दिल्ली का अपना consolidate fund होने के बावजूद भी और दिल्ली अपने सारे खर्चे अपने रिसोर्सेज से चलाती है। उसके बावजूद भी Central Finance Commission के terms of reference से बाहर रखा गया तो मैं अनुरोध करूंगा अपने जो बीजेपी के विधायक भाई हैं, जितने कारपोरेटर्स हैं और जितने...*(व्यवधान)* ओमप्रकाश जी, कभी सुना भी करो प्लीज *(व्यवधान)* नहीं, मुझे जवाब नहीं चाहिए आपका। तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो यहां बीजेपी के विधायक भाई बैठे हैं, जितनी ताकत ये यहां लगाते हैं सदन को स्थगित करने में और इसके काम को रोकने में कि कभी-कभी पीएम जो हमारे मोदी जी हैं उनके पास जाएं और ये बताएं कि terms of reference में दिल्ली को include किया जाए और जो

दिल्ली का हक है जो दिल्ली के रेसीडेंट्स का हक है, वो इसके लिए लड़ाई लड़ें। तो हम मोदी जी की तारीफ करेंगे। आपके बिना कहे तारीफ करेंगे और ये दिल्ली की पूरी जनता मोदीजी की तारीफ करेगी। जिस दिन दिल्ली को include किया जाएगा और जो पच्चीस हजार करोड़ रुपये पांच साल में नहीं दे रहे हैं। और ये तीन सौ पच्चीस करोड़ रुपये जो दिल्ली को मिल रहा है मैं ये भी बताना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से कि ये 2001 से स्थगित है। 2001 से same चला आ रहा है। Not even one percent of increase since 2001. Speker Sir, Speaker Madam उपाध्यक्ष महोदया, I would also like to draw your attention जो इस बजट में बार-बार हम एम.सी.डी. की चर्चा करते हैं, आपने देखा कि पिछले दिनों दिल्ली को और दिल्ली की जनता को किस तरह एम.सी.डी. ने परेशान किया। एम.सी.डी. जैसा कि आपको मालूम है कि आज एम.सी.डी. की बागडोर किनके हाथों में है और वहां किसका राज है और एम.सी.डी. जो है, single mucicipal body which serves 95% of area of Delhi और एम.सी.डी. सिंगल बॉडी है। which is providing basic services to 98% of total population पूरा हाउस टैक्स पूरी दिल्ली से एम.सी.डी. कलैक्ट करती है। पूरी दिल्ली में जो पार्किंग चार्जेज हैं, वह एम.सी.डी. के पास जाते हैं। लेकिन फिर भी एम.सी.डी. कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। आज सुबह की घटना आपको बताना चाहूंगा कि नजफगढ़ जो मेरी कांस्टिट्यूएन्सी है, वहां पर काफी गांवों में आज भी एम.सी.डी. के ढलाव नहीं हैं। जो ढलाव वह यूज करते हैं, जहां पर कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। जो कि एक बेसिक एमिनिटीज है। बेसिक फैसिलिटी है। Duty of MCD to provide dustbins लगभग 9 गांवों के लिए रिक्वेस्ट भेजा हमने कि यहां एम.सी.डी. के ढलाव बनने चाहिए।

बजट सैंक्शन नहीं किया। मेरे पास एसएमएस है। उसमें भी लिखा है और ये तो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन की हालत है। उसमें लिखा है:

"extremely sorry I am, shortage of funds"

उपाध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं पूरे सदन को कि दिल्ली सरकार 10.5 प्रतिशत of its total receipts एम.सी.डी. को देती है। उसके बावजूद भी एम.सी.डी. यही कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है। पिछले इतने सालों में उन्होंने क्या ऐसे कदम उठाये जिससे हाउस टैक्स का जो कलैक्शन है, वह बढ़ाया जाये। ऐसे इन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाये। अभी मैं नेट पर देख रहा था। 2011 का डाटा उसमें है, केवल 8 लाख जो रेजीडेंटस हैं, वह सिर्फ टैक्स दे रहे हैं। ऐसे कोई ठोस कदम नहीं उठाये कि जिससे हाउस टैक्स कलैक्शन बढ़ाया जाए और मेजर सोर्स किसी भी म्युनिसिपल बॉडी का वर्ल्ड ओवर ये कलैक्शन जो है, हाउस टैक्स से आता है। आपको आश्चर्य होगा ईवन बैंगलोर में दिल्ली से ज्यादा हाउस टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हैं। एम.सी.डी. के हर विभाग में आज भ्रष्टाचार है। जैसे कि सोमनाथ भाई ने कहा कि "Mother of Corruption" हर विभाग में भ्रष्टाचार है जिसके कारण उसका जो असेसमेंट टैक्स कलैक्शन के बारे में हैं, वह आज तक नहीं बढ़ा है और दिल्ली सरकार ने फिर भी अपना वायदा पूरा किया और जून के महीने में लगभग 513 करोड़ रुपये एम.सी.डी. को दिए और ये जो 513 करोड़ रुपये दिए, ये जो 10.5 प्रतिशत उसका कमिटमेंट है, उससे ऊपर है। और हमारे जो तीन विधायक भाई हैं, ये फिर दोबारा उसका विरोध करेंगे लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि बी.जे.पी. हर साल 600 करोड़ रुपये देती है जो हमारे एडज्वाइनिंग स्टेट

हैं... पंजाब और हरियाणा, उनको, उनकी म्युनिसिपल बॉडीज को। लेकिन जो दिल्ली सरकार की म्युनिसिपल बॉडीज हैं, जो कि मैंने बताया कि 98 प्रतिशत एरिया एम.सी.डी. सर्व कर रही है। एम.सी.डी. को वह 600 करोड़ रुपये नहीं मिलता। अगर आप उछलकर इस सदन को रोकते हैं। ये बाहर दिखायें तो हमें बड़ी खुशी होगी और दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें तो हमें बहुत खुशी होगी और जो हमारे मोदी जी दूसरे देशों को फाइनेंशियल एसिस्टेंस के लिए तुरंत हां भरते हैं, जैसे कि मंगोलिया को फाइनेंशियल एड के लिए हां भरा, तो बड़ी खुशी होगी अगर...

उपाध्यक्ष महोदया : आप समाप्त कीजिए।

श्री कैलाश गहलोत : बस मेडम एक मिनट और लूंगा। उपाध्यक्ष महोदया, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर दिल्ली की जनता के लिए भी इतनी ही गंभीरता से वे विचार करें और जो बार-बार एम.सी.डी. कहती है कि पैसे की शॉर्टेज है, पैसा नहीं है। उसमें वह अपना योगदान दें और अपना कंट्रीब्यूशन दें और अंत में फिर इस ऐतिहासिक बजट को लाने के लिए दिल्ली सरकार को और सभी को बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेंद्र गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदया। आपने मुझे इस बजट की महत्वपूर्ण चर्चा में बोलने का अवसर दिया। बजट किसी भी सरकार के काम काज का आइना होता है। ये बजट दिल्ली सरकार की दशा और दिशा, दोनों ही स्पष्ट करता है। और इतने ऐतिहासिक बजट पर मैं अपने उप मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद करना चाहूंगा कि यह वास्तव में एक ऐतिहासिक बजट

है। भारत की आजादी के बाद आज तक किसी भी सरकार ने अपने बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य को इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं माना। जब कि भारत के संविधान के निर्माता डॉ. बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 33 से लेकर आर्टिकल 51 तक Directive Principles of State Policy में सरकार के लिए कुछ मुद्दे लिखे हैं। उसमें सरकार को एक तरह की डायरेक्शन्स दी गई हैं कि आप सोशल वेल्फेयर के ऊपर जब सरकार नीति बनाये तो देश के बारे में या राज्यों के बारे में तो वह सोशल वेल्फेयर स्कीम्स के बारे में भी ध्यान रखे। एजुकेशन के बारे में ध्यान रखे। हेल्थ के बारे में ध्यान रखे। मैं खुद जब कभी सभाओं में जाता हूं। कई सालों से मैं इस बात को मानता हूं और बोलता हूं Health and Education are the prime responsibilities of the Goveernment. लेकिन अभी तक मैंने जितने भी बजट पढ़े, जिन स्टेट्स के पढ़े या केंद्र सरकार के पढ़े, मुझे किसी भी बजट में ये बात नजर नहीं आयी कि सरकार हेल्थ और एजुकेशन को प्राथमिकता देती हो। ये पहला ऐतिहासिक बजट है, जिसमें एजुकेशन में 106 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई और हेल्थ में भी लगभग दो गुना की बढ़ोत्तरी की गयी। तो मैं धन्यवाद देते हुए मनीष सिसोदिया जी को कि उन्होंने जन भावनाओं की कद्र की है और जो उन्होंने मोहल्ला सभाओं के माध्यम से या लोगों के पार्टिसिपेशन के माध्यम से जो उन्हें लोगों से सुझाव मिले, उन्होंने अपने बजट में, बजट को तैयार करते वक्त जन भावनाओं की कद्र की है। आज जब हम सोचते हैं पब्लिक स्कूल के बारे में तो जो निम्न दर्जे के पब्लिक स्कूल हैं, आज ही एक बच्चे का अगर एक साल का टोटल खर्च का एवरेज निकाला जाये तो एक बच्चे पर कम से कम 8 हजार का खर्चा आता है लेकिन दिल्ली की जो गरीब

जनता है, उसके तो पूरे परिवार महीने की इनकम 8 हजार है तो वह अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकता। बस मजबूरीवश इस दिल्ली का गरीब मजदूर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर है। सरकारी स्कूलों की स्थिति पिछली सरकारों की नीतियों की वजह से ऐसी हो गयी, जहां इन बच्चों का कोई भविष्य नजर नहीं आता। पहले नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की। साथ ही 10वीं का बोर्ड का एग्जाम खत्म किया। बिना स्थिति को सुधारे इस तरह की स्कीम्स को लागू कर देने से उसका रिजल्ट आज ये है कि 9वीं क्लास में लगभग 35 परसेंट बच्चे फेल हुए। उन बच्चों का क्या भविष्य है? कहां जाएंगे ये बच्चे? ये पहला बजट है जिसमें उन बातों पर गौर किया और अपने बजट में एजुकेशन पॉलिसी को सुधारकर इतना गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया कि जिन स्कूलों में दूसरी पाली नहीं चलती, वहां पर भी दूसरी पाली के स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। ये बीस हजार टीचर्स की भर्ती करने की योजना है। 235 नये स्कूल भवनों के निर्माण की प्लानिंग चल रही है। कुछ स्कूलों का निर्माण पहले ही चल रहा है, कुछ का होने वाला है। 50 स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में परिवर्तित करने का जो सरकार ने निर्णय किया है, वह आने वाले अगले साल में सभी सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में कन्वर्ट करने का जो सरकार ने निर्णय लिया है, उसके लिए मैं उनका तहेदिल से धन्यवाद करता हूं। वास्तव में यह एक क्रांतिकारी कदम है। इससे दिल्ली के बच्चों का भविष्य बनेगा। साथ ही साथ जो दो प्रकार के सर्टिफिकेट की बात मनीष जी ने की अपने बजट भाषण में, उससे साफ इंगित होता है कि बच्चों का भविष्य बनने वाला है। जो बच्चे स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, टैक्नीकल एजुकेशन लेना चाहेंगे, 12वीं के

बाद रोजगार की तरफ जाना चाहेंगे, ये रोजगार परख शिक्षा की तरफ जितना ध्यान इस सरकार ने दिया है, यह वास्तव में स्वागत योग्य है और इससे लोगों के दिन बदलेंगे। केंद्रीय सरकार बेशक न ला पाई हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं कि वास्तव में अच्छे दिन आने वाले हैं। दिल्ली सरकार के, गरीब बच्चों के अच्छे दिन आने वाले हैं। दिल्ली सरकार की जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके लिए मैं मनीष जी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, साथियों को भी मैं इंगित करते हुए यह कहना चाहूंगा कि जो गरीब जनता है, उनके पास जमीन जायदाद नहीं है। उनके बच्चे उनकी पूंजी है और उन्होंने अपने बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों के सुपुर्द कर दिये।

उपाध्यक्ष महोदया : गौतम जी, शार्ट कीजिए।

श्री राजेंद्र पाल गौतम : बस छोटी सी बात रह गई है मेरी। उन्होंने अपनी इस पूंजी को दिल्ली सरकार के टीचर्स के हवाले कर दिया है और जो पिछली पॉलिसी चल रही है। उस पॉलिसी में इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। यानी दिल्ली जनता की पूंजी लुट रही है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा अपने वित्त मंत्री जी का, डिप्टी सी.एम. साहब का जो पॉलिसी education और health पर वो लेके आएं हैं। उस पॉलिसी से निःसंदेह गरीब जनता को लाभ मिलने वाला है। लोगों को आप्रेशन के पैसे उनके पास नहीं है, इलाज के पैसे उनके पास नहीं है। लेकिन जिस तरह दिल्ली के अंदर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया और अपने बजट भाषण में हमारे डिप्टी सी.एम. साहब ने बताया जिस तरीके से हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया जा रहा है। आई.सी.यू. में बैडस को बढ़ाया

जा रहा है। बाकी बैडस को बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह अच्छी दवाइयों का प्रबंध किया जा रहा है और जिस तरीके से लगभग डेढ़ गुणा बजट हेल्थ का किया गया और दुगने से ज्यादा बजट एजूकेशन का किया गया और लगभग 35 परसेंट transport का बजट बढ़ाया गया। उससे लगता है कि सरकार दिल्ली की जनता के प्रति इतनी गंभीर है और इस बजट के लिए इस ऐतिहासिक बजट के लिए मैं अपनी सरकार को स्पेशियली मनीष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया : अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बा : धन्यवाद अध्यक्षा जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्षा जी, मैं महिला शक्ति और शिक्षा के ऊपर अपनी बात रखूंगी। यह स्वराज बजट है। यह ऐतिहासिक बजट भी कहा जा रहा है। ये ऐतिहासिक कैसे है, मैं यह बताना चाहती हूं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वराज बजट पेश होता है, उसे ऐतिहासिक भी बताया जाता है। यह सच्चाई है यह पहली बार हुआ कि 1500 से ज्यादा लोगों ने आम आदमियों के बीच में जाकर मौहल्ला सभाओं के माध्यम से यह बजट बनाया गया। इतना ही नहीं, जितने भी आर.डब्ल्यू.ए. एन.जी.ओ. थे, इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए, उद्योग से जुड़े हुए लोग थे, उनसे विचार करके ये बजट बनाया गया है। इसलिए ये बजट ऐतिहासिक बजट कहलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मैं मुबारकबाद और शुभकामनाएं भी देना चाहती हूं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को

जिन्होंने यह बजट ऐतिहासिक बजट पेश किया है। आपकी मुलाकात बजट पेश करने से पहले देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डा. अब्दुल कलाम जी से रही। अब्दुल कलाम जी ने कुछ कहा है, वो मैं इस सदन में बताना चाहती हूं। उन्होंने कहा था इस देश के सबसे अच्छे दिमाग, इस देश से सबसे अच्छे दिमाग क्लास की लास्ट बैंच पर मिल सकते हैं। मुझे लगता है उन्हीं अच्छे दिमागों की खोज में लास्ट बैंच तक जाने का प्रयास इस बजट में मनीष जी ने किया है। ये दिखता है। ये दिखता है कि कैसे कौशल विकास कार्यक्रम स्किल डवलपमेंट के ऊपर 310 करोड़ का बजट रखा गया है। किस तरह से इंडस्ट्रीज के रूप में इन युवाओं को इसी कौशल विकास कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग दिलाने की बात की और उसी ट्रेनिंग के माध्यम से इसी स्किल डवलपमेंट के माध्यम से 310 करोड़ के बजट के माध्यम से एक लाख दिल्ली के युवाओं के लिए नौकरी के दरवाजे खोल देता है यह बजट। इतना ही नहीं, अध्यक्ष जी, जब आप शिक्षा के बजट में कुछ प्रतिशत नहीं, 106 प्रतिशत शिक्षा के बजट की बढ़ोतरी की जाती है। उसके ऊपर ऐतिहासिक बात क्या है, कि विश्व के शान्ति नौबल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी जी जब इस बजट की तारीफ करते हैं और मनीष जी को टवीट् करके इस बात की बधाई देते हैं। यह ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि 106 प्रतिशत शिक्षा का बजट बढ़ा दिया गया और शिक्षा को इतना गम्भीरता से लिया जा रहा है। इसमें गांधी जी की भी एक किताब पुस्तक का जिक्र मनीष सिसोदिया जी ने किया था। गांधी जी शिक्षा को लेकर क्या सोचते थे, इस बजट में उसकी की भी झलक दिखती है। गांधी जी कहते हैं "उन्होंने कोट किया है

"what is really needed to make democracy function is not knowledge of facts but right education."

एक सही शिक्षा जो है, उसकी बात कही है। उसकी भी झलक मनीष सिसोदिया के बजट में दिखी जब आप ये कहते हैं कि ये खर्चा नहीं है, ये निवेश है। यह भी एक सोच को दर्शाता है। क्योंकि अभी तक खर्च की बात की जाती थी, पहली बार निवेश की बात हुई है। आपने यह भी कहा कि वैल्यू एजूकेशन की बात नहीं वेल्यू ऑफ एजूकेशन की बात होनी चाहिए। ये जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो हमारे छात्रों के भविष्य को इस तरह से उसकी नींव को मजबूत करने का काम करेगा। आपने बहुत सी नई बातें इस स्वराज बजट में रखीं। आपने पे एंड प्ले का एक नया कान्सेप्ट रखा कि सरकार के ऐसे बहुत से स्टेडियम है, दिल्ली सरकार के बहुत से स्कूलों के ऐसे प्ले ग्राउण्ड है, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है इसको पे एंड प्ले करके आपने नया कान्सेप्ट लाकर खोला। शिक्षा में मैं फिर कहूंगी आपने प्राईवेट निजी स्कूलों का जिक्र किया कि मनमानी फीस वसूल करना बाकी प्रक्रिया में, धांधलियां, डोनेशन लेना, किसी भी तरीके से इन सबके ऊपर मैं कहूंगी कि आपने बजट में जिक्र किया दिल्ली स्कूली शिक्षा अधिनियम, 1973 में स्पेशल बिल लाकर संशोधन करने का। मैं इसका स्वागत करती हूं। इसकी सख्त जरूरत है कि निजी स्कूलों की जो तानाशाही है, जो व्यापार के अड्डे बन चुके हैं ये शिक्षा नहीं दे रहे, ये व्यापार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो बिल का जिक्र आपने किया है दिल्ली स्कूली शिक्षा अधिनियम, 1973 में संशोधन के लिए, हम उसके इन्तजार में रहेंगे ताकि ये बिल लाया जाए और इसमें सुधार करके निजी स्कूलों को भी दिल्ली सरकार के अधीन लाया जाए ताकि

उनकी इस तरीके से तानाशाही न चली जाए। आपने ये भी कहा कि दिल्ली को पूर्ण शिक्षित राज्य बनाने की हमारी सोच है कि यहां पर लोग 100 प्रतिशत शिक्षित हो। शिक्षा को जीवन के लिए उपयोगी बनाने की आपने बात की। मुझे लगता है ये बात पहले हमने कभी नहीं सुनी। जब स्वराज का बजट आता है लोगों से बात करके यह बजट आता है, तो मुझे लगता है, बहुत बड़ी बात होती है।

इतना ही नहीं इस बजट की तारीफ सिर्फ शिक्षा में मैं कहूं तो आदरणीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी ने पर्यावरण की बात आई। पर्यावरण के ऊपर जब इस बजट में बात कही गई तो पर्यावरण विशेषज्ञ सुनीता नारायण ने भी इस बजट की तारीफ की इसलिए भी यह बजट ऐतिहासिक होता है। इतना ही नहीं तब इण्डस्ट्री की बात हुई, लोगों को किस तरीके से रोजगार इण्डस्ट्री के माध्यम से स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से दिया जाए तो सी.आई.आई. इण्डस्ट्री के चेयरमैन श्री श्रीकांत सोमानी जी भी इस बजट की तारीफ करते हैं। यानि की आप देखिए, शिक्षा से जुड़े लोगों, पर्यावरण से जुड़े लोगों, इण्डस्ट्री से जुड़े लोगों या आम आदमी हो इस बजट को ऐतिहासिक इस लिए बनाता है, क्योंकि रायशुमारी लेकर यह बजट बनाया गया है। खुद डा. अब्दुल कलाम जी की सोच इस बजट में दिखती है, इसलिए महात्मा गांधी जी की शिक्षा को लेकर सोच इस बजट में दिखती है। कि ये बजट ऐतिहासिक है। मैं तो यह कहती हूं कि बजट से पहले बी.जे.पी. के जिन्हें मार्ग-दर्शक बनाकर बिल्कुल किनारे कर दिया गया है, अच्छा रहता कि अरविन्द जी को जब आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने समय दिया और उम्मीद थी कि इस बजट से पहले दिल्ली के मुख्य मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से मिल पाएंगे,

जिनको मार्ग दर्शन तो कहा जा रहा है पर उनका मार्ग दर्शक नहीं लिया जा रहा और अगर अरविन्द जी की वो मुलाकात इस बजट से पहले हो चुकी होती तो यह बजट शायद और भी बेहतर होता। आडवाणी जी से आप नहीं तो हम तो मार्ग दर्शन ले पाते जो मुझे लगता है छह बजे की मीटिंग कन्फर्म होने के बाद कैन्सिल कर दी गई। डर था कि शायद वो जो है कहीं इमरजेंसी के ऊपर बात न करने लग जाएं। इस लिए वो मीटिंग रह गई। वरना हमें उम्मीद थी कि वो अच्छा बजट और हो सकता था। लेकिन समय मिलेगा तो आगे भी जरूर आडवाणी जी का मार्गदर्शन बी.जे.पी. ले या ना ले, हम लोग जरूर लेंगे। क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं और जहां तक बजट में कहा गया अध्यक्ष जी, एक लाख 30 हजार करोड़। ये छोटी बात नहीं है छोटा amount भी नहीं है। सिर्फ दो महीने के अन्दर जो अब तक की दिल्ली 15 साल की सरकारों जो पिछले एक साल से केन्द्र के अधीन चल रही है, जो नहीं कर पाई वो मात्र पिछले चार महीनों में और दो महीनों में दिल्ली के वित्त मंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया जी ने करके दिखा दिया कि टैक्स की जो चोरी होती थी। उसे रोका काफी हद तक। और 38 प्रतिशत से अधिक जो टैक्स चोरी होती थी उसे बचाने में कामयाब हुए हम लोग। इसीलिए आज ये बजट पहली बार 40 हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर जाता है। मैं आपसे कहूंगी एक लाख तीस हजार करोड़ जो टैक्स के माध्यम से हम केन्द्र को दे रहे हैं और बदले में 325 करोड़ सिर्फ मिलता है।

आप कहते हैं मोदी जी का धन्यवाद करें हम बिल्कुल चाहते हैं, हम बिल्कुल चाहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान हो। मैं आपसे कहूंगी 1,30,000 करोड़ जो टैक्स के माध्यम से हम केंद्र को दे रहे हैं और बदले में सिर्फ

325 करोड़ मिलता है। आप कहते हैं मोदी जी का धन्यवाद करें हम बिल्कुल चाहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान हो। ये किस तरीके की दिल्ली को वो स्मार्ट सिटी के साथ जोड़ना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, हम चाहते थे हमें मालूम था पूर्ण राज्य का दर्जा इनका भी सपना था, कांग्रेस का भी और हमारा भी है। इन तीनों के घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था। उम्मीद तो ये की थी कि केंद्र में ये बैठे हैं, इनके भी घोषणा पत्र में है, हमारे भी घोषणा पत्र में है, मिलकर दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लड़ेंगे और दिल्ली को विकास के रास्ते में आगे ले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हर चीज में आज भी बहुत ज्यादा अपना कंधा थपथपा रहे थे और आज भी अरविंद केजरीवाल जी को झटका लगा। झटके बहुत लगते हैं पर उल्टा ये होता है कि जब थोड़ा समय बीतता है तो झटके इनको लग रहे होते हैं। आज एंटी करप्शन ब्रांच में बहुत कंधा थपथपाया। पता नहीं फख्र और गर्व करने की बात क्या थी? उसमें कि आज एल.जी. द्वारा थोपे गए मीणा जी के मामले में हम लोग हाईकोर्ट गए और उन्होंने उनको हटाने से मना कर दिया। उन्होंने 11 अगस्त तक का नोटिस दिया है केंद्र की सरकार को कि जवाब दीजिए कि आपने ये नियुक्ति कैसे की और जब तक जवाब नहीं देते तब तक वो बने रहेंगे। लेकिन इसको मत मान लीजिएगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिन पर एक नहीं हवाला और भ्रष्टाचार के दो-दो आरोप हैं उन्हें हम रहने देंगे। ये दिल्ली की जनता उखाड़ देगी एक-एक भ्रष्ट अधिकारी को, हम ये कहना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदया, जी मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी। शिक्षा पर मैंने बात की। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मनीष जी से बात हुई, मनीष जी ने बताया हमें, बहुत बार हमारी बात हुई

उपाध्यक्ष महोदया : अल्का जी शॉर्ट करिए।...*(व्यवधान)*

सुश्री अलका लाम्बा : दिल्ली में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करके पूरे देश के सामने एक माडल के तौर पर रखने का हमारा सपना है और हम वह पूरा करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर एक बात कहकर समाप्त करूंगी। इस बजट में, इतना बजट तो मुझे लगता है केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर नहीं दिया जितना अकेली दिल्ली की सरकार ने महिला सुरक्षा पर 160 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कही। जब केंद्र की मोदी सरकार का पिछला बजट आदरणीय अरुण जेटली जी ने पेश किया था तो कहा था कि 50 करोड़ रुपया हम लोग यातायात के साधनों में लगा देंगे ताकि महिलाएं सुरक्षित हों। अध्यक्ष जी, पिछले एक साल में जो 50 करोड़ रुपया यातायात के साधनों पर लगना था, महिला सुरक्षा का एक रुपया नहीं खर्च किया इन्होंने। सिर्फ दिखावे भर के लिए था वो बजट। पिछले एक साल कितने यातायात के साधन हैं, बसें हैं उसमें सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए, उन्हें जी.पी.एस. से जोड़ा। बिल्कुल नहीं हो रहा। जो अपराध होते हैं उसके लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार कोई और नहीं दिल्ली पुलिस और केंद्र में बैठी मोदी सरकार है, मैं ये कहूंगी। मुझे खुशी होती है कि 160 करोड़ के बजट में आपने हर डी.टी.सी. बस और कलैस्टर बस में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की बात की। आप 200 डी.टी.सी. की बसों में आलरेडी सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा चुके हैं। आपने मार्शल्स की बात कही और आलरेडी हमारी 200 बसों में मार्शल नियुक्त भी किए जा चुके हैं और आने वाले समय में होमगार्डों और मार्शल की नियुक्ति की जाएगी। मुझे इस बात की...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदया : अलका जी, शॉर्ट करिए।

सुश्री अलका लांबा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं लास्ट में निर्भया के ऊपर क्योंकि महिला की बात होती है 2012 से निर्भया फंड के नाम पर केंद्र में पहले यू.पी.ए. सरकार ने हजार करोड़ दिया और अब केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने हजार करोड़ दिया। दो हजार करोड़ में से खर्च कितना हुआ सिर्फ 200 करोड़ भी नहीं। मैं एक बार निर्भया को श्रद्धांजलि देते हुए ये जो महिलाओं के लिए बजट है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को ताकत देने क लिए हर क्षेत्र में, मैं एक ही बात कहूंगी जो निर्भया की मां निर्भया के लिए कहती होगी, मुझे लगता है आज की हर मां इसे पढ़ने की बजाय आम आदमी पार्टी के और मनीष सिसोदिया जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से पेश किए हुए बजट को जरूर याद करके अपने आपको एक सकून देती होगी। निर्भया की मां ने क्या कहा होगा ये सुन लीजिएगा-

"तेरे माथे पे ये आंचल तो बहुत ही खूब हैं लेकिन
तू इस आंचल से एक परचम बना लेती हो अच्छा था" जय हिंद।

उपाध्यक्ष महोदया : सरिता सिंह जी।

सुश्री सरिता सिंह : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदया। इस बजट पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो अपने वित्तमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और ये धन्यवाद अकेले मेरी तरफ से नहीं है, जिस दिन से ये बजट आया है उस दिन से शायद मेरे पास ही नहीं सदन में बैठे सभी लोगों के पास केवल दिल्ली से नहीं, देश से नहीं, विदेशों से मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक बजट है। ऐसा क्यों?

क्योंकि जब एक युवा ने इस बजट को पढ़ा और उसने अपने आपसे रिलेट किया तो उसे लगा हां, कि इस बजट में मेरे लिए कुछ है। जब गृहणी ने इस बजट को पढ़ा तो उसने रिलेट किया कि हां, इस बजट में मेरे लिए भी कुछ है। जब एक व्यापारी ने इस बजट को पढ़ा तो उसे लगा कि मेरे लिए भी इस बजट में कुछ है तो इसीलिए इस बजट को स्वराज बजट, participatory बजट, आम आदमी का बजट कहा गया है। बहुत दिनों से, पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में एम.सी.डी. का हंगामा था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं।

मैं एक example देकर आज सुबह जो मेरी विधानसभा में ज्यों इंसीडेंट हुआ उससे मैं आगे बढ़ूंगी। आज मेरी विधानसभा में माननीय गोपाल जी भी बैठे हैं यहां पर, बाबरपुर रोड पर कन्वर्जन टैक्स को लेकर strike होती है और आप इस बात को सुनकर हैरान होंगे कि strike वहां के लोकल काउंसलर करते हैं और कंवर्जन टैक्स लेता कौन है एम.सी.डी. और स्ट्राइक पर बैठे कौन हैं काउंसलर। ये सोचिए ये कैसी डबल राजनीति कर रहे हैं। विडंबना है। इन्हें ये भी नहीं पता कि कन्वर्जन टैक्स इन्हीं के एकाउंट में जाता है। तो हमारी सरकार ने ये तय किया कि हम 5,908 करोड़ टोटल बजट में से एम.सी.डी. को देंगे जो टोटल बजट में से 14.4 परसेंटेज है। बजट एक साल का होता है। पिछले चार महीनों में लगभग 49 परसेंट हमने एम.सी.डी. को दे दिया है, अभी पूरा साल बाकी है। हमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि हम केवल एक खोखली राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते तो केंद्र में जिस तरह भाजपा की सरकार बैठी है और दिल्ली सरकार को काम करने से रोक रही है, हम भी चाहते तो एम.सी.डी. के साथ वही कर सकते थे

और एम.सी.डी. को कोई पैसा नहीं देते। पर हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम एक स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली चाहते थे इसीलिए हमने अपने बजट में एम.सी.डी. को पैसा दिया। केवल पैसा नहीं दिया आज तक की ये परंपरा थी कि जो भी लोन दिल्ली सरकार देती थी वो एम.सी.डी. को वापस करना पड़ता था। वर्ष 2015-16 में दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है कि जो भी लोन का रीपेमेंट एम.सी.डी. को दिल्ली सरकार को वापस करना है वो रीपेमेंट एम.सी.डी. ना करें और जो भी उनका नुकसान है उसको stabilize करें। उसको दिल्ली के जनता के डवलपमेंट के लिए use करें। इसे बोलते हैं अच्छी नीयत की राजनीति। पार्टी जुमलों और उदाहरण की राजनीति इसे नहीं कहते हैं। आज तक कुछ दिन पहले ही भावना गौड़ जी ने यहां पर बताया था कि किस तरह प्रोवीजनल सर्टिफिकेट माननीय सोनिया गांधी जी ने बांटा था, अन्अथोराइज्ड कालोनिज के ऊपर। आज तक अन्अथोराइज्ड कालोनिज के ऊपर बहुत राजनीति की गई पर आज तक कुछ किया नहीं गया। आज तक दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर बहुत राजनीति की गई पर आज तक उनको कुछ दिया नहीं गया। आज तक resettlement colonies के ऊपर बहुत राजनीति की गई पर उनको कोई पैसा कहीं नहीं दिया गया। पहली बार अभी कपिल मिश्रा जी यहां पर नहीं है, मैं उनको बधाई देना चाहती हूं कि अन्अथोराइज्ड कालोनिज में 80 परसेंट कम किया गया है सीवर कनैक्शन और वाटर कनैक्शन अगर कोई लेता है तो ये ऐतिहासिक कदम है। आज तक किसी सरकार ने ये फैसला नहीं किया यानि अगर जो 440 रुपए था वो अब 100 रुपए लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदया, झुग्गियों को लेकर बहुत राजनीति हुई। हमेशा उनको

पक्के मकान बनाने का आश्वासन दिया गया। हमने उसे अपने पहले बजट में ही करके दिखाया। 23 हजार Economic weaker section के मकान रेड्डी हैं और 29 हजार तैयार होने वाले हैं और इनकी allotment policies जो विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। 45 resettlement colonies हैं। वो लोग रह रहे हैं वहां पर उनके पास उनका मालिकाना हक आज तक नहीं है। आज तक किसी सरकार ने इस पर काम नहीं किया। दिल्ली सरकार ने इस पर कदम बढ़ाया और इस पर काम शुरू कर दिया है। अन्अथोराइज्ड एरियास में basic facilities नहीं हैं। दिल्ली सरकार ने इंशीयेटिव लिया और 6 अन्अथोराइज्ड कालोनिज identify की, उसमें पायलेट प्रोजक्ट चलाया जाएगा वहां पर सीवर लाइन, पाइप लाइन सारे डवलपमेंट वर्क किए जाएंगे और उसके बाद पूरी दिल्ली की अन्अथोराइज्ड कालोनिज को नियमित करने का काम किया जाएगा। हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं, हम काम करके दिखाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदया, इंडस्ट्रीज की बात, यहां पर हमारे 3 भाजपा के साथी बैठे हैं, व्यापारियों के हितैषी कहे जाते हैं। आज कंवर्जन टैक्स, पार्किंग टैक्स लेकर ये दिल्ली के व्यापारियों का खून चूस रहे हैं। क्या किया इन्होंने व्यापारियों के लिए? हम व्यापारियों को गले लगाना चाहते हैं। हम व्यापारियों को धमकी देकर, सील करके उनसे टैक्स वसूलना नहीं चाहते। हमने दिल्ली में इंसपेक्टर राज को खत्म करने का initiative लिया है। हमने दिल्ली में No raid पालिसी लागू करने की कोशिश की है जो आज तक किसी भी सरकार न नहीं की थी। जिस तरह अभी बात हुई ease of doing business-ease of doing business होता क्या है? मैं बधाई देना चाहती हूं माननीय वित्तमंत्री जी को उन्होंने पूरे

देश के व्यापारियों को दिल्ली में न्यौता दिया कि आप आइये दिल्ली में हम आपको व्यापार करने का मौका देंगे। हम एक ऐसा environment देंगे, एक ऐसा business friendly enviornment देंगे कि आप दिल्ली में आकर बहुत आराम से अपना बिजनस कर सकेंगे और उससे हमारा रैवन्यू बढ़ेगा। ये होगा कैसे single step window का initiative किया गया। आज एक व्यापारी को एक लाइसेंस चाहिए तो वो हजारों जगह के चक्कर काटता है। पता नहीं कहां-कहां घूस देता है पर उसको लाइसेंस नहीं मिलता। पहली बार दिल्ली सरकार ने ये initiative लिया और single window system बनाकर लाइसेंस की प्रक्रिया को ईजी किया।

दिल्ली में 29 इंडस्ट्रियल ऐरिया हैं जहां पर आज तक दुर्भाग्य की बात है ये हम दिल्ली को इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात करते हैं। आज तक की सरकारों ने क्या किया दिल्ली में 29 इडस्ट्रियल एरियास हैं एक बार जा कर देखिये वहां पर एमिनिटीज नहीं हैं, जन सुविधायें नहीं हैं। दिल्ली सरकार ने यह तय किया कि हम सारी की सारी इंडस्ट्रियल एरियाज में सारी बेसिक फेसिलिटिज देंगे। वहां सीवर कनैक्शन देंगे, वहां पाईप लाईन देंगे ताकि वहां श्रमिक काम करें। वो गर्व महसूस करें कि मैं यहां काम करता हूं, मुझे रहने का, मुझे जीने का अधिकार है।

माननीय गोपाल जी यहां पर बैठे हैं। मैं उनका धन्यवाद करती हूं कि श्रमिक विकास मिशन के तहत 20 योजनायें उन्होंने लागू कीं जो श्रमिकों के हित के लिये हैं। यानि अगर कोई लेबर है तो वो अपने आप को हमेशा दबा कुचला न महसूस करे। वो भी इस समाज का अभिन्न हिस्सा है। अगर

हम युवाओं की ओर महिलाओं की बात करते हैं बहुत सारे प्रश्न आये थे। वाई-फाई का क्या हुआ, वाई-फाई का क्या हुआ

उपाध्यक्ष महोदया : सरिता जी शार्ट कीजिए।

सुश्री सरिता सिंह : वाई-फाई भी आया। कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि Selfi with Daughter. Sir ji, we don't need selfi with daughter, we need security for daughter and Delhi is not safe for daughters हमारी सरकार ने इसके लिये initiative लिया। बसों में सिक्यूरिटी मार्शलस बिठाये, बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये, इस तरह हम अपनी बेटियों को सुरक्षा दे सकते हैं। बेटियों के साथ सैल्फी खिंचा कर उनको सिक्यूरिटी नहीं दे सकते हैं। आज दिल्ली का हर युवा खुशनसीब है हमने एक लाख जॉब की बात की है। एक लाख जॉब अगर युवाओं को मिलेगा तो ऐटोमैटिकली दिल्ली डेवलप होगा। देश की राजधानी डेवलप होगी। तो बस मैं यह कहना चाहती हूं कि ये जो टांग खींचने की राजनीति है, ये जो उथल-पुथल की राजनीति है अरे भाई साहब, कुछ अच्छा हो रहा है, उस अच्छे होने का हिस्सा बनिये। दिल्ली देख रही है आपको, देश देख रहा है आपको। उनका हिस्सा बनिये। आपके क्षेत्र की जनता आपको प्रोत्साहन करेगी। आपकी बड़ाई करेगी। मैं ऐतिहासिक बजट के लिये अपनी सरकार का, स्पैशयली अपने वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

उपाध्यक्ष महोदया : गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंह : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और धन्यवाद सबसे पहले दिल्ली की जनता को जिसने हम सभी साथियों

को इस लायक समझा कि उन्होंने अपनी तिजोरी का पहरेदार बनाकर इस सदन में हम सभी को भेजा और उस कार्य को हमारे वित्त मंत्री डिप्टी सी.एम. साहब और सी.एम. साहब ने बखूबी निभाते हुए जनता के इस पैसे की पहरेदारी करते हुए इस पैसा का पूरा का पूरा प्रयोग जनता के लिये किया। इसके लिये इस बजट के लिये बहुत बहुत बधाई।

अभी हमारे साथी विजेन्द्र गुप्ता जी है नहीं, लेकिन इस बजट में मैं दिल्ली के किसानों के लिये बात करूं तो इससे पूर्व में किसान का बेटा भी मुख्यमंत्री रह कर जा चुके हैं। स्व. डा. साहिब सिंह वर्मा बहुत ही सम्मान के योग्य व्यक्ति थे, लेकिन बहुत उम्मीद थी दिल्ली के किसानों को उनसे। लेकिन जो आज की सरकार ने कदम किसानों के लिये उठाये वो कदम भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे रहे, उस समय के मुख्यमंत्री डा. साहिब सिंह वर्मा भी नहीं उठा पाये। इसके लिये भी दिल्ली सरकार बधाई की पात्र हैं जिन्होंने तकरीब 70 करोड़ रुपये किसानों को मुआवजे के रूप में जो उनकी फसलें नष्ट हुईं, उसके लिये दिये और साथ में 1990-92 से लेकर आज भी किसान बेचारे धरने पर बैठे थे, ये धरने से उस समय उठे जब अरविन्द केजरीवाल ने सवा करोड़ से लेकर सवा तीन करोड़ तक हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री ने, डिप्टी सी.एम. साहब ने ये सर्कल रेट जो हमारी जमीनों के बढ़ाये, जो देहात की जमीनों के बढ़ाये, किसानों की जमीनों के बढ़ाये। यह अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक इस बजट का हिस्सा है, इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन ये चीजें शायद हमारे साथियों को दिखती नहीं हैं। वो इसलिये नहीं दिखती कि एक आदत है और मुझे लगता है कि एक दो विधायकों ने और भी बजट पर बोला तो जगदीश प्रधान जी और ओम प्रकाश जी खड़े

होकर कह भी देंगे कि बजट अच्छा है। काफी देर इस चक्कर में नहीं बोल रहे थे कि विजेन्द्र गुप्ता जी बैठे थे यहां पर। वो कह भी देंगे थोड़ी देर में और जगदीश प्रधान जी तो कह ही देंगे, अकेले रह गये। ये तो इतने सज्जन आदमी हैं, कह देंगे हाँ, तो हो ही गई। दूसरा 52,60,000 रुपये 2008 में ये रेट था दिल्ली के किसानों का। आज आप हरियाणा में चले जाइये बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ पटौदी शहर, गुड़गांव शहर जहां पर एक करोड़ रुपये मुआवजा मिलता है अगर एक्वायरमेन्ट होती है जमीन। तो एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलता है। जो दिल्ली की बिल्कुल सीमा पर सटा हुआ है। लेकिन दिल्ली में 52,60,000 था। 1997 में ये 17 लाख था। लेकिन अब जाकर दिल्ली के किसानों को यह राहत इस बजट के अन्दर दी गई है। बहुत ही बड़ा कार्य दिल्ली सरकार ने इस बजट में किया है। दूसरा, जब हम बात करते हैं पर्यावरण की वो अभी हमारे विपक्षी के साथी विजेन्द्र गुप्ता जी कह रहे थे कि ट्रकों से फोरव्हीकलों से जो बाहर से आते हैं, उनके ऊपर बड़ा वजन डाल दिया। कल परसों एक साथी मुझे मिला जो अपनी गाड़ियों से माल ढोता है, दिल्ली में आता है। मैंने कहा, भई क्या चर्चा है आपके ट्रक वालों की, यूनियन की? कहता भाई साहब, इस चीज से क्या फर्क पड़ता है सौ दो सौ तीन सौ रुपये बढ़ जायें, उससे फर्क नहीं पड़ता फर्क इस बात से पड़ता है कि 1500 रुपये दस टायर की गाड़ी के दें तो दें लेकिन अन्दर घुसते ही सफेद रंग की दिल्ली पुलिस वाले जो ड्रैस पहन कर खड़े होते हैं, कहते हैं कि टायर की हवा कम है तो निकाल दे पैसे 2000 रुपये। उनसे फर्क पड़ता है। 500 करोड़ रुपये सरकार के पास फालतू आ जाये, वो देने को तैयार हैं ट्रक वाले, लेकिन 1000 करोड़ रुपये की

वसूली दिल्ली पुलिस करती है इस बात से फर्क पड़ता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि बजट में कमी नहीं है, कमी निकालने की आपकी आदत है और देखिये जी, आप को जवाब भी देना बाहर जाकर। बोले थे, हम तो ऐसा है। अब तो बोलना पड़ेगा यह आपका अधिकार है। नहीं बोलेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जायेगी।

दूसरा पर्यावरण की बात कर रहे हैं बहुत ही इस बजट के अन्दर मैं बताऊं कि यमुना को लेकर जो गम्भीरता दिखी इस बजट के अन्दर 3 हजार 6 सौ 56 करोड़ रु. यमुना की सफाई को लेकर या यमुना में जाने वाले दो नाले नजफगढ़ और शाहदरा, इन दोनों नालों को किस तरह से साफ करके यमुना में डाला जायेगा एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी गंगा को चैलेन्ज लेकर चले थे, आज से एक साल सवा साल पहले कि गंगा की सफाई करके छोड़ेंगे। एक तरफ दिल्ली सरकार ने यह पहल की है कि हम यमुना को साफ करके दिखायेंगे तो दोनों ही चैलेन्ज एक साथ खड़े हैं और यह हम करके दिखायेंगे यह हमारा दावा है। अगले डेढ़ साल के अन्दर आपको जमीन पर यह काम दिखेगा जिसके लिये साढ़े 3 हजार करोड़ रुपये इस बजट में रखे गये हैं। यह बहुत ही सराहनीय कदम है दिल्ली सरकार का। उसके साथ कचरे से ऊर्जा बनाने के लिए प्लान्ट के बारे में इस बजट में चर्चा हुई जिसमें ओखला प्लान्ट आलरेडी शुरू हो चुका है। यहां पर तकरीबन 52 मैगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा साथ में 15 एस.टी.पी. और 3 जल-मल के संयंत्र हैं वो भी शुरू होंगे। अगर आज हम बात करें कि 70 से 75 प्रतिशत अगर यमुना आज प्रदूषित होती है तो यह जो दो बड़े नाले शाहदरा और नजफगढ़। इन दोनों नालों की वजह से होती है। इन दोनों नालों में साफ

पानी भेजने के लिये 15 एस.टी.पी. और 3 जल-मल के संयंत्र लगाये जायेंगे जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है।

दूसरा इसमें अगर वन की बात करें तो दिल्ली के अन्दर 297.81 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। वन के रूप में अगर बात करें जो कि दिल्ली का सिर्फ जो भौगोलिक एरिया है, उसका 12.12 परसेंट है। तकरीबन 12 लाख नये पेड़-पौधे इस बार दिल्ली के अन्दर लगाये जायेंगे जो कि पिछली बार से दुगुने हैं जो कि ऐतिहासिक फैसला है। और पेड़ काटने के ऊपर फीस की बढ़ाई गई है कि अगर इस बार पेड़ कटेंगे तो इस फीस को भी दुगुना किया गया है। साथ में किसी भी तरह से अगर कोई भी प्लास्टिक के पदार्थ को, पेड़ों के पत्तों को या किसी भी तरह से रोड पर जलाता हुआ या इस तरह के काम में इनवालमेंन्ट मिली तो यह भी सरकार ने बहुत अच्छी पहल की कि 5000 रुपये का जुर्माना उस पर लगाया जायेगा। क्योंकि यह बहुत जरूरी है क्योंकि हम शायद एक बहुत बड़ी त्रासदी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, अगर हम अपने पर्यावरण को लेकर चिन्तित नहीं हैं तो। और मैं डी.यू.एस.आई.बी. के जो प्लान्ट बने हैं खासकर स्लम बस्तियों में जैसे 4000 डब्ल्यू.सी. सीटें लगाने का प्रावधान इस बजट में आया है और 4-5 बस्तियों में करीब 130 फ्री सीटें लगाने का प्रावधान इस बजट में आया है, और 47 नये मोबाइल शौचालय सॉरी 67 नये मोबाइल शौचालय खरीदने का भी प्रावधान इस बजट के अन्दर रखा गया है, ये सरकार की सोच को दर्शाता है कि किस तरह से पर्यावरण को लेकर बहुत ही गम्भीर है, और आपने अपने इस पूरे बजट के अन्दर पर्यावरण से रिलेटिड आपने अपने फंड में अच्छा खासा इंतजाम किया। दूसरा केन्द्र सरकार ने आज से 7-8 महीने पहले रेहड़ी वालों

को जो रिक्शा वाले थे, जो उनको किस तरह से सड़कों से भगाया गया। किस तरह से उनकी रिक्शा उनके घर में टांग दी गईं, उनके रिक्शे खराब हुए, किस तरह से उनको आपने बाधिक किया, किस तरह से उनकी जिन्दगी को बर्बाद किया लेकिन एक तरफ दिल्ली सरकार ने 15000 रुपये की सब्सिडी पर रिक्शा पर देकर इस बजट के अन्दर जो कार्य किया, यह वास्तव में ई रिक्शा चालकों के लिये एक बहुत बड़ा तोहफा दिल्ली सरकार ने दिया है, इसके लिये दिल्ली सरकार बधाई की पात्र है।

उपाध्यक्ष महोदया : शार्ट कीजिये।

श्री गुलाब सिंह : दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में बवाना, नरेला से लेकर बदरपुर बार्डर तक जितना भी देहात का क्षेत्र है। पहले तो मैं एक मोहल्ला सभा में था और करीबन चार पांच सौ लोग थे। अभी विजेन्द्र भाई कह रहे थे कि बजट ये है, वो है लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपके तीन लोगों को बजट पसंद ना आने से दिल्ली की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल 500 लोगों में से जब मैंने कहा कि बजट किस किस को भाया और बजट की तौ मैं भी बताऊं मुझे भी सच्चाई की परिभाषा नजर आई वरना घर में पिताजी को छह हजार रुपये तनख्वाह मिलती, लठ्ठ बजते थे बजट आते ही। यहां तो और भी जबर्दस्त काम है, तो कल लोगों से पूछा तो जो लोगों ने बताया कि हमने आज तक ऐसा बजट नहीं देखा। अखबार लेकर लोग अगले दिन लोगों में आपस में चर्चा होते हुए हिन्दुस्तान की राजनीति में इस तरह की गतिविधि हमने पहली बार देखी दिल्ली के अन्दर। वरना कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर साल बजट आते हैं सरकारों के। सरकारें

खूब सारे बजट बनाती हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि दिल्ली में एक पान की दुकान चलाने वाला, सड़क पर रेहड़ी-पटरी पर बैठने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला भी कह रहा है कि कल अरविन्द केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया जी ने बजट पेश किया, कमाल कर दिया उन्होंने। आप कहीं पर भी बैठ कर चर्चा सुन लीजिये। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और जनता के लिये बहुत बड़ा राहत पहुंचाने वाला बजट है और दिल्ली की जनता में इस बजट को लेकर राहत महसूस कर रहे हैं।

अपनी अन्तिम बात यह करूंगा कि भई जगदीश प्रधान जी रह गये अब तो तीन भाइयों में से, विजेन्द्र जी होते तो थोड़ा और मजा आता। एक बार सूरजमल घर गया। घर जाकर घरवाली को बोला हलवा बना ले, बोली क्यों? बोला शर्त जीत कर आया हूं। बोली क्या जी? बोली बकरी के तीन थन होंवे हैं। रामलाल बोला था कि दो होंवें थे। बोली बात तो ठीक है बकरी के थण तो दो होंवे हैं, तीन कहां से होंवे? बोला तू हलवा बना ले शर्त जीत कर आया हूं। बकरी के तीन थण होंवे। घरवाली ने रोला कर दिया बोली कि तू तो झूठ बोल रहा है कि बकरी के थण तो दो ही होंवे। न मानी। था के कन्धे पर दै मारी बोली भाईरोये भाई रोये तीन होंवे हैं, तीन होंवे हैं जिस तरह मारी न ऊपर देके तीन होंवे हैं बोला मान गी, बोली हम्बे। बोला रामलाल भी न माना था तो विजेन्द्र जी होते वो भी न मानते। तो प्रधान जी आप को लेके तो आप तो हमारे बहुत...*(व्यवधान)*।

उपाध्यक्ष महोदया : गुलाब जी बस।

श्री गुलाब सिंह : आप बहुत ही पूजनीय आदमी हो। आपके लिये जो इज्जत

है पूरे सदन में। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने बोलने का मौका दिया।

उपाध्यक्ष महोदया : पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्कर : सम्मानित उपाध्यक्ष महोदया, बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। वास्तव में पूरी दिल्ली और देश की राजधानी में दिल्ली में एक नया प्रयोग हुआ और इस प्रयोग में बजट निर्माण जैसे महत्वपूर्ण बात एक दूसरे तरीके से सम्पन्न हुई। मैं माननीय वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री को इस बात के लिये बधाई दूंगा कि उनको बजट निर्माण की प्रक्रिया में स्वराज का मूल्य, और महत्व रेखांकित करने की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में स्वराज के प्रति जो अपनी स्वीकृति प्रदान की, वह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तो है ही पर कुछ और महत्वपूर्ण बातों की तरफ संकेत करना चाहूंगा। नि:सन्देह एक ओर यह बहुत सुन्दर सपनों का और उम्मीदों को जगाने वाला बजट है। सुन्दर सपनों को सामने रखने के लिये और उम्मीदों को पाने के लिये माननीय वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं और हम सब लोगों के लिये उम्मीद पैदा हुई है। पूरी दिल्लीवासियों के लिये उम्मीद पैदा हुई है। मेरे बहुत सारे साथियों ने, बहुत विस्तार में जाकर बजट के सकारात्मक पक्षों के बारे में कहा है। तो मेरा एक मूल वक्तव्य बजट की शुरुआत की जो मेरी एक सराहना है, उसके बारे में मैं कुछ उन पहलुओं पर आना चाहूंगा। जिस पर कि किसी कारणों से न मेरे साथी ध्यान दे सके और न किन्हीं और मजबूरियों के चलते विपक्ष के सम्मानित साथी मजबूर रहे और उसको रेखांकित नहीं कर सके। क्योंकि मैं बहुत ही आस्था के साथ लोकतंत्र की यह एक बहुत ही पवित्र

जगह है, मन्दिर है मैं इस बात को सदन के रिकार्ड में दर्ज कर देना चाहता हूं कि हम लोगों की बहुत गहरी निष्ठा जनता के प्रति है। हमारी शपथ संविधान के प्रति है और उसका निर्वाह करने के लिये यह जरूरी है कि हमको जितनी दूर तक जितनी स्पष्टता के साथ सच्चाई दिखाई दे, उसको हम व्यक्त करें। न डरें और न ही किसी भी सीमित कारणों से अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। तो मैं सदन की अनुमति चाहते हुए कहना यह चाहता हूं कि ये स्वराज का बजट है, इसलिये बधाई का पात्र हैं। लेकिन मेरी पहली प्रतिक्रिया बजट प्रस्तुति के बाद बहुत सकारात्मक रही मीडिया के साथियों के साथ। मनीष भाई को बधाई दी लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इस स्वराज में समता का बोध अनुपस्थित है। मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूं। अपने उन मित्रों का ध्यान चाहूंगा जिनके लिये शायद कड़वी बातें कहना संभव न हो। आसान न हो लेकिन अपने दिल पर हाथ रख कर कहियेगा कि पूरा बजट इस तरह का कहा गया जैसा कि दिल्ली के अन्दर दलित नाम का एक वर्ग न रहता हो। जैसे कि दिल्ली के अन्दर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग न रहते हों। जैसे कि दिल्ली के अन्दर अपने-अपने इलाकों से उजड़े हुए दिल्ली में किसी उम्मीद के साथ आये हुए लोग न बसते हों। तो यह स्वराज का एक सुहावना बयान है, दिल्ली के बजट के बारे में बहुत लुभावन प्रस्ताव है इसको थोड़ा बारीक नजर से देखने की आवश्यकता है। साथ में, मैं इसको पक्ष-विपक्ष की बात न बनाते हुए मेरा अनुरोध ये है कुछ अपनी बातें कहने के जो खतरे होते हैं, वो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। लेकिन इस सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिये, लोकतंत्र की मर्यादा को बनाये रखने के लिये जनादेश का पूरे सच्चे अर्थ में पालन करने के लिये कुछ बातों

का यहां कहा जाना जरूरी है। सुबह के प्रश्नकाल में भी सवाल आया कि बहुत लम्बे संघर्ष के बाद यह पाया गया कि इस देश में आजादी की लड़ाई जो लड़ी गई थी, वो इस देश के उस आखिरी आदमी के लिये लड़ी गई थी जिसके घर में रोशनी नहीं पहुंची थी। उसको हम तकनीकी भाषा में अनुसूचित जाति कहते हैं। राजनीतिक रूप से दलित वर्ग कहते हैं। आज गांधी का जिक्र इस सदन में आया। गांधीजी का कहना ये था कि अगर हमारा कोई भी कदम समाज के आखिरी व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है, एक कतार में खड़े हुए बिल्कुल पीछे खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है तो हमारा कदम जायज है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो हमको दोबारा जांचने की जरूरत है। हम दिल पर हाथ रख कर पूछें, हम अपने अन्दर झांके कि क्या दिल्ली के अन्दर अन्य पिछड़ी जातियां रहती हैं या नहीं रहती हैं, दलित जातियां रहती हैं या नहीं रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, 2 प्रतिशत अनुसूचित जन जातियां भी दिल्ली के अन्दर रहती हैं। स्वयं दिल्ली की जनसंख्या का आंकड़ा ये कहता है जिसको विमुख जनजाति हम कहते हैं। प्री नोटिफाईड कैरिज हम कहते हैं लेकिन दिल्ली की सेन्सस, दिल्ली की जनगणना उनको नहीं मानती है। दिल्ली का बजट भी उनका जिक्र नहीं करता। मैं बहुत ही विनय के साथ, बहुत ही सकारात्मक भाव के साथ अपने वित्त मंत्री के पास इस भावना को पहुंचाने के लिये वो मूक आवाजें जो कि दिल्ली की गलियों में तो हैं, कस्बों में तो हैं, बस्तियों में तो हैं और उनके भेजे हुए लोग इस सदन में भी हैं। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं कि कई बार होंठ सिल जाते हैं, कई बार दिल में बात होते हुए भी व्यक्त नहीं होती है तो उस बात को इस सदन में दर्ज किया जाये। कैसे होता है ये सब दिल्ली की आबादी में लगभग 17 प्रतिशत अनुसूचित

जाति है। दिल्ली की आबादी में 2 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति है। ट्राइब्लस हैं, प्री नोटिफाईड टाईप्स के लोग हैं। दिल्ली की आबादी में 35 से 40 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। संविधान को प्रथम प्रावधान ये है कि हम शड्यूल कास्ट के लिये स्पेशल सब प्लान बनायेंगे। योजना बनायेंगे। अनुसूचित जाति उप योजना बनायेंगे। ये कोई पार्टी की इच्छा की बात नहीं है। वित्त मंत्री मैं हूं या आप हो, इसकी मर्जी की बात नहीं है। यह संवैधानिक निर्देश है। यह संविधान का दिशा निर्देश तत्व है। इसको मानना ही होगा। अभी तक की सरकारों के साथ क्या खेल हुआ है सरकार किसी भी पार्टी की रही हो। इसको भी आप दलगत प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर देखें तो हर किसी ने अन्य वर्ग के साथ, अनुसूचित जातियों के साथ जनजातियों के साथ, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ खेल किया है, खिलवाड़ किया है, राजनीति की है। सच्चा न्याय नहीं किया है उसी का परिणाम ये हुआ है कि पिछले 2007 से लेकर आज तक अनुसूचित जातियों के लिये उन संवैधानिक निर्देश के अनुसार, उनकी जनगणना के अनुसार उनकी आबादी के समानुपात में उनको बजट का ऐलोकेशन होना चाहिये। 16.9 परसेंट अनुसूचित जातियां दिल्ली में रहती हैं इसके साथ-साथ 17 प्रतिशत बजट का एलोकेशन अनुसूचित जातियों के लिए होना चाहिए, कितना हुआ है 1.89 परसेंट से लेकर पिछले बजट तक 4.1 परसेंट और हमारा उदार बजट, हमारा स्वराज का बजट, आम आदमी का बजट 4.3 परसेंट देता है, मात्र प्रतिशत 0.1 की बढ़ोत्तरी उसमें है, यह बहुत दु:ख का विषय है। हमें इस सामूहिक जिम्मेदारी को स्वीकारना चाहिए। चाहे हम सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों। ऐसा क्यों होता है?

उपाध्यक्ष महोदया : पुष्कर जी, शोर्ट कीजिए।

श्री पंकज पुष्कर : नहीं, मैं शोर्ट में नहीं कह पाऊंगा आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, आप मुझे निर्देश देंगी तो मुझे आपके निर्देश को मानते हुए बैठना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ तो कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, मैं वो बात कह रहा हूँ जो कि इस सदन में अभी तक नहीं उठी हैं। मैं किंचित व्यग्रता के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि जब हम इस सदन में आने के लिए चुनाव अभियान कर रहे थे तो सुबह 6 बजे उठते थे और रात को 10 बजे तक चुनाव प्रचार करते थे आज हमको क्यों यह सात बजे लगने लगता है कि हम बहुत थक गये हैं या यह सदन का अमूल्य समय, मैं क्षमापूर्वक आपसे यह निवेदन चाहूँगा इस बात को रखने दिया जाये। यह सदन के हित में होगा। दिल्ली में लगभग 30 हजार दलित आबादी है, जोकि हर कोई जानता है मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, विकास के हर पैमाने पर पिछड़ी हुई है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पार्क हो, खेलकूद के मैदान हों, रहने की जगह हो, पुस्तकालय हों, ट्रेनिंग के केन्द्र हों, लगभग न के बराबर है। लेकिन जब उनके लिए स्पेशल कम्पोनेंट्स यह प्रावधान करता है कि आपको अनिवार्य रूप से वहां एलोकेशन करना पड़ेगा तो हर पार्टी और हर सरकार उसमें असफल रही है। हम अपने मन में झांके कि ऐसा क्यों होता है और हमको आज यह अवसर मिला है मैं अपने माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करूँगा, अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि उनकी प्रतिबद्धता, उनकी ईमानदारी, उनकी सामाजिक निष्ठा पर पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए मैं चाहूँगा कि इसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन करें। यह जो बजट निर्माण में जो भी चूक हो गई है, इसको सुधारने की बात करें। बीती सरकारों में 70 प्रतिशत के स्थान पर चार प्रतिशत बजट प्रावधान किया है। इस बजट में अगर हम 16.9

प्रतिशत का प्रावधान करें तो 3200 करोड़ का प्रावधान होगा, इसके स्थान पर केवल 805 करोड़ का प्रावधान हुआ है। मैं केवल संक्षेप में आपको यह बता देता हूँ, कुछ उल्लेख कर देता हूँ कि यह कैसे होता है। मेरे कई मित्र ऐसे हैं जिनके लिए जानना बहुत जरूरी है, यह केवल दलित के साथ नहीं होता, यह अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ भी होता है, अनुसूचित जनजातियों के साथ भी होता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक सहायता अनुदान रिवाइज्ड ऐस्टिमेट 2014-15 का 2 करोड़ 27 लाख का है जो कि हमारे इस बजट में घटकर दो करोड़ हो गया है। पहली बात तो वो पहले ही बहुत कम है दिल्ली की आबादी में 35-40 प्रतिशत तक ओ.बी.सी. sections हैं उनके लिए जो ऐलोकेशन होना चाहिए था वो बहुत कम था और उसको भी कम इस बजट में हमारे जाने-अनजाने हुआ है। केवल दलित के साथ नहीं होता। अल्पसंख्यक बहुल्य जिलों के लिए multi-sectoral development programme है आप detailed demand of grant नाम की एक मोटी किताब जो है उसके पेज नंबर 218 पर देखें जिसमें रिवाइज्ड ऐस्टिमेट 2014-15 का था 836 लाख का, वो घटकर 5.30 करोड़ रह जाता है क्यों रह जाता है हमें सदन से पूछना चाहिए। इसी तरह स्वरोजगार के लिए एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और माइनोरिटीज के लिए डी.एस.एफ.डी.सी. को लोन 18 करोड़ का प्रावधान 2014-15 में था, घटकर वो 2015-16 में 3 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। इसी तरीके के बहुत सारे पहलू हैं। दिल्ली के ग्रामीण गांवों के लिए लघु मास्टर प्लान का प्रावधान एक 2014-15 में 164 करोड़ का था जो घटकर 143 करोड़ रह जाता है। शेड्यूल कास्ट स्पेशल कम्पोनेंट में 36 करोड़ का था, जो घटकर 31 करोड़ रह जाता है। मेरा निवेदन जो है, वो यह है अगर हमारे अंदर

विशेष तौर से सामाजिक संवेदनशीलता नहीं है तो चाहे वो बजट निर्माण की प्रक्रिया हो, चाहे वो स्वराज का नाम लेकर साथ हो, चाहे जनता की भागीदारी की बात हो, उन सब में अगर विशेष रूप से हमारे अंदर सामाजिक संवेदनशीलता नहीं है, समाज के वंचित वर्गों के प्रति एक विशेष दृष्टि नहीं है तो वो किसी भी निर्णय की प्रक्रिया में यह फिसल जाती है। मैं अंतिम बात...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदया : पुष्कर जी, कनक्लूड कीजिए।

श्री पंकज पुष्कर : दो बातें और मैं महत्वपूर्ण रखना चाहूँगा कि स्वराज निधि के नाम पर 253 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। न केवल यह अनुरोध करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा, आशा करना चाहूँगा कि वो जो 253 करोड़ होंगे, बेहतर तो यह होगा वो 11 विधान सभाओं में देने की जगह 272 सभी वार्डों में दिये जाये। 253 से बढ़ाकर 272 किया जाये और वो 272 वार्ड में पड़े। अगर हम सब को नहीं चुन सकते हैं, मॉडल के रूप में कम चुनना चाहते हैं, तो किसको चुनना चाहेंगे? कलाम जी का जिक्र किया अलका जी ने, जो गांधी का ताबीज हम इस्तेमाल करें जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, मैं केवल यह आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कहीं हमारे बजट प्रक्रिया में ऐसा न हो जाये कि जो पहले से विकसित है उनको ही हम 20 करोड़ अतिरिक्त और दे दें, प्रारम्भ वहां से होना चाहिए और उसके इंडिकेटर्स हैं, जांचने के तरीके हैं जो बिल्कुल सामाजिक, आर्थिक आधार पर सबसे पिछले क्षेत्र हैं, सबसे पिछड़े समुदाय हैं सुल्तानपुर माजरा का क्षेत्र है, माननीय मंत्री महोदय का अपना क्षेत्र है वहां 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति है, उसको सबसे पहला अधिकार है कि वहां पर एक हम कार्यक्रम विशेष लागू

करें। इसी तरीके से देखें अल्पसंख्यक सघनता के क्षेत्र कहां हैं, हम देखें कहां पर सबसे ज्यादा उजड़े हुए लोग हैं, कहां सबसे ज्यादा इस तरह की बस्तियां हैं। तो इस तरह से मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे जो पायलट स्कीम के अंदर चुनाव करें, उसमें हम विशेष प्रावधान इस बात का करें कि जो विशेष वंचित क्षेत्र हैं, विशेष वंचित वर्ग हैं, हमारी शुरुआत वहां से हो, पहला व्यक्ति हमारी निगाह में आने वाला आखिरी व्यक्ति हो।

इसी तरह से शिक्षा के मामले में जो 50 मॉडल स्कूल का प्रावधान इस बजट में किया गया है, मेरा सदन से अनुरोध रहेगा। माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध रहेगा, स्पीकर महोदय के माध्यम से पूरी सरकार को यह बात संप्रेषित करना चाहेंगे।...*(व्यवधान)*

(**अध्यक्ष महोदय श्री रामनिवास गोयल** पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : पुष्कर जी, शोर्ट करिये प्लीज। कनक्लूड कीजिए प्लीज।

श्री पंकज पुष्कर : जो भारतीय संविधान के हिसाब से शिक्षा का मॉडल हमको जिस तरफ आगे बढ़ना है वो साझी शिक्षा प्रणाली है, कॉमन स्कूल सिस्टम है नेबरहुड प्रणाली है, जिसमें कि पड़ोस का स्कूल चाहे वो स्पीकर महोदय हों, चाहे वो सी.एम. महोदय हों, चाहे एम.एल.ए. हों चाहे वो बस्ती में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, हर किसी का बच्चा एक ही और पड़ोस के स्कूल में पढ़ेगा यह कॉमन स्कूल सिस्टम की तरफ बढ़ना है लेकिन अगर हमें उस तरफ बढ़ने में कुछ समय लगना है, हमें कुछ मॉडल स्कूल के रूप में, कुछ लोगों को, कुछ स्कूलों को चुनकर व्यवस्था करनी है, तो वो स्कूल

कौन से होंगे तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पुष्कर जी, आप कनक्लूड कीजिए, आपने बहुत समय ले लिया है। कनक्लूज कीजिए प्लीज।

श्री पंकज पुष्कर : अध्यक्ष जी, तीन मिनट में कनक्लूड कर रहा हूँ। माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी आपके बाद आठ लोगों को और बोलना है।

श्री पंकज पुष्कर : अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय से अपेक्षा यह होगी कि जो सबसे अधिक वंचना के क्षेत्र हैं, जो सबसे अधिक पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उन स्कूलों का चयन वहां से हो, तभी जो जनादेश हमें मिला है, उसका निर्वहन कर पायेंगे।

अंतिम बात मैं केवल कहना चाह रहा हूँ शिक्षा के मामले में एक प्रस्ताव किया गया है हर क्लासरूम में सी.सी.टी.वी. कैमरे का यह बहुत ही स्पष्ट समझने की बात है कि ये हमारे पूरे शिक्षक समुदाय के ऊपर बहुत गहरे अविश्वास की तरफ संकेत करता है यह शिक्षा की मूलभूत जो सोच है, शिक्षा जिस तरह सुधारी जायेगी, उससे एक असंगत विचार है, इस पर गहराई से विचार कर लें। आखिरी बात यह कि कटरावासियों के लिए कई विधान सभा क्षेत्रों में, इसी विधान सभा में कई बार सवाल उठ चुका है कटरों का, 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ये कटरे वहीं हैं जहां सबसे सघन रूप से अनुसूचित जातियों के और उनके भी सबसे गरीब लोग रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के सबसे गरीब लोग रहते हैं, उसके लिए केवल चार करोड़ का

प्रावधान नितांत कम है, उस पर बहुत ही आग्रह के साथ, अनुरोध के साथ प्रार्थना करना चाहूँगा, उसमें बजटीय एलोकेशन बढ़े...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पुष्कर जी, प्लीज।

श्री पंकज पुष्कर : अध्यक्ष जी, केवल अंतिम बात कह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप तीसरी बार अंतिम बात कह रहे हैं।

श्री पंकज पुष्कर : अध्यक्ष जी, अंतिम बात कह रहा हूँ ये वाली कि 253 कटरे केवल मल्कागंज में वार्ड नंबर 9 में हैं केवल उसके लिए 50 करोड़ की मांग मैंने निवेदन करके वित्त मंत्री महोदय से ली है, ट्रांस यमुना एरिया डेवलपमेंट के नाम पर शून्य बजटीय एलोकेशन दिखाया गया है क्यों? यह थोड़ा देखने की बात है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गर्ग जी।

श्री विजेन्द्र गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के वार्षिक बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिये जाने पर हार्दिक धन्यवाद। इस सम्मानित सदन ने 2015-16 के ऐतिहासिक बजट स्वराज बजट को प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली के माननीय वित्त मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी का मैं दिल्ली की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं तथा सदन को बधाई देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सही मायने में ये दिल्ली की जनता के सपनों का बजट है, दिल्ली की उम्मीदों का बजट है, आजादी के 67 वर्षों के इतिहास में दिल्ली की जनता ने जो सपने देखे थे वो इस बजट के माध्यम से आज

पूरे होने जा रहे हैं, मैं किस वर्ग की बात करूं किस व्यक्ति की बात करूं किस क्षेत्र की बात करूं प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक व्यक्ति को इस बजट का लाभ होने जा रहा है। दिल्ली की जनता में खुशी की लहर है एक वो बजट था जिसे देश के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने प्रस्तुत किया था, जिसने देश की जनता की कमर तोड़ दी थी एक आज ये बजट है जिसको दिल्ली के माननीय वित्त मंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया है और इस बजट से दिल्ली की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। मैं कुछ क्षेत्रों में इस बजट के महत्व पर प्रकाश डालूंगा। 2015-16 के बजट के लिए कुल प्रस्तावित 41129 करोड़ रुपये की राशि 2014-15 के संशोधित अनुमान 34790 करोड़ रुपये से 18 प्रतिशत अधिक है। यदि परिवहन के क्षेत्र को हम देखते हैं तो परिवहन क्षेत्र के लिए कुल प्रस्तावित व्यय 5085 करोड़ रुपये है यह राशि 2014-15 से 23 प्रतिशत अधिक राशि है। दिल्ली की सरकार 2016 के अंत तक डी.टी.सी. के लिये 1380 सैमी. लो फ्लोर बसें, 500 लो फ्लोर बसें खरीदेगी और क्लस्टर स्कीम के अंतर्गत 1000 नई बसें खरीदेगी जो दिल्ली की जनता को परिवहन का सुचारू ढांचा प्रदान करेगी। किसी भी राज्य का विकास इंगित होता है, उस राज्य की परिवहन व्यवस्था के द्वारा हम आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। हम भीड़-भाड़ से बचकर सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें तो ये दर्शाता है कि इस राज्य का विकास हो रहा है। यात्रियों की अलग-अलग तरह की जरूरतें पूरी करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी कलस्टर योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र से 10 हजार बसें शामिल करने का प्रस्ताव इस बजट में है। एन.सी.आर. के लिए 500 नये ऑटो परमिट जारी किये जा रहे हैं, ऐसा माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में प्रस्ताव

किया है दिल्ली सरकार ने सभी डी.टी.सी. और कलस्टर बसों में मार्शल तैनात करने का फैसला किया है। जो महिला सुरक्षा की दिशा में एक अभूतपूर्व और प्रशंसनीय कदम है। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री, दिल्ली सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वास्तविक समय सारणी उपलब्ध कराने के लिए यात्री सूचना प्रणाली शुरू की जाएगी इससे बहुत से यात्रियों को लाभ पहुंचेगा। दिल्ली के अंदर बिजली की वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र के लिए 639 करोड़ रुपये के योजना बजट का प्रस्ताव इसमें है। सरकार ने बिजली के बिलों में कमी, नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक परिवार को हर महीने 20 हजार लीटर पानी निःशुल्क आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण उपाय किये हैं। जिसके लिये इस बजट में 1690 करोड़ रुपये की सहायता का प्रस्ताव है ये प्रशंसनीय है।

अध्यक्ष महोदय : विजेंद्र गर्ग जी शॉर्ट करें प्लीज।

श्री विजेंद्र गर्ग : मैं दो मिनट का समय और लूंगा बस। दिल्ली में जलापूर्ति क्षेत्र के लिये वर्ष 2015-16 में 1468 करोड़ रुपये योजना बजट का प्रस्ताव है, शहर में पीने के पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये पानी का उत्पादन बढ़ाने के लिए इरादतन नगर में जल संशोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। चंद्रावल तथा वजीराबाद स्थित जल शोधन संयंत्रों को जारी किया जायेगा। ये उस दिशा में कदम है जिसको हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हर घर को, हर झुग्गी को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जायेगा तो ये जलापूर्ति के संबंध में दर्शाता है। वाटर टैंकर जहां बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा था 49 दिन की सरकार ने भी उसको रोकने के बहुत से

उपाय किये थे और अब भी जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, बड़े कदम उठाए गये हैं। वाटर टैंकरों पर सार्वजनिक निगरानी के लिए नया पोर्टल शुरू किया जा रहा है ताकि लोग वाटर टैंकरों पर प्रभावी, सतत और कड़ी निगरानी रख सकें। 400 से अधिक टैंकरों में जी.पी.एस. और वाटर सैंसर लगाए जाने का प्रावधान है और लगाए गये हैं एक वेब आधारित प्रणाली के जरिए उनका संचालिन और निगरानी रखी जा रही है जल-मल प्रबंध योजना नाम का एक नया प्रोग्राम चालू किया जायेगा जिसका उद्देश्य जल एवं मल प्रबंधन में है अगर जल है तो जीवन है। जल है तो कल है। जल का संचयन भी करना पड़ेगा और जल को घर-घर तक भी पहुंचाना पड़ेगा मैं पुन: दिल्ली के माननीय वित्त मंत्री जी को दिल्ली की जनता की ओर से, समस्त सदन की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं बहुत-बहुत बधाई और मैं इस प्रस्ताव को पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और ये प्रस्ताव अतिशीघ्र पास हो ताकि दिल्ली की जनता को लाभ मिल सके, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : नरेश यादव जी। नरेश जी अभी सदस्यों को बोलना है जरा शॉर्ट करेंगे ताकि ये जल्दी से पूरा हो सके।

श्री नरेश यादव : धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी मैं माननीय वित्त मंत्री जी को एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूं जिसमें कर के किसी भी प्रस्ताव का आम आदमी पर किसी भी प्रकार का कोई बोझ नहीं पड़ा है। जैसा कि माननीय सदस्यगण ने इस बजट के बारे में बताया है कि इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास जोर दिया गया है। शिक्षा में 106 परसेंट का जो पिछले साल 2219 करोड़ था और इस

साल 4570 करोड़ रखा गया है। इससे सरकार का विजन बिल्कुल क्लीयर है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहती है और इस बजट में पहली बार स्वराज निधि का भी प्रस्ताव रखा गया है जो कि 253 करोड़ रुपये है। 13 विधान सभाओं में ये प्रयोग किया गया है इसके अलावा ई-डिस्ट्रक्ट स्टार्ट की गई है जिससे कि करप्शन रुके जो सर्टिफिकेट इशू किये जाते हैं, उसमें आज हर किसी भी एस.डी.एम. ऑफिस में आप जाएं तो उसमें पहले हमारी सरकार से पहले काफी भ्रष्टाचार होता था लेकिन अब सरकार ने ये पहल की है ये सर्टिफिकेटस ऑन लाइन इशू किये जायेंगे और डूटा का भी जिस तरह से एक नई एजेंसी का निर्माण किया जा रहा है जिस तरह से इसका प्रयोग किया जा रहा है हर रिवैन्यू डिस्ट्रिक्ट में स्वराज निधि एम.एल.ए. फंड का इस्तेमाल डूटा के माध्यम से हो सकता है। वाई-फाई जो सारे कॉलीजिजों में, गांवों में इस बजट में प्रावधान किया गया है जो कि काफी सराहनीय है। ट्रांस्पोर्ट में भी काफी अच्छा किया है। 1380 सैमी. लो फ्लोर बसों के लिए, 500 मिनी बसें और 5500 से नये ऑटो परमिट इशू किये जायेंगे ट्रांस्पोर्ट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

अध्यक्ष जी मैं वित्त मंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहता हूं और उनको बधाई कहना चाहता हूं इस बजट के माध्यम से जिस तरह से शिक्षा स्वास्थ्य या अन्य सेवाओं पर ध्यान दिया गया है उसी तरह से व्यापारी और बिजनसमैन का भी खास ध्यान रखा गया है। इसमें वैट में किसी तरह की दर की वृद्धि नहीं की गयी है, बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई जिससे कि महंगाई कहीं भी किसी तरह से नहीं बढ़ती है। यह सरकार एक स्थिर कर व्यवस्था में विश्वास रखती है और सरकार का ये कलियर विजन है कि ease of doing

business की तरह से उन्होंने काम करना है और जैसा कि बजट में प्रावधान किया गया है बिजनिसमैन तरह-तरह के लाइसेंसों से काफी दिनों से परेशान रहते थे हर साल उनका रिन्यूवल भी होता था और जब-जब रिन्यूवल होता था तब-तब वहां भ्रष्टाचार होता था सरकार ने माननीय वित्त मंत्री ने जैसा कि बजट में हाई पावर कमेटी का गठन किया है और सारे लाइसेंसिज और कहां जरूरत है, कहां नहीं है उसकी रिपोर्ट 31 जुलाई, 2015 तक जो पेश होनी है।

ये बिजनसमैन और व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इससे व्यापारी वर्ग बहुत ही खुश है। काफी व्यापारीगण, मेरे जान पहचान वाले लोग हैं जिन्होंने मुझे इसके लिए बधाई दी है और मैं भी वित्त मंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। मेरे सारे जान पहचान के लोगों ने भी उन्होंने भी मुझे कहा है कि वित्त मंत्री जी को इसके लिए बधाई दें।

अध्यक्ष जी, वैट हमारा राजस्व का मुख्य स्रोत है जिसमें कि सालाना चौबीस हजार करोड़ रुपये वसूल किया जाता है जो कि कुल राजस्व का 69.3 करोड़ रुपया है। जबकि हमारा स्रोत वैट है इसके बावजूद भी हमारे वित्त मंत्री जी ने दरों का कोई इन्क्रीमेन्ट नहीं किया है, कोई दर नहीं बढ़ायी है। इसके बावजूद जैसे ही सरकार आयी है और इस फाईनेन्सियल ईयर में व्यापारियों को गले लगाने से व्यापारियों का दुख दर्द समझने से और व्यापारियों का एक साफ सुथरी व्यवस्था देने की वजह से व्यापारियों ने दिल खोलकर हमें वैट दिया है और दो महीने में हमारा वैट 37.6 परसेन्ट बढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिए। प्लीज।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि चुनावी घोषणा पत्र में हम लोगों ने सरकार ने वादा किया था कि किसी भी तरह की कोई रेड नहीं लगायी जाएगी, कोई रेड अब सरकार के द्वारा नहीं होती है। इसके बावजूद भी इतना ज्यादा कर वसूली, वैट वसूली आँकड़ों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि व्यापारी वर्ग में काफी विश्वास है सरकार के प्रति और वो सरकार का पूरा साथ देना चाहते हैं, पूरा कर देना चाहते हैं। सिर्फ उनको एक ऐसा एटमास्फेयर चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं आपको एक एक्जाम्पल देना चाहता हूं अगर कोई बिजनसमैन, कोई व्यापारी एक बिजनस खोलता है और अगर सरकार कोई भी कर उस पर नहीं लगाती है और वो एक छोटा सा शो रूम भी खोलता है तो व्यापारी अपना पैसा लगाता है पैसा लगाने के बाद में वो व्यापारी खुद अकेला व्यापार नहीं कर सकता। पांच दस लोगों को जरूर उसमें वह अवश्य नौकरी देता है, रोजगार देता है जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि व्यापारी पहले दिन से ही हमारे समाज, हमारे देश की डेवलपमेन्ट में सहयोग करता है। पांच दस लोगों का घर चलाता है अगर उसको एक अच्छी व्यवस्था दी जाए, जैसे हमारी दिल्ली सरकार दे रही है तो व्यापारी वर्ग जिस तरह से हम सारे आंकड़े देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता एक लाख तीस हजार करोड़ टैक्सेज केन्द्र सरकार को देती है और केन्द्र सरकार मात्र 325 करोड़ रुपये देती है तो उससे आप अन्दाजा लगाए कि दिल्ली में कितना बड़ा व्यापार का एक हब बन सकता है। जैसा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने भी अभी कहा कि हम दिल्ली को एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहां पर पूरे देश से आकर व्यापारी यहां पर व्यापार करें। इससे उनको एक ऐसा सिस्टम मिले जिसमें पारदर्शिता हों और उनको किसी तरह

की कोई भी भ्रष्टाचार का भी सामना न करना पड़े और जो व्यवस्था चल रही है उसमें उन लोगों को सुविधा मिले।

अध्यक्ष महोदय : अब कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष जी इसके अलावा मैं थोड़ा सा कुछ प्वाईन्टस किसानों के लिए भी रखना चाहता हूं। किसानों की काफी दिनों से मांग थी सर्कल रेट के लिए। हमारी सरकार ने किसानों का भूमि का सर्कल रेट बढ़ाया है। कृषि भूमि में जैसे 52-53 करोड़ रुपया जो पहले एप्राक्सिमेट था जो मार्च 2001 में तय किया गया था और इस बार सरकार ने एक करोड़ से डेढ़ करोड़ कृषि भूमि में और लगभग दो करोड़ से साढ़े तीन करोड़ जो लैण्ड पुलिंग पालिसी में शामिल जो कृषि के लिए रखा गया है। तो ये भी काफी सराहनीय है और मैं इसके लिए भी वित्त मंत्री जी को काफी बधाई देता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए भी इसमें बहुत अच्छा प्रावधान किया है। कृषि भूमि दिल्ली में लगभग पच्चासी हजार सात सौ अस्सी एकड़ है जो कि ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि इतनी ज्यादा कृषि भूमि दिल्ली में है और सरकार का जैसे पीछे ओला वृष्टि का कम्पनसेशन दिया गया था उससे भी सरकार का रुख बिल्कुल क्लीयर है और किसानों में और गांवों में सरकार के प्रति जो विश्वास देखने को मिल रहा है, उसके लिए सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस तरह का बजट जो कि एक ऐतिहासिक बजट है, जिसकी चर्चा हर गली में, सभी वर्गों में बहुत ही अच्छे बजट के रूप में की जा रही है।

अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रवीण कुमार जी।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपने इस ऐतिहासिक बजट में मुझे चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय इस बार का जो बजट है एक बहुत ही विजनरी और एम्बीशियस बजट जो कि इस सरकार ने पेश किया है 41129 करोड़ रुपये का जो कि पिछले वर्ष से 18 परसेन्ट अधिक है। अध्यक्ष महोदय, ये बजट सिर्फ एक ऐतिहासिक बजट नहीं है। इस बजट में राजनीति की परिभाषा चेन्ज करने वाला बजट है। पिछली सरकारें शायद सोचती होंगी कि राजनीति वो होती है जिसमें राज करने की नीति हो लेकिन अध्यक्ष महोदय इस सरकार ने ये बजट प्रस्ताव पेश करके ये साबित कर दिया है कि राजनीति राज करने की नीति नहीं होती है बल्कि राज चलाने की नीति होती है।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से इस सरकार ने एजूकेशन के बजट 9836 करोड़ रुपये किया है, जो कि पिछले वर्ष से 106 प्रतिशत अधिक है। अध्यक्ष महोदय, सरकार इससे एक और बात साबित करती है इस बजट से अध्यक्ष महोदय, एक एक्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा पिछली सरकार जो कि यू.पी.ए. की सरकार थी जिसका एक, एक पंचलाइन थी, पंचलाइन कहना चाहिए इसको "पढ़ेगा इण्डिया तभी तो बढ़ेगा इण्डिया" लेकिन अध्यक्ष महोदय, अभी तक ये इण्डिया को पढ़ा नहीं पायें तो अध्यक्ष महोदय, इस बजट से, इस ऐतिहासिक बजट से अब ये काम दिल्ली सरकार करेगी क्योंकि दिल्ली सरकार जानती है कि एजूकेशन सिस्टम और एजूकेशन को सुधारना हमारे देश की कितनी बड़ी जरूरत है और दिल्ली की कितनी बड़ी जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूंगा जो कि ऐतिहासिक चीजें हैं, जो कि दिल्ली सरकार ने की है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से इस बजट में बीस हजार टीचर्स का प्रावधान किया गया है, स्कूलों में आपने देखा होगा कि कई सारे गेस्ट टीचर्स, कई सारे कान्ट्रैक्ट टीचर्स और पिछली सरकार में न जाने कितने-कितने नाना प्रकार के ऐसे टीचर्स रिक्रूट कर रखे हैं जिसके कारण एक तो जब ये टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, तब हो सकता है इनके बैक ऑफ दि माइन्ड एक बात चलती होगी कि क्या वो अगले साल या अगले कुछ महीने बाद वो इस क्लास में आ पाएगा। क्या उसकी नौकरी सुरक्षित है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय श्री अरविन्द केजरीवाल जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी का कि जिस तरीके से उन्होंने बीस हजार टीचर्स की रिक्रटमेन्ट की बात कहके इन सारे टीचर्स को एक सम्मान दिया है और एक उचित स्थान दिया है। अध्यक्ष महोदय, इससे एक और बात बहुत अच्छी हुई है कि जिस तरीके से एक स्टूडेन्ट और टीचर का एक रिलेशनशिप होता है अगर वो टीचर आपको अगले साल नहीं मिले तो बच्चे में भी बेचैनी होती है और कन्फ्यूजन का माहौल होता है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के बाद और बीस हजार रिक्रूटमेन्ट के बाद और परमानेन्ट रिक्रूटमेन्ट के बाद ये बाउन्डिंग और भी स्ट्रांग हो जाएगी। एक बच्चे और टीचर का रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, एक आँकड़ा मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जो इकोनामिक सर्वे ऑफ दिल्ली आया था उसमें टोटल स्टूडेन्टस पांच लाख छियासी हजार चार सौ सोलह ब्वायज और पांच लाख चौरासी हजार चार सौ इकतालीस गर्ल्स और टोटल मिलाके चौदह लाख

सत्तर हजार आठ सौ सन्तावन, ये टोटल स्ट्रेन्थ हैं पूरे एजूकेशन में जो पहली से लेके बारहवीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसके बावजूद करीब एक लाख जो बच्चा है वो शिक्षा से वंचित रह जाता है। अध्यक्ष महोदय, जो कि इस सरकार ने अपने चुनावी वायदे में भी ये बात कही थी कि पांच सौ स्कूल खोल के देंगे और नये स्कूल खोल के देंगे ताकि हर एक बच्चे को उसका, उसकी राईट टू एजूकेशन मिल सके जो कि उसका हक है, उसका अधिकार है एजूकेशन लेना। लेकिन जब वह पहले स्कूल में जाएगा तभी तो हक अपना समझ पाएगा और हक ले पाएगा। तो अध्यक्ष महोदय इस सरकार ने 800 स्कूलों का वायदा करके अपने इस बजट में 236 नये स्कूल खोलकर और खोलने की बात कहकर और उस पर कार्यान्वित गतिशीलता बताकर यह सिद्ध कर दिया है कि आधा काम लगभग सरकार ने अपना तीव्र गति से पूरा करने वाली है।

अध्यक्ष महोदय, एक और बहुत बड़ी बात जोकि एजूकेशन सिस्टम में इस सरकार ने कही है कि हर बारहवीं पास करने वाले बच्चे को दो सर्टिफिकेटस दिए जाएंगे। एक तो स्किल का सर्टिफिकेट और एक है हायर एजूकेशन का सर्टिफिकेट। और एक और बात जिसमें कि 310 करोड़ रुपये फॉर स्किल डवल्पमेन्ट के लिए दिए जाए। फॉर स्किल डवल्पमेन्ट इन स्कूल्स इसके लिए दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि कुछ दिन पहले सरकार ने एक सर्वे कराया था जिसमें हमने बारहवीं पास बच्चों के ऊपर एक कॉलिंग सर्वे किया था। जिसमें उनसे फीडबैक लिए गए थे कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें पता लगा कि 75 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे जो है बारहवीं पास करने के बाद वो कहीं न

कहीं जॉब करते हैं। तो इससे ये कन्क्लूजन निकलता है कि कहीं न कहीं बच्चों को एक स्किल की रिक्वायरमेन्ट है एक स्किल सेटअप करने की रिक्वायरमेन्ट है। क्योंकि अगर सरकारी स्कूल के 75 प्रतिशत के बच्चे अगर किसी न किसी काम में जाते हैं और उनके पास किसी स्पेशलाईज स्किल नहीं होता तो हो सकता है उनका शोषण भी हो रहा हो। तो अध्यक्ष महोदय इस पहल से जो कि दो सर्टिफिकेटस की पहल से इनका भविष्य सेव हो पाएगा और हम बैटर स्क्लि डवल्पर्स चुन पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय एक और बहुत बड़ी बात है सराहनीय चीज जो इस सरकार ने की है वो अध्यक्ष महोदय हायर एजूकेशन एण्ड स्किल डवल्पमेन्ट गारंटी स्कीम। जिसमें कि 10 लाख रुपये तक बच्चे को लोन दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ये एक बहुत सराहनीय और महत्वपूर्ण कदम है। मैं कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस के सामने एक किराने की दुकान है। टीटू भैया कहते हैं उन्हें। उनसे बात कर रहा था उन्होंने बताया कि आपकी सरकार ने अभी जो 10 लाख के लोन का प्रावधान करा है काश! अगर मैं जिस समय पढ़ रहा होता उस टाइम अगर सरकार करती तो शायद मैं कहीं डाक्टर होता। तो अध्यक्ष महोदय इस तरीके के स्टेप्स लेके सरकार ने इस सारे सदन का मान गौरवान्वित किया है। अध्यक्ष महोदय एक बहुत बड़ा प्रावधान जोकि काफी सारे ऐसे टेलेंटिड बच्चे हैं ऐसी Locality में बच्चे जिनमें बहुत सारा टेलेंट होता है। लेकिन उन्हें सुविधा न मिलने के कारण वो अपनी स्किल को निखार नहीं पाते। 'पे एण्ड प्ले स्कीम' के जरिए अध्यक्ष महोदय इस टेलेंट को निखारने का काम किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय जिन स्कूलों में ग्राउण्ड है और जो लोकल बच्चों को नहीं मिल पाते अध्यक्ष महोदय उनको भी लोकल बच्चों के लिए भी अवेलबल कराया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय एक कहावत है कि

"if wealth is lost nothing is lost if health is lost something is lost if character is lost everything is lost"

तो अध्यक्ष महोदय इन नीतियों पर चलकर इस सरकार ने यह साबित किया है कि जिस तरीके से हैल्थ और एजूकेशन किसी भी सरकार के लिए एक प्रायोरिटी होनी चाहिए उसी तरीके से इस सरकार के लिए भी हैल्थ और एजूकेशन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है जो कि इन्होंने हैल्थ में भी करके दिखाया। जो कि पिछले साल से 45 प्रतिशत अधिक हैल्थ का बजट बढ़ाया और 4787 करोड़ रुपये का बजट दिया।

अध्यक्ष महोदय मैं यही पर अपनी बात खत्म करते हुए क्योंकि मैं जानता हूं कि सदन का समय बहुत बहुमूल्य है, शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : जगदीप सिंह जी।

श्री जगदीप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सिर्फ तीन बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि मेरे सारे जितने भाई हैं, उन्होंने सारी बातें रख दी हैं। सबसे पहले मैं अपने मुख्यमंत्री को मुबारक देना चाहूंगा और मुबारक मनीष सिसौदिया जी को हमारे उप मुख्यमंत्री जी को और मुबारक है जिसने सड़क पर उतरकर के ये सपोर्ट सफेद टोपी

पहनकर जिस पर लिखा था मुझे चाहिए स्वराज। पुलिस डंडे मार रही होती थी, वहां बैठे हुए सरकार के कुछ मंत्री वहां से टी.वी. पर बोल रहे होते थे कि स्वराज चाहिए तो पहले चुनाव लड़ो। चुनाव लड़कर संसद में आओ। तब जाकर बात करना स्वराज की। लेकिन आज ये सपना पूरा हुआ उसी वालिंटियर्स, यहां सरिता बैठी है, राखी बैठी है, महेन्द्र जी बैठे हैं। ये सड़कों पर वहां पर सारा सारा दिन धूप में पसीने में इसी सरकारों के आगे लड़ाई लड़ रहे होते थे स्वराज को लाने के लिए। स्वराज को आज हमने अंजाम दिया है और इस संसद में लेकर आए हैं तो मुबारक है। ये ऐतिहासिक बजट है जी। न कि दिल्ली के लिए बाकी और राज्यों के लिए बल्कि विदेश में बैठे हर हिन्दुस्तानी के लिए भी। क्योंकि जिस दिन से बजट आया है। रात रात तक बैठे लन्दन में बैठे, कनाडा में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए लोगों ने सराहना की है कि मनीष जी ने ये कमाल कर दिया जो एजूकेशन में इतना बड़ा इजाफा किया है। आज तक किसी सरकार ने इतना नहीं किया और एक इतिहास जो रचा है। उन्होंने जो कि आज तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि इन-फार्मल सैक्टर में स्किल एजूकेशन को बढ़ाने के लिए जो बच्चे एकाडमिकली नहीं चल पाते। बहुत ज्यादा उनको भी उनके टैलेंट को ग्रो करने के लिए जो स्किल एजूकेशन को इन्ट्रोडयूज किया, इसके लिए सबको सराहा है। विजेन्द्र जी जा रहे हैं बस छोटी सी बात कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि शराब पीने वालों की तो चिंता इन्होंने जतायी। लेकिन जो दिल्ली में बच्चे शिक्षा नहीं ले पाते, उनकी नीति उन्होंने नहीं बनायी जो हमारी सरकार ने कर दिखाया। हमारी सरकार सबसे बड़ी चीजों के जो आइडियोलोजी है लार्ड मैकाले, राजा राम मोहन राय, पं.

मदन मोहन मालवीय, दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द और हमारे पहले प्रजिडेंट राजेन्द्र प्रसाद जिनका सपना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो हैवन आफ एजूकेशन होगा, उसमें इजाफा करते हुए सरकार ने हमारा ध्यान दिया है और उसी आइडियोलोजी को लेकर हमने एजूकेशन को प्राइमरी का ध्यान रखा है। सबसे बड़ा 106 परसेंट एजूकेशन में बढ़ावा किया है।

लास्ट बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि आज दिल्ली के जो 39 इण्डस्ट्रीयल एरियाज थे जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। उसमें से एक मायापुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया है। आपको जानकर दुख होगा कि 37 साल से उनकी सड़कें नहीं बनी हैं। आज उसके लिए बजट पास हो गया है। साढ़े बारह करोड़ की सड़कें आप देखिए बननी शुरू हो रही है। उनकी एन.आई.टी. शुरू भी हो गयी है और बाकी जितने भी इण्डस्ट्रीयल एरियाज है उनके सड़कों के सीवर के लाइटिंग के सबके प्लान जो है। सब रेडी करती जा रही है क्योंकि अगर आज हम अपनी इण्डस्ट्रीज को डवलप करेंगे, हम लोग अपने कितने भी अनइम्पलायड भाइयों के लिए रोजगार पैदा करेगी ये सरकार। न कि उनके लिए रोजगार पैदा करेगी यहां पर बहुत सारी ऐसी इण्डस्ट्रीज भी है। जो फॉरेन रेवेन्यू यहां पर खींच के लाएगी जब ये हमारा इन्फ्रास्ट्राचर डेवलप हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से अपनी पूरी सरकार अपने जितने भी विधायक जीत कर आए हैं। विपक्षी दल को भी बधाई देता हूं कि ऐसा बजट आज तक भी पेश नहीं किया गया बहुत बहुत मुबारक हो, जय हिन्द जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : सरदार अवतार सिंह जी।

सरदार अवतार सिंह कालका जी : अध्यक्ष महोदय, तुआडा अज बड़ी खुशी दी गल है कि स्वराज बजट पेश होया ते उदी चर्चा चल रही है। उस बजट दा असी स्वागत वी करदे हां। मैं धनवाद करदा हां अरविंद केजरीवाल जी दा, ते मनीष सिसोदिया जी दा, ते ओना दे मंत्रियां दा, ते ओना दे पूरे स्टाफ दा जिना नें ऐ बजट नू बनावन वास्ते अपना पूरा समा लगाया। मैं बहुत बहुत बधाई देना इस स्वराज बजट नू। अरविंद जी ने बोल्या सी जदों कसम लई सी इसतो पहलां एना नें गल किती सी कि कुछ अच्छा होन वाला है ते अज ओ समा आ गया दिल्ली दे लोकां वास्ते कि कुछ अच्छा होन जा रया। मैं अध्यक्ष जी, तुआनु दस नहीं सकदा कि एने फोन आ रहे ने बधाई दे चाहे ओ दिल्ली तो नें, चाहे ओ केनेडा तो नें, चाहे पंजाब तो ने, ते चाहे ओ अमरिका तो नें। इक लोकां दे विच गाल सी कि इक वार चेंज आना चाहि दा ए और ओ चेंज आया ते आज लोकां दे विच खुशी दी लहर है चाहे ओ आम आदमी पार्टी दा कार्यकर्ता है जदों मैं घर गया जदों बजट पेश होया मनु वधाईयां देन वास्ते लोक पहुंचे होय सन। ऐनी खुशी दी गल है कि इक ते मैं होर गल करना चाहना साडडे सतेन्द्र जैन जी जो अपने स्वास्थ्य मंत्री नें, इना नें इस विच इक ते आज तक अजे जो नवें होस्पिटल बनन गे, होस्पिटल बन रहे ने ओना दे विच उना नें आज तक होंदे होयां ते अपना दो हजार जेडे बैड ओना विच उना नें अपना उदे विच इंकलूड कर दिते। जैडे कि अपना 800, 600 ते 400, 200 ते 2000 बैड उदे विचों इक जगह जेडे 1500 बैड दा होस्पिटल बनाया ओथे 700 दी पहलां केपेसिटी सी ते उनानु 1500 किता ऐसे तरहां होर जगा वी उना नें ओदे च वाधा पाया। ए बडी फक्र दी गल है साडे कोल ऐहो जये मंत्री नें एहो जई सोच वाले लोग

नें जेडे कि अपना अपने आप नू कुर्बान कर रहे ने जाके पब्लिक दे विच जाके काम कर रहे ने। ऐस तों वडी ते गल हो ही नहीं सकदी। मैं बडा अपने आप नू सौभागयशाली समझना फक्र महसूस करना कि मैं आम आदमी पार्टी च आया। मैं टिकट मिली मनु मैं जित के आया ते मेरे वास्ते बडी फक्र दी गल है कि दिल्ली विच पूरे हिन्दुस्तान विच पूरे वर्ल्ड विच इस तरहां होया कि ओदे विच मनु आज मैं इस विधानसभा विच बैठां ते मैं उनहा दां थैंकस वी करदां कि मनुं मौका मिलया इना नाल काम करन दा ते आज उना नें स्वराज बजट पेश किता ऐ धनवाद योग नें। इतनी मेहनत करदे नें और चिंतित है अरविंद केजरीवाल ते मनीष जी। जो मैं देखया कि जदों अपना बजट सुना रहे सन इतना लम्बा समा खडा होके इना नें इक मुक बजट अपना बोलदे रहे पढदे रहे ऐ मेहनत कर रहे ने और इना दे अंदर भारत वास्ते, दिल्ली वास्ते, देश वास्ते, अपने लोकां वास्ते बड़ा प्यार है। मैं बहोत बहोत धनवाद करवां इना दां। मैं इक गल दा मनुं महसूस वी होंदा है विधान सभा दा जेडा साडा इथे नियम है पूरे हिसाब नाल जदों अपना साडे अपेजिशन दे बोलदे तुसी सानू कहया सी गा कि तुसी ऐदी गल दे विच नहीं आना पर मैं महसूस करदां कि इक जदों बंदा अपना काफी समय तो पोलिटिक्स च जुडया होया ते उसदे बावजूद ओस नियम दा पालन न करे असी ते नवें आये हां सारे। तुसी सानूं इक वारी कहया कि भई तुसी अपना कोई गल करनी है ते बाहर दी जाके गल करनी हे। पहलां मैसेज दयो। जदों ऐथे उथे जाके मनीष जी कोल जाके ऐना पेपर दिते ते इक विधानसभा दा कोई नियम नहीं है ऐ चंगी गल नहीं है, चंगे लोकां दी गल नहीं है, ऐदे विच ऐना नूं अपने आप सोचना चाहि दा कि इक सिस्टम नाल चलिए क्योंकि जदों

गल तुसी शुरू किती हे अजे ते उसतों पहलां ही इना नें गल शुरू कर दिती अपना ए.सी.बी.ते.। मैं कहना केडी खुशी दी गल हेगी एदे विच अगर कोई देशवासी अच्छा होन जा रहया है, अगर करप्शन रुकन जा रही हे कि ए करप्शन नहीं रोकना चाहंदे आप करप्शन रोकना नहीं चाहते। हमारे को बताओ ऐसा क्यूं हो रहा है समझने की बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : बोलने दो उनको शुरुआत आप लोगों ने की थी उनको समाप्त करने दो। चलिए चलिए अवतार जी।

सरदार अवतार सिंह कालका जी : ऐसा है मैं तो एक बात जानता हूं अगर अच्छा काम हो रहा है और दिल्ली में बजट आया। लोगों में प्रशंसा है और ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिये। मैं पंजाबी च गल ऐस करके कर रहया सी क्योंकि मनूं फक्र महसूस हो रहया सी मैं आम आदमी पार्टी नाल जुडयां मैं पंजाबी दे विच पहलां सों चुकी सी अज मैं पंजाबी विच पहली वार वधाई देना चाहवदां सी एना नूं। ते मैं इना दी गल करना चाहना कि अपना गुरू ग्रंथ साहब दे विच वाणी च कहया "वचन करे ते खिसक जावे बोले बच्चा अंदरों धोखा कुरयार कुडी सब खच्चा जेडा पावे है" जो लोग अपने गल तो मुकर जांदें नें झूठी गल करदे नें ओ लोग झूठे होंदें नें। इसदी नियत पहलां ही पहलां ही खराब होवे। इक दी हर गल झूठी होवे। उते की करिये। गल गल विच अच्छे दिन आयेंगे, आज मेरे ख्याल काफी समा हो गया पर सानू कुछ लगया ही नहीं कि अच्छे दिन आये हा पर दिल्ली दे लोकां नें अरविंद केजरीवाल जी ने दस दिता कि अच्छे दिन आन गे पर लोकां दे आन गे जिन लोकां नें अपना इतना समर्थन दिता ऐदे वास्ते तत्पर

ने आम आदमी तत्पर है। साडे सारे एम.एल.ए. जो गल करदे हन जो आपां सुनने विच भी यकीन रखदे हां कहन विच वी ओना दे यकीन रखदें हां जो मेरे साडे एम.एल.ए. कहदें नें असी उदे नाल बिल्कुल वचनबद्ध हैं और मैं स्वागत करदां अपने इलाकावासियों वालों अपने जिने साडे मित्र नें उना वालों। मैं वधाई देना अरविंद केजरीवाल जी नूं और अपना मनीष जी नूं पूरी टीम नूं वधाई देना ते अपने मंत्रीगणा नूं। जय हिंद। जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : अवतार सिंह जी मैं तुआनुं बहोत बहोत वधाई देनां। तुसी पंजाबी विच अपनी गल रखी ऐ बहोत बहोत वधाई। श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ता : अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया हार्दिक धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी से बातें खत्म करना चाहूंगा कि वैसे भी सारे प्वाइंटस सारे तथ्य आपके सामने हैं, सब ने रख ही दिये हैं। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी जब मनीष जी ने कहा कि वो एक्चुअली खर्चा नहीं है वो इन्वेस्टमेंट है। शायद हमारे कुछ साथी जो जिनका टाइम हो गया निकलने का इस टाइम वे चले जाते हैं। अक्सर कुछ काम आ जाता है उनको सात बजे के बाद। तो वो ये भूल गये थे कि ये इन्वेस्टमेंट है इन्होंनें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी चालू रखिए।

श्री राजेश गुप्ता : सर एक जैसे कहा कि एक इन्वेस्टमेंट है और हकीकत मानिये कि जब हम ने इस आंदोलन की शुरुआत की और हम सोचते थे कि सबसे ज्यादा परेशानी इस देश के अंदर अगर हम सोल्व करना चाहें तो जल्दी से जल्दी करना चाहें तो क्या करेंगे। बेसिक तौर पर किसी भी आम आदमी से बात करें तो वो कहता था कि एक प्रोबलम हमारी पोपुलेशन

है, एक एजुकेशन है और एक हैल्थ है। एजुकेशन के ऊपर जिस तरीके से कल हमने बजट डबल किया। ऐसा महसूस हुआ कि आज जो हम करना चाहते थे उससे किसी सपने को जिया गया हो कि यही हम करना चाहते थे और हमने कर दिया। एक बच्चे में वो इन्वेस्टमेंट कि जब वो बच्चा बड़ा हो, अपने अच्छे बुरे को समझ सके, वो किसी पार्टी के पैसे देने से अपने वोट को न बेचे। वो इस बात को समझे कि जात पात धर्म की राजनीति बहुत हो चुकी। अब उसको अपने लिये और अपने देश के लिए कुछ सोचना है वो एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन कुछ लोग शायद इस बात को समझते नहीं हैं क्योंकि राजनीति ही इस बात पे चलती है कि लोग अनपढ़ रहें, जाहिल रहें। तो मैं बहुत बधाई देता हूं। अपने वित्त मंत्री को कि उन्होंने उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। दूसरी बहुत जरूरी चीज जो हमारी हैल्थ के अंदर हुई। मैं खुद इस बात को भुगत चुका हूं। मैंने खुद देखा है अपनी माता जी को 9 वर्ष कोमा में रहते हुए। हम लोग एक मध्यम परिवार से आते हैं लेकिन जब हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है। मैं सवा साल से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ पिछली सरकार में भी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके साथ काम करने का। मैंने इस बात को अनुभव किया कि अच्छा खासा आदमी जिसकी जेब में उस वक्त 5-10 लाख रुपये कहीं से वो इकट्ठे कर भी लेता है लेकिन उसके घर में जब कोई बीमार हो जाता है तो वो 10 लाख रुपये भी मूंगफली की तरह खर्च हो जाते हैं और हैल्थ में हम इतने मजबूर हो जाते हैं अध्यक्ष जी, कभी कभी आप भी इस बात को समझते हैं आप से मेरी बात होती है कि हम चाहें भी तो कुछ नहीं कर पाते कि हमारे पास में बजट ही नहीं है। इस बजट को 45 परसेंट बढ़ाना

65 सालों में जो दस हजार बैड बनें, उसको ये कहना कि ढाई साल में हम इसको दस हजार और बढ़ायेंगे। मेरे लिये इससे ज्यादा फक्र की कोई बात हो ही नहीं सकती कि मैं एक ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीतना जिसने उन सब बातों को समझा जो एक आम आदमी जानना चाहता है वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में बदलाव हो। शायद कुछ लोग गिनती के ही हैं वैसे तो। यहां पे 1 परसेंट भी नहीं हैं बैठे हैं जिन्होंने इस बात में कुछ खामियां ढूंढी, ये उनका काम है शायद। लेकिन एक आम जनता से अगर आप जाकर के बात करें आज तो वो इस बजट से इतना खुश है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि भई, जो सपनों का भारत वो चाहता था, जैसा हम चाहते हैं कि हम दुनिया में बढ़ें। सारे आंकड़े कहते हैं कि हमने हैल्थ के अंदर हम बहुत कम पैसा खर्च करते हैं बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, हमने उसे बढ़ाया। हमने लगभग उस जगह हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि नहीं, हमने कुछ चीजों में पैसे बढ़ाये मुझे बड़ी अजीब सी लिस्ट वो मैं भी देख रहा था जिसमें थी शराब, तम्बाकू, भांग मुझे ये सब समझ नहीं आता कि ये सब जनता के लिए क्या जरूरी है मुझे नहीं समझ में आता। कुछ लोगों के लिए हो सकती है *(व्यवधान)*...सर कर देंगे सर, सर मतलब इन 67 मतलब इन बातों में शायद इनको बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो मैंने पहले ही कहा कि 7 बजे के बाद की जो चीजें हैं उनमें थोड़ी तकलीफ ज्यादा हो जाती है इन्हें। हम तो सुबह सात बजे से पहले वाले हैं जी योगा वोगा वाले। योगा वाला ड्रामा तो हम करते नहीं योगा करते जरूर हैं। योगा बेचते नहीं हैं हम। उसके बाद में सर एक बात हुई कि बसों का खर्चा काट के हमने सेलेरी में दे दिया। अध्यक्ष जी, मुझे नहीं पता कि कौन सी बसें ऐसी

हैं जो बिना ड्राइवर के चल जाती हैं। मैंने सुना तो है गुगल की कार कोई ऐसी आई है। हो सकता है हमारे कुछ सम्मानीय सदस्य उसमें बैठ गये हों लेकिन मैं उनसे रिकवेस्ट करूंगा ऐसी गाड़ियों के आगे न आ जायें जिनमें ड्राइवर न हो, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जायेगी। तो जो भी बातें हैं जैसे हम सारी चीजें रख चुके हैं। हमने बहुत कोशिश करी है प्राइमरी हैल्थ केयर पर ध्यान देने की कि एक आदमी को उसे इलाज आसपास की डिस्पेंसरी में मिल जाये रेफरल सिस्टम से उसे आगे जाना हो और डेढ़ साल से उस पर मेहनत कर रहे थे जब सरकार नहीं थी तब भी उसमें लगे हुए थे कि किस तरीके से इन चीजों में बदलाव करें। सभी को बहुत बहुत बधाई इस चीज की और ये भी बता दूं कि बीमारी के हास्पिटल्स बनाने के अलावा भी हम ये चाहते हैं कि लोगों को हास्पिटल्स में जाना ही न पड़े और इसके लिए कोशिश आयुर्वेद, नेचुरोपेथी, यूनानी हर एक पर ध्यान देने के लिए, तो मैं एक बार फिर से अपनी बात को खत्म करते हुए अपने वित्त मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्वास्थ्य मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया जो आम जनता को पसंद आया। जनता सब जानती है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोपहर मंगलवार दोपहर 2 बजे तक सदन स्थगित किया जाता है।

सदन की कार्यवाही दिनांक 30 जून, 2015 को अपराह्न् 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।